लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 49, सोमवार, 22 मई 1972/1 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 49, Manday May 22, 1972/Jyaistha 1, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
921 कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बारे से बाजार की स्थिति का पता लगाना और बाजार का सर्वेक्षण	Market Intelligence and Market Survey of Agricultural Goods	1—3
922 भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की सांठ गांठ से किसानों को धोखा देने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष द्वारा जांच	Inquiry by Chairman, FCI into cheating of Farmers with the Connivance of Officers of FCI	3—5
931 कुत्ते के काटे की बीमारी का फैलना	Spread of Hydrophobia	5—6
932 विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन	Studies in Cost of Production of Different Crops	6—7
934 वनारक्षण क्षेत्र को भूमियां आदिवासियों को देने के सम्बन्ध में त्रिपुरा से अनुरोध	Request from Tripura for Release of Forest Reseive Area for Jhumia tribals	8—9
935 सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ फिशरीज कोपरेटिव्स, केरल के लिये भवन का निर्माण	Construction of Building for Central Institute of Fisheries Coperatiues, Kerala	10—11
936 कपास की प्रति एकड़ उपज और उसके उत्पादन वृद्धि करने के उपाय	Per Acre Yield of Cotton and steps to Increase its Production	11—12
937 स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय	Permanent International Library	12—14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sigh + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
938	लम्बे फासलों तक दूध ले जाने के लिए उसे जमाने के बारे में अनुसंधान	Research in Deep Freezing of Milk for its transport to Long Distance	14–15
939	कैंसर के कारणों का पता लगाने के बारे में अनुसंधान	Research on Causes of Cancer	15—17
940	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसद् सदस्यों का नई दिल्ली में शादीपुर स्थित दिल्ली दुग्ध स्कीम की डेरी का दौरा	Visit of Minister of State for Agriculture and MPs to DMS Dairy at Shadipur, New Delhi	17—18
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Wirtten Answers to Question**	
923	राज्यों द्वारा आवास योजनाओं के लिये निधि का उपयोग	Utilisation of Fund for Housing Schemes by States	18—19
924	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सुझाई गई नई फार्म नीति	New Farm Strategy suggested by Indian Council of Agricultural Research	19–20
925	कलकत्ता कैंसर अस्पताल को नियंत्रण में लेना	Taking over of Calcutta Cancer Hospital	20
926	राष्ट्रीय स्वस्थता दल का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में राष्ट्रीय स्वीस्थता दल के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को लिखा गया पत्र	Letter addressed to Regional Director NFC Western Region regarding Decentralisation of NFC	20—21
927	कृषि से संबंधित संस्थाओं में सार्वजनिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने की कसोटी	Criteria for appointing Public Figures on Bodies connected with Agriculture	21
928	मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Soil Testing Laboratories	21
929	राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून	Legislation on Ceiling on Land in States	21—22
930	केरल में विनाड को आदिवासी विकाश ब्लाक घोषित करना	Declaring Wynad as Tribal Development Block in Kerala	22—23
933	भूमि की अधिकतम सीमा कम होने पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के नये तरीके	New Methods for Raising Farm production consequent on Lowering of Ceiling on Land	23

6834	मध्य प्रदेश में समन्वित ढोर प्रजनन कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Coordinated Cattle Breeding Programme in Madhya Pradesh	23
6835	जन संख्या के जनगणना के आंकड़ों तथा योजना के अनुमानों के बीच अन्तर की जांच के लिए स्थापित की गई समिति से निष्कर्ष	Finding of the Committee set up to inquire into the disparity between the Estimates of Planning Commission and Census figure of Population	24
6836	दिल्ली में वाई डब्लयू० सी० ए० को होटल में बदलना	Conversion of YMCA into Hotel in Delhi	24—25
6837	हल्दिया और मरमागोआ पत्तन परियोजना में अयष्क और कोयला लादने वाले संयंत्रों के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Ore and Coal Loading Plants at Haldia and Mormugao Port Project	25
6838	पत्तन योजना, विशाखापत्तनम की प्रगति	Progress on Harbour Scheme Viskhapatnam	25— 6
6839	सेंट्रल इस्टीच्यूट आफ फिशरीज ओपरेटिव्स केरल को प्रशिक्षण के लिए अधिक नौकाएं दिया जाना	Allotment of More Vessels to Central Institure of Fisheries Operatives, Kerala for Training	26
6840	सेंट्रल मेरिन फिशरीज रिसर्ज इस्टीट्यूट, केरल में प्रशासनिक अधिकारियों के पद	Posts of Administrative Officers in Central Marine Fisheries Research Institute, Kerala	26—27
6841	पूर्वी मध्य प्रदेश में वन काटना बन्द करने के लिये कार्यवाही	Steps to Check Denudation of Forests in Eastern M. P.	27
6842	मध्य प्रदेश में पेय जल की समस्या हल करने की योजना	Scheme to Solve the problem of Drinking Water in Madhya Pradesh	27
6843	सर्वोत्तम ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की योजना	Scheme for Award of Prize to Best Gram Panchayat	28
6844	सहकारी बेंकों तथा ऋण देने संबंधी समितियों द्वारा मौसम में ऋण देने तथा ऋण वसूल की पद्धति का चालू किया जाना	Introduction of Season Based Lending Recovery system co-operative Banks and Credit	28—29
6845	सरोजनी नगर, नई दिल्ली के 'एल' और 'एम' ब्लाक में पानी की कमी	Scarcity of Water Supply in 'L' & 'M' Blocks of Sarojini Nagar, New Delhi	29

U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6846	योजनागत परियोजनाओं में तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण के लिये सोवियत संघ सरकार से दीर्घावधि रूबल ऋण	Long Term Rouble Credit from the Soviet Union for Financing Plan Projects in Technical Education	29–30
6847	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में सम्पत्ति की बिक्री की अनुमति के लिए पट्टाधारियों से शपथ पत्र मांगा जाना	Demand of Affidavit from Lessee for Sale Permission of Property in Kalkaji Colony, New Delhi	30–31
6848	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से सब्जी मार्किट हटाने के लिए अभ्यावेदन	Representation for Removing Vege table Market from Sarojini Nagar, New Delhi	31
6849	मई, 1972 में हुआ राज्यों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन	Conference of State Education Secretaries held in May, 1972	31—32
6850	राष्ट्रीय ग्रन्थालय का आग बीमा करने का प्रस्ताव	Proposal to cover National Libraries with a Fire insurance Policy	32
6851	कुतुब मीनार के अहाते में कार पार्क	Car Parking inside Qutab Minar Primises	32—33
6852	आसवराव पेटा आंध्र प्रदेश में यंत्रीकृत राजकीय फार्म बनाना	Setting up a Mechanised State Farm at Aswarao Peta, Andhra Pradesh	33
6853	नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल और कालेज को अनुदान	Grant to Lady Harding Medical College and Hospital in New Delhi	33–34
6854	छोटे और सामान्त किसानों के लिये ऋण सुविधाओं के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें	Recommendations of National Commission on Agriculture re: Credit Services for small and marginal Farmers	34—35
6855	दीवान चन्द आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली के प्रिंसिपल की मुअत्तिली	Suspension of Principal, Dewan Chand Arya Higher Secondary School, Lodi Road New Delhi	35
6856	दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project Regarding Resettlement of J. J. Dwellers in Delhi	35–36
6857	खाद्य विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सतर्कता आयोग का परामर्श	Advice by Vigilance Commission for Initiation of proceedings against an Officer in the Department of Food	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6858	2500 वीं महावीर जयन्ती के कार्यक्रम का प्रारूप	Draft Programme for 2500th Mahabir Jayanti	36
6859	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	36—37
6860	राष्ट्रपति द्वारा लिखित गेनफुल एम्पलायमेंट नामक पुस्तक	"Gainful Employment"—Book by President	37—38
6861	सीमा शुल्क अधिकारियों को पौधों के कीड़ों और बीमारियों के बारे में निदेश	Instructions to Customs Officials regarding Plant Pests and Diseases	38
6862	वन्य जीवन संरक्षण हेतु कार्यवाही	Steps to preserve Wild Life	38—39
6863	सहकारी समितियों के लिए नियम	Rules for Cooperative Society	39—40
6864	गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम	Termination of Pregnancy Act 1972	40
6865	ग्रामीण आवास योजना	Rurul Housing Scheme	40—41
6866	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये संध्या/रात्रिकक्षायें	Evening/night Classes for Primary and Secondary students	41
6867	गुजरात में जनसंख्या के नियन्त्रण के लिये वृहद् कार्यक्रम	Massive Programme to Control Population in Gujarat	41—42
6868	आवास समस्या के समाधान के लिये दिल्ली प्रशासन को ऋण	Loan to Delhi Administration for Solving Housing Problem	42
6869	भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में बिहार के मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री के विचार	Views of Chief Minister and Revenue Minister of Bihar on Ceilling on Land	43
6870	गन्ने की खेती में और कारखानों को गन्ने की सप्लाई में कमी	Shrinkage in Acreage of Sugarcane and decline in Supply of Sugarcane to Factories	43
6871	चौथी योजना में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये त्रिपुरा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to Tripura State for Minor irrigation Scheme during Fourth Plan	43—44
6872	कम्बरजुआ नहर (गोआ) का तलकर्षण	Dredging of Comberjua Canal (Goa)	44
6873	चम्पाकर नहर का तलकर्षण	Dredging of Champakara Canal	44

अता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6874	संसद सदस्यों के बिजली के बिल तैयार किया जाना	Preparation of Electricity Bili in respect of MP's	45
6875	बेरोजगार नाविक	Jobless Sailors	45—46
7876	भारतीय बाघ की नसल को लोप होने से बचाने के बारे में अध्ययन करने के लिये एक दल की नियुक्ति	Appointment of Group to Study Conservation of Indian Tiger	46—47
6877	नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Property	47—48
6878	इंजीनियरिंग संस्थानों पर प्रवेश के लिये की गई कटौती को बहाल करना	Restoration of cut for admission in Engineering Institutions	48
6879	केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का राज्यों को स्थानान्तरण	Shifting of Central Government Offices to States	48—49
6880	दिल्ली में अनिर्णीत पड़े चालान किये गये मामलों की संख्या	Number of challanced cases pending in Delhi	49
6881	पालम हवाई अड्डे पर भारतीय पुरातत्वीय वस्तुओं का पकड़ा जाना	Alleged seizure of Indian Antiques at Palam Airport	49
6882	उच्चतम शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये भारतीय विशेषज्ञ	Indian Experts sent Abroad Higher Study and training	50
6883	भारत मूलक विद्यार्थियों का मेडीकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश	Admission of students of Indian Origin in Medical at and Engineering Colleges	50—51
6884	दिल्ली प्रशासन और नगर निगम के अध्यापकों का सामान्य भविष्य निधि में अंशदान	Subscription of General Provident Fund of Teachers of Delhi Administration and Municipal Corporation	51—52
6885	अफगानिस्तान में मिले हिन्दुओं और बौद्धो के मन्दिरों के अवशेष	Relics of Hindu and Buddhist Temples Found in Afghanistan	52
6886	सहकारी विपणन समितियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Cooperative Marketing Societies	52—53
6887	आसाम में शुष्क बन्दरगाह	Dry Dock in Assam	54

अता० प्र० संख्या विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.		
6888 पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रहित सहकारी बैंक प्रणाली के बिना कृमि वित्त	Farm Finance without Clearer Cooperative Bank System in west Bengal	54
6889 चिकित्सीय व्यवसाय के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे व्यक्ति	Persons studying in USA and UK for Medical Profession	54—55
6890 अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अन्तर्गत छोटे किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजनाएं	Schemes formulated for availability of water for small farmers under Grow More Food Campaign	55
6891 बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य	Target for production of foodgrain in Bihar	55—56
6892 बिहार में 1972-73 में उर्वरक की आवश्यकता	Requirement of fertilisers in Bihar for 1972-73	56
6893 वर्ष 1971-72 में रबी की फसल के लिए बिहार को उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertitizer to Bihar for Rabi Cultivation in 1971-72	56 –57
6894 बिहार में संथाल पहाड़ियों के विकास तथा सहायता के लिये पायलट परियोजना का विकास	Development of Pilot Project for Succour and Development of Santhal Peharias in Bihar	57
6895 केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक	Meeting of the Central Land Reforms committee	57—58
6896 नेशनल बुक ट्रस्ट के पास पड़ी हुई बिना बिकी पुस्तकें	Unsold books lying with National Book Trust	59
6897 वर्ष 1972 73 में मध्य प्रदेश द्वारा अधिक ट्रैक्टर सप्लाई करने का अनुरोध	Request for more Tractors from M P during 1972-73	59—60
6898 मध्य प्रदेश के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा	Drinking water facilities in Urban and Rural areas of Madhya Pradesh	60
6899 मध्य प्रदेश में उद्यान विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध	Request for central Assistance for Development of Gardens in MP	60
6900 मध्य प्रदेश में कला तथा संस्कृति सम्बन्धी संस्थाओं की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Art and Cultural Organisation in Madhya Pradesh	60—61
6901 मध्य प्रदेश में पब्लिक स्कूलों के लिए केन्द्रीय से अनुदान	Central Government Crants to public schools in Madhya Pradesh	61

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6902	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञाप्ति पद	Posts Advertised by BHU	61
6903	विर्जीनिया फ्लु क्योर्ड तम्बाकू की खेती	Cultivation of virginia Flucured Tobacco	61–62
690!	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्रों को दी गई सुविधायें	Facilities given to expelled students by BHU	62
6905	दिल्ली दुग्ध योजना में बिक्री सहायक का वेतनमान	Scale of pay of sales Assistant in Delhi Milk Scheme	62—63
6906	पूर्वी मध्य प्रदेश में छोटे किसान विकास एजेन्सी परियोजनायें	Small Farmers Development Agency Projects in Eastern Madhya Pradesh	63
6907	मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को दिया गया ऋण	Loan Disbursed to small Farmers in Madhya Pradesh	64
6908	अहमदाबाद में आयोजित किया गया उपकुलपति सम्मेलन	Vice-Chancellors meetting held at ahmedabad	64
6909	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के बारे में बातचीत के लिये बैठकें	Negtiation Meetings pertaining to NFC	64—65
6910	राष्ट्रीय स्वस्थता दल में काम कर रहे परिवीक्षक कर्मचारी	Supervisory Staff functioning in NFC	65—66
6911	राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन में वरिष्ठ परिवीक्षकों के पद	Posts of senior Supervisor in NFC Organisation	66—67
6912	कीटनाशक अवशिष्टों के सड़ जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद द्वारा परीक्षण	Tests by Central Plant Protection Training Institute Hyderabad regarding Contamination of pesticide Residue	67–68
6913	आन्ध्र प्रदेश में शहरों में गन्दी बस्तियों हटाने सम्बन्धी योजनाएं	Urban slum clearance Scheme in Andhra Pradesh	68—69
6914	आम उत्पादन केन्द्र में शीतागार एककों की स्थापना	Setting up Cold storage Units at Mango Production Centre	69
6915	इंजीनितरिंग स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण	Practical Training to Engineering Craduates	69

U. S. Q. Nos.

6916	हृदय पर दूध के प्रभाव के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य	Researeh on Effect of Milk on Heart	70
6917	चीनी उत्पादन के लिये छोटे संयंत्रों की स्थापना तथा गन्ने की सप्लाई पर इसका प्रभाव	Setting up Mini Sugar Plants and its effect on Sugarcane Supply	70
6918	दिल्ली में संस्थाओं को भूमि आवंटन करने सम्बन्धी नियम	Rules of Allotment of Land to Institutions in Delhi	70—71
6919	पक्षियों की किस्मों की समाप्ति	Extinction of Bird Species	71
6920	त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन	Eradication of Unemployment in Rural Areas of Tripura	71—72
6921	त्रिपुरा में आरम्भ किया गया समाज कल्याण कार्यक्रम	Social welfare Programme Under taken in Tripura	72
6922	केरल स्थित सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ फिशरीज ओपरेटिव्ज का उचित कार्यकरण	Proper Functioning of Central Institute of Fisheries Operatives in Kerala	72
6923	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अर्न्तगत विभिन्न संस्थानों के कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines regarding Roles of Different Institutes under Indian Council of Agricultural Research	73
6924	नई दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले के प्रबन्ध के बारे में विदेशी शिष्टमंडलों की प्रतिक्रिया	Reaction of Foreign Delegations on Arrangement made at world Book Fair New Delhi	73—75
6925	मंत्रियों के पास बंगले	Bungalow occupied by Ministers	75
6926	मंत्रियों के कार्यालयों और निवासों पर बिजली की फिटिंग पर खर्च	Expenditure on Electrical Fitting in Respect of Ministers Offices and Residences	75
6927	शिक्षा मंत्रालय द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के विदेशी लेखकों को रायल्टी के रूप में दी गई धनराशि	Amount paid as Royalty to Foreign Authors of Books Prescribed by Education Ministry	75—76
6928	राजस्थान में विद्युत की सहायता से सिंचाई की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of Land Irrigated in Rajasthan with the Aid of Power	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6929	सघन कृषि में प्रगति	Progress in Intensive Farming	76
6930	पुरातत्वीय विभाग द्वारा सुरक्षित संस्थानों पर व्यय की गई राशि	Amount Spent on Mounments preserved by Archaeologival Department	76—77
6931	दिल्ली स्थित लाल किला कुतुब मीनार और चिड़ियाघर के दर्शकों से प्राप्त आय	Amount Earned from Persons visiting Red Fort Qutab minar and zoological Park in Delhi	77
6932	समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के वरिष्ठ अधिकारी	Senior Officers Belonging to scheduled Caste and Scheduled Tribes and Backward classes in Social welfare Department	77—78
6933	दिल्ली में अप्राधिकृत मकानों तथा प्लाटों का बेचा जाना	Sale of Unauthorised Houses and Plots in Delhi	78—79
6934	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाया जाना	Extension of National Highway No 31 From Siliguri to Darjeeling	79
6935	दिल्ली में एक और डेरी की स्थापना	Setting up of Another Dairy in Delhi	79
6936	भारत में क्रिश्चियन तथा मिशन अस्पतालों की विदेशी सहायता	Foreign Asistance for Christian and Mission Hospitals in India	79—80
6937	खाद्यान्नों का निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme Regarding Export of Foodgrains	80
6938	भारत में अन्धापन	Blindness in India	80—81
6939	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	National Building Construction Corporation	81—82
6940	1972-73 के दौरान बिहार की और अधिक ट्रैक्टरों के लिए मांग	Request for more Tractor from Bihar during 1972-73	82—83
6941	वर्ष 1972-73 के लिये गन्ने का मूल्य और उसका चीनी पर प्रभाव	Price of Sugarcane for 1972-73 and its effect on Sugar	83
6942	बिहार में कला तथा संस्कृति संगठन की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Art and cultural Organisation in Bihar	83
6943	भूसा तथा खाद्यान्नों पर उर्वरकों का प्रभाव	Effects of Fertilizer on Fodder and Food grains	84
6944	पश्चिमी भारत में पाषाणयुगीन संस्कृति पर महत्वपूर्ण खोज	Important Finds on Stone Age Culture in western India	84

अता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7946	बम्बई तथा कलकत्ता स्थित नाविक रोगजार कार्यालयों के पंजीकृत नाविक	Seamen Registered at Seamen Employment Exchanges at Bombay and Calcutta	84—85
6947	बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों पर आने वाले जहाज	Ships called at Bombay Calcutta and Madras Ports	85—86
6948	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats for SC and ST students in III, New Delhi	86—87
6949	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, नई दिल्ली में कार्य प्रभारित/दैनिक मजूरी/अस्थायी आधार पर/नियुक्त/कर्मचारी	Employees Appointed on work charged/Daily wages/Temporary basis in III New Delhi	87—83
6950	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा न्यायालयों को निर्देशित मामले	Cases referred to Courts by IIT New Delhi	88
6951	सड़कों की लम्बाई एवं राष्ट्रीय राजपथों की तुलना	Road mileage vs. National Highway	83—89
6952	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया जाना	Allotment of Government quarters to the staff of the Employees Provident Fund organisation	89
6953	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद में संयुक्त निदेशक का पद	Post of Joint Director, NCERT	90
6954	बिहार में अकाल की स्थिति	Famine conditions in Bihar	90
6955	धातु विज्ञान के स्नातकों को नौकरी देना	Jobs for Graduates in Metallurgy	90
6956	सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षण देने के लिये संस्थायें	Institutions for imparting training in cooperation	90—91
6957	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया जाना	Non-payment of grain dues by FCI	91
6958	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज एजेन्टों को अपने अनाज की वापसी नोटिस देना	Notices served to grain agents by FCI to take back their foodgrains	91

U.S. Q. Nos.

6959	भारत कृषक समाज की मांग के अनुसार गन्ने का मूल्य निर्धारित करना	Foxation of Price of sugarcane as demanded by Bharat Krishak Samaj	91—92
6960	कोटा स्थित उर्वरक कारखाने से उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertiliser from Fertiliser Factory at Kota	92
6961	कोटा, राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मछली पालन	Taking over of fishing by United Nations Development programme in Kotah Rajasthan	92
6962	संसद सदस्यों को मैसी फरगूसन ट्रैक्टर की सप्लाई	Supply of Massey Ferguson Tractor MPS.	92
6963	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में व्यापक आवास कार्यक्रम	Mass Housing programme in Rural and Urban areas	93
6964	अ-विद्यार्थी युवकों हेतु कार्यक्रमों अन्तर्गत खेल के मैदानों और 'वर्क सेन्टरों' का विकास	Development of Playgrounds and work centres under programme for Non-student youth	93
6965	गांवों में सहकारी समितियों के नेतृत्व का जातीय स्वरूप	Class Character of Leadership of Cooperative Societies in Villages	94
6966	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधायें	Drinking water Facilities in Rural Areas of UP	94
6967	उत्तर प्रदेश द्वारा 1972-73 में और अधिक ट्रैक्टरों की सप्लाई करने का अनुरोध	Request from UP for more Tractors during 1972-73	94
6968	मैसूर में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure of Family planning Programme in Mysore	94—94
6969	योग संस्थाओं की वित्तीय सहायता	Financial Aid to Yoga Institutions	95
6970	राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत कार्य प्रदर्शी ढांचा	Schematie pattern under National Extension Service]	95—96
6971	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for community Development Programme	96—97

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.			
6972	पंचायती राज प्रशासन के लिये राज्य विकास सेवा	State Development Service for Panchayati Raj Administration	97
6973	नई दिल्ली में परचून दुकानदार एसोसिएशन का सम्मेलन	Conference of Retail Shokeepers Association held in New Delhi	97
6974	दिल्ली में नशीली औषधि लेने के कारण स्कूल के एक विद्यार्थी की मृत्यु के बारे में जांच	Enquiry Re. Death of Schoole Boy on taking Narcotic Drug in Delhi	97
6975	म्यूनिख में सांस्कृतिक ओलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीय	Indian Participants in cultural olympics at Munich	98
6976	दिल्ली में जनस्वास्थ्य को खतरा	Health Hazard in Delhi	98—99
6977	प्रसाधन सामग्री में 'फटेलेट' का प्रयोग करने की अनुमति	Permission for use of Phthalate in Cosmetic	99—100
6978	पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक और सार्वजनिक स्थान	Mounments and Public Places preserved by Archaeological Department	00
6979	बिहार में हरिजनों और भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का वितरण	Distribution of Caltivable Land in Bihar to Harijans and landless Persons	100
6980	आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों और भूमिहीनों में कृषि योग्य भूमि का वितरण	Distribution of Cultivable Land in A.P. to Harijans and Landless Persons	100
6981	राजस्थान में हरिजनों और भूमिहीनों में कृषि योग्य भूमि का वितरण	Distribution of Cultivable Land in Rajasthan to Harijans and Landless Persons	100—101
6982	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पोलीटेक्नीक के लिये अलग प्रयोगशाला के निर्माण हेतु माल निविदा को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Original Tender for Construction of Separate Laboratory for polytechnic of Aligarh Muslim University	101
6983	1972-73 में महाराष्ट्र में निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई तथा भू संरक्षण के लिये मंजूरी	Sanction for Minor irrigation and soil Conservation in Chronically drought affected areas in Maharashtra during 1972-73	101—102
6984	विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत बिहार में मकानों का निर्माण	Construction of Houses under various Housing Schemes in Bihar	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6985	पटना और पहलेजा घाट के बीच नाव सेवा आरम्भ करना	Introduction of Ferry Service between Patna and paleza Ghat	103
6986	बिहार और बंगाल में राज्य कृषि कार्य निगम द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्म	Agricultural farms run in Bihar and Bengal	103
6987	पूर्वी क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of District Education officers of Eastern Region	103—104
6988	मिट्टी लवणता अनुसन्धान संस्थान के और केन्द्रों की स्थापना	Establishment of more Centres of Soil Salinity Research Institute	104—105
6990	दिल्ली की यमुनापार कालोनियों के मकान मालिकों से विकास शुल्क लेना	Development Charges from the House Owners of Trans-Yamuna Colonies Delhi	105
6991	तकनीकी शिक्षा पर व्यय	Cost of Technical Education	106—107
6992	बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सुरसंद रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Declaration of Muzaffarpur Sitamarhi Sursand Road as National Highway	107
6993	पटना में गंगा नदी पर सड़क पुल के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि	Additional Amount for Construction of Road Bridge over River Ganga in Patna	107
6994	एन० सी० ई० आर० टी० के कार्य के बारे में बटुक सिंह समिति का प्रतिवेदन	Batuk Singh Commission on NCERT	108
6995	भारत अमरीका नौपरिवहन सम्मेलन में माल भाड़े में वृद्धि करने का निर्णय	Decision during Indu US Shipping Conference in increase freight on Cargoes	108
6996	नौवहन विकास निधि द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की अदायगी	Repayment on loans sanctioned by Shipping Development Fund	109
6997	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में फालतू कर्मचारी	Surplus staff from Central training Institutes of NFC	109—110
6998	राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाना	Utilization of services of staff of NFC Organisation	110—111
6999	गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम	Medical Termination of Pregnancy Act	111—112
7000	भौतिकी विभाग विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परियोजना का बन्द किया जाना	Discontinuation of a Research Project in Department of Physics, Delhi University	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7001	श्री अरविन्दो की जन्म शताब्दी कार्यक्रम	Shri Aurobindo Centenary Programme	113–114
7002	श्री अरबिन्दों का जन्म स्थल 8 थियेटर रोड कलकत्ता का संरक्षण	Reservation of 8-Theatre Road, Calcutta birth place of Shri Aurobindo	114–115
7003	उस जेल की कोठरी का रख रखाव जहां श्री अरबिन्दों को कैद में रखा गया था	Maintenance of Cell where Sri Aurobindo was imprisoned	115
7004	बैलों, खाद, बीजों तथा दुधारू ढोरों की खरीद के लिए किसानों को ऋण देने की योजना	Scheme for Loans to farmers for purchases of bullocks, manure, seeds and milch cattle	115
7005	लघु कृषक विकास एजेन्सी को केन्द्रीय अनुदान	Central grants to small farmers development agency	115—116
7006	मध्य प्रदेश को 1972 की खरीफ की फसल के लिए उर्वरकों की सप्लाई का आश्वासन	Assurance for supply of fertiliser to MP for the kharif crop of 1972	116—117
7007	विदेशीं जहाज रानी व्यापारियों का भारतीय जहाजी व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार	Foreign Shippers not fair towards Indian Shippers	117
7008	बोन में हुई भारत पश्चिम जर्मनी की बैठक	India West German meeting held at Bonn	117—118
6009	तत्कालीन दिल्ली परिवाहन उपक्रम के अधिकारियों से स्कूटरों के आवंटन के लिए प्राप्त तथा दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications for Allotment of Scooters from Officials of Eastwhile DTU Pending with Delhi Administration	118
7010	दिल्ली की कालोनियों में पानी तथा जल निकास की सुविधायें	Water and Drainage Facilities in Colonies of Delhi 35	119
7011	दिल्ली-35 के क्षेत्र में आने वाले मनोहर पार्क, मदन पार्क तथा अन्य कालोनियों में स्कूलों का खोला जाना	Opening of Schools in Manohar Park, Madan Park and other Colonies in Delhi-35	119
7012	दिल्ली 35 क्षेत्र की कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना	Opening of CGHS Dispensary in Delhi 35 Colonies	119—120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7013	कलकत्ता विश्वविद्यालय को नियंत्रण में लेना	Taking over of Calcutta University	150
7014	भारत में स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास के बारे में दस्तावेज	Documents on History of Freedom Movement in India	121
7015	बंगला देश की स्वतन्त्रता के बाद पश्चिम बंगाल में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन	Encouragement to Sugar Indu try in West Benga! after Fre dom of Bangla Desh	121
7016	विदेशी बीजों की खेती के लिए कृषि के आधुनिक तरीके	Modern Agricultural Methods for Cultivation of Foreign Seeds	121—122
7017	लिंटल की कमी	Shortage of Lentils	122
7018	गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जहाजरानी की माल ढोने की क्षमता	Tonnage of Indian Shipping during last Three years	122—123
7019	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आवास स्थील की व्यवस्था	Provision of Housing site for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	123—124
7020	पुराने ढंग के दीक्षांत समारोह की प्रथा का समाप्त किया जाना	Abolishing Old Type of Convocation	124
7021	गोरखपुर में नसबन्दी के गलत आपरेशनों के कारण जहरबाद के मामले	Septic Cases due to Faulty Operations of Vasectomy and Goreakhpur	124
7022	'हिन्दुस्तान शिपयार्ड', 'मजगाँव डाक्स' तथा गार्डन रचि वर्कशाप का विस्तार	Expansion of Hindustan, Shipyard, Mazagen Docks and Garden Reach Workshops	124—125
7023	सरकारी क्वार्टर रखने वाले सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से वसूल किया गया किराया	Rent charged from Retired Government Servants Retaining Government Accommodation	125
7024	भारतीय खाद्य नियम के कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान करने के बारे में शिकायत	Complaints About Harassment of Farmers by Employees of FCI	126
7025	दिल्ली में निःशुल्क उच्चातर माध्यमिक शिक्षा	Free Higher Secondary Education in Delhi	126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7026	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा शुरू की गई नई योजनाएं	New Schemes launhced by National Cooperative Development corporation	126–128
7027	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाएं	Drinking water facilities in Rural Areas of Rajasthan	128—129
7028	मेडिकल पाठ्यक्रम की अवधि को कम करना	Reduction in Medical course	129
7029	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन 1958 के अंतर्गत दिल्ली के स्कूलों के वाइस प्रिंसिपलों के पदों के लिए भरती	Recruitment of Posts of Vice-Principal of schools in Delhi under U P SC (Exemption from consultation) Regulations 1958	129
7030	विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in various University	129
7031	स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी	English as Optional Subjects in Schools	129—130
7032	बाघों, शेरों तथा गेंड़ों की गणना तथा उनके परिक्षण के लिए कार्यवाही	Census of Tigers, Lions and Rhions and steps for their Preservation	130—132
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131
	राष्ट्रीय फिटनेस कोर के कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंपना	Transfer of the administrative control of the National Fitness Corps employees to State Governments	131—138
	चुनाव प्रचार के लिये एक कम्पनी द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस को धन देने का समाचार	Re Alleged donations made by a company to the ruling Congress for election campign	139
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpaye	139
	श्री एस० नुरूल हसन	Shri S. Nurul Hasan	139
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	140—142
	याचिका समिति	Committee on Petitions	142
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	142—143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
खान (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	Mines (Amendment) Bill Introduced	143
अनुदानों की माँगे (रेल): 1972 – 73	Demands for Grants (Railways), 1972-73	143
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	143—144
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	144—145
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	145—146
श्री बी० के दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	146
श्री सी० के० चिन्नाराजी	Shri C. K. Chinnaraji	147—148
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K Hanumanthaiya	148—155
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1972-पुर:स्थापित	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1972 Introduced	155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	155
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmay Basu	155
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	156—157
साधारण बीमा (आपात उपलब्ध) संशोधन विधेयक	General Insurance (Emergency Provisions) Amendment Bill	157
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	157
श्री मती सुशीला रोहतगी	Shrimati Suchila Rohatgi	157—158
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	158—159
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	159
श्री आर० बी० बड़े	Shri R. V. Bade	159—160
श्री बी० बी० नायक	Shri B. V. Naik	160
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	160—161
श्री वी० मयावन	Shri V. Mayavan	161

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
खण्ड 2 से 4 और 1	Clausrs 2 to 4 and 1	162
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	162
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment), Bill	163
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	163
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	163
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	163
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	163
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	164
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	164
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	164
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	164—166
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	166
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	166
राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972	National Service Bill	167
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	167
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	167—169
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandey	169
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	169
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	170
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	170
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	170—171

अता० प्र० संख्या विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	171—174
खण्ड 2 से 38 और 1	Clauses 2 to 38 and 1	174
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	175
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	175
चीनी मिलों के लाभ और उसमें गन्ना सप्लाई करने वालों का भाग	Profits of Sugar Mills and share of sugarcane supplies therein	175
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	175
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	175—177

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 22 मई, 1972/1 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Monday, May 22, 1972/Jyaistha 1, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Two Miniutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker In The Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में बाजार की स्थिति का पता लगाना और बाजार का सर्वेक्षण

*921. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के विपणन के बारे में बाजार की स्थिति का पता लगाने और भारत में बाजार सर्वेक्षण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार बाजार सर्वेक्षण और बाजार की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों और राज्य सहकारी संगठनों को सुविधा देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विपणन आसूचना में सुधार लाने की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विपणन आसूचना के सुधार हेतु एक एकीकृत योजना शुरु की गई थी और तभी से चल रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य (क) विपणन आसूचना की कोटि तथा उसके क्षेत्र और (ख) विपणन

समाचार सेवा में सुधार लाना है। विपणन आसूचना के सुधार के लिए उठाए गए कदमों में 530 मण्डियों से 130 कृषि जिन्सों के थोक मूल्य 230 मण्डियों से 79 कृषि जिन्सों के खुदरा मूल्य और लगभग 1300 थोक मण्डियों से स्टाक, बाजार में आवक, जावक, आदि से सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे करना, तकनीकी अभिकरणों को विपणन आसूचना के एकत्रीकरण और उनकी रिपोर्ट करने का कार्य सौंपना, मानक नीतियों और परिभाषायें लागू करना और रिपोर्टिंग अभिकरणों के कार्य का प्रर्याप्त पर्यवेक्षण करना शामिल है।

एक विपणन समाचार सेवा का गठन किया गया और आकाशवाणी के 48 क्षेत्रीय केन्द्रों के ग्रामीण कार्यक्रम में 550 से अधिक केन्द्रों से प्राप्त 70 जिन्सों के बारे में दैनिक विपणन समाचार बुलेटिन और साप्ताहिक मण्डी समीक्षा का प्रसारण करके लगभग 1200 मण्डियों में नोटिस बोर्ड लगाकर पिछले दिन के भावों के आदि का प्रदर्शन करना और पंचायत, सामुदायिक विकास केन्द्र आदि जैसी ग्रामीण संस्थाओं में पाक्षिक विपणन समाचार बुलेटिन का वितरण करके सुधार किया गया है।

विपणन आसूचना की योजना एक राज्य प्लान स्कीम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों की इस योजना की क्रियान्विति के लिए आवृति व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया था। तत्पश्चात समय-समय पर राज्य सरकारों के लिए प्लान सहायता के प्रतिमान के अनुसार यह योजना केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पात्र बन गई।

जहां तक विपणन सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है, ये विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मन्त्रालय द्वारा लगभग 140 जिन्सों के लिए अखिल भारतीय आधार पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर विशिष्ट विपणन समस्याओं का तदर्थसर्वेक्षण तथा अन्वेषण भी किया जाता है।

1970-71 से एक क्रमबद्ध रूप में देश की समस्त विनियमित मण्डियों का एक सर्वेक्षण किया जाता है।

कृषि जिन्सों से सम्बधिन्त विपणन सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना भी विचाराधीन है।

विपणन सर्वेक्षण और विपणन आसूचना के लिए राज्य सहकारी विपणन संगठनों की सुविधायें प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नवल किशोरसिंह : कृषि एक मुख्य उद्योग है। इसपर इस देश में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है परन्तु इसके लिए बाजार की व्यवस्था करने पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस के लिए समुचित सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। मूल्यों संबंधी व्यवहारिक नीति को निर्धारित करना तथा लागू करना भी आवश्यक है। बाजार संबंधी सूचना और बाजार की वास्तविक स्थिति में अन्तर रहता है। बाजार के मूल्यों की प्रवृति से उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। उत्तर के पैरा संख्या 3 में कहा गया है कि यह कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मेरे विचार में राज्य सरकारों के पास तकनीकी व्यक्ति नहीं होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने विवरण में कहा ही है जहां तक बाजार मूल्यों की स्थिति का पता चलाने की योजना की बात है यह एक राज्य योजना है। अतः इसके लिए राज्य योजनाओं में प्रावधान किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तक 50 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता दी गई थी परन्तु तृतीय योजना से इसे राज्य योजना में शामिल किया गया है और कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

बाजार मूल्यों की स्थिति में बाजार के मूल्यों के साथ साथ सभी सम्बद्ध जानकारी भी आती है। अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री नवल किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि गोष्ठि की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

अन्तिम पैरे में उन्होंने कहा है कि इस राज्य सहकारी बाजार संगठन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं।

हम जानते हैं कि यह सरकारी समितियाँ व्यापारिक संगठन हैं और देहाती सहकारी समितियों को ऋण पर निर्भर करना पड़ता है। इस प्रकार उनके लिए बाजार की मूल्य स्थिति का बहुत महत्व है। उन्हें नवीन जानकारी की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें सुविधायें उपलब्ध क्यों नहीं की जा रहीं हैं ? पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में राज्य बाजार सहकारी संघों पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह बात ठीक है कि 1961 में एक गोष्ठी में बाजार मूल्य स्थिति को जानने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया था। उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख सकता हूं।

Shri N. N. Pandey : Mr. Speaker, keeping in view the fact that so long as the facility of marketing and marketing intelligence is not provided, the fixing of prices of foodgrains will pose a problem. I want to know from the hon. Minister the action taken on the recommendations made in 1961 and the difficulties being experienced in entrusting this work to the state cooperatives ?

Shri F. A. Ahmed : It is correct that in the absence of good marketing intelligence it will be difficult to arrive at an estimate of prices, but we are taking action on the recommendations which were made in 1961. So far as the cooperatives are concerned we have not considered as to how they should be helped ?

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की साँठ-गांठ से किसानों को धोखा देने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष द्वारा जांच।

* 922. † **श्री निहार लास्कर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने इन आरोपों की जांच कराई है कि भारतीय खाद्य निगम के कुछ गेहूं इंसपेक्टर गैर सरकारी थोक व्यापारियों की सांठ-गाँठ से किसानों के उत्पादन का कम मूल्य निश्चित करते हैं और बाद में व्यापारियों से वही उत्पाद अधिक मूल्य पर खरीदकर स्थानीय किसानों को व्यवस्थित ढंग से धोखा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त धोखा घड़ी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) : भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष के नोटिस में ऐसी कुछ शिकायतें आई थीं। उनके विशेष निर्देश के अधीन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनकी तत्काल जांच की गई थी। जांच से स्थानीय किसानों को धोखा देने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

श्री निहार लास्कर : आज के समाचार पत्रों से पता चलता है कि गलत बाटों से किसानों को हजारों रुपये का धोखा दिया जा रहा है। क्या सरकार को इस बारे में कुछ पता चला है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इस बारे में समाचरपत्रों में छपा है और धोखा दिये जाने के बारे में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। हमने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जाँच करवायी है उसने अपने महा प्रबन्धक और एक जांच दल को भेजा है। उसकी रिपोर्ट यह है कि यह समाचार बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है।

यह ठीक है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ कठिनाइयाँ थीं परन्तु हरियाणा और पंजाब में कार्य ठीक प्रकार से चला है। उत्तर प्रदेश में तीन एजेन्सियाँ वसूली का कार्य कर रही थीं—भारतीय खाद्य निगम, राज्य की एजेन्सयां और सरकारी समितियां। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यवस्था ठीक नहीं हो पायी है। इस बार किसानों से सीधे अनाज खरीदा गया है। आरम्भ में कुछ मुश्किल हुई थी, परन्तु अब सब ठीक है। तीन दिन पहले तक 18 लाख टन गेहूं की वसूली हो चुकी थी। यह कार्य काफी संतोषजनक है। गत वर्ष यह 11 लाख टन था।

Shri R. R. Sharma : The Food Corporation of India has laid down certain specifications for procurement. The cultivators are very much disappointed when their produce is returned with the remarks that their grains are not upto those specifications. I want to know whether Government has received any complaints from its centres in U. P. in this regard ?

Shri F. A. Ahmed : I have stated that certain complaints were received and we removed the difficulties.

Shri M. C. Daga : How is it ascertained that the foodgrains belong to cultivators and not to the dealers ?

Snri F. A. Ahmed : It has been decided this time that procurement should be made through three agencies viz, F.C.I., State Cooperatives and State Government agency. It is ascertained through the local committees that the foodgrains belong to cultivators.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय यह मन्त्री के उत्तर से पता चलता है कि सभी शिकायतों पर ध्यान दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और क्या सभी की जांच की गई थी और निराधार पायी गई थीं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी। दूसरे क्या शिकायत करने वालों को अपना आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया जाता था ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक मेरी जानकारी है उन लोगों को अवसर मिलता था। और पूरी जांच के बाद कुछ मामलों में या तो बात बढ़ाई गई थी और कुछ मामलों में पहले ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकि थी। मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Government has fixed Rs. 76/— per quintal as procurement price. I want to know why a single farmer has not been paid that amount ? Was the wheat there not found of required quality ?

Mr. Speaker : The question is regarding complaints and that wheat might not be of good quality.

Shri Chandulal Chandrakar : Such complaints heve been received on large scale and the inquies held into them have shown that they were not genuine. I want to know whether Government will get it enquired into by some other agency and not the Food Corporation ?

Shri F. A. Ahmed : There is no such proposal.

Spread of Hydrophobia

*931. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the daily 'Hindustan' datcd 26th April, 1972 regarding "The threat of the spread of hydrophobia";

(b) whether there is a shortage of anti-rabic vaccine throughout the country; and

(c) if so, the arrangement made by Government to overcome this shortage ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एण्टी रैबिन वैक्सीन की कमी नहीं बतलाई गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri R. R. Sharma : The dog bite causes hydrophobia and it resu ts in widespread loss of life in the country. May I know the number of deaths due to this during 1971-72 in the country. This has been due to the shortage of anti rabic vaccine.

Mr. Speaker : If you want figures, you must give notice.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : यह सही नहीं है कि कुत्ते काटे के इलाज के टीकों की देश में कमी है। वास्तव में कुत्ते काटे के रोगियों के उपचार के लिए अपेक्षित टीकों से हमारे पास बहुत अधिक टीके हैं।

मैं दिल्ली के बारे में आंकड़े दे सकता हूं। दिल्ली में कुत्ते के काटे से 1969-70 में 66 और 1970-71 में 55 मृत्यु हुई।

Shri R. R. Sharma : I want to know about U. P. ?

श्री ए० के० किस्कु : इस समय मेरे पास उत्तर प्रदेश के बारे में आंकड़े नहीं हैं।

Shri Birendra Singh Rao : I want to know whether the vaccine produced in India is as good in quality as is produced in other countries, because this vaccine is the only treatment of this disease ?

Will he assure us that the vaccine produced in Indian laboratories is prepared in accordance with latest technique and we take the benefit of research conducted in this regard in other countries and if this vaccine is not so efficacious as that of other countries' what steps are being taken to import it ?

The Minister of Health, Family Planning and Works and Housing (Shri Uma Shanker Dixit) : Sir, we do not have any reason to believe that the vaccine produced in our Pasteur Institutes is less efficacious than the vaccine produced in other countries. I hope that the vaccine produced in our country is in accordance with the latest research conducted on it. If the hon. Member has any suggestion in this regard, we shall certainly consider it.

Shri Birendra Singh Rao : One doctor died of it about one year back in Agriculture Research Institute and a few months ago a young man died and his parents filed a case stating that the vaccine was not upto the mark. I want to know whether the hon. Minister is aware of this ?

Mr. Speaker : You can write to him. He will enquire into it.

श्रीमती एम० गाडफरे : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहती हूं कि क्या टीके देश में सभी अस्पतालों को दिये जा रहें हैं अथवा यह कुछ विशेष अस्पतालों की दिये जा रहे हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमने सप्लाई और उपचार की दृष्टि से इसका विकेन्द्रीय करण दिया है। अनेक केन्द्रों में इनका उत्पादन हो रहा है और वहां से सीधे इनकी सप्लाई हो रही है। जिला अस्पताल आदि सीधे मंगा सकते हैं। स्टाक भी पर्याप्त मात्रा में है। वास्तव म चार लाख व्यक्तियों के लिए स्टाक मौजूद है।

डा० महिरतराय मेहता : रेफ्रीजरेटर आदि की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण टोके खराब हो जाते हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है।

श्री उमाशंकर दोक्षित :मुझे असली जानकारी नहीं है। यदि कोई मामला हमारे नोटिस में लाया जाय तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री पी० गंगादेव : क्या यह सच है कि कुत्ते के काटे के इलाज के टीके का जो भारत में बनाया जाता है कभी-कभी प्रतिकूल प्रभाव होता है और इस पक्षाघात हो जाता है, यदि हाँ तो क्या विदेशी ठीकों का आयात किया जायेगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें ऐसी कोई जानकारी नही है और आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri R. S. Pandey : Hydrophobia is caused by dog bite. It is fashion to keep dogs in Delhi. I want to know whether dogs are examined and injections are given to them ?

Shri Uma Shanker Dixit : We have no much arrangements.

विभिन्न फसलों को उत्पादन लागत का अध्ययन

* 932. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न फसलों को उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के मययोग से सरका वार्षिक आंकड़े एकत्र करने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

कृषि मन्त्री (फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए एक वृहत् योजना शुरू की

है। योजना की क्रियान्विति के लिए 15 राज्यों में सम्बन्ध अभिकरणों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। योजना की क्रियान्विति का कार्य विभिन्न राज्यों पर गैर: सरकारी अभिकरणों, विशेषकर कृषि विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या खेती की लागत मालूम करने के लिए जिन गैर-सरकारी एजेन्सियों को काम सौंपा गया है उन्हें यह प्रतिवर्ष करना होगा और क्या उनके निष्कर्ष सरकार को मानने जरुरी होंगे ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : अभी तो यह विचार है इसे समय समय पर कराया जायेगा। मैं नहीं कह सकता कि इसे प्रतिवर्ष किया जायेगा या नहीं परन्तु उनकी सिफारिशों पर हम विचार करेंगे।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : खेती की लागत की जांच के काम को गैर सरकारी एजेन्सी को बिना इसके लिए समय निर्धारित किये, सौंपने का उद्देश्य समझ नहीं पाया हूं। भूमि की अधिकतम सीमा घटाने और उसकी कम से कम मूल्य को नियत करने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का विचार कर रही है जिससे कि भविष्य के लिए कृषि नियोजन के काम ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष लागत का ठीक पता चलाया जा सके ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हम इस कार्य को समय समय पर करेंगे परन्तु यदि आवश्यक हुई तो इसे वार्षिक आधार पर भी किया जायेगा।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : पहाड़ी राज्यों जैसे काशमीर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य फसल फल है और 100 करोड़ रुपये के फल वहां से बेचे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन पहाड़ी क्षेत्रों के फलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हम इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Ram Chander Vikal : I want to know the main crops for which the prices are being determined and whether experts in agriculture have been associated with the committees that have been assigned this work ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इस समय हम गेहूं तथा चावल के लागत मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं ताकि अगले वर्ष इन के वसूली मूल्य नियत किये जा सकें।

श्री बूटा सिंह : देश के विभिन्न भागों में गेहूं के मूल्यों में बहुत अन्तर है। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार या खाद्य निगम इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है पंजाब में गेहूं का मूल्य 75 रुपये क्विंटल है और मध्य प्रदेश में लगभग 90 रुपये क्विंटल।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : उत्पादिकता बढ़ाकर या आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर लागत मूल्य कम करने के लिए कृषि मंत्रालय जो सहायता कर सकेगा अवश्य करेगा।

वनारक्षण क्षेत्र को भूमियां आदिवासियों को देने के सम्बन्ध में त्रिपुरा से अनुरोध

* 934. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भूमियां खेती सम्बन्धी सुनिधायें देने के लिये वनारक्षण के कुछ क्षेत्रों की भूमियां आदिवासियों को, जिनके पास भूमियां कृषि के अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं है, देने का अनुरोध किया गया है; और

ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) **और** (ख) : त्रिपुरा सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा की बड़ी संख्या में भूमियां परिवारों का रोजगार समाप्त हो गया है क्योंकि बहुत बड़े वन क्षेत्र में जहां वे भूमियां खेती करते थे, ऐसी खेती पर पाबन्दी लगा दी गई है और उस क्षेत्र को रक्षित वन का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनको अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शेर सिंह : त्रिपुरा में आरक्षित वन क्षेत्र 39·8 प्रतिशत और सुरक्षित वन २० प्रतिशत है। सुरक्षित वन क्षेत्र में भूमियां खेती की अनुमति है अन्य कुछ क्षेत्रों में भी सरकार उन को अनुमति देती रही है परन्तु हम उन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए टोंगिया खेती पर बल देते रहे हैं। भूमियां खेती के कारण भूमि बेकार हो जाती है। अतः हम टोंगिया खेती पर बल देते हैं। परन्तु आरक्षित वन में हम उनको भूमियां खेती के लिये एक वर्ष के लिए अनुमति नहीं देते हैं।

श्री दशरथ देव : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें टोंगिया पद्धति की सुविधा उपलब्ध की जा रही है परन्तु टोंगिया पद्धति अन्तर्गत वन लग जाने से खेती नहीं की जा सकती। क्या सरकार कुछ वन भूमि में जनजाति के लोगों को अपनी खेती करने के लिये कुछ भूमि देगी ?

श्री शेर सिंह : टोंगिया पद्धति में भी 3–4 वर्ष लग जाते हैं। इसमें वृक्षों के बड़े होने में समय लगता है और तब वृक्षों की छाया में खेती नहीं हो सकती। भूमियां खेती में उसी क्षेत्र में चार या पांच वर्ष के बाद फिर खेती की जा सकती है।

यदि उस क्षेत्र में वृक्ष नहीं लगाये जायें तो भूमि कटाव बहुत हो जाता है। इसी लिए हम इस पर बल देते हैं कि वृक्ष लगाये जायें ताकि भूमि कटाव कम हो।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार का विचार उस भूमि को रिलीज करने का है जहां पर जनजाति के लोग लम्बे अर्से से भूमियां खेती करते आ रहे हैं ?

श्री शेर सिंह : त्रिपुरा अब एक पूर्ण राज्य है। इसका निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। हम उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है हम एक या दो वर्ष के लिये आरक्षित वन क्षेत्र में भूमियां खेती की अनुमति देते रहे हैं।

हम जनजाति के लोगों को इस बात पर जोर देते रहते हैं कि वे टोंगिया पद्धति अपनाएं क्योंकि अन्ततः यह उनके लिए लाभप्रद होगी।

श्री आर० वी० बड़े : क्या यह सच है कि जनजातियों को बसाना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है ? क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे उस भूमि में 10–12 वर्षों से खेती कर रहे हैं, उनको टोंगिया पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत बसायेगी ?

श्री शेर सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा है हम जनजाति के लोगों को नई पद्धति अपनाने को कहते है क्योंकि यह उनके हित में है । हम उनको अन्य पद्धति से भी हटाते नहीं हैं । यदि वे आग्रह करें तो हम उनको आरक्षित वन क्षेत्र में भी एक या दो वर्ष के लिये भूमि दे देते हैं ।

श्री आर० वी० बड़े : यह केन्द्र की जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि सभी जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं है ।

Shrif Nawal Kishor Sinha : It is the policy jof Government of India that a crita'n percentage of land is reserved in the States for afforestation. In our area State Government has reserved Forest land for afforestation, but during the last 15-20 years no scheme has been prepared for this and the tribals are without occupation.

Shri Sher Singh : Government had set up Shilo Aoo Committee. A study team of that committee considered this question. Their finding was that shifting cultivation should not be encouraged and tongia system of cultivation should be adopted. For soil conservation trees should be planted. There are tribal areas in Bihar and Tripura etc. The committee considered all areas and submitted its reports. They recommended the adoption of tongia system as it was beneficial in the long run. The land becomes wasteland under the ghum system.

श्री बी० के० दास चौधरी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमियां पद्धति को बारी बारी वाली शिफटिंग पद्धति कहते हैं, क्या सरकार जनजाति के लोगों को कुछ वन भूमि देगी ताकि वे लोग स्थायी रूप से बस सकें और अपनी परम्परागत पद्धति से खेती कर सकें । यदि हां, तो इस बारे में क्या योजना है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

श्री शेर सिंह : यह सच है कि ये लोग शिफटिंग पद्धति की खेती करते रहे हैं और हमने उन्हें नहीं रोका । हम उन्हें वह पद्धति अपनाने को कहते रहे जो अन्ततः उनके हित में है । अतः हम उनको नई पद्धति अपनाने को कहते हैं । हम उन्हें भूमियां पद्धति से भी नहीं रोकते ।

Shri Lalji Bhai : Thousands of tribals have land in forests and outside for the last many years. Government is recovering huge sums of money from them as penalty. I want to know the steps being taken to regularise this landgive it to them on lease and alloting it to them ?

Shri Sher Singh: have already stated that we do not grant permission in reserved forest area, but in special cases permission is given. The guidelines laid down by the committee are being sent to the State Government so that permission is given accordingly.

Shri Lalji Bhai : Every year money is recovered from the tribals in the form of penalty. 70-80 thousand fills are lying in Tehsils and on their basis every year the tribals are being looted. I want to know the steps being taken to give them this land so that they may be able to deposit a fixed amount every year or this method of loot will continue like this ?

Shri Sher Singh : I will enquire into this and urge the State Government to take neccssary action in the matter.

भवन का निर्माण

* 935. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज़ ओपरेटिव्स के लिए स्थाई भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उपयुक्त स्थान न होने के कारण उक्त इन्स्टीट्यूट को पाठ्यक्रम चलाने में बहुत बाधा पड़ती है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क), से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

सरकार को इस संस्थान के लिए अतिरिक्त वास की आवश्यकता के बारे में ज्ञान है । विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । नौका-निर्माण यार्ड और गेयर मेकेनिकंस हाल के निर्माण और प्रशासकीय कार्यालयों तथा संस्थान की अन्य आवश्यकताओं के बारे में वर्ष 196?-69 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । एक स्थायी नौका-निर्माण यार्ड और गीयर मेकेनिकस हाल के लिए मंजूरी दी गई थी और हाल ही में इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है । नौका-निर्माण यार्ड में कुछ लेकचर हाल और कार्यालय कमरों की भी व्यवस्था की गई है । प्रशासकीय कार्यालयों और अन्य आयश्यकताओं के प्रस्तावों में मौजूदा ढांचे को गिरा कर उनके स्थान पर नए भवनों के निर्माण की व्यवस्था है । अनेक नयी सुविधाओं का भी प्रस्ताव है । शुरू में प्रस्तावित वास-मान को अधिक समझा गया था । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने, जिनसे मौजूदा ढाँचे के बारे में सलाह ली गई थी, भी प्रमाणित किया है कि यद्यपि ये ढांचे पुराने हैं, तथापि कुछ मरम्मत करके इनका उपयोग किया जा सकता है । हाल ही में निर्मित अन्य भवनों में प्रदान की गई सुविधाओं को भी ध्यान में रखना था । उपरोक्त सन्दर्भ के अनुसार अतिरिक्त भवनों के प्लान को अनेक अवसरों पर संशोधित करना पड़ा । मौजूदा ढांचों के उपयुक्त प्रयोग के आधार पर, हाल ही में निर्मित ढांचे सहित, जो अन्तिम प्लान तैयार किए गए थे, वे निदेशक से जनवरी, 1972 में प्राप्त हुए थे । विस्तृत ब्यौरे के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे और यह निर्णय किया गया है कि इस विषय में अन्तिम संशोधित प्लाट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाए । संस्थान के निदेशक से कहा गया है कि वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से विस्तृत इंजीनियरिंग प्लान और अनुमान प्राप्त करें ।

श्री वयालार रवि : विवरण से पता लगता है कि सरकार इस बात से सहमत है कि इस संस्थान को सुचारू रूप से काम करने के लिए उसे और अधिक जगह एवं और अधिक इमारतों की जरूरत है । इस का कोई उल्लेख नहीं है यह आवश्यकता कब पूरी की जायेगी । दूसरी जो गंभीर बात है वह यह कि सरकार कहती है नौका निर्माण यार्ड आदि के निर्माण के लिए वर्ष 1968-69 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । क्या इन इमारतों का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग से परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ? इन

इमारतों के निर्माण के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : प्रशासकीय इमारतों के मामले में विलम्ब के कारणों का मैंने अपने वक्तत्व में उल्लेख किया है। यह सच है कि इनकी आवश्यकता वर्ष 1968-69 में महसूस की गई थी। उसके बाद हमने दो मुख्य इमारतों अर्थात् नौका-निर्माण यार्ड तथा मैकेनिक हाल का निर्माण आरम्भ कर दिया है। उस समय यह महसूस किया गया था कि विद्यमान इमारत प्रशासकीय कार्यालय में प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगी। किन्तु बाद में ऐसा मालूम किया गया कि काफी अधिक कर्मचारी होने के कारण प्रशासकीय इमारत को भी बढ़ाना जरूरी है। इसलिए हाल ही में कार्यवाही की गई है और 10 मई को एक पत्र लिखा गया है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा जाए और आशा है जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री वयालार रवि : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श किया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ? कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी खर्च की जा चुकी है।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श किया गया था। किन्तु कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी खर्च हो चुकी है, इस बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार कुछ इमारतें हाल में तैयार हो चुकी हैं। किन्तु वक्तव्य में यह कहा गया है। संस्थान के निदेशक से कहा गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से विस्तृत इंजीनियरिंग प्लान और अनुमान प्राप्त करें। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं किया क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श किया गया था अथवा नहीं।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : दो मुख्य इमारतों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था और वह पूरा हो चुका है। उस समय ऐसा महसूस किया गया था कि विद्यमान इमारतें प्रशासकीय कार्यालयों के लिए भी काफी होंगी और बाद में देखा गया कि वे उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए एक प्रशासकीय कार्यालय बनाना भी जरूरी हो गया है।

कपास की प्रति एकड़ उपज और उसके उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

* 936. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में कपास की प्रति एकड़ उपज सबसे कम है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने और रेशे एवं कताई की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ! अन्य मुख्य कपास उत्पादक देशों की तुलना में भारत में कपास की प्रति एकड़ औसत उपज सबसे कम है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने और उसके गुणों में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

1. कपास की अधिक उत्पादनशील और अच्छी कताई वाली किस्मों के विकास के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार अनुसन्धान परियोजना मंजूर की है।
2. सिंचाई तथा निश्चित वर्षों की परिस्थितियों के अन्तर्गत चुनीदा क्षेत्रों में कपास की सघन खेती।
3. भूमि तथा हवाई छिड़काव द्वारा अभियान के आधार पर कीटों तथा रोगों पर नियंत्रण।
4. अधिक उत्पादनशील शंकर—४ कपास और क्वालिटी कपास एमसीयू—५ का विकास तथा विस्तार।
5. नागालैंड सागर, तुंगभद्रा और राजस्थान नहरी क्षेत्र जैसी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत कपास का विकास।

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों के चुने हुए जिलों में वर्ष 1971--72 से सघन कपास जिला कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी—मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन उपायों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इनका परिणाम अच्छा रहा है, गत वर्ष हमें उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा १२ लाख गाठें अधिक प्राप्त हुईं, यह उपरोक्त उपायों का ही परिणाम था।

श्री अर्जुन सेठी : मंत्री जी ने विवरण में उल्लेख किया है कि महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों के चुने हुए जिलों में वर्ष 1971–72 से सघन कपास जिला कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या यह कार्यक्रम देश में कपास उगाने वाले सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जायेगा या केवल कुछ क्षेत्र ही इसके अन्तर्गत लाये जायेंगे ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : कपास उगाने वाले सभी राज्यों में।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय

* 937 **एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय अथवा पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है, जिसमें जनता के लाभार्थ विदेशों में प्रकाशित सभी प्रकार की पुस्तकें तथा नये प्रकाशन समय-समय पर प्रदर्शित किए जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए विश्व पुस्तक मेले में पुस्तक प्रदर्शित पुस्तकें उपहार स्वरूप प्राप्त करके अथवा खरीद कर प्राप्त की जा सकेंगी; और

(ग) क्या पुस्तकों आदि की ऐसी स्थायी प्रदर्शनी के आयोजन में यूनेस्को का किसी प्रकार का सहयोग देने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० सी० सामन्त : जिन देशों ने दिल्ली में हुए विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया था उनमें से किस-किस देश का अपना स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय है ? मेले के दौरान क्या उन्होंने इस विषय पर आपस में कोई बातचीत की थी ?

प्रो० डी० पी० यादव : विश्व पुस्तक मेले में लगभग 19 देशों ने भाग लिया था। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या उन्होंने मेले से इस विषय पर आपस में कोई बातचीत की थी अथवा नहीं। यदि माननीय सदस्य सूचना दें तो मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालयों और लोक सभा पुस्तकालय में काफी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकें हैं। क्या इन पुस्तकालयों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिये कोई विभाग स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुलहसन) : राष्ट्रीय पुस्तकालयों की नीति यह है कि वे विश्व के विभिन्न देशों से सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन प्राप्त करके विद्वानों और अनुसंधानकर्त्ताओं को दें। यह एक स्वावलम्बी नीति है। इसके अतिरिक्त सरकार सदा ऐसे उपायों पर विचार करती है जिससे अन्य दोनों पुस्तकालयों का जिनमें पुस्तक परिदान अधिनियम के अधीन में पुस्तकें इकट्ठी की जाती हैं, तथा दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का और विकास किया जा सके जिससे वे अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली पुस्तकें भी ले सकें। परन्तु जहां तक मुझे मालूम है "अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय' नाम की कोई परिभाषिक शब्दावली नहीं है। इसी कारण हम माननीय सदस्य के अभिप्राय को वास्तव में नहीं समझ सके हैं। हमारे बहुत से विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में विश्व के विभिन्न देशों में प्रकाशित बहुत सी अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी विशिष्ट विद्यालय में भाषाओं के सम्बन्ध में या अध्ययन की विशिष्ठता के सम्बन्ध में कैसी विशेषज्ञता उपलब्ध है। अत: यदि यह उद्देश्य है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को अधिक पुस्तकें प्राप्त करनी चाहियें तब तो सरकार इस बात से पूर्णतया सहमत है बशर्ते उन्हें खरीदने के लिये धन उपलब्ध हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वावधान में हुई पुस्तक प्रदर्शनी के कारण बहुत से विदेशी प्रकाशन प्राप्त किए जा सकते हैं क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय या किसी अन्य स्वत्वाधिकृत पुस्तकालय की ओर से ऐसी पुस्तकों की प्रतियां विशेषकर ऐसी पुस्तकों के विशेष संस्करण जो जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा पुस्तक-सूची में देखाए गए थे तथा अन्य मूल्यवान पुस्तकें प्राप्त करने के लिये स्वयं कोई कार्यवाही की है ?

प्रो० डी० पी० यादव : श्री मुकर्जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है जिसपर हम विचार करेंगे। जहां तक पुस्तक मेले से पुस्तकें इकट्ठी करने का सम्बन्ध है विश्व पुस्तक मेले के

नियमानुसार भाग लेने वालों को प्रदर्शित पुस्तकें बेचने की अनुमति न थी। उन्हें उनके लिए इन पुस्तकों को आयात करते समय उन्हें जारी किए गए सीमाशुल्क निधारणी लाइसेंस के अनुसार मेले की समाप्ति के पश्चात छः महीने के भीतर उन्हें वापस भेजना अपेक्षित था। अतः इन पुस्तकों को खरीदने अथवा उन्हें स्थायी रूप से प्रदर्शित करने का प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Member has just now told that Central Secretariat Library is going to be developed. May I know whe her anything stands in the way if instead of developing that library we develop Parliament Library for which a huge hall is being constructed so that politicians as well as other people of the world may benefit thereby ?

Prof. S. Nurul Hasan : This is your point of view. Government cannot take any action unless they know your point of view.

Mr. Speaker ; Our point of view is the point of view of MPs.

प्रो० एस० नूरुल हसन , इस सुझाव पर कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Bibhuti Mishra ; Sir, what difficulty stands in this way ?

Mr. Speaker : He has answered this question.

लम्बे फासलों तक दूध ले जाने के लिए उसे जमाने के बारे में अनुसंधान

* 938. **श्री एन० एम० मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध को जमाने के बारे में कोई अनुसंधान किया है जिससे उसे लम्बे फासलों तक ले जाया जा सके;

(ख) क्या भारत की दुग्धशालाओं में से किसी में यह प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दुग्धशाला का नाम क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दूध को जमाने के लिए भारत में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जमे हुए दूध के परिवहन की अपनी तकनीकी कठिनाइयां हैं, तो भी दिल्ली दुग्ध योजना के संरक्षण में बीकानेर से दिल्ली दूध लाने के विषय में सीमित परीक्षण किए गए हैं। कुछ दुग्ध सम्भरणकर्ताओं ने भी सीमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाया है। आर्थिक या उपयुक्तता की दृष्टि से इस प्रक्रिया के विषय में कोई वैज्ञानिक पर्यवेक्षण नहीं किया गया है।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या देश के अन्य केन्द्रों में भी इसके परीक्षण के लिए कोई प्रयास किया गया है।

प्रो० शेरसिंह ; जैसा कि मैंने निवेदन किया है केवल दिल्ली दुग्ध योजना के संरक्षण में ही परीक्षण किया गया है तथा कुछ ठेकेदार भी कुछ हद तक ऐसा करते रहे हैं। वे शिमला तथा अन्य स्थानों में दूध मुहैया करते रहे हैं किन्तु बहुत कम मात्रा में।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या यह जानकारी किसी अन्य कवित्त या किसी अन्य सहकारी

संस्था को देने का प्रयास किया गया है ताकि वह भी इस योजना को चलाने का प्रयत्न कर सके ?

प्रो० शेरसिंह : हमने भारत में जो प्रक्रिया अपनाई है वह बहुत सरल है। जिस प्रकार हम पानी की बर्फ बनाते हैं वैसे ही हम बर्फ के कारखानों में दूध बर्फ की तरह जमाते हैं। ऐसा बिकानेर में किया गया है तथा अन्य ठेकेदारों ने भी ऐसा किया है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। यहां दूध - ०·२° सेंटिग्रेड तक जमाया जाता है। अधिक जमाव —७९° सेंटिग्रेड तक भी किया जाता है। हमने अपने देश में ऐसा परिक्षरण नहीं किया है। जिन अन्य देशों में ऐसा परीक्षण किया है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रक्रिया पर इतनी लागत लग जाती है कि वह वाणिज्यिक आधार पर न्यायोचित नहीं होती। अतः अमरीका, जापान तथा अन्य देशों ने भी ऐसा नहीं किया है।

कैंसर के कारणों का पता लगाने के बारे में अनुसंधान

* 939 † **श्री एम० एम० जोजफ**

श्री वी० मायावान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कैंसर के कारणों का पता लगाने के लिए केसर विकासी परिस्थितियों की जांच के लिए तीन यूनिट स्थापित किये हैं।

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ग) क्या लूप तथा गोलियों के उपयोग से कैंसर होने का खतरा होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी अन्य औषधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है जो हानिकारक नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु)। (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) : अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि लूप तथा गोलियों के उपयोग से कैंसर होता है किन्तु इनके दूसरे आनुसंगिक प्रभाव होते हैं। एक नये गर्भाशयी गर्भरोधक तथा एक स्वदेशी गर्भरोधी गोली की आजमायश चल रही है।

विवरण

पर्यावरणिकी कैंसर जनन की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में बम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थानों में तीन एककों की स्थापना की है।

१. प्रजनन अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

२. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।

३. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद।

खाद्य तेलों, पेय तम्बाकू, गर्भ निरोधकों कीटनाशकों आदि जैसे विभिन्न द्रव्यों से कहां तक कैंसर हो सकता है इसका पता लगाने के लिए इन तीन एककों की स्थापना की गई है ना कि कैंसर के कारणों का पता लगाने के लिए इन एककों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

बम्बई स्थिति यूनिट

इस यूनिट में मुख्यत: निम्नलिखित अन्वेषण किये जा रहे हैं : (क) गर्भरोधक कहाँ तक विषाक्त और कैंसर पैदा करने वाले हैं। (ख) खाद्य तेलों से कहां तक कैंसर हो सकता है और (ग) मुख के कैंसर से तम्बाकू का क्या सम्बन्ध है - ये अन्वेशण टैस्ट टयूब में प्रयोगिक अन्वेषण हैं।

हैदराबाद स्थित यूनिट

इस यूनिट में खाद्य तेलों और कोका कोला, गोल्डस्पाट, जीरा पानी और रिमझिम जैसे पेयों में कैंसर पैदा करने वाले गुणों की मात्रा जानने के अन्वेषण किये जा रहे हैं।

अहमदाबाद स्थित यूनिट

इस यूनिट में निम्नलिखित कार्य हो रहें हैं :—

(१) कीट नाशक दवाइयों और डी० डी० टी०, हेप्टावलोर, एण्ड्रिन और बी० एच० सी० जैसे अन्य कृषि सम्बन्धी रसायनों की विषाकता और कैंसर जनकता का मूल्यांकन।

(२) अंगों की क्रिया सम्बन्धी परीक्षणों का मूल्यांकन, प्लासा प्रोटीन पेटर्न और कैंसर जन्य लक्षणों से पूर्व अथवा उनसे सम्बन्ध ऊतक एंजाइम क्रिया।

(२) रोग सम्बन्वी आंकड़ों का संकलन-कैंसर जनक विषैले तत्वों से बुरी तरह आरक्षित आबादी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन मानव संनिरीक्षण अध्ययनों सहित।

ये यूनिट अभी हाल ही में खोले गये हैं और वहाँ पर जो अन्वेषण किये जा रहे हैं वे अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। अत: इतनी जल्दी उनके परिणामों की आशा नहीं की जा सकती।

श्री एम० एम० जोजफ : सिंगापुर तथा बहुत से अन्य देशों ने धूम्रपान और कैंसर के बीच सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुये अस्पतालों में डयूटी के समय डाक्टरों के लिये धूम्रपान निसिद्ध कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को देश में अपनाने का भी है।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं प्रश्न नहीं समझ सका। कृपया इसे फिर बोलिये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न न तो मेरी समझ में आया है और न ही माननीय मन्त्री की समझ में आया है परन्तु ऐसा लगता है कि बाधा डालने वाले व्यक्ति की समझ में आ गया है।

श्री एम० एम० जोजफ : बहुत से देशों में अस्पतालों में डयूटी के समय डाक्टरों के लिये धूम्रपान करना निषिद्ध है। क्या हमारी सरकार भी भारत में ऐसा करना चाहती है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित - इस प्रश्न से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मेरे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वी मायावन - विवरण में मन्त्री महोदय ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बम्बई, अहमदाबाद और हैदराबाद में तीन एकक स्थापित किये हैं विश्व भर में कैंसर के कारणों का पता लगाने के लिये अनुसंधान किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई, अहमदाबाद और हैदराबाद में हाल मे स्थापित एककों और विदेशों की संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान में कोई समन्वय है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : विदेशी संस्थाओं के साथ ऐसे समन्वय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसद सदस्यों का नई दिल्ली में शादीपुर स्थित दिल्ली दुग्ध स्कीम की डेरी का दौरा

* 940. † **श्री बी० के० दास चौधरी** :
श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों तथा कृषि के राज्य मन्त्री ने 25 अप्रैल, 1972 को दिल्ली दुग्ध स्कीम का दौरा किया था तथा दुग्धशाला के कार्यकरण को असंतोषजनक पाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस स्कीम का कार्यकरण सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कृषि राज्य मंत्री और संसद सदस्यों ने 25 अप्रैल, 1972 को दिल्ली दुग्ध योजना का दौरा किया था । योजना में निःसन्देह कुछ कमियां हैं, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्यों ने इसके कार्य संचालन को असन्तोषजनक पाया है ।

(ख) दौरे के दौरान माननीय सदस्यों ने विशिष्ट रूप से किसी भी बात को असन्तोषजनक नहीं बताया । प्रबन्धक मण्डल जानकारी में आने वाली प्रत्येक त्रुटि को दूर करने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगा ।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य संचालन के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई हैं । माननीय मंत्री ने संसद सदस्यों और राज्य मंत्री के साथ कार्यालय का दौरा करने की व्यवस्था की थी । मैं जानना हूं कि क्या 21 संसद् सदस्यों तथा मंत्री महोदय ने दिल्ली दुग्ध स्कीम के कार्यों के बारे में यह पता लगाया था कि उस द्वारा बेचा जा रहा दूध घटियां किस्म का तो नहीं है और क्या मूल्य निर्धारण भी सही है या नहीं क्योंकि इसकी मांग उन्होंने स्वयं की थी । यदि उन्होंने यह नहीं किया है तो उनका दौरा करने का उद्देश्य क्या था ?

प्रो० शेर सिंह : कुछ संसद सदस्य समय समय पर लोक उपक्रमों में जाया करते हैं । अतः वे दिल्ली दुग्ध स्कीम में भी गए । जब उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने पूछा ये सब

चीज कैसे चलती हैं । इसके अलावा जैसाकि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कहीं जो उन्हें असंतोषजनक नजर आई ।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय सदस्य कभी-कभी यह देखने के लिए दौरा करते है कि मशीन कैसे चलती है । और उनका कोई अन्य प्रयोजन नहीं होता । माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार वहां पर कुछ कमियां हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे कमियां कौन सी है जिनके कारण स्कीम में संतोषजनक काम नहीं होता ?

प्रो० शेर सिंह कभी कभी मशीनों में कुछ खराबी हो जाती है । कुछ दिन हुए वाहक खराब हो गया था जिसके कारण एक सप्ताह तक सप्लाई में कमी करनी पड़ी थी । फिर उसकी मरम्मत कर दी गई । कभी कभी कुछ खराबी हो जाती है और जैसे ही प्रबन्ध मण्डल को उसके बारे में शिकायत पहुंचती है वह उसे दूर करा देता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा आवास योजनाओं के लिये निधि का उपयोग

*923. **श्री राजदेव सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में मकानों में सर्वाधिक घिचमिच है;

(ख) क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्यों को दी गई निधियों को व्यपगत हो जाने दिया गया था और जब 'प्रतिबन्धित' निधियों को 'एकमुश्तनिधियों' तथा 'एकमुश्त ऋणों' में परिवर्तित कर दिया गया तो राज्यों ने इन निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये आरम्भ कर दिया; और

(ग) यदि हाँ, तो उन प्रतिबन्धित निधियों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं जिन्हें व्यपगत होने दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : 1968–69 तक राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता योजनावार पर दी जा रही थी । मँत्रालय में उपलब्ध सूचनानुसार नियत की गई तथा राज्य सरकारों द्वारा वस्तुत: ली गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3017/72]**

2. चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से (आवास समेत) राज्य प्लान की सभी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में इकट्ठी दी जा रही है । राज्य सरकारें राज्य प्लान की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्यक्रमों को निश्चित करने में

और अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उनके लिये नियत की जाने वाली राशि का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। कृषि, सिंचाई और ग्रामों में बिजली लगाने आदि की तुलना में आवास योजनाओं को सामान्यतया अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता प्राप्त हुई है।

3. केन्द्रीय क्षेत्र की आवास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का नियतन राज्य सरकारों को योजना। परियोजना वार किया जाता है तथा निधियों का अपवर्तन अन्य योजनाओं में नहीं किया जा सकता। बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र को 1970—71 के दौरान हस्तान्तरित की गई थी। (1970—71 तथा 1971—72 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की कोई अन्य आवास योजना चालू नहीं थी)। 1970—71 और 1971—72 के दौरान बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत नियत की गई तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ली गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक—11 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3017/72]**

4. 1972—73 के चालू वित्तीय वर्ष से दो नई केन्द्रीय क्षेत्र की आवास योजनायें अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिये आवास स्थलों की व्यवस्था तथा महानगरों में गन्दी बस्तियों के वातावरण संबंधी सुधार का कार्यान्वियन आरम्भ किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इन दोनों योजनाओं के लिये क्रमश: 5 करोड़ रुपये तथा 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत निधियों के प्रयोग का वर्ष के अन्त में पता लगेगा।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा सुझाई गई कार्य नीति

*924. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने उत्पादन बढ़ाने के लिये एक नई नीति का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां' तो क्या सरकार ने इस सुझाव की जांच कर ली है और यदि हाँ, तो उसे कहां तक स्वीकार किया गया है और उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हें ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने परिषद् द्वारा प्रायोजित विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित की गई महत्वपूर्ण खाद्य, चारा और वाणिज्यिक फसलों की नयी अधिक उत्पादनशील उर्वरक प्रभावी किस्मों के उपयोग का सुझाव दिया था। इसने उर्वरकों तथा खादों के प्रयोग और उपयुक्त जल प्रबन्ध तथा कीट नियंत्रण पर और अधिक बल देने का भी सुझाव दिया है।

बारानी खेती के क्षेत्रों की विशालता और कम उपज की दुसाध्य समस्या को दृष्टिगत

रखते हुए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थानीय-योगी विशिष्ट तकनालोजी के विकास और मार्गदर्शी परियोजनाओं के माध्यम से प्रमाणित तकनीकों के प्रसार का सुझाव दिया है।

(ख) आशाजनक कृषि और वनस्पति रक्षण तकनीकों सहित इस प्रकार जिन नयी उदीयमान किस्मों की सिफारिश की गई है और जो उपलब्ध हैं, संघ सरकार उन जिन्सों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कर रही है।

सरकार भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और प्रति यूनिट क्षेत्र प्रति यूनिट समय में फसल की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसन्धान कार्य को तेज करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। अर्थव्यवस्था के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कृषि के विभिन्न आदानों की प्रभावकता को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं।

कलकत्ता कैंसर अस्पताल को नियंत्रण में लेना

* 925. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता कैंसर अस्पताल को अपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में राष्ट्रीय स्वस्थता दल के पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को लिखा गया पत्र

* 926. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता पल के निदेशक ने राष्ट्रीय स्वस्थता दल, पश्चिम क्षेत्र, पूना के क्षेत्रीय निदेशक को 1 जून, 1972 से उसका विकेन्द्रीकरण करने और निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करने के बारे में एक पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सलाह से किया गया था ;

(ग) क्या कुछ संसद-सदस्यों ने प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री से इस विषय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह पत्र तब भेजा गया था जब कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि जो राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारी राज्यों को स्थानान्तरित नहीं किये जा रहे हैं उन सभी को यथाशीघ्र अधिशेष कक्ष में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए, जिस न शीघ्र ही वैकल्पिक नियुक्तियां की जा सकें क्योंकि वे अखिल भारतीय वरीयता सूची में रखे गये हैं ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) सरकार का यह मत है कि कार्य और कर्मचारियों के हित में यथाशीघ्र अनुदेशात्मक कर्मचारियों को राज्यों में स्थानान्तरिक करने और शेष के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन वैकल्पित रोगजार ढूंढने के निर्णय को आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए ।

कृषि से संबन्धित संस्थाओं में सार्वजनिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने की कसौटी

* 927. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यतया कृषि से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में सार्वजनिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने की क्या कसौटी है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में सार्वजनिक व्यक्तियों को नियुक्ति करने की मुख्य कसौटी यह है कि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं की कार्यवाहियों में उद्देश्यपूर्ण व दक्षतापूर्वक ढंग से भाग लेने के योग्य होने चाहियें ।

मिट्टी परिक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना

*928. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की 70 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशालाओं को आगामी 2 वर्षों में सुदृढ़ करने की कोई योजना बनाई है ।

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय किया जायेगा; और

(ग) उर्वरक के उचित उपयोग के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) 40 लाख रुपये ।

(ग) सम्मिलित उर्वरकों के प्रयोग के लिये दस-सूत्री उर्वरक वर्धन कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून

* 929. **श्री के० वालदन्डायुतम** :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **केन्द्र सरकार** के निदेशानुसार कितने राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा कम करने सम्बन्धी कानून पास कर दिये हैं; और

(ख) इन राज्यों में नये कानून के अन्तर्गत निर्धारित भूमि की अधिकतम सीमा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की शिफारिशों के उपरान्त केवल बिहार और मध्य प्रदेश ने भूमि की अधिकतम सीमा कम करने के सम्बन्ध में विधेयक पास किए हैं ।

(ख) बिहार में एक भूमिधारी के लिए अधिकतम सीमा का स्तर कम करके प्रथम श्रेणी की भूमि के मामले में 10 एकड़, द्वितीय श्रेणी के मामले में 15 एकड़, तृतीय श्रेणी के मामले में 20 एकड़, चतुर्थ श्रेणी के मामले में 25 एकड़ और पंचम श्रेणी के मामले में 30 एकड़ कर दिया गया है । जहाँ भूमि-धारी के आश्रितों की संख्या 4 से अधिक होती है वहां भूमिधारी 4 से अधिक प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतम सीमा के दसवें भाग तक का क्षेत्र रख सकता है, बशर्ते कि बड़े परिवारों की वाह्य सीमा अधिकतम सीमा की डेढ़ गुनी से अधिक न हो । भूमिधारी को गृह-वास के लिये एक एकड़ अतिरिक्त भूमि रखने की भी अनुमति दी गई है । अधिकतम सीमा वैयक्तिक रूप से भूमिधारी पर लागू होती है, न कि परिवार के समस्त सदस्यों के ।

समस्त भूमि क्षेत्र पर । बिहार सरकार परिवार की सीमा के रूप में स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

मध्य प्रदेश में किसी वैयक्तिक भूमिधारी के मामले में अधिकतम सीमा का स्तर कम करके 10 मानक एकड़ (10 से 30 साधारण एकड़) कर दिया गया है । जहां भूमिधारी के परिवार के 5 से अधिक सदस्य नहीं हैं वहां यह सीमा 15 मानक एकड़ (15 से 45 साधारण एकड़) होगी और जहां परिवार के 5 से अधिक सदस्य हैं वहां यह सीमा 18 मानक एकड़ (18 से 54 एकड़) होगी ।

केरल में विनाड़ को आदिवासी विकास ब्लाक घोषित करना

* 930. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विनाड़ क्षेत्र को "आदिवासी विकास खण्ड" घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) आदिम जाति विकास खण्ड खोले जाने के लिये कसौटी यह है कि इसका क्षेत्रफल 150-200 वर्ग मील हो, 1951 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 25,000 हो, जिसमें से आदिवासियों की आबादी $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत हो और वह एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में चलने के योग्य हो । केरल सरकार ने राज्य के विनाड क्षेत्र में आदिम जाति विकास खण्ड खोले जाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

योजना आयोग द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों तथा विमुक्त जातियों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में स्थापित किए गए चतुर्थ योजना कार्यकारी दल ने शिफारिश की है कि 10 लाख रुपये प्रति खण्ड के अतिरिक्त नियतन से 5 वर्षों का एक नया स्तर जोड़ कर खण्डों की अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाकर उपलब्ध साधनों को वर्तमान खण्डों पर लगाया जाये। आदिम जाति विकास खण्डों में एक नया स्तर 3 बनाए जाने के कारण यह निर्णय किया गया कि चतुर्थ योजना की अवधि में कोई नया आदिम जाति विकास खण्ड न खोला जाये।

भूमि की अधिकतम सीमा कम होने पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के नये तरीके

*633. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कोई नये तरीके निकाले गए हैं क्योंकि भूमि की अधिकतम सीमा कम करने से कृषि उत्पादन में कमी हो सकती है अथवा उसका कृषि उत्पादन की प्रत्याशित वृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नये तरीकों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रि (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं, भूमि की अधिकतम सीमा कम करने से कृषि उत्पादन में कमी होना आवश्यक नहीं है बल्कि इसके विपरीत और अधिक सघन खेती में सहायता मिलने से, प्रति यूनिट क्षेत्र और समय में अधिक उत्पादन हो सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश में समन्वित ढोर प्रजनन कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना

6834. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, वर्ष 1968–69 में समन्वित ढोर प्रजनन कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के संबंध में पहल की थी और उसे वर्ष 1969–70 को राज्य वार्षिक योजना में भी सम्मिलित किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की क्रियान्विति संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। यह ठीक है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1968–69 में समन्वित ढोर प्रजनन कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के सम्बन्ध में पहल की थी और वर्ष 1969–70 को राज्य योजना में 4. 98 लाख रुपये की एक राशि की भी व्यवस्था की गई थी।

(ख) आदर्श योजना की व्यवस्थानुसार फार्म में ढोरों की संख्या पूरी न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार से 300 के बजाए केवल 150 भैंसे/गायें रखकर योजना का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 1971–72 से मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए 17.06 लाख रुपये की राशि के लिए भारत सरकार की स्वीकृति 21 अगस्त, 1971 को राज्य सरकार को भेजी गई थी।

जनसंख्या के जनगणना के आँकड़ों तथा योजना आयोग के अनुमानों के बीच अन्तर की जाँच के लिए स्थापित की गई समिति के निष्कर्ष

6835. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या के बारे में योजना आयोग के अनुमान और जनगणना सम्बन्धी अन्तिम आंकड़ों में अन्तर के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां, 1958 में शुरू शुरू में योजना आयोग ने जनसंख्या प्रक्षेपणों के सम्बन्ध में जिस विशेषज्ञ दल का गठन किया था जनसंख्या के बारे में उसके अनुमानों और 1971 की जनगणना से व्यक्त कच्चे आंकड़ों में भिन्नता के कारणों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

(ख) इस समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 28 मार्च, 1972 को पेश की समिति की राय है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या प्रक्षेपण विशेषज्ञ दल के अनुमानों और जनगणना 1971 द्वारा प्रकट कच्चे आंकड़ों में भिन्नता के सही कारणों की तब तक पूरी जांच नहीं की जा सकती तब तक 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आयु के हिसाब से विस्तृत आंकड़े तथा अल्प गणना की सीमा, यदि कोई हो, मालूम नहीं हो जाती। यह तभी मालूम होगा जब भारत के महापंजीयक जनगणना के बाद की जाने वाली जांच के परिणाम प्रकाशित कर देंगे।

दिल्ली में वाई० डब्लयू० सी ए० को होटल में बदलना

6836. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० के एक भाग को होटल में बदला जा रहा है और बहुत सी नौकरी करने वाली लड़कियों को अपने कमरे खाली करने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या आवास की, विशेषकर कार्यालियों में जाने वाली लड़कियों के लिये, बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वाई० डब्ल्यू० सी ए० के अनुसार होस्टल का कोई भी भाग होटल बनाने के लिए नहीं बदला जा रहा है तथा इसमें रहने वाली किसी भी नौकरी करने वाली लड़की को उसका कमरा खाली करने के लिए नहीं कहा गया है।

(ख) **तथा** (ग) : सम्पदा निदेशालय के अधीन सामान्य पूल वास पात्र सरकारी कर्मचारियों पुरुष और महिला दोनों को आवटंन के लिए है। सामान्य पूल वास की अपात्र नौकरी करने

वाली लड़कियों की संख्या के सम्बन्ध में सांख्यकीय ग्रांकड़े उपलब्ध नहीं है। जहां तक सामान्य पूल का सम्बन्ध है, इसमें कुल मिला कर वास की कमी है। सरकार अपने उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सामान्य पूल में और अधिक वास का निर्माण कर रही है तथा नौकरी करने वाली लड़कियों के लिए दिल्ली में एक होस्टल निर्माण करने का प्रस्ताव है। पात्र कार्यालयों में काम करने वाली महिला अधिकारियों के लिए एक अलग पूल है। इसके अतिरिक्त, महिला अधिकारी भी सामान्य पूल से अपनी बारी पर वास के आवंटन के लिए पात्र है। कर्जन रोड होस्टल मे महिला अधिकारियों के लिए कुछ कमरे अलग रखे गये हैं। सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में एक वर्किंग गर्लज होस्टल भी है जहां दोनों पात्र तथा अपात्र महिला अधिकारियों को आवंटन किए गये हैं

हल्दिया और मरमागोआ पत्तन परियोजना में अयस्क और कोयला लादने वाले संयंत्रों के निर्माण में प्रगति

6837. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **नौवहान और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया और मरमागोआ पत्तन परियोजना में अयस्क और कोयला लादने वाले सयंत्रों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहान और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जहां तक हल्दिया परियोजना का संबंध है, अयस्क और कोयला लदान संयंत्रों के निर्माणार्थ एक ठेका मई, 1968 में माईनिंग एण्ड स्लाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को दिया गया था। इस्पात गढ़ाई का कुल माल ढोने की क्षमता 10,668 टन है, जिसमें से 4,413 टन की गढ़ाई। मई, 1972 तक हो हो चुकी है, जो कि लगभग 41 प्रतिशत की प्रगति का द्योतक है। मौजूदा सूचनाओं के अनुसार अयस्क और कोयला लदान संयंत्रों की सुपर्दगी और स्थापना की 1973 के अंत तक संभावना है।

2. जहां तक मारमगोआ परियोजना का संबंध है, अयस्क लदान संयंत्र संबंधी उपकरण की बड़ी बड़ी मदों में आठ वजरा अनलोडर तीन थापक, दो बकेट वील सीटमर, दो जहाज लोडर और वहन प्रणाली शामिल हैं। बजरा अनलोडरों के आर्डर अगस्त, 1971 में दिये गये; इस मद से सम्बंधित विस्तृत डिजाइन कार्य प्रगति में है और आयातित संघटकों और इस्पात की प्राप्ति की जा रही है। मारमगोआ पत्तन न्यास ने नवम्बर, 1971 और मार्च, 1972 के बीच थापकों, जहाज लोडरों वकेठ वील स्टीमरों और वहन पद्धति के लिए आर्डर दिये गये हैं। विस्तृत डिजाइन कार्य चालू हो गया है। वाहक पट्टे, तरल संलग्नता नमूना संयंत्र और पट्टा तोलकों के डिजाइन, कैसे विभिन्न अन्य मदों का ठेके प्रक्रिया मारमगाओ पत्तन न्यास कर रहा है। मौजूदा संकेतों के अनुसार, अयस्क लदान पद्धति के 1974 के मध्य तक पूरा होने और चालू किये जाने की संभावना है।

पत्तन योजना, विशाखापत्तनम की प्रगति

6838. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहान और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या विशाखापत्तन में बाहरी पत्तन योजन के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज ओपरेटिव्स, केरल को प्रशिक्षण के लिए अधिक नौकाएं दिया जाना

6839. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज ओपरेटिव्स, केरल को दी गई प्रशिक्षण नौकायें इंस्टीच्यूट के सभी प्रशिक्षणार्थियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिये पर्याप्त नहीं है,

(ख) यदि हां, तो फिशरीज ओपरेटिव्ज को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण देने के लिये उक्त इंस्टीच्यूट को अधिक नौकायें देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) क्या स्वेडिश प्रशिक्षण नौकाओं ब्लयूजपिज और 'रेड़ स्नेपस' की किस्म की अधिक नौकायें उपहार के रूप में या अन्यथा प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) तथा (ख) वर्ष 1970 में किए गए पुनरीक्षण के आधार पर संख्या को क्रमश: 90 फुट तथा 57 फुट लम्बाई के वर्तमान दो जलयानों के अतिरिक्त, एक छोटे जलयान की आवश्यकता है। अतिरिक्त जलयान का निर्माण किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। फिर भी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कार्य कर रहे गहन समुद्र मीन–हरण जलयानों की संख्या प्रत्याशित संख्या से काफी कम होने के कारण पाठ्यक्रमों के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संख्यागत प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 'सी-टाइम' प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकतायें बढ़ गई हैं।

सरकार ने विशिष्ट रूप से संख्या की वर्तमान भर्ती क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से संस्थान के कार्य का मूल्यांकन करने तथा संस्थान के कार्य में सुधार लाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये भारत सरकार के नौ वहन सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। समिति द्वारा अतिरिक्त जलयानों की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ग) इस समय 'ब्लयूपिन' तथा 'रेड स्नेपर की किस्म के अधिक जलयान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेंट्रल मेरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीच्यूट, केरल में प्रशासनिक अधिकारियों के पद

6840. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल मेरीन फिशरीज़ रिसर्च इन्स्टीच्यूट, केरल में कम वेतनमान वाले पद बनाने के स्थान पर अधिक वेतनमान में एक पद प्रशासनिक अधिकारी का और एक पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि निचले पदों का दर्जा बताया गया है तो डीप सी फिशिंग स्टेशन, सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ पिशरीज़ ओपरेटिव्स एण्ड पेल्लाजिक पिशरीज़ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के पदों का दर्जा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सेंट्रल इंग्लेंड फिशरीज़ रिसर्च इन्स्टीच्यूट और सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ पिशरीज़ टेक्नोलोजी में उपरोक्त पदों का दर्जा बढ़ाया गया है।

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय समुद्रीय मीन-उद्योग संस्थान के मुख्यालय के मंडापम कैम्प से कोचीन बदले जाने पर, कोचीन मुख्यालय में वरिष्ट प्रशासन अधिकारी का एक पद तथा केन्द्रीय समुद्रीय मीन–उद्योग अनुसंधान संस्थान, मंडापम के प्रादेशिक केन्द्र में प्रशासन अधिकारी का एक पद, कम वेतनमान के प्रशासन अधिकार के स्थायी पद के बदले में सृजित किये गये।

(ग) छोटे पद का उन्नयन नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार के मीन–उद्योग संस्थानों में से एक संस्थान में प्रशासन अधिकारी के पद के वेतनमान का उन्नयन सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचारधीन है। वेतनमान के संशोधन पर सामान्य रोक होने के कारण इस मामले पर निर्णय नहीं किया जा सका। मीन-उद्योग संस्थाओं के प्रशासन अधिकारियों की वेतनमान संबंधी स्थिति के बारे में तृतीय वेतन आयोग को अवगत करा दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

पूर्वी मध्य प्रदेश में वन काटना बन्द करने के लिए कार्यवाही

6841. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वनों का काटना बन्द करने या उन्हें बिल्कुल समाप्त करने की गति धीमी करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

(ख) क्या भविष्य में ऐसी अपराधिक कार्यवाही के प्रभावों का कोई अध्ययन किया गया है? और।

(ग) क्या इस प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाया गया है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में पेय जल की समस्या हल करने की योजना

6842 **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में पेय जल की समस्या हल करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : वस्तु स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा आपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सर्वोत्तम ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की योजना

6843. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति की 25 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्वोत्तम ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की नई योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये पात्रता तथा अन्य सेवाओं आदि सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? और पुरस्कार की राशि कितनी होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) सभी ग्राम पंचायतें पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्र हैं चयन के मानदण्ड ये हैं।

1. ग्राम पंचायतें दल-बन्दी से पर्याप्त रूप से मुक्त रही होनी चाहिये।
2. उनके चुनाव नियमित रूप से किये गये होने चाहये; और
3. उनमें निहित शक्तियों के आधीन उनके द्वारा अधिकतम संभव मात्रा में सँसाधन जुटाये गये होने चाहिये।
4. विभिन्न स्तरों पर दिये जाने वाले पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. **राष्ट्रीय स्तरीय**

प्रथम पुरस्कार	"	"	5,000 रु०
द्वितीय पुरस्कार	"	"	3,000 रु०

2. **राज्य स्तरीय**

प्रथम पुरस्कार	"	"	1,000 रु०
द्वितीय पुरष्कार	"	"	500 रु०
तृतीय पुरस्कार	"	"	300 रु०

3. **केन्द्र शासित क्षेत्र स्तरीय**

प्रथम पुरस्कार	"	"	1,000 रु०
द्वितीय पुरस्कार	"	"	500 रु०

सहकारी बैंकों तथा ऋण देने सम्बन्धी समितियों द्वारा मौसम में ऋण देने तथा ऋण वसूल की पद्धति का चालू किया जाना

6844. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों द्वारा विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में, मौसम में ऋण देने तथा वसूल करने की पद्धति लागू करने की कोई फसल सम्बन्धी ऋण नियमों को सभी पहलुओं से क्रियान्वित करने की कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हाँ, तो फसल सम्बन्धी ऋण नियमों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) फसल ऋण प्रणाली का अत्यावश्यक पक्ष मौसम पर उधार देना व वसूली करना है। सभी राज्यों, जिनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है, में शस्य मौसमों के आधार पर उधार देने की अवधियां तथा वापसी-अदायगीकी देय तिथियां निश्चित की जाती हैं। नियमों के कार्यान्वियन पर सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ख) सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फसल ऋण प्रणाली फसल की प्रतिभूति जो भूमि अथवा अन्य परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति से भिन्न है, पर उत्पादन अभिमुख ऋण देने के लिये अधिकतम अवसर प्रदान करती है। अड़चनों को दूर करने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये इन नियमों को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के 'एल' और 'एम' ब्लाक में पानी की कमी

6845. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के क्वाटरों की दूसरी मंजिल में और विशेषकर 'एल' और 'एम' ब्लाकों में पानी की बहुत कमी है और इसके कारण अलाटियों को गर्मियों के दिनों में बहुत असुविधा होती है।

(ख) क्या यह कमी बहुत अर्से से है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : जी हां। नई दिल्ली नगर पालिका के वाटरमेनों में कम दबाव के कारण सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के ऊपर के प्लेटों में विशेषकर 'एल' तथा 'एम' ब्लाकों में साफ पानी की सप्लाई की कमी है।

(ग) पहली मंजिल और निचली मंजिल के फ्लैटों के वर्तमात साझे क्नेक्शनों के स्थान पर पहली मंजिल के फ्लैटों में पृथक जल वितरक लाइनें बिछाने के कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस कार्य को पूरा हो जाने पर पहली मंजिल के फ्लैटों में पानी की सप्लाई बेहतर हो जायेगी।

योजनागत परियोजनाओं में तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए सोवियत संघ सरकार से दीर्घावधि रूबल ऋण

6846. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सोवियत संघ सरकार से रूबल ऋण प्राप्त करने के बारे में सरकार ने सभी राज्यों को कोई पत्र भेजा है।

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र किस तारीख को भेजा गया था और उक्त रूबल ऋण की मुख्य बातें क्या हैं।

(ग) उक्त पत्र के अनुसरण में किन किन राज्यों में विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे, और

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यदि कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है तो वह क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (ख) और (ख) : जी, हां। चौथी पंच वर्षीय आयोजना के अधीन, तकनीकी शिक्षा की उन विशेष परियोजनाओं को, जिनके लिए सोवियत रूबल ऋण के अप्रयुक्त हिस्से में से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी, वित्तीय सहायता देने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उनकी प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए 23 अक्तूबर, 1972 को लिखा था। रूबल ऋण जो कि चौथी पंच वर्षीय योजन के लिए इकट्ठा ही दिया गया था, भारत द्वारा 2·5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भारतीय रुपयों में 12 वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। इसका उपयोग, विशेष वैज्ञानिक उपस्कर आयात करने, भारतीय अध्यापको को रुस में प्रशिक्षित करने, तथा रूसी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

(ग) रूबल ऋण के उपयोग के लिए केवल गुजरात तथा तमिलनाडु सरकारों ने ही अपनी विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्टें भेजी हैं।

केरल, मैसूर तथा महाराष्ट्र सरकार ने केवल तदर्थ प्रस्ताव भेजे हैं तथा इन राज्य सरकारों से पूरे ब्यौरों सहित समेकित परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कालकाजी कालोनी. नई दिल्ली में सम्पति की बिक्री की अनुमति के लिये पट्टाधारियों से शपथ पत्र माँगा जाना

6847. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री की अनुमति देते समय उनके मंत्रालय में भूमि तथा विकास धिकारी कालकाजी कालौनी. नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल पट्टाधारी से शपक्ष-पत्र पेश करने की मांग करता है, यद्यपि उस पट्टाधारी ने उस सम्पत्ति के विक्रय तथा हस्तांतरण के लिये, जिसे सब-रजिस्ट्रार नई दिल्ली के पास पंजीकृत कराया गया था, अपने अटार्नी के पक्ष में, अटार्नी की अखण्डनीय शक्ति का बन्धपत्र निष्पादित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि इस स्थिति में शपथपत्र मांगे जाने पर पट्टाधारी कदाचार करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने तथा दूसरी बार खरीद करने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्य वाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां, ऐसा दिल्ली में भी कालोनियों की पट्टे वाली सम्पत्ति के मामले में किया जाता है।

(ख) पट्टेधारियों तथा उन के अटार्नियों के बीच झगड़े के मामले के मुकदमें में सरकार

के अनावश्यक तौर पर फंस जाने से बचाव करने के लिये शपथ-पत्रों की मांग की जाती है।

(ग) तथा (घ) : ऐसे कुछ मामले नोटिस में आये हैं। पट्टेधारियों को परेशानी से बचाने के लिये, पट्टेधारियों या उनके कानूनी वारिसों या अटार्नियों को नोटिस आदि जारी करने की एक पद्धति निर्धारित की गई है और इस से प्रमाणिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से सब्जी मार्किट हटाने के लिये अभ्यावेदन

6848. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर नई दिल्ली की मुख्य मार्किट के निकट चल रही सबजी विक्रेताओं आदि की एक अस्थाई मार्किट से आसपास के क्वाटरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बहुत परेशानी और असुविधा हो रही है ;

(ख) क्या उपरोक्त अनधिकृत मार्किट को हटाने के लिये वहां के प्रभावित निवासियों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां के सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये इस अनधिकृत मार्किट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है या दिल्ली प्रशासन से कहा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य में मन्त्री (श्री आई के० गुजराल) : (क) कुछ अनधिवासी सरोजिनी नगर में बाबू मार्कीट के आस पास सब्जी मार्कीट चला रहे हैं।

(ख) जी, नहीं, किन्तु इस सम्बन्ध में बाबू मार्कीट एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरोजिनी नगर "बाबू मार्कीट" के उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम में पड़ी खाली भूमि के टुकडों को कार पार्क के प्रयोजनार्थ तथा सार्वजनिक सड़कों के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली प्रशासन को आवंटन कर दिया गया है। तथापि, भूमि का वास्तविक दखल अभी नहीं सौंपा गया है। इस पर कारवाई हो रही है। वहां से अनाधिकृत दखलकारों/अनाधिवासियों को हटाने के लिए दिल्ली प्रशासन निःसन्देह आवश्यक कार्रवाई करेगा।

मई, 1972 में हुआ राज्यों के शिक्षा सचिवो का सम्मेलन

6849. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मई 1972 में हुये राज्यों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में प्राइमरी शिक्षा में सुधार किये जाने तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षाओं को व्यवसाय प्रधान बनाने के प्रस्ताव रखे गये थे,

(ख) क्या सम्मेलन में ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा तैयार किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या सभी राज्यों में प्राइमरी शिक्षा के केन्द्रीय सहायता से अनिवार्य बनाने में आ

रही कठिनाइयों पर भी विचार किया गया था और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किये गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) तक : प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की समस्या तथा देशव्यापी शिक्षा की व्यवस्था करने और शिक्षा की कोटि के स्तर को बढ़ाने के प्रश्न पर 4-5 मई 1972 को दिल्ली में हुई राज्य शिक्षा निदेशकों की बैठक में विचार विमर्श किया गया था। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी और यह भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद भारत सरकार इस कार्यान्वित करने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार करेगी। बैठक का यह मत था कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये प्रचुर मात्रा में केन्द्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। बैठक ने, नई पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन पद्धति सहित आदर्श प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्थापना के केन्द्रीत सरकार के प्रभाव पर भी विचार किया। इन स्कूलों को अपने साथ उत्पादन एकक संलग्न करने हैं। उत्पादन अनुस्थापित स्कूल शिक्षा की इस योजना का समान्यतः स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय का आग बीमा करने का प्रस्ताव

6850. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : तथा **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में राष्ट्रीय ग्रन्थालयों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आग के खतरे से बचाव की व्यवस्था काफी संतोषजनक है, और

(ख) क्या सरकार का विचार इन ग्रन्थालयों का आग बीमा करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

कुतुब मीनार के अहाते में कार पार्क

6851. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुतुब मीनार के अहाते में स्थित कार पार्क में पर्यटकों द्वारा मोटर गाड़ी ठहराना मना कर दिया है,

(ख) क्या सरकार ने नये कार पार्क के भीतर और उसके आसपास फेरी लगाना मना कर दिया है।

(ग) क्या अनधिकृत फेरी वाले पर्यटको को कुतुब मीनार के अहाते में दाखिल होते समय परेशान करते हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को कुतुबमीनार के अहाते में अपनी मोटर

गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति देने का है ताकि अनधिकृत फैरी वाले उन्हें परेशान न कर सकें,

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नुरुल हसन) : (क) जून 1961 से मुख्य प्रवेश द्वार के एकदम बाहर एक नए कार पार्क की व्यवस्था हो जाने पर कुतुब मीनार क्षेत्र के अहाते में वाहनों को खड़ा करना बन्द कर दिया गया है। स्मारक और पैदल चलने वाले दर्शकों के हित में यह परिवर्तन आवश्यक समझा गया था। इसके साथ साथ वाहनों का आवागमन बढ़ जाने से वाहन खड़ा करने के लिए एक बड़े स्थान की आवश्यकता थी।

(ख) नये कार पार्क में फेरी वालों पर प्रतिबन्ध है फिर भी कार पार्क से लगी हुई सड़कों पर फैरी वाले देखे जा सकते हैं। इस मामले पर दिल्ली प्रशासन का ध्यान दिलाया गया है।

(ग) कभी कभी सड़कों पर फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए पर्यटकों के पास पहुंचते हैं। फिर भी कुतुब पुरातत्व क्षेत्र के मुख्य द्वार के बाहर एक कास्टेबल तैनात रहता है ताकि फेरीवालों द्वारा किसी भी प्रकार के अशोभनीय व्यवहार को रोका जा सके और पर्यटक सदैव उसकी सहायता ले सकें।

(घ) उपरोक्त अर्थ 'क' में पहले ही बताए गए कारणों के आधार पर अहाते के अन्दर कारों को खड़ी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है।

आसवराव पेटा, आन्ध्रप्रदेश में यंत्रीकृत राजकीय फार्म बनाना

6852. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के सम्भाग जिले में आसवराव पेटा में एक यंत्री कृत राजकीय फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है:

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि अर्जित की गई है या की जायेगी;

(ग) इस फार्म के लिए यदि सिंचाई की कोई सुविधाऐं उपलब्ध हैं तो वे क्या हैं और यदि किसी देश द्वारा कोई सहायता दी गई है या सहायता देने का वचन दिया गया है तो उस सहायता का व्यौरा क्या है और उस देश का नाम क्या है, और

(घ) उक्त निर्णय कब तक लागू किये जाने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) आन्ध्र प्रदेश में फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड को राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने को कहा है। निगम राज्य में फार्म स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है।

(ख), से (ग) : प्रश्न नहीं होता।

नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल और कालेज को अनुदान

6853. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नई दिल्ली स्थित लेडीहार्डिंग अस्पताल और कालेज को गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी धन राशि की सहायता दी;

(ख) क्या उक्त सहायता में कुछ धनराशि विवाहित नर्सों के क्वार्टरों का निर्माण करने अथवा क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिये निर्धारित की गई है, और

(ग) यदि हां, तो विवाहित नर्सों के क्वार्टरों की व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही जी जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, राज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क)

वर्ष	गैर योजना और योजना	योजना (प्रधान कार्य) (रुपये लाखों में)
1969–70	77·39 रुपये	10.79 रुपये *
1970–71	88·50 रुपये	11.45 रुपये *
1971–72	92·43 रुपये	10.29 लाख रुपये की बजट व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विवाहित नर्सिग कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का इस समय कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । विवाहित नर्सों से केवल नर्सिग अधीक्षक को ही स्टाफ क्वार्टर दिया गया है । तथापि सभी कर्मचारियों के लिए, जिनमें विवाहित नर्सिग स्टाफ भी आ जाता है, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रश्न लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल के विकास की सामान्य मास्टर प्लान का एक भाग है ।

Recommendations of National Commission on Agriculture Re. Credit Services for Small and Marginal Farmers

6854. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the gist of the recommendations made by the National Commission on Agriculture in its interim report on credit services for small and marginal farmers and agricultural labourers; and

(b) when Government is expected to make its views known on them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b) : The National Commission on Agriculture, in their Interim Report on credit services for small and morginal farmers and agricultural labourers has suggested the setting up of a new registered cooperative body of Farmers Service Society to provide integrated agricultural credit services to small/marginal farmers and agricultural labourers. The setting up of unions of such societies at the district level and functional district organisations for specific commo-

* वास्तविक व्यय के आंकड़ेउपलब्ध नहीं है ।

dities at the district level has also been recommended by the Commission. The Lead Bank of the district is to have the overall responsibility for integrating provision of farm credit with supplies of inputs and services.

These recommendations of the Commission are under examination of the Government.

दीवान चन्द आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोदी रोड नई दिल्ली के प्रिंसिपल की मुअत्तिली

6855. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीवान चन्द आर्य उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लोदी रोड़ नई दिल्ली के प्रिंसिपल को दुर्विनियोजन, गबन सरकारी धनराशि के दुरुपयोग प्रशासनिक असक्षमता और घोर आदि के विभिन्न आरोपों पर मुअत्तिल किया गया था,

(ख) क्या दण्ड अधिकारी ने उन्हें उक्त आरोपों का दोषि पाया था और उन्हें सेवा से दुराचरण निकालने की सजा दी थी, और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रिंसिपल किन परिस्थितियों में अभी भी सेवा में है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) दण्डाधिकारी अब तक मामले की जांच कर रहा है।

(ग) दण्डाधिकारी द्वारा लिए गये अन्तिम निर्णय के अनुसार 10-12-70 से स्कूल के प्रधानाचार्य को कार्य भार संभालने की अनुमति दी गई थी।

Pilot Project Regard'ng Resettlement of J. J. Dwellers in Delhi

6856. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state ;

(a) the programme chalked out under the current plan for jhuggi-jhonpari dwellers in Delhi in accordance with the pilot project; and

(b) the numher of plots and houses to be provided to them or the number of houses to be constructed for them by Government together with the locations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Decision is being finalised.

(c) According to present indications, plots/tenements to be developed/constructed under the Jhuggi and Jhopri Removal Scheme during the curreut financial year is as follows:-

Tenements at

(i)	Kalkaji	512
(ii)	Seelampur	112

Plots of 25 square yards

(i)	Seelampur	842
(ii)	Madipur Phase IV	2566
(iii)	Wazirpur	712

खाद्य विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सतर्कता आयोग का परामर्श

6857. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेतन के आधार पर सतर्कता ने 18 अगस्त, 1969 को खाद्य विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध भारी दण्ड के लिये मुकदमा चलाने का परामर्श दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ।

(ख) सक्षम अधिकारी ने उस अधिकारी के विरुद्ध अब: आरोप पत्र जारी कर दिया है और उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जांच हो रही है।

Draft Programme for 2500th Mahabir Jayanti

6858. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a delegation of some distinguished ascetics and scholars had, on Prime Minister's invitation, met her with a draft specific programme on the occasion of 2500th Mahabir Jayanti;

(b) if so, the main subjects discussed and whether any new scheme has been framed for spreading the principles of non-violence effectively; and

(c) if so, its brief outline ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) : The Government of India have set up a National Committee composed of Jain Munis as Visishta Athithies, scholars and other eminent persons to advise on the celebrations of Bhagwan Mahavir 2500th Nirvan Mahotsav. The Committee met in New Delhi on 12 April, 1972 under the Chairmanship of the Prime Minsiter, when several suggestions were made regarding programmes to be taken up during the celebrations. Since, however, it was not possible to finalise the programme in a big gathering, it was decided to set up a smaller Executive Committee comprising about 1 members of the National Committee, to draw up an apprepriate programme. Further action is being pursued in this regard.

कलकत्ता का विकास

6859. **श्री पी० गंगादेव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीत वर्षों में कलकत्ता में व्याप्त असंतोष के कारण उन परियोजनायों की क्रियान्विति में बाधा पड़ी है जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग को यह आशा है कि कलकत्ता के विकास के लिये 160 करोड़ रुपये के परिव्यय को चालू योजना के अन्त तक खर्च किया जा सकेगा; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें अभी पूरा किया जाना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क). से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रपति द्वारा लिखित 'गैनफुल एम्पलायमेंट" नामक पुस्तक

6660. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री प्रभुदास परेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नवीनतम पुस्तक "गैनफुल एम्पलायमेंट" में ग्रामीण बस्तियों के निर्माण द्वारा रोजगार जुटाने की एक नई योजना सुझाई है;

(ख) क्या सरकार ने इस पुस्तक में उल्लिखित योजनाओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां तो क्या कार्यवाही करने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राष्ट्रपति द्वारा लिखित 'एन इन्टेग्रेटेड स्कीम फार गेनफुल एमप्लायमेंट थ्री लैंड कालोनाइजेशन" नामक पुस्तक में स्व-रोजगार के उद्देश्यपूर्ण तथा सृजनात्मक उपायों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को संगठित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है इनका उद्देश्य विकास के सब पहलुओं पर कार्य करने के लिये चुनींदा जिलों के छोटे तथा सुसंहत क्षेत्रों में मार्गदर्शी परियोजनायें प्रारम्भ करना है, जिन्हें उस क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में धीरे धीरे रोजगार प्रदान करने के योग्य होना चाहिए । ये मार्गदर्शी परियोजनायें 1200 एकड़ के सुसंहत एक होंगे तथा परिवारों को इनमें बसाया जा सकेगा । ये परियोजनायें दीर्घकालीन दृष्टि से आत्म- निर्भर तथा स्वालम्बी होंगी । राज्यों में ऐसे उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जाना है, जो कि प्रत्यक्षतः कृषि-योग्य हो और जिनके सुधार में कम श्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त सिंचाई की सम्भावनायें भी विद्यमान हों ।

2. प्रारम्भिक विकास की अवस्था में यह केन्द्र द्वारा प्रयोजित तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना होगी और इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होगा सरकार का कार्य निःशुल्क रूप से पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक तथा अन्य सहायता का उचित उपयोग हो रहा है तथा ठीक-ठीक हिसाब रखा जा रहा है । स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्था, संचार, शिक्षा आदि जैसे कुछ मूलभूत उत्तरदायित्व सतत रूप से सरार को ही वहन करने होंगे ।

(ख) तथा (ग) योजना की जांच की जा रही है ।

सीमा शुल्क अधिकारियों को पौधों के कीड़ों और बीमारियों के बारे में निदेश

6861. **श्री के० सी चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे पौधों के कीटाणु और रोगों के कीटाणु बाहर से लाने वालों से सतर्क रहें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जारी किये गये निदेशों का सार क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1961 तथा हानिकारक कीट तथा कृषि अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना सीमा शुल्क प्राधिकारियों का उत्तरदायी है कि पौधों, आदि के आयात (तथा निर्यात) से मनुष्य या पशुओं के स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे । अतः पौधों आदि के आयात को अनुमति देने से पहले सीमा-शुल्क प्राधिकारी सामग्री को वनस्पति-संगरोध कर्मचारियों के पास अवश्य भेजते हैं, जो अन्य देशों के समस्त महत्वपूर्ण बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा अन्तर्देशीय महत्व के मार्गों पर कार्य करते हैं । पौधों, आदि की पूर्ण जांच की जाती है और आवश्यकतानुसार सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इसकी निर्मुक्ति की सिफारिश करने से पहले अन्यथा संगरोध कर्मचारियों द्वारा पौधों को धूमित तथा रोगाणुनाशक बनाया जाता है । संगरोध कर्मचारी अनुपयुक्त पौध-सामग्री को रोकने या नष्ट करने की भी सिफारिश करते हैं । विदेशी डाकखानों पर हवाई पोस्ट पारसलों की जांच के लिये भी सीमा शुल्क अधिकारियों को इसी प्रकार की सहायता उपलब्ध की जाती है ।

पौधों के कीटाणुओं तथा रोगों के कीटाणुओं को बाहर से लाने वालों से सतर्क रहने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं । लेकिन हाल ही में वनस्पति-रक्षण निदेशालय ने एक लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया है जिससे कि कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारी हानिकारक कीट तथा कृमि अधिनियम के प्रावधानों इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कानूनों से ठीक तरह से परिचित हो सकें । तथा अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे सीमा शुल्क अधिकारियों के लिये भी ऐसे लघु पाठ्यक्रमों की योजना है ।

वन्य जीवन संरक्षण हेतु कार्यवाही

6862. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व वन्य जीवन निधि के एक न्यासी, श्री गाई माउण्टफोर्ट ने 18 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में कहा था कि भारत में 40 साल पहले 40,000 शेर थे और अब उनकी संख्या 2,000 है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बताये गये आंकड़े शेरों की प्रामाणिक गणना पर आधारित नहीं हैं। उनकी शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है। सरकार ने इस ग्रीष्म के दौरान देश में भारतीय शेरों की विस्तृत गणना की एक योजना पहले ही तैयार कर ली है और लगभग आगामी तीन महीनों में परिणामों का पता लग जायेगा।

(ग) (1) वन्य जीव जन्तुओं के संरक्षण के लिये और अधिक वन्य जीवजन्तु प्राकृतिक वासों को आश्रय-स्थलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषित किया जा रहा है।

(2) लुप्तप्राय कई जानवरों की नस्लों के शिकार पर रोक लगाई गई है।

(3) कई दुर्लभ जानवरों तथा उनके उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई गई है और कुछ अन्य जानवरों तथा उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित किया गया है।

(4) वन्य जीव-जन्तु कानून तथा वन्य जीव-जन्तु प्रशासन सुदृढ़ किया जा रहा है।

(5) वन्य जीव-जन्तुओं के संरक्षण के लिये अधिक धन-राशि उपलब्ध की जा रही है।

(6) वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून में सेवान्तर्गत कार्मिकों को वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है और प्रशिक्षार्थियों के 3 दलों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इस संस्थान में वन्य जीव जन्तुओं पर अनुसंधान भी किया जायेगा।

Rules for Cooperative Society

683. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether model rules, bye-laws are shown/given to the office-bearers of a Society gefore its registration to enable them to frame the rules for the proposed Society;

(b) whether before registration, it is ensured that no single person is allowed to take exclusive advantage of the property of the Society;

(c) whether any member of a Society can be its paid employee also; and

(d) whether there is any provision/reference to this effect in the relevant Act or Rules ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The model byelaws which the Cooperative Law Committee had drawn up in its report of 1957 for important and provalent types of cooperatives were circulated among the States and similar byelaws are available with the State Cooprrative Departments and State Cooperative Unions for consultation by promoters of cooperatives. Normally these model byelaws are available on out-right purchase basis also at a low price.

(b) Yes. "Cooperation" is a state subject and different provisions are contained in different state laws.

(c) & (d) : In some State Acts (for instance Andhra Pradesh and Madras) no person shall be eligible for admission as a member of a society, if he is a paid employee of the society. Under Madras Act, a member of a registered society shall cease to be a member if he becomes a paid employee of the society. But in both States, an exception is made in

favour of a society the principal object of which is the provision of employment of its members,

Under the Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965 any individual including a minor, who is a seasonal or temporary worker or apprentice in the business of the society or who is otherwise interested in such business may be admitted as an associate member.

Normally the terms and conditions of admission to membership and the terms and conditions of recruitment in service are covered under byelaws.

Workers' cooperatives usually allow members to be their paid employees.

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1972

6864. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो त्रिपुरा में गर्भपात के लिए शल्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण आवास योजना

6865. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री रामकंवर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर लोगों को आवास देने की किसी योजना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ग) क्या राज्यों ने इस राशि का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आँकड़े क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० ई० गुजराल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिये आवास-स्थलों की व्यवस्था कीयोजना के नाम से एक नई योजना केन्द्रीय क्षेत्रीय क्षेत्र में अक्तूबर, 1971 में आरंभ की गई है। योजना के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र भूमिहीन मजदूरों के परिवारों को बिना मूल्य आवास-

स्थल देने के लिये भूमि के अर्जन और विकासार्थ योजना में राज्य सरकारों आदि को 100 प्र० श० अनुदान सहायता देने को व्यवस्था है। तथापि, इस योजना में मकानों के निर्माण के लिये किसी सहायता की व्यवस्था नहीं है तथा आशा है कि लाभान्वित व्यक्ति या तो अपने साधनों से स्वय या राज्य सरकार आदि की सहायता से अपने मकानों का निर्माण करेंगे।

(ख) तथा (ग) : 1971-72 के दौरान इस योजना के कार्यान्वियन के लिये कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई थी। 1972-73 के दौरान, इस मंत्रालय के बजट अनुदान में ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि के राज्यवार नियतन का अभी निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि, इस बारे में सभी राज्य सरकारों की आवश्यकताएं अभी मालूम नहीं हुई हैं। अप्रैल तथा मई, 1972 के दौरान, केरल सरकार को 2,73,92,075 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को 25,41,000 रुपये तथा मैसूर सरकार को 14,36,000 रुपये के सहायक अनुदान की स्वीकृति, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पहले ही जारी की जा चुकी है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और तमिलनाडु सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उनके उपयोग का कोई विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि स्वीकृतियां अभी हाल ही में जारी की गई हैं।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये संध्या/रात्रिकक्षायें

6866. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी वर्गों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिये कुछ चुने हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में संध्या/रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को सहायता देने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा आयोग (1964-66) ने यह सिफारिश की थी कि आम और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लोअर और हायर सेकेंडरी स्तरों पर, कामगरों के लिए अंशकालिक शिक्षा सुविधाओं की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

क्योंकि स्कूल शिक्षा राज्य विषय है, इसलिए शिक्षा उपयोग की उपर्युक्त सिफारिश को राज्य सरकारों को अनुकूलन और कार्यान्वियन के लिए भेज दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों को सभी सहायता एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जाती है और इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जाती है।

गुजरात में जनसंख्या के नियन्त्रण के लिये वृहद् कार्यक्रम

6867. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मैडिकल ऐसाशियेशन ने गुजरात में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए वृहद् कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसके सदस्यों के लिए परिवार नियोजन के तरीकों का पुनरनुस्थापन पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए ऐसा वृहद् कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : गुजरात में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए भारतीय चिकित्सा संघ ने कोई वृहद् कार्यक्रम नहीं चलाया है । तथापि, 1 अप्रैल, 1972 से भारतीय चिकित्सा संघ की अहमदाबाद शाखा को गुजरात सरकार ने हाल ही में 168 ऐसे केन्द्रों में से 17 नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र चलाने का कार्य सौंपा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय चिकित्सा संघ की शाखाएं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठन जहाँ भी परिवार नियोजन कार्य करने के लिए आगे आते है उन्हें ऐसा करने के लिए पूर्णतया प्रोत्साहित किया जाता है तथा वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

Loan to Delhi Administration for Solving Housing Problem

6 68. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have agreed to give loan to Delhi Administration for solving the problem of housing for low and middle income Groups of people; and

(b) if so, the amount thereof and the terms and conditions relating to the said loan ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral): (a) Delhi being a Union Territory without legislature, funds for advancing loans to third parties under the Low and Middle Income Groups Housing Schemes are provided to the Delhi Administration by the Central Government.

(b) Budget provision made for 1972-73 for these schemes in Delhi is as under :

		(Rs. in lakhs)
(i)	Low Income Group Housing Scheme.	85
(ii)	Middle Income Group Housing Scheme.	125

The loans ara recovered from individual borrowers in annual equal instalments, of principal together with interest, not exceeding twenty-five in number under Low Income Group Housing Scheme and twenty under the Middle Income Group Housing Scheme. The Loans carry interest at rates from fixed time to time by the Ministry of Finance. Further, to ease the housing problem in Delhi, the "D.D.A." has, of late. undertaken large scale construction of houses for the lower and middle income groups. The Authority had constructed 14,337 houses/flats upto the year 1971-72 and it proposes to construct another 18,000 houses/flats during the next two years viz. 1972-74. Also, the Housing & Urban Development Corporation of the Ministry have sanctioned Rs. 300 lakhs at @ 6½% per annum as interest to the Authority for construction of 3,550 dwelling units for the lower income groups.

Views of Chief Minister and Revenue Minis'er of Bihar on Ceiling on Land

6869. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state ;

(a) whether the Chief Minister and the Revenue Minister of the Bihar had also participated in the Chief Ministers Conference hold on the 13th and 14 April, 1971 in Delhi; and

(b) if so, their views in regard to ceiling on land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricultural (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes Sir.

(b) Minister of Agriculture has already made a statement in the Sabha on April, 17, 1972 in connection with the meeting of the Chief Ministers held on April 14, 1972 to consider exemption from ceiling on agriculture holdings. The Chief Minister and the Revenue Minister of Bihar agreed with the consensus arrived at in the meeting.

गन्ने की खेती में और कारखानों को गन्ने की सप्लाई में कमी ।

6870. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गत वर्षों में देश में गन्ने की खेती कम भूमि में की गई है ;

(ख) क्या हाल के वर्षों में मिलों को गन्ने की सप्लाई में भी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । ग ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी 1969-70 की तुलना में 1971-72 और 1971-72 में कुछ हद तक हुई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार केवल निर्वात पात्र (वेक्यूम पेन) चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है लेकिन वास्तव में दिया जाने वाला मूल्य तो चीनी कारखानों और गन्ना उत्पादकों के बीच आपस में तय किया जाता है । जब 969-70 के दौरान चीनी की रिकार्ड उत्पादन होने के कारण चीनी के मूल्य गिर गए थे तब चीनी कारखानों ने कुल मिलाकर गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित मूल न्यूनतम मूल्य दिया था । इससे 1970-71 और बाद के वर्षों के दौरान गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्र में कमी हुई ।

चीनी कारखानों को गन्ने की सप्लाई में कमी के निम्नलिखित कारण है: —

(i) गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने के परिणामस्वरूप गन्ने की पैदावार में गिरावट आना ;

(ii) उत्तरी भारत में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ें आने और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ने से फसल की क्षति होना :

(iii) गुड़ और खंडसारी के मूल्य में बढ़ोतरी और इन उद्योगों में गन्ने का प्रयोग होना ।

चौथी योजना में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये त्रिपुरा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता

6871. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिचाई योजना के लिये त्रिपुरा राज्य को कितनी धन-राशि नियत की गई है।

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा राज्य के लिये लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत 100 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

कम्बरजुआ नहर (गोआ) का तलकर्षण

6872. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बरजुआ नहर (गोआ) के तलकर्षण की कोई योजना है ;

(ख) क्या नहर में तलकर्षण कायकार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है ;

(ग) क्या कार्य के चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवाहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सम्पन्न कर देने का प्रस्ताव है ,

(घ) नहर के दोनों किनारों पर निकर्षित प्रात को जमा करने के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन कर लिया गया है तथा नहर में निकर्षण कार्य करने के लिए आवश्यक निकर्षक के निर्माण और आपूर्ति का आदेश देने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

चम्पाकरा नहर का तलकर्षण

6873. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या कोचीन के निकट औद्योगिक समूह की ओर बहने वाली चम्पाकरा नहर का तलकर्षण करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या यह कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1971 में केन्द्रीय सरकार की ओर से योजना की स्वीकृति की प्राप्ति के बाद केरल सरकार ने जुलाई, 1971 में आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति दी। राज्य सरकार की इस योजना का निष्पादन करना है और प्रगति संबंधी अपेक्षित सूचता एकत्रित की जा रही है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, कार्य सम्पन्न करने का इरादा है।

Preparation of Electricity Bill in Respect of M. PS.

6874. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health of Family Planning** be pleased to state :

(a) whether propor care is not taken in the preparation of electricity bills in respect of M Ps residence;

(b) whether arrears of electricity bills pertaining to fromer Members of Parliament are being recovered from the sitting Members;

(c) whether electricity connections are cut if arrears are not paid; and

(d) if so, the measures taken to check it and the action taken against the guilty employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A K. Kisku) : (a) The New Delhi Municipal Committee have intimated that the bills are prepared with the utmost care.

(b) The New Delhi Municipal Committee have reported that this is not the case. However, it sometimes so happens that on retirement etc. of an M.P:, the Committee is not intimated of the vacation of the premises and the new M.P. occupying the house does not apply for connection in his name. In such cases, notice of arrears gets served on the new occupant though it is in the name of the consumer registered with the Committee. This mistake will not occur if M.Ps. give due intimation of the vacation of the premises and the new occupants intimate for provision of the connection in their names.

(c) In case of non-payment of the arrears by the sitting Members of Parliament, the supplies are disconnected when the payment is not received even after service of the notice giving another opportunity for making the payment.

(d) Does not arise.

बेरोजगार नाविक

6875. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक पत्र 'युगान्तर' दिनांक 22 अप्रैल, 1972 में कोई काम न मिलने के कारण 12500 नाविक मुसीबत में हैं शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है यदि हां, तो उस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

(ख) वर्ष 1960, 1965 और 1972 में कलकत्ता गोदी और पत्तन पर रोजगार की स्थिति क्या थी ; और

(ग) क्या रोजगार की स्थिति खराब हो गई है यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। यह कहना कि 12500 नाविक काम के अभाव के कारण दुःखी हैं सही नहीं है। 1-5-972 को कलकत्ता में उपलब्ध 6782 कार्यों की तुलना में पंजीकृत नाविकों की कुल संख्या 12021 थी। कलकत्ता से कार्मिकों को लेने के लिये भारतीय तथा विदेशी पोतस्वामियों को कुछ जहाजों के अन्तरण के लिये कहा गया है।

(ख) माननीय सदस्य संभवतः कलकत्ता पत्तन में पंजीकृत नाविकों की रोजगार स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। कलकत्ता में पूछे गये वर्षों की पहली जनवरी को पजीकृत नाविकों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

	1960	1965	1972
पंजीकृत नाविकों की संख्या	24096	16556	12135
उपलब्ध कार्यों की संख्या	13692	8430	6520

(ग) जी हां, कलकत्ता में कार्यों की कमी के मुख्य कारण पुराने जहाजों (को कम कर्मीतालिका वाले नये जाहजों) में बदलना, जहाजों को स्वत चालित बनाना, विदेशी पोत स्वामियों द्वारा पुराने जहाजों को रद्द किया जाना, है।

भारतीय बाघ की नसल को लोप होने से बचाने के बारे में अध्ययन न करने के लिए एक दल की नियुक्ति

6876. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने भारतीय बाघ की नसल को, जिसकी दस वर्षों में लुप्त होने की आशंका है, बचाये रखने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये एक विशेष कार्यकारी दल की नियुक्ति का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ? और

(ग) सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी हां। भारतीय वन्य जीव जन्तु बोर्ड की कार्यकारी समिति की आठवीं बैठक में एक 'टास्क फोर्स' गठित की गयी है।

(ख) टास्क फोर्स में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं :—

(i)	डा० कर्ण सिंह अध्यक्ष, भारतीय वन्य जीव-जन्तु बोर्ड।	अध्यक्ष
(ii)	श्री धर्मकुमार सिन्ह जी, उपाध्यक्ष, भारतीय वन्य जीव-जन्तु बोर्ड।	सदस्य
(iii)	श्रीमती एने राइट	सदस्य
(iv)	श्री जफर फतह अली, अवैतनिक सचिव बी० एन० एच० एस०	सदस्य

(v) श्री दलीप मथाई सदस्य

(vi) श्री टी० एन० श्रीवास्तव सदस्य
वन महानिरीक्षक

(vii) श्री के० एस० संखला सदस्य

(viii) श्री एच० आर० चौधरी,
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
वन्य जीव जन्तु देहरादून सदस्य

(ix) संयुक्त सचिव (वित्त) सदस्य
कृषि विभाग

(x) श्री एन० एस० बदकोली सदस्य
सहायक वन महानिरीक्षक

(xi) श्री रणजीत सिंह, सदस्य-सचिव
उप सचिव,
कृषि विभाग

(xii) सचिव, कृषि विभाग स्थायी रूप से आमन्त्रित

(ग) रिपोर्ट सरकार को लगभग 3 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने की सम्भावना है ।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

6877. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री पम्पन गोडा :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगरीय सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये सरकार संसद के इस सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगी;

(ख) क्या कई राज्यों ने ऐसा विधेयक लाये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) 12 राज्यों तथा एक संघ क्षेत्र ने शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए एक एक समान केन्द्रीय कानून के लिये कहा है । 6 राज्यों ने संविधान के 252 अनुच्छेद के अधीन संकल्प भी भेजा है ।

(ग) राज्यों से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक अध्ययन ग्रुप

की नियुक्ति की है तथा इस ग्रुप में 15 अप्रैल, 1972 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशों पर निर्णय अभी लिया जाना है। राज्यों द्वारा केन्द्र को कानून बनाने के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन किये जाने के बाद आवश्यक कानून पेश कर दिया जायेगा।

इंजीनियरिंग संस्थानों पर प्रवेश के लिए की गई कटौती को बहाल करना

6878. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इंजीनियरी संस्थानों में प्रवेश के लिये की गई 30 प्रतिशत कटौती को बहाल करने का है।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद ने 22 अप्रैल, 1972 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि पांचवी योजना में तकनीकि कार्मिकों की पूर्वानुमानित मांग को देखते हुये, संस्थानों में अनुदेशीय सुविधाओं की पर्याप्त सुनिश्चितता किये जाने के बाद तथा प्रवेश की शर्तों में किसी प्रकार की कमी न करते हुये, तकनीकी संस्थानों में क्रमिक रूप से प्रवेश की संख्या मूल लक्ष्यों तक बहाल की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का राज्यों को स्थानान्तरण

6879. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी की समस्या को दृष्टि में रखते हुये कुछ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को राज्यों में स्थानान्तरित करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है; और।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : **(क) तथा (ख)** : जी, हाँ। 1948 से सरकार की यह नीति रही है कि अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कारणों से केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाये जो अन्य स्थानों से अपनी प्रशासनिक कुशलता को क्षति पहुंचाये बिना कार्य कर सकते हैं।

(i) राजधानी में जनसंख्या की निरन्तर और अधिक वृद्धि से भूमि और विभिन्न नागरिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव के कारण दिल्ली में कार्यालयों और रिहायशी वास के और निर्माण की अति सीमित संभावना।

(ii) कार्यालय और रिहायशी वास के मामले में भीड़-भाड़ को कम करने की आवश्यकता

(iii) रक्षा, विदेशकार्य, गृह आदि जैसे मंत्रालयों विभागों के संभाव्य विस्तार की व्यवस्था करने की आवश्यकता, जिन्हें रक्षा तथा अन्य कारणों से अवश्यमेव दिल्ली में ही रखा जाना चाहिए।

इस नीति के अनुसरण में यह निश्चय करने के लिये सरकार समय समय पर जांच करती

है कि दिल्ली में कार्य कर रहे किन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को उनकी प्रशासनिक कुशलता में क्षति पहुंचाये बिना बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

Number of Challaned cases pending in Delhi

6880. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a large number of cases challaned by the Traffic Police under the Motor Vehicles Act are pending in Delhi at present;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government to dispose of these cases immediately ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Tran port (Shri Raj Bahadur) : (a) & (c) ; The information required is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha, when received.

पालम हवाई अड्डे पर भारतीय पुरातत्वीय वस्तुओं का पकड़ा जाना

6881. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारों ने 21 अप्रैल, 1972 को पालम हवाई अड्डे पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से कई भारतीय पुरातत्वीय वस्तुएं पकड़ी थीं ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारो, जो कि विदेश में नियुक्ति से स्थानान्तरित होकर आ रहे थे, पालम हवाई अड्डे पर 21 अप्रैल 1972 को पहुंचे और क्योंकि कुछ सूचना थी कि वे अपने पुरावशेष ला रहे थे अत: उनको इसके लिए कहा गया । अधिकारी स्वेच्छा से सीमा-शुल्क कार्यालय के पास अपना सामान छोड़ गये जो कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने ले लिया और सभी वस्तुओं की एक विवरण सूची तैयार की गई । रिपोर्ट के अनुसार, सामान में पुरावशेष मूल्य की कही जाने वाली कुछ वस्तुएं थी । अधिकारी ने कहा कि वे ये कुछ वस्तुएं 1964 में भारत से बाहर ले गये थे जब वे अपनी विदेश में सरकारी नियुक्ति के लिए गये और इनके लिए कोई निर्यात लाइसेन्स नहीं लिया था । क्योंकि बिना निर्यात करना लाइसेन्स प्राप्त करके भारत से बाहर पुरावशेषों का निर्यात पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अपराध है, अत: इस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है ।

सरकार ने इन कथित पुरावशेषों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है और आवश्यकतानुसार आगे की कारवाई की जाएगी ।

उच्चतम शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये भारतीय विशेषज्ञ

6882. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई निश्चित नीति और सुयोजित योजना है जिसके अन्तर्गत शिक्षा संस्थानों से विशेषज्ञों को उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई ऐसी शर्त है कि विदेश से लौटने के बाद विशेषज्ञों को अपने मूल संस्थानों में कार्य करना होगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये 1971–72 में कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं। तथापि, विभिन्न तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत, भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाता है। उन्हें आम तौर पर "प्रशिक्षणार्थी" अथवा फेली के नाम से पुकारा जाता है।

(ख) जी हां : प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर विद्यार्थी को उसी कार्य-क्लाप के क्षेत्र में लौट आना पड़ता है, ताकि वह अपने प्रशिक्षण का लाभ अपने कार्य क्षेत्र को पर्याप्त रूप से प्रदान कर सकें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत मूलक विद्यार्थियों का मैडीकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

6८83. **श्री एस० एन० मिश्र** :
श्री वी० आर० शुक्ल :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विदेशों में गए भारत मूलक विद्यार्थियों के लिए भारत के मैडीकल तथा इंजीनियरिंग कालजों में स्थान आरक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मैडीकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में कितने-कितने स्थान आरक्षित किये गये तथा ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वे किस-किस देश से आये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) केवल उन भारत मूलक विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं होता है, जो विदेशों में बस गये हैं। तथापि, विदेशों में बसे हुए भारत मूलक तथा विदेशी पारपत्र धारी छात्रों सहित प्रति वर्ष विदेशी विद्यार्थियों के लिये स्थान आरक्षित की जाती है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, इंजीनियरिंग तथा मैडीकल कालेजों में, भारत मूलक विद्यार्थियों सहित, विदेशी छात्रों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	इंजीनियरिंग कालेज	मैडिकल कालेज
1970-71	231	131
1971-72	313	106

उन इंजीनियरिंग तथा मैडिकल कालेजों की एक सूची संलग्न है, जिनमें सीटें आरक्षित की गयी थीं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3018/72**]

(ग) आमतौर पर विद्यार्थी निम्नलिखित देशों से आये :—

अदन	लेबनान
अफगानिस्तान	मलेशिया
अरब मिश्र गणराज्य	मलावी
बहराइन	मारीशस
बंगला देश	मोरक्को
बलगारिया	नेपाल
बर्मा	नाइजिरिया
श्री लंका	पोलैंड
इथोपिया	रोडेशिया
फिजी	सिंगापुर
फ्रांस	दक्षिणी अफ्रीका
गुयाना	सीरिया
ईरान	तन्जानिया
ईराक	थाइलैंड
जोर्डन	त्रिनिदाद तथा तोबागो
केनिया	उगांडा
कुवैत	ज़ाम्बिया

दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों तथा नगर निगम का भविष्य निधि में अंशदान

6884. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के अधीन अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि में वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के अंशदान को लेखाबद्ध नहीं किया गया ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जहां तक सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों का संबंध है, सामान्य भविष्य निधि की राशि प्रत्येक मास उनके वेतन से काटी जाती है। उसका हिसाब महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व द्वारा रखा जाता है। 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के वार्षिक विवरण अभी तक महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व से प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिल्ली नगर निगम के अधीन मिलिड स्कूल 1-7-1970 से दिल्ली प्रसासन को हस्तांतरित किए गए थे। इन अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि का हिसाब 1971-72 वर्ष तक तैयार है, जिनमें विधिवत परिकलित ब्याज भी शामिल है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि :

जैसे ही महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व। दिल्ली प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि के उनको आबंटित किए गए नए नम्बर भेज देगा, इन लेखों को महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

अफगानिस्तान में मिले हिन्दुओं और बौद्धों के मन्दिरों के अवशेष

6885. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के बहुत से हिन्दुओं और बौद्धों के मन्दिर तथा उनके अवशेष मिले हैं और बहुत से ऐसे अवशेषों के मिलने की सम्भावनाएं है ;

(ख) यदि हां, तो इन खोजों की मुख्य बातें क्या हैं और वहां आगे खुदाई कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी हां ;

(ख) से (घ) भारत और अफगानिस्तान के मध्य युगों पुराने संस्कृति सम्बन्ध सुविख्यात हैं और यह अनेक बौद्ध स्तूपों, मठों, गांधार स्थापत्यों और अन्य सांस्कृतिक स्मृति चिन्हों द्वारा जिनमें अशोक के शिलालेख भारत बेकटीयन सिक्के और अफगानिस्तान में प्राप्त होने वाले गणेष सूर्य, महिषासुर मर्दिनी इत्यादि हिन्दू देवताओं को व्यक्त करने वाली मूर्तियों से प्रकट होते हैं।

शाही अफगान सरकार प्राचीन स्मृति चिन्हों की खुदाई और संरक्षण के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेती है। फिर भी उस सरकार के सोजन्य और सहयोग से बालियानमें 1969 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक दल कार्य कर रहा है और प्रसिद्ध शिला को काटकर बनाए गए उन मठों का संरक्षण कर रहा है जिसमें तीसरी से छटी इसवीं तक की दो बड़े आकार की बुद्ध प्रतिमाएं और भित्ति चित्र हैं इस कार्य में पर्याप्त प्रगति की गई है और अन्य दो मौसमों में यह परियोजना जारी रहने की आशा है।

जहां तक खुदाई का सम्बन्ध है बेग्राम में खुदाई शुरू करने के लिए और फाराह क्षेत्र में खोज के लिए शाही अफगान सरकार के साथ एक समझौते का अन्तिम रूप देने के हेतु कार्यवाई की जा रही है।

सहकारी विपणन समितियों को वित्तीय सहायता

6886. **श्री एस० एस० शिवस्वामी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों के निर्माण के लिये केन्द्र ने सहकारी विपणन समितियों को हाल में वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) केन्द्र द्वारा सहकारी विपणन समितियो को गोदामों के निर्माण के लिए हाल में ही कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये सहकारी भण्डारण की केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना हाल ही में आरम्भ की गई है ।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें और उसमें परिकल्पित वित्तीय सहायता की मात्रा नीचे दी गई है: —

(१) यह योजना इस दृष्टि से बनाई गई है कि कृषि उपज और निवेशों दोनों के भण्डारण के लिए ग्राम स्तर तथा मण्डी। रेल हैड स्तर पर चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार की जा सके।

(2) इस योजना में 15.00 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है। ऋण घटक, अर्थात् 9·40 करोड़ रु०, जो कुल परिव्यय का 62½ प्रतिशत भाग बनता है, को राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव है।

(3) प्रचुर कृषि सम्बन्धी सम्भाव्यता रखने वाले क्षेत्रों और उन मण्डियों अथवा अन्य स्थानों, जहां भण्डारण के अभाव में कृषि उपज अथवा निवेषों को एकत्र करने से बाधा पड़ रही है, मैं सहकारी समितियों की भण्डारण सम्बन्धी आवश्यकताओं की विशेष रूप से पूर्ति की जाएगी ।

(4) वित्तीय सहायता निर्माण की वास्तविक लागत और क्षेत्र विशेष में निर्मित किये जाने वाले गोदामों की किस्म के अनुसार दी जायेगी, लेकिन गोदामों के निर्माण की औसतन लागत 150 रु० प्रति मीटरी टन ली गई है।

(5) ग्राम सहकारी समितियों और प्राथमिक, जिला, क्षेत्र अथवा शीर्ष स्तर पर कार्य कर रही सहकारी विपणन। विधायन समितियों को गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु विचार किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत चीनी कारखानों, कताई मिलों और पटसन मिलों जैसी बड़े पैमाने की सहकारी विधायन समितियों को गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। पुर्नवित निगम द्वारा मंजूर किये जा चुके अथवा उसके द्वारा सहायता देने के लिये प्रस्तावित कार्यक्रमों को इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(6) पहले उन सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास अपनी अथवा किराये की भण्डारण सुविधा नहीं है; द्वितीय स्थान पर अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली सहकारी समितियों के बारे में विचार किया जाएगा; और तीसरे स्थान पर उन सहकारी समितियों को लिया जायेगा; जो अपने पास किराए की उपलब्ध क्षमता के स्थान पर गोदामों का निर्माण करने का इरादा रखती है।

(7) यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण कार्य साधारणतया ज्यादा से ज्यादा दो कार्य-मौसम में और जगह लेने के लिये एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। सहायता की प्रथम किस्त जगह ले लेने के बाद अथवा संबन्धित समिति के पास जगह होने पर ही दी जायेगी।

आसाम में शुष्क बन्दरगाह

6887. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में शुष्क बन्दरगाह बनाने की कोई योजना है,

(ख) इस कार्य को कौन अपने हाथ में ले रहा है,

(ग) क्या कार्य प्रारम्भ हो गया; और

(घ) कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी भगवती समिति ने आसाम में एक तिरती सूखी गोदी और मरम्मत की सुविधाओं की व्यवस्था की शिफारिश की है। प्रश्नगत प्रस्ताव पर आसाम सरकार और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता जिनके पास आसाम में एक बड़ा बेड़ा है और जिन्हें अपने जहाजों के लिये इन सुविधाओं की आवश्यकता है के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रहित सहकारी बैंक प्रणाली के बिना कृषि वित्त

6888. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड" में नौ इम्प्रूवमेंट इन फार्म फाइनेन्स विदाउट ए क्लीनर को–आपरेटिव बैंक सिस्टम "शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में कृषि वित्त के उपयोग के बारे सही स्थिति का विवरण क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यकरण का विस्तृत अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के वरिष्ट अधिकारियों की एक विशेषज्ञ टोली द्वारा किया जा रहा है। टोली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर त्रुटियों को दूर करने सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

(ग) अतिदेयों के भारी संचय के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में 1971–72 में रिजर्व बैंक द्वारा 21 केन्द्रीय बैंकों में से केवल 11 को ऋण सीमायें मंजूर की गई थीं। ये 11 बैंक, रिजर्व–बैंक द्वारा मंजूर की गई 497 लाख रुपये की ऋण सीमाओं के मुकाबले में 335 लाख रुपए तक की सीमाओं का उपयोग कर सके हैं।

चिकित्सीय व्यवसाय के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे व्यक्ति

6889. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा व्यवसाय में अर्हता प्राप्त कितने व्यक्ति प्राइवेट चिकित्सक अथवा सेवा रत रूप में अमेरिका अथवा ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या उनमें से किसी ने भारत में नियुक्ति के लिये आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Schemes Formulated for Availability of Water to Small Farmers Under Grow More Food Campaign

6890. **Shrimati Manimata Agamdas** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the salient features of the various formulated for making water available to farmers under the Grow More food Campaign;

(b) whether small farmers can also take advantage of these schemes; and

(c) whether Government have formulated such schemes for Madhya Pradesh also and if so, the time and the manner of their implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The schemes taken up for providing irrigation to farmers include :

(i) Surface Water storage projects which impound water of the streams and rivers for irrigation purposes.

(ii) Diversion schemes which aim at providing gravity flow irrigation by mere diversion of stream water supplies without arranging any storage.

(iii) Lift Irrigation schemes which envisage lifting of water from rivers, streams and lakes through pumping.

(iv) Construction of tubewells (both public and private) for tapping groundwater.

(v) Construction of dug (open) wells for tapping groundwater.

(b) Yes Sir.

(c) Yes Sir. Irrigation schemes costing about Rs. 170 crores are expected to be implemented in Madhya Pradesh during the Fourth Plan Period (1969-70 to 73-74) through Public Sector outlays and institutional financing.

बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य

6891. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में बिहार सरकार ने खाद्यान्न तथा अन्य फसलों के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(क) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) बिहार में चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिये खाद्यानों तथा अन्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के लिये निम्न-लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:—

फसल	इकाई	वर्ष 1972–73 के लक्ष्य	वर्ष 1973–74 के लक्ष्य
खाद्यान्न	लाख मीटरीटन	102 00	114 00
तिलहन	लाख मीटरीटन	1·40	1·70
गन्ना (गुड़)	लाख मीटरीटन	7·00	7·50
पटसन तथा मेस्ता	लाख गांठें	10·00	11·00

(ख) ये लक्ष्य उपयुक्त समझे गये हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने कृषि मन्त्रालय तथा योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श करने पर ही इन्हें स्वीकार किया गया है ।

बिहार में 1972–73 में उर्वरक की आवश्यकता :

6892. **श्री नवल किशोरसिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खाद्यानों तथा अन्य फसलों के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बिहार सरकार ने 1972–73 के लिए विभिन्न किस्मों के कितने उर्वरकों की मांग की है ?

(ख) 1972–73 के लिये मंत्रालय ने कितना उर्वरक आवटित किया है ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) 12 मार्च 1972 को हुए आंचलिक सम्मेलन में वर्ष 1972–73 के लिए बिहार राज्य की उर्वकों की स्वीकृत आवश्यकतायें (पौध पोषक तत्व के रूप में 106, 700 मीटरी टन नाइट्रोजन, 9900 मीटरी टन पी 205 और 5,800 मीटरी टन के$_2$ ओ थी इन आवश्यकताओं में से 28,000 मीटरी टन नाईट्रोजन और 5,500 मीटरी टन पी 205 की सप्लाई विनिर्माता करेंगे और शेष की आपूर्ति जहां तक आयातित भण्डार से सम्भव हो सकेगा केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा की जायगी ।

केन्द्रीय उर्वरक पूल आयातित भण्डार की उपलब्धि और मोसम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वष की प्रत्येक तिमाही के लिए राज्यों को नियतन करता है । पूल ने वर्ष 1972–73 में पहली तिमाही के लिए बिहार को 6,460 मीटरी टन नाइट्रोजन का नियतन किया है । राज्य की शेष आवश्यताओं को आगामी तिमाहियों के दौरान पूरा किया जायगा ।

वर्ष 1971–72 में रबी की फसल के लिए बिहार की उर्वरक की सप्लाई ।

6893. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 में कलकत्ता में आयोजित हुए पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन में देशी निर्मार्ताओं से परामर्श कर सरकार ने उन्हें आदेश दिया था कि वर्ष 1971–72 की रबी फसल के लिए बिहार को 1 30 लाख टन उर्वरक सप्लाई किया जावे ।

(ख) वर्ष 1971–72 में रबी की बुआई के लिए भारतीय उर्वरक निगम ने कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किया है ; और

(ग) देशी निर्माताओं ने कितना उर्वरक सप्लाई किया ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। सितम्बर, 1971 में हुए पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1971–72 के रबी के दौरान विनिर्माता बिहार की 1.31 लाख मीटरी टन उर्वरक (सामग्री) की मात्रा सप्लाई करेंगे। (ख) और (ग) भारतीय उर्वरक निगम ने सूचित किया है कि उन्होने वर्ष 1971–72 के रबी के मौसम के दौरान राज्य को कुल 61500 मीटरी टन की मात्रा की सप्लाई की, जबकि अन्य विनिर्माताओं ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान उन्होंने कुल 14561 मीटरी टन उर्वरक उत्पादकों की सप्लाई की। इस प्रकार राज्य को कुल मिलाकर 76,061 मीटरी टन की सप्लाई की गई। पोषक-तत्वों के रूप में 18.329 मीटरी टन एन और 2640 मीटरी टन पी-205 की सप्लाई की गई। किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माताओं से 25706 मीटरी टन एन के और 5463 मीटरी टन पी-205 की कुल मात्रा प्राप्त हुई। इस विसंगति का कारण कुछ विनिर्माताओं द्वारा अपनी बिक्री की सूचना सरकार को न दिया जाना हो सकता है।

बिहार में संथालपहाड़ियों के विकास तथा सहायता के लिये पायलट परियोजना का विकास

6894. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना जिले की पहाड़ियों में रहने वाले संथाल लोगों की सहायता तथा उनके विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई पायलट विकास परियोजना आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी यह बतला देना आवश्यक है कि चतुर्थ योजना के अन्तर्गत मन्जूर की गई छ: मार्गदर्शी आदिवासी विकास परियोजनाओं में से एक परियोजना बिहार के सिंहभूम जिले के लिए मंजूर की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक

6895. **श्री निहार लास्कर** :
श्री बी० वी० नायक :

क्या : **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या मई, 1972 केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक हुई थी।

(ग) यदि हां, तो उसमें किन बातों की चर्चा की गई थी और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(घ) इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भूमि नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, बिचौलिए पट्टेदारों की समाप्ति उचित लगान के निर्धारण सहित पट्टेदारी प्रणाली में सुधार, पट्टेदारों के लिये पट्टे की सुरक्षा, भूमि जोतों की सीमा और जोतों की चकबन्दी के मुख्य उपायों की सिफारिश की गई थी।

बिचौलिये पट्टेदारों को लगभग समाप्त कर दिया गया है, इस प्रकार 200 पट्टेदार राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में आ गये हैं और खेती योग्य परती भूमि के विस्तृत क्षेत्र राज्य सरकार को उपलब्ध हो गये हैं जोकि भूमिहीन कृषकों को वितरित कर दिये गये हैं।

अधिकतर राज्यों में लगान को नियमित करने की व्यवस्था को अपना लिया गया है। असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश के तेलागना क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का पुराना हिमाचल क्षेत्र, मनीपुर, त्रिपुरा, गोवा और दादरा और नागर हवेली में अधिकतर लगान कुल उत्पादन या कम का 1/4 नियत कर दिया गया है।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों ने पट्टेदारी की सुरक्षा व्यवस्था को अपना लिया है। विभिन्न राज्यों में पट्टेदारों को राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में लाने के लिए और उनको स्वामित्व प्राप्त करने में समर्थ बनाने की व्यवस्था का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप 30 लाख पट्टेदारों और बटाइदारों को लगभग 30 लाख हेक्टार भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया है।

समस्त राज्यों में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाने के बावजूद इस क्षेत्र में कम सफलता प्राप्त हुई है। केवल 10 लाख हेक्टर भूमि या तो अधिशेष घोषित की गई है या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है।

बिहार, गुजरात, हरियाणा, काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था कर दी गई है। हरियाणा और पंजाब में जोतों की चकबन्दी पूर्ण हो गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उचित प्रगति हुई है। वर्ष 1968–69 के अन्त तक 33,951,000 हेक्टर क्षेत्र की चकबन्दी हो गई थी। वर्ष 1973–74 के अन्त तक 44,769,000 हेक्टर क्षेत्र प्राप्त होने की आशा है।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने 8 और 9 मई को इस बात पर विचार किया था कि क्या बारहमासी सिंचित भूमि या निजी संसाधनों से दो फसलों के लिए सिंचाई प्राप्त करने की ऐसी भूमि के साथ बराबरी होनी चाहिऐ जिसको सरकारी संसाधानों से सिंचाई होती है। यह तय किया गया कि नीति विषयक मामलों पर मुख्य मन्त्रियों से परामर्श करने के पश्चात निर्णय लिया जाना चाहिये। अन्य नीति-विषयक मामले जिन पर विचार किया गया वे अधिकतम सीमा प्रयोग के उद्देश्यों के लिए परिवार शब्द की परिभाषा, अधिकतम सीमा कानून को पिछली तारीख से लागू करने, भविष्य में अधिग्रहण के लिए अधिकतम सीमा के स्तर; भूमि की आय, अधिशेषण भूमि के वितरण के लिए अग्रियता के क्रम, अधिकतम सीमा के उद्देश्यों के लिये देश भर की भूमि को शामिल करने और जोतों के विखण्डन से सम्बद्धित थे।

नेशनल बुक ट्रस्ट के पास पड़ी हुई बिना बिकी पुस्तक

6896. **श्री निहार लास्कर :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट के पास 50 लाख रुपये से ज्यादा के मूल्य की पुस्तकें बिना बिकी पड़ी हैं ;

(ख) वर्षों से स्टाक जमा हो जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) एक राज्य से 70,000 रु० के एक क्रयादेश को खो देने के क्या कारण हैं., और

(घ) जमा हो गये स्टाक की बिक्री करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नवीनतम आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के भडार में बिक्री के लिये लगभग 38 लाख रुपए की पुस्तकें हैं।

(ख) भंडार में पुस्तकें संचय होने का मुख्य कारण पिछले दो तीन वर्षों में न्यास की, प्रकाशन-कार्य में तेजी से वृद्धि का होना है। सामान्यतया एक संस्करण की बिक्री होने में लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। लगभग 25 हिन्दी की तथा 29 अंग्रेजी की सारी पुस्तकें बेची गई हैं।

(ग) न्यास द्वारा किसी भी राज्य का 70,000 रु० का कोई क्रयादेश नहीं खोया गया है। इसके विपरीत, राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सभी क्रयादेशों को तत्काल पूरा कर दिया है, किन्तु 3,600 रु० के मूल्य की पांच हिन्दी पुस्तकों के लिये जो अप्राप्य थी, तथा जिन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले मुहैया किया जाना था उससे सम्बंधित 30 मार्च 1972 को प्राप्त क्रयादेश पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) हाल ही में न्यास ने अपनी बिक्री यूनिट का पुनर्गठन किया है तथा कुछ विख्यात वितरकों के साथ अनुबंध भी किया है जिन्होंने न्यास की पुस्तकों के सभी संस्करणों को पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर ही बेचने का वचन दिया है। पिछले चार वर्षों के बिक्री आंकड़े निम्न-निम्नलिखित हैं:—

1968–69	1,00,357·31
1969–70	3,20,598·08
1970–71	5,69,280·00
1971–72	11,00,000·00 (लगभग)

Request for More Tractors From M. P. During 1972-1973

6897. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to allot more tractors to the State during 1972-73; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Minitry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b) : No request as such has been received from the Government of Madhya Pradesh for allotment of more tractors to the State during 1972-73. However, tractors will be allotted

to the State after the programme for the import of tractors is finalise by the Government of India.

Drinking Water Facilities in Urban and Rural Areas of Madhya Pradesh

6898. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the amount given for providing drinking water facilities in rural and urban areas in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan and the amount spent by the State ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof D. P. Chattopadhyaya) : During the Fourth Five Year Plan, an allocation of Rs. 19 0 lakhs has been made for the Government of Madhya Pradesh for their water supply schemes. Out of this amount, Rs. 800 lakhs has been earmarked for rural water supply schemes. The amount spent by the State Government on water supply schemes is being ascertained and the information will be laid on the Table of the Sabha when received.

Request For Central Assistance for Development of Gardens in M.P.

6899. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the work relating to the development of gardens in Madhya Pradesh is lagging behind;

(b) if so, whether the State Government have demanded any assistance from the Central Government or Horticultural Council for executing the development work; and

(c) if so, the main features thereof and reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Financial Assistance to Art and Cultural Organisations in Madhya Pradesh

6900. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased of state :

(a) whether Government have any programme to give financial assistance to Art and Cultural Organisations in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the names of such Organisations in Madhya Pradesh and the amount of assistance received by them during 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) There is no scheme under which financial assistance is given exclusively to Art and Cultural Organisations in Madhya Pradesh. However, there are a few schemes in the Department of Culture and two National Akademies viz., Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi under which financial assistance is given to Art and Cultural Organisations throughout the country.

(b) During the financial year 1970-71, the following grants were released to Art and Cultural Organisations in Madhya Pradesh :

Scheme for Building Grants to Voluntary Cultural Organisations :—

(1)	Rama Krishna Mission Ashram, Raipur.	Rs. 21,050/—
(2)	Artists Combire, Gwalior.	2,000/—

Sangeet Natak Akademi's Scheme of grant-in-aid to cultural Institutions working in the field of Music, Dance & Drama :—

(1)	Ranga Sri Little Ballet Troupe, Gwalior,	Rs. 30,000/—
(2)	Artists Combine, Gwalior.	5,000/—
(3)	Shanker Gandharva Mahavidyalaya, Gwalior.	3,000/—
(4)	Bharatiya Sangeet Mahavidyalaya, Gwalior.	2,000/—

Lalit Kala Akademi's Scheme for Financial Assistance to the State Akademies and the Recognised Art Organisations :—

(1)	M. P. Kala Parishad, Bhopal.	5,000/—
(2)	Mahakoshal Kala Parishad, Raipur.	3,000/—
(3)	Lalit Kala Kendra, Gwalior.	2,000/—

Central Government Grants to Public Schools in Madhya Pradesh

6901. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education & Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Central Government have given grants to the Public Schools under the Ministry of Education in Madhya Pradesh and if so, the amount of grant given to them during the last three years, yearwise; and

(b) the criteria adopted for giving this grant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) ; (a) No grants have been given to Public Schools in Madhya Pradesh during the last three years.

(b) Does not arise.

Posts Advertised by M.H.U.

6902. **Shri Awdhesh Chandra Singh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether changes have been made in the advertisements for various posts made by the Banaras Hindu University in between the period from July, 1969 to-date; and

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor ?

The Minister of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : According to the information furnished by the University minor changes were made in advertisements for about 60 posts of Professors, Readers and Lecturers. These changes were necessitated on account of needs of the various departments.

विर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू की खेती

6903 **श्री राज देव सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरम मिट्टी क्षेत्र में विर्जीनिया फ्लू क्योर्ड तम्बाकू के विकास के लिए केन्द्र कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत अभी हाल में समाप्त हुए मौसम में 23,000 हैक्टार क्षेत्र में खेती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या वर्ष 1971–72 के दौरान देश में उत्पादित कुल विजीनिया तम्बाकू में से 16 प्रतिशत तम्बाकू नरम मिट्टी में पैदा की गई थी; और

(घ) क्या बिक्री की समस्या से मुसीबत में फंसे तम्बाकू उत्पादकों को मुक्त करने के लिए तम्बाकू की योजनाबद्ध खेती की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। विजीनिया फ्लू क्यौर्ड तम्बाकू के विकास के लिए केन्द्रीय परयोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के दौरान 22,309 हैक्टार क्षेत्र को खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में लगभग 167·60 लाख किलो ग्राम तम्बाकू का उत्पादन हुआ था। यह योजना हस्कै मृता क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और इन क्षेत्रों से उत्तम किस्म के तम्बाकू का उत्पादन हुआ है।

(ग) चालू वर्ष के लिए तम्बाकू के उत्पादन अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के उत्पादन की फ्लू क्यौर्ड विजीनिया के कुल उत्पादन से तुलना करना सम्भव नहीं है।

(घ) अपेक्षित किस्म के तम्बाकू के उत्पादन के लिये योजना बनाई जा रही है और सलाह और प्रचार द्वारा अनुपयुक्त क्षेत्रों में तम्बाकू की कृषि को निरुत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में उत्पादकों के पास अविक्रीत तम्बाकू की बिक्री के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रबन्ध किया गया है, जिसने कि उत्पादकों से 93 लाख किलो-ग्राम तम्बाकू की खरीद की है।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्रों को दी गई सुविधायें

6904. **श्री राजदेव सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निष्कासित छात्रों को बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने होस्टल आवास, वित्तीय सहायता और अन्य, सुविधायें उपलब्ध की थी, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) ; सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना में बिक्री सहायक का वेतनमान

6905. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के सारे दिन चालू रहने वाले दुग्ध स्टालों में 'मेट' के पद की अपेक्षा बिक्री सहायक के पद पर अधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि बिक्री सहायकों को रोकड़ आदि भी संभालनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो 'मेट' और बिक्री सहायक के वेतनमान समान रखने का क्या कारण है; यद्यपि 'मेट' को केवल श्रमिक के रूप में ही काम करना पड़ता है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री सहायकों के वेतनमान में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। बिक्री सहायक के पद की जिम्मेदारियां मेट के पद की जिम्मेदारियों से अधिक नहीं। बिक्री सहायक को नगदी सभालनी नहीं पड़ती है।

(ख), से (घ) : दोनों श्रेणियों के वेतनमान समान हैं। भर्ती नियमों में विहित शैक्षिक योग्यतायें भी दोनों की समान हैं। बिक्री सहायक समस्त दिन भर खुले रहने वाले दुग्ध केन्द्रों में कार्य ~रते हैं जहां उनकी डयूटी केन्द्रों के मैनेजरों की सहायता करना और काउन्टर पर कार्य करना है। दिल्ली दुग्ध योजना में बिक्री सहायकों की अपेक्षा बहुत से मेटों की ड्यूटी अधिक कठिन होती है। अत: बिक्री सहायकों के वेतनमानों में संशोधन करने एवं उनको मेटों के वेतनभानों से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी मध्य प्रदेश में छोटे किसान विकास एजेन्सी परियोजनायें

6906. **रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसान विकास एजेंसी के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जिलों जैसे रीवां, सिधी का भी ध्यान रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1970–71 की अन्तिम छमाही में उनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास एजेंसी योजना के अन्तर्गत चुने गये जिले (i) छिंदवाड़ा (ii) रतलाम-उज्जैन और (iii) बिलासपुर हैं और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की एजेन्सी के अन्तर्गत चुने गये जिले (i) दुर्ग और (ii) रायसेन-सिहोर हैं। रेवा और सीधो को इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। जिलों का चुनाव राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

(ख) चतुर्थ योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक लघु कृषक विकास एजेंसी के लिए 1·5 करोड़ रुपए की राशि और प्रत्येक सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि नियुक्त किये जाने की आशा है;

(ग) दुर्ग और सिहोर रायसेन के लिये दो सीमान्त कृषक और श्रमिक परियोजोनायें नवम्बर, 1970-71 के उत्तरार्द्ध में स्वीकृत की गई थीं।

मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को दिया गया ऋण

6907. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में छोटे किसानों को अल्प, मध्यम तथा दीर्घ अवधि के लिये कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) इस ऋण से उन किसानों को क्या सहायता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) एजेन्सियों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश की लघु कृषक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे किसानों को 30 जून, 1971 तक निम्नलिखित ऋण वितरित किया गया है:—

(रुपये लाखों में)

लघु कृषक विकास एजेंसी	अल्पावधि	मध्यावधि	दीर्घावधि
1– विलासपुर	21.61	2.55	5.62
2– छिंदवाड़ा	16.03	2.77	3.94
3– रतलाम–उज्जैन	32.74	उपलब्ध नहीं	6.03

दुर्ग और रायसेन–सिहोर की सीमान्त कृषक विकास एजेन्सियां क्रमश: 3–2-1971 और 5–3–1971 को पंजीकृत की गई थी और वे 30 जून 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भागीदारों के निर्धारण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य में लगी रहीं।

(ख) अल्पावधि ऋण मौसमी कृषि कार्यों के लिये जारी किये गये थे जबकि मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण विनियोजन उद्देश्यों के लिये जारी किये गये थे। आवधिक ऋण सहायता से लाभानुभागियों को 30 जून 1971 तक 900 खुदाई के कुओं और 180 मोटर/पम्प सैटों के कार्यों में सहायता प्राप्त हुई।

अहमदाबाद में आयोजित किया गया उपकुलपति सम्मेलन

6908. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री० सी० टी० दण्डपाणि :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1972 को अहमदाबाद में उपकुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था., और

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के बारे में बातचीत के लिये बैठकें

6909. **श्री विजयपाल सिंह** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने कर्मचारी महासंघ के वाइस-चेयरमैन को सूचित किया था कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल के सेवा में बात-चीत के लिये बैठकें होती रहेंगी और आगामी बैठक की तारीख तथा समय के बारे में शीघ्र ही बताया जायेगा ., और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने कोई अग्रेत्तर बातचीत की थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां । ये बैठकें, शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत करने के लिये नहीं थीं बल्कि खपाने से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों की जांच करने के लिये थीं कि उनमें ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी जो संतोषजनक न हों; ताकि उन शर्तों पर राज्य सरकारों से बातचीत करने के लिये विचार किया जाए ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल में काम कर रहे परिवीक्षक कर्मचारी

6910. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल में कुल कितने परिवीक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रत्येक राज्य में परिवीक्षण और अनुदेशक कर्मचारियों का अनुपात क्या है और परिवीक्षण कर्मचारियों को क्या क्या काम दिये गये है ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पर्यवेक्षकीय फिल्ड कर्मचारियों ने, क्षेत्रीय निदेशक वरिष्ठ पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक ग्रेड I और II के वरिष्ठ रा० अनु० यो० अनुदेशक के वर्ग शामिल हैं । इन वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या अप्रैल, 1972 को 374 थी । उनमें के ग्रेड II के 219 वरिष्ठ रा० अनु० यो० अनुदेशकों को अनुदेशात्मक कर्तव्यो पर लगाया गया था ।

2. उपर्युक्त पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के रूप में वार्षिक खर्च, लगभग 18,87,000 रु० है । इसमें वेतन महगाई, वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता, जहां कहीं अनुमत्य हो शामिल है, किन्तु इसमें बाल शिक्षा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विशेष भत्ते, यात्रा तथा दैनिक भत्ता आदि जैसे अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं । क्षेत्रीय कार्यालयों में भी, पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों के लिए इन भत्तों के अलग से आँकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

3. विभिन्न राज्यों के बीच पर्यवेक्षकीय तथा अनुदेशात्मक कर्मचारियों का वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3019/72**]

4. जब राष्ट्रीय अनुशासन योजना पूर्णरूपेण केन्द्रीय प्रबन्धित कार्यक्रम के रूप में प्रचलित थी, तब पर्यवेक्षीय कर्मचारी स्कूलों में रा० अनु० यो० के अनुदेशकों के कार्य का पर्यवेक्षीण पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित तथा रा० अनु० यो० प्रदर्शन आयोजित करना जैसे प्रशासकीय तथा फील्ड पर्यवेक्षीय कार्य कर रहे थे । 1965 में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के समेकित कार्यक्रम की स्वीकृति और अनुदेशात्मक

कर्मचारियों का राज्यों में तबादला करने के निर्णय के साथ-साथ, यह भी निर्णय किया गया था कि समेकित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के पर्यवेक्षीय कार्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार केवल राज्य स्तर पर सम्पर्क, नमूने की जांच पड़ताल, मूल्यांकन आदि की जिम्मेदार होगी। उस समय यह भी निर्णय किया गया था कि ग्रेड II के वरिष्ठ रा० अनु० मो० अनुदेशकों को अनुदेशात्मक कर्मचारियों के रूप में खपाना चाहिए, सिवाय उनको छोड़कर जो पर्यवेक्षीय कर्तव्यों के लिए वास्तव में सक्षम हों तथा अर्हक हो। ऐसे सक्षम तथा अर्हक कर्मचारियों को पर्यवेक्षक ढांचे में खपाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों को राज्यों को स्थानांतरित करने के लिए पृष्टभूमि तैयार करने के हेतु अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों में से अधिकांश की उनके अपने अपने राज्यों में तबादला कर दिया गया था और ग्रेड-II के वरिष्ठ रा० अनु० यो० अनुदेशको में से एक बड़ी संख्या को अनुदेशात्मक कार्य सौंपा गया था। क्योंकि अनुदेशात्मक कर्मचारियों का अब तक राज्यों में औपचारिक रूप से तबादला नहीं किया जा सका है, इसलिए राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पर्यवेक्षीय कर्मचारी स्कूलों के अनुदेशात्मक कर्मचारियों के कार्य के पर्यवेक्षण और अनुदेशात्मक कर्मचारियों के सम्पर्क, जांच पड़ताल, मूल्यांकन और प्रशासन और गृह व्यवस्था जैसे कर्तव्यों में राज्यों की अब सहायता करते हैं।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन में वरिष्ठ परिवीक्षकों के पद

6911. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थना दल संस्थान में मंत्रालय की सहमति के बिना बन्द हुए प्रशिक्षण केन्द्रों से वरिष्ठ परिवीक्षकों के पांच पदों को क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इन वरिष्ठ परिवीक्षकों को किस किस काम पर लगाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के महानिदेशक द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के पांच पदों को उन पदों के पद धारियों सहित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के महानिदेशक पदों को एक स्थान से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम अधिकारी थे, किन्तु प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के बन्द हो जाने के बाद, इन पाँच पदों को क्षेत्रों में जारी रखने के लिए उन्होंने मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन के लिए कर्मचारियों की सेवा जारी रखने के बाद की स्वीकृति जारी करते समय सरकार द्वारा यह तवाला नोट किया गया।

(ग) इन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को उस समय सोपा गया मुख्य कार्यभार, राज्य प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना तथा भारत सरकार द्वारा ऐसे स्थानांतरण के लिए उस समय निर्धारित

तारीख तक राज्यों में कार्य कर रहे अनुदेशकों के नियंत्रण को राज्य सरकारों को स्थानाँतरित करने के कार्य को पूरा करना था । बाद में, अनुदेशकों को राज्यों में स्थानांतरित करने की वास्तविक तारीख के बारे में भारत सरकार के अन्तिम निर्णय होने तक, ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता करते रहे हैं ।

कीटनाशक अवशिष्टों के सड़ जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय पौधा संरक्षण संस्थान हैदराबाद द्वारा परीक्षण

6912. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा विभिन्न खाद्य-पदार्थों पर किये गये परीक्षणों से उनमें कीट नाशक अवशिष्टों के सड़ जाने का पता चला है ;

(ख) परीक्षण किये गये विभिन्न खाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी मुख्य बातें पता चली हैं ; और

(ग) ऐसी मिलावट रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) हैदराबाद स्थित केन्द्रीय वनस्पति रक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने, आरगनोक्लोराइन कीटनाशी औषधियों के अवशिष्टों की विद्यमानता का निर्धारण करने की दृष्टि से हैदराबाद तथा उसके आसपास से लिये गये खाद्य पदार्थों में 500 नमूनों के विश्लेषण द्वारा एक लघु सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसी ऐसी कीटनाशी औषधियों के उपयोग को उचित मात्रा और उचित समय का पता लगाना था जिससे कि कीटनाशी औषधियों के उपयोग जोखिम को कम किया जा सके । खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों, दूध, अण्डों और मांस के 500 नमूनों में से 255 आरगनोक्लोराइन कीटनाशी औषधियों के अवशिष्टों से युक्त पाये गये ।

(ख) विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से लिये गये नमूनों और अवशिष्टों से युक्त पाये गये नमूनों व्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है । इस लघु नमूना सर्वेक्षण ने खाद्यान्नों में अवशिष्टों में अधिक विस्तृत अध्ययन को आवश्यकता पर बल दिया है ।

(ग) स्वास्थय विभाग ने विभिन्न खाद्यान्नों में कृमि नाशक औषधियों के अवशिष्टों की सहिष्णुता सीमायें नियत करने का कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया हैं । खाद्यान्नों के लिए ऐसी सहिष्णुता सीमायें 11 कृमि नाशक औषधियों के सम्बन्ध में पहले ही नियत कर दी गई हैं । इस बीच अगस्त 1971 से कीटनाशी औषधि अधिनियम के लागू होने से अधिक विषाक्त और/या अधिक स्थायी प्रभाव वाली कृषि नाशक औषधियों का उपयोग विनियमित, कम तथा जहाँ आवश्यक हो पूर्णत: धीरे धीरे समाप्त हो जाने की आशा है ।

विवरण

हैदराबाद स्थित केन्द्रीय वनस्पति रक्षण प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न खाद्यान्नों में

आरग्नोक्लोराइन कीटनाशक औषधियों के अवशिष्टों की जांच के परिणामों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

क्रम संख्या	खाद्य पदार्थ का नाम	जांचे गये	अवशिष्ट सहित नमूनों की संख्या
1.	खाद्यान्न और खाद्यान्न उत्पाद	107	48
2.	अण्डे	17	10
3.	मछली	2	1
4.	मांस	18	5
5.	दूध	10	7
6.	तेल (वनस्पति)	5	1
7.	दालें	25	8
8.	शाक शब्जियां		
	(क) पत्तेदार	23	12
	(ख) स्टार्चयुक्त	91	62
	(ग) अन्य	202	101
		500	255

आन्ध्र प्रदेश में शहरों में गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी योजना

6913. क्या **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सहायता के लिये गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी तीस योजनायें भेजी हैं।

(ख) यदि हां, उन नगरीय केन्द्रों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक केन्द्र की योजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इन योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 30 नगर पालिकाओं की गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार से शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये के अनुदान के लिये अनुरोध किया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि नई केन्द्रीय योजना के अधीन केवल हैदराबाद शहर ही सहायता दिये जाने का पात्र है। 3 गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिये हैदराबाद नगर निगम से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

38,42,100 रुपये की कुल अनुमानित लागत पर मंजूर किये गये हैं तथा 9,63,000 रु० की राशि प्रथम किस्त के रूप में दे दी गई है।

ग्राम उत्पादन केन्द्र में शीतागार एककों की स्थापना

6914. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम उत्पादन केन्द्र में शीतागार एककों की स्थापना करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा ही एक एकक चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश में स्थापित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारत सरकार द्वारा देश में ग्राम उत्पादन केन्द्रों के शीतागार एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों से पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंजीनियरिंग स्नातकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण

6915. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : **(क) और** (ख) जी, हां। लाभकर रोजगार के लिए इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को पर्याप्त व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के हेतु उद्योग में व्यवहारिक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकार के तकनीकी विभागों और अन्य संगठनों में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ऊपर प्रशिक्षण स्थानों का प्रबन्ध किया जाता है और बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में स्थापित क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों द्वारा प्रशिक्षण के लिए नये इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों का चयन किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने है और प्रत्येक स्नातक प्रशिक्षार्थी को प्रति मास 150/– रुपये का वजीफा दिया जाता है। बोर्डों के अधिकारियों द्वारा उद्योग के परामर्श से प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। बोर्ड के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित किये जा रहे हैं, समय समय पर प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा करते हैं।

हृदय पर दूध के प्रभाव के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य

6916. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार निजोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन के एक डाक्टर द्वारा 9 अप्रैल, 1972 को किये गये विवेचन के अनुसार दूध जहां हड्डियों के लिये लाभप्रद है वहां हृदय के लिए हानिकारक है ;

(ख) क्या भारत में इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : **(क) से (ग)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी उत्पादन के लिये छोटे संयंत्रों की स्थापना तथा गन्ने की सप्लाई पर इसका प्रभाव

6917. **श्री बी० वी नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चीनी उत्पादन के लिये छोटे संयंत्रों की स्थापना करने के सुझाव दिये गये हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप गन्ने की सप्लाई की स्थिति के और अधिक बिगड़ने की आशंका है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। लाइसेंस देने की उदार नीति के अनुसार एक करोड़ रुपये तक की स्थायी परिसम्पत्ति वाला कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान बिना औद्योगिक लाइसेंस लिए स्थापित किया जा सकता है लेकिन सरकार की अधिसूचना दिनांक 19–2–72 में उल्लिखित कुछेक शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है। इस व्यवस्था के अधीन छोटी तथा मध्यम आकार की सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के पंजीकरण जो कि महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जानी हैं, के प्रस्ताव प्राप्त हुए और अब तक ऐसे केवल चार यूनिट पंजीकृत किए गए है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rules of Allotment of Land to Institutions in Delhi

6918. **Shri M. C. Daga :**
Shri S. M. Siddayya :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The names of various Institutions, which have been allotted land in 1971 in Delhi indicating the acreage of land allotted to them and the terms and conditions on which they have been allotted land and whether statement in this regard would be laid on the Table of the House;

(b) whether Government have framed separate rules for allotment of land to Institutions and if so, the main features thereof; and

(c) the total value of land allotted to institutions in 19 1 ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujaral) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The following are the main features of the Government policy for allotment of land :

(i) Allotment is made to such institutions as are registered under the Societies Registration Act, 1860, and are of non-profit making character;

(ii) Allotment is made at pre-determined rates;

(iii) The allottee-institution is required to complete the construction of its building within a period of two years from the date on which the land is handed over to the institution; and

(iv) In case of dissolution of the allottee-institution, the land is to be transferred to a registered body with similar aims and objects and, failing that, it reverts to Government.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Extinction of Bird Species

6919. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the caption. Three Indian bird species extinct, many on way, in the "Hindustan Times" dated the 26th April, 1972; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The report appearing in the Hindustan Times dated the 26th April, 1972 is based on the report of the Working Group on Conservation submitted to the National Committee on Environmental Planning & Coordination.

(b) The endangered species are already declared protected They are banned for export. Attempts are being made to undertake captive breeding of the endangered birds in Zoo. Action is being taken to tighten the legislation for wild life protection.

त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन

6920 **श्री दशरथ देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगारी का उन्मूलन करने संबंधी योजना त्रिपुरा राज्य में चालू हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा राज्य में प्रत्येक ब्लाक, विशेषतः विकास खण्डों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनके काम की अवधि प्रत्येक योजना में अलग-अलग है। पैदा किए जाने वाले रोजगार का ब्यौरा श्रमदिनों के रूप में एकत्र किया जाता है। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी, 1972 के अंत तक कुल 91,130 श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया है। चूंकि ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन के लिए जिले को उचित इकाई के रूप में लिया जाता है, अत: अलग-अलग खण्डों में पैदा किए जाने वाले रोजगार का ब्यौरा एकत्र नहीं किया जाता है।

त्रिपुरा में आरम्भ किया गया समाज कल्याण कार्यक्रम

6921. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में आरम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रम की गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य रुपरेखा क्या है; और

(ख) अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता की गई तथा इस उद्देश्य के लिये वास्तविक रूप में कितनी राशि का उपयोग किया गया और किस सीमा तक लक्ष्यों की उपलब्धी हुई।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल स्थित सेंट्रल ईंस्टीट्यूट आफ फिसरीज आपरेटिव्ज का उचित कार्यकरण

6922. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थति सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज में प्रशिक्षण देने वाले योग्य कर्मचारियों का अभाव है और इस संस्थान के परीक्षार्थियों में अत्याधिक अनुशासन हीनता पाई जाती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उचित कार्यकरण सुनिश्चित कराने के लिए उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव न पड़े ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) संस्थान में अध्यापन के सोलह पद हैं जिसमें से बारह राजपत्रित ग्रेड में से तीन पद खाली हैं। कर्मचारों को अर्हताओं के आधार पर नियुक्त किया जाता है और कुछ राजपत्रित पद संघ लोक सेवा आयोग की मफित भरे जाते हैं। संस्थान के प्रशिक्षणर्थियों में अभद्र व्यवहार का कोई मामला नहीं हुआ है। जिससे अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की आवश्यकता हो

(ख) तीन रिक्त पदों को भरने के लिये कार्यवाही की गई है। तीनों रिक्त पद संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिये गए हैं। एक पद के लिए नामांकन प्राप्त हो गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों के कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत

6923. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विभिन्न संस्थानों, जैसे केन्द्रीय सँस्थान, प्रदेशीय संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यो के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाया जाना आवश्यक है जिससे कार्यों की पुनरावृत्ति न हो तथा कोई कार्य छूटे नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) विभिन्न एजेसियों, जैसे केन्द्रीय सँस्थान राज्य संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। राष्ट्रीय कृषि आयोग भी उपरोक्त प्रश्न पर विचार कर रहा है और आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो और मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का निरूपण किया जायेगा।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान सुधार परियोजना के अन्तर्गत संचालित अखिल भारतीय कृषि अनुसन्धान कर्मचारियों की कर्मशालायें राज्य अनुसन्धान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय संस्थानों के अनुसन्धान प्रयासों के पुनरीक्षण के लिये गोष्ठी का कार्य करती हैं और इस प्रकार अनुसन्धान कार्यों की पुनरावृत्ति को रोका जाता है।

नई दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले के प्रबन्ध के बारे में विदेशी शिष्टमण्डलों की प्रतिक्रिया

6924. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में 18 मार्च, 1972 से आरम्भ होने वाले विश्व पुस्तक मेले के दौरान जो विदेशी शिष्ट मंडल भारत आये थे उनकी मेले में किए गए प्रबन्धों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा भारत में प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेता संघों के महासंघ और भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्रों से यह पता चलता है कि पुस्तक मेले के लिए किये गये प्रबन्धों की आमतौर पर सराहना की गई थी। कुछ ऐसे प्रख्यात प्रतिनिधियों के पत्रों के उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिन्होंने इस मेले में भाग लिया था।

1. **डा० सिगफ्रेडटाउबर्ट, निर्देशक, फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, फ्रैंकफर्ट** : मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को विश्व पुस्तक मेले तथा सेमिनार के अद्भुत तथा सफल आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। अपनी अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के साथ इन दोनों बातों ने अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष 1972 के भावों को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाले सभी विदेशी तथा अन्य अतिथि ऐसी ही सन्तोषजनक तथा कृतज्ञता की भावना से स्वदेश लौटे होंगे जिस भावना के साथ मैं जा रहा हूं।

भारत के प्रकाशक महासंघ तथा पुस्तक विक्रेता संघ के सहयोग से आपकी संख्या ने आज की पुस्तकों के अनवरत प्रवाह के प्रति एक नवीन ऐतिहासिक कार्य किया है ।

डा० सिगफ्रेंड टाउबर्ट द्वारा श्री जुलियन बेरस्टोक युनेस्कों को लिखे गए पत्र के अनुसार : मैं; आपको यह बताना चाहूंगा कि बुक्स फार दी मिलयिन्स सेमिनार बहुत ही दिलचस्प रहा । हमारे भारतीय साथियों ने इस मेले को सफल बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष 1972 की मूल भावनाओं को व्यक्त करने का वातावरण उत्पन्न करने का अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया ।

2. **डा० गोजी वोयथ:, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग ब्यूरों होगरायस पोरल के उप प्रधान बुडापेस्ट (हंगरी)** : भारत के अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के इतने उत्कृष्ट आयोजन के लिये अपने ब्यूरों की ओर से महान आभार प्रकट करते हुये मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है । इस मेले का आयोजन बहुत उत्कृष्ट सफलता के साथ किए जाने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पुस्तकों की इतनी लोक-प्रियता के हेतु भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की सफलता के लिये मंगल कामना करता हूं ।

3. **श्री जे० ए० कुटचोमो, महा सचिव, संघीय अन्तर्राष्ट्रीय डेस इडिटेयुरस, जेनेवा** : विश्व पुस्तक मेले का आयोजन आगामी वर्षों में भी बार बार होना चाहिए । यह दूसरी बात है कि यह प्रति वर्ष हो या दो वर्षों में एक बार, जिस पर आपको शीघ्र निर्णय लेना होगा ।

4. **श्री एन० महमूद, ग्रीन बुक हाउस लि० ढाका** : विश्व पुस्तक मेले के सिलसिले में जब मैं नई दिल्ली ठहरा हुआ था, जो मेरा शिष्टपूर्वक स्वागत किया गया उसके लिए मैं अत्यंत आभार करता हुआ यह व्यक्तिगत नोट भेज रहा हूं । यह पुस्तक मेला वास्तव में बहुत सफल रहा ।

5. **श्री जान इज़ाफ मैं वग्रा हिल, सिंगापुर** : बहुत प्रेरणात्मक मेला ।

6. **श्री एम० ए० किल्टगार्ड, पुस्तक निकाय में विशेषज्ञ, यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र, कराची (पाकिस्तान)** : पुस्तक मेले और अन्य घटनाओं की सफलता पर मैं आपको बधाई देता हूं । मेला सुनिआयोजित था और देखने वालों की संख्या अच्छी थी । मैं सेमिलर और बैठकों से बहुत प्रभावित हुआ । इससे प्रतीत होता कि भारत के पास ऐसी बहुत सी प्रतिमायें हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है । मुझे विश्वास है कि नई दिल्ली एक परिणामों से पुस्तक जगत में कार्य–शीलता का सूत्रपात होगा ।

7. **श्री ज्युरजेन ग्रुनर, बर्लांग वोल्क उड वेल्ट कुल्टुर उड फोर्ट फोर्टस्चरिट्ट, 108 वलर्न, गल्निकास्ट्रासे 13-15** : दिल्ली की मेरी मनोरंजक यात्रा से अब वापस आने पर अपने पेशेवर सहयोगी संस्करण सेइपज़िग के श्री फ्रिट ज वेकर की ओर से भी मैं आपके स्वागत और सत्कार के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं । विश्व पुस्तक मेले का भ्रमण और पुस्तक मेले के दौरान प्रशासकों और लेखको की बैठकों मेरे लिए अत्यधिक उपयोगी और आनन्ददायक थी ।

8 **एच० वी० चिवुता, सचिव केनेथ कौडा फाउंडेशन, लुसाका (जाम्बिया)** : कुल मिला-कर "बुक्स फार दी मिलियन्स" पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और विशेषकर विश्व पुस्तक मेला निस्संदेह बहुत सफल रहा ।

9. जाम्बिया लुसाखा में भारत के उच्चायुक्त ने यह सूचित किया है कि विश्व पुस्तक मेले के संबंध में अपनी अनुकूल राय देने के हेतु विश्व पुस्तक मेले में जाम्बिया के प्रतिनिधि श्री रोगर मजूला ने टेलिविजन कार्यक्रम में विचार व्यक्त किये।

मंत्रियों के पास बंगले

6925. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 31 मार्च, 1972 तक विभिन्न मंत्री जिन बंगलों में रह रहे थे, उनकी और उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल की एक पूर्ण सूची सभा पटल पर रखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बंगले का वास्तविक वाणिज्यिक किराया और उसमें रह रहे मंत्री का नाम और विभाग क्या हैं ; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1971-72 में प्रत्येक मंत्री ने बंगले के नवीकरण और उसके रख-रखाव पर जो राशि खर्च की है उसके बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई के गुजराल) : **(क) तथा (ख)** ; सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

मंत्रियों के कार्यालयों और निवासों पर बिजली की फिटिंग पर खर्च

6926. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 में मंत्रियों के कार्यालयों और निवासों पर बिजली की फिटिंग और उसको बदलने पर कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलनात्मक अवधि में मंत्रीवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आई के गुजराल) : **(क) तथा (ख)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Amount Paid as Royalty to Foreign Authors of Books Prescribed by Education Ministry

6927. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister **of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount paid by the Ministry of Education, Government of India to foreign authors as royalty for their books prescribed by the Education Department, Government of India during the last three years;

(b) the efforts made to curtail the amount of royalty for books paid to foreign authors; and

(c) Government's views for stopping payment of the royalty altogether ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The question does not arise as the Government of India do not themselves prescribe any text-books.

(b) In regard to translation licences needed by the Central & State Governments in respect of standard books from U.K. & U.S.A., the Government of India have negotiated

model contracts with the foreign publishers concerned, as a result of which the royalty rates agreed upon are nominal and are subject to local currency regulations.

(c) As India is a signatory to the International Copyright Convcations the royalty payments cannot be stopped altogether.

Acreage of Land Irrigated in Rajasthan with Aid of Power

6928. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of land irrigated in Rajasthan with the aid of power as also the acreage of such land in Udaipur District; and

(b) the steps taken to irrigate the remaining land with the aid of power ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Skri Jagannath Pahadia): (a) Separate statistics of area irrigated with electrical pumpsets is not maintained.

(b) The steps taken to increase the area irrigated from electrical pumpsets include:—

(i) Giving priority to allocation of funds for Rural Electrification in the state plan.

(ii) Mobolising additional finances for energising pumpsets from institutional agencies including Central Rural Electrification Corporation.

(iii) Adopting cluster approach for preparing schemes for ground water pumping to facilitate extension of power lines.

Progress in Intensive Farming

6929. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to intensive farming from 1970 to 1972;

(b) the progress made in this regard, State-wise; and

(c) the names of the States where it has proved unsuccessful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) : The intensive agricultural programmes like the high-yielding varieties and multiple cropping have generally succeeded well in all the States and Union Territories, where they have been taken up. A total area of 11.41 million hectares was covered under the High-Yielding Varieties Programme during 1969-70 and the coverage in 1970-71 and 1971-72 is estimated at 15.38 and 17.94 million hectares, respectively. Similarly, 2.03 million hectares of additional area were brought under multiple cropping during 1969-70 and the additional coverage in 1970-71 and 1971-72 is estimated at 1.78 and 1.98 million hectares, respectively. The State-wise progress is indicated in Annexure I and II. **[Placed in Library. See No. L. T. 3020/72]** The performance varies. It is not possible, keeping the local conditions in view, to say in which States it has proved unsuccessful.

Amount Spent on Monuments Preserved by Archaeological Department

6930. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount spent by Government during the financial year 1971-72 on monuments preserved by the Archaeological Department; and

(b) the estimated amount to be spent under this head during the financial year 1972-73 ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) In the year 1971-72 an amount of Rs. 66,33,000/— was spent on the preservation of monuments by the Archaeological Survey of India.

(b) It is proposed to spend Rs. 68,60,000/— during the financial year 1972-73.

Amount Earned From Persons Visiting Red Fort Qutub, Minar and Zoological Park in Delhi

6931. **Shri Jagannath Rao Joshi ;**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the revenue earned by Government from persons visiting Red Fort, Qutab Minar and Zoological Park in Delhi during 1971-72; and

(b) the expenditure incurred by Government on the maintenance of the said places during the said period ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The revenue earned by Government from persons visiting Red Fort, Qutab Minar and Zoological Park in Delhi during 1971-72 is Rs. 3,85,131, Rs. 1,82,367 and Rs. 4,30,000 respectively.

(b) the expenditure incurred by Government during 1971-72 on the maintenance of Red Fort, Qutab Archaeological Area and Zoological Park is Rs. 2,02,967, Rs. 4,32,400 and Rs. 25,00,000 respectively.

समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के वरिष्ठ अधिकारी

6932. **श्री अनन्त प्रसाद धूसिया :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग सचिवालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने वरिष्ठ अधिकारी है :

(ख) समाज कल्याण विभाग सचिवालय में अन्य पिछड़ी जातियों के कितने वरिष्ठ अधिकारी हैं ; और

(ग) भविष्य में समाज कल्याण विभाग में पिछड़ी जातियों के और अधिक वरिष्ठ अधिकारी लाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) निम्नलिखित 3 संगठनों में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

1. **समाज कल्याण विभाग**

अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित—4

(1 उप सचिव तथा 3 अनुभाग अधिकारी)

2. **महानिदेशक, पिछड़े वर्ग कल्याण**

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित–5

(1 क्षेत्रीय निदेशक, 1 उप निदेशक, तथा 3 अनुसंधान अधिकारी)।

अनुसूचित आदिय जातियों से सम्बधित–2

(1 उप निदेशक 1 सहायक निदेशक)

3. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त**

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित–4

(1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का उप आयुक्त ; 1 अनुभाग अधिकारी तथा 2 अनुसंधान अधिकारी 1)।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं बनाई है। प्रत्येक राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी-अपनी सूची है; जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न होती है। केन्द्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) प्रवर पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय स्थापना बोर्ड के द्वारा भेजे गए नामों के पेनल पर विचार करते समय, अन्य बातों के बराबर होने पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली में अप्राधिकृत मकानों तथा प्लाटों का बेचा जाना

6933. **श्री नरसिंह नारायण पाँडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके दिल्ली में, विशेषतया पाण्डव नगर, उत्तम नगर और आजादपुर, कुतुब, ओखला और शंकरपुर आदि से आगे के गांवों में, अप्राधिकृत प्लाटा/मकान बेचे जा रहे हैं। गृह निर्माण कार्य कराया जा रहा है और सरकार इस स्थिति को रोकने के लिये कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है ;

(ख) वर्ष 1970 71 तथा 1971-72 के दौरान, क्षेत्रवार, कितने अप्राधिकृत मकान बनाये गये अथवा प्लाट बेचे गये ; और

(ग) क्या इस मामले से सम्बन्ध अधिकारियों के विरूद्ध सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्लाटों की अनधिकृत बिक्री/मकानों का निर्माण हो रहा है। तथापि, ऐसा दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों से मिल कर नहीं किया जा रहा है। उन्हें हतोत्साहित करने के उपचारात्मक उपायें किये जाते हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के लगभग 5650 मामलों का पता लगाया गया है।

अर्जित भूमि के प्लाटों की अनधिकृत बिक्री के लगभग 500 मामलों की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाया जाना

6934. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक विस्तार कर, उसके उस भाग को 'राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31–ए' के रूप में निशानदेही करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या दार्जिलिंग में पर्यटकों की अधिक रूचि को देखते हुए सरकार इस सुझाव को काफी महत्वपूर्ण समझती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मामले की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ आंकड़े मांगे गये हैं।

दिल्ली में एक और डेरी की स्थापना

6935. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में एक और डेरी स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त डेरी के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है और उसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : **(क) और (ख)** : आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रति दिन 400,000 लिटर दूध के परिसंस्करण और वितरण के लिये 4.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिल्ली में एक नई रिकाम्बिग (मदर) डेरी लगाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी प्राप्त होने और उपयुक्त स्थान का चयन होने के पश्चात डेरी लगाने में लगभग एक वर्ष लग जायेगा। दिल्ली में डेरी के स्थान के बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है।

भारत में क्रिश्चियन तथा मिशन अस्पतालों को विदेशी सहायता

6936. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रिश्चियन तथा मिशन अस्पतालों को विदेशों से कुल कितनी वित्तीय सहायता मिला करती थी और हाल ही में यह कितनी कम कर दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : वर्ष, 1968, 1969 और 1971 में भारत में चल रहे क्रिश्चियन तथा मिशन अस्पतालों द्वारा प्राप्त कुल विदेशी सहायता इस प्रकार है :—

	रुपये
1968	94, 24, 780
1969	5, 66, 00, 000
1971	68, 77, 000

इसके अतिरिक्त, 1971 में, सरकार ने क्रिश्चियन तथा मिशन अस्पतालों के लिए विदेशों से 1, 61, 18, 000 रु० की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव मंजूर किए। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेशों द्वारा ऐसी सहायता में कोई कटौती की गई है।

खाद्यान्नों का निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम

6937. **श्री राम सहाय पांडे** : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में अमरीका के साथ पी० एल० 480 करार समाप्त हो जाने के पश्चात् खाद्यान्नों को बड़े पैमाने पर निर्यात करने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय खाद्यान्नों के निर्यात हेतु बाजारों का पता लगाने के लिये पहले ही कोई कार्यवाही की जा चुकी है ?

कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : कार्य योग्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए अधिशेष खाद्यान्नों का निर्यात करने की गुंजाइश और उनकी सम्भाननाओं की जांच की जा रही है।

भारत में अन्धापन

6938. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में भारत में अन्धे व्यक्तियों की संख्या अधिक है, और यदि हां, यो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या देश में शहरों की अपेक्षा ग्रामों में अन्धे व्यक्ति अधिक संख्या में पाये जाते हैं ;

(ग) क्या इसका कारण उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना है ; और.

(घ) यदि हां, तो लोगों को, विशेषतया ग्रामों में, बढ़ते हुए अन्धेपन को रोकने की शिक्षा देने तथा वहां उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(1) रोहे पर जो कि ठीक हो सकने योग्य अंधेपन का एक प्रमुख कारण है नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम 1963 से शुरू किया गया है।

(2) 1962 से राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है।

(3) बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अंधेपन के निरोध की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है। इसके साथ साथ, ग्राम क्षेत्रों में बच्चों के पोषण में सुधार करने तथा कुपोषण के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों ने स्कूल पूर्व आयु तथा स्कूल जाने वाले बालकों के लिए भोजन कार्यक्रम भी चलाये हुये हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

6939. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्यकरण की सरकार ने जांच की है; और उसके कार्यकरण में अनेक अनियमिततायें पाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम की त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : निगम की कार्यविधि निरन्तर पुनरीक्षणाधीन है जिससे पता चला है कि इस के कार्य संचालन में कोई अनियमितताएं नहीं हैं।

1968 में सरकार द्वारा गठित की गई अधिकारियों की एक समिति ने निगम की असन्तोष जनक कार्यविधि के लिए निम्नलिखित कारणों की सूचना दी थी—

(i) निगम द्वारा सरकार को ऋण दायित्व पर भारी ब्याज प्रभार।

(ii) मूल लागत और क्षेत्रीय ऊपरी व्यय में वृद्धि।

(iii) टेन्डर देने का गलत तरीका, जिसके परिणामस्वरूप टेन्डर की दरों से प्राप्त अदायगी से वास्तविक व्यय अधिक।

(vi) निर्माण कार्य की प्रगति और पूरे होने में विलम्ब।

(v) संस्थात्मक रचना और कम्पनी के निर्माण उपकरणों के अनुरुप उत्पादन (कार्य) न होना।

(vi) कार्य के निष्पादन के दौरान प्रत्येक कार्य के लाभ के निर्धारण तथा लागत नियंत्रण की कमी।

(vii) भवन सामग्री और मजदूरों के उपयोग में पर्याप्त नियंत्रण में कमी।

(viii) ऊंचे ऊपरी व्यय ।

(ix) ईटों के भट्टे के कार्य करने में दोष ।

इन दोषों को दूर करने के लिए समिति ने निम्न उपायों की सिफारिश की थी, और निम्नलिखित कार्यवाही की गई —

(i) निगम के सरकार के प्रति ऋण दायित्व को 1 करोड़ रुपये की सीमा तक को साम्य-पूंजी (इकट्ठी केपीटल) में बदलना। निगम के ऋण दायित्व में से 55 00 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा साम्य पूंजी में पहले ही परिवर्तित की जा चुकी है।

(ii) उपयोग में लाई जाने वाली भवन-सामग्री तथा नियोजित मजदूरों पर बेहतर नियंत्रण तथा क्षेत्रीय एककों पर कड़ा नियंत्रण। निगम ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

(iii) टेन्डर देने के ढंग में सुधार। निगम ने मुख्य कार्यालय में एक तकनीकी परीक्षा कक्ष बनाया है तथा टेन्डर देने के लिए वैज्ञानिक और अच्छा ढंग निकाला है।

(iv) निर्माण कार्य का तीव्र गति से और कुशलता से निष्पादन। निगम इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

(v) कार्य में वृद्धि लाने के प्रयत्न। जहाँ तक संभव हो, सरकार की सहायता से निगम ने अपने कार्य बढ़ाने के सभी उपाय किये हैं।

(vi) आयोजना, मजदूरों की आवश्यकताओं के कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें चरणों में करने में निर्माण सामग्री को प्राप्त करना तथा कार्यों के निष्पादन में सुधार। निगम इस विषय में भी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(vii) ऊपरी प्रभारों में कमी के प्रयत्न। निगम स्टाफ की स्थिति का समय समय पर अवलोकन करने की कार्यवाही कर रहा है, फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है तथा अयोग्य अधिकारियों को हटाया जा रहा है।

(viii) ईंटों के प्लांट के कार्य को सुधारने के कदम निगम द्वारा, मिट्टी के सम्मिश्रण में और ईंटों के बनाने तथा सुखाने में सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं। तेल से जलने वाली भट्टियां लगाई जा चुकी हैं और ईंटों के सुखाने की प्रक्रिया की गति में सुधार करने के लिए सुखाने वाले कृत्रिम यंत्र लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त मजदूर संघ से उत्पादन में सुधार के लिए विचार विमर्श किया गया है।

3. समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से निगम के कार्य-संचालन में सुधार हुआ है। 1971–72 के वर्ष के निगम के लेखा, जिनका लेखापरीक्षय नहीं हुआ, से मालूम पड़ता है कि निगम को 1971–72 के वर्ष के दौरान कुछ लाभ हो सकता है।

Request for More Tractors From Bihar during 1972-73

6940, **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have requested the Central Government to supply them more tractors during 1972-73; and

(b) If so, the action takdn by the Goverment on their request ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India has decided to import 20,000 tractors. The State will be given its due share after the imports are arranged.

Price of Sugarcane for 1972-73 and its Effect on Sugar

6947. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the price of sugarcane for the year 1972-73;

(b) if so, the extent of increase; and

(c) whether this increase in the price of sugarcane is likely to cause increase in the production of sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : The question of fixation of the statutory minimum price of sugarcane for the year 1972-73 in the context of the need to maximise the production of sugar, is under consideration.

Financial Assistance to Art and Cultural Organisations in Bihar

6942. Shri Ishwar Chaudhury : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the programmes chalked ou by Government for giving financial assistance to Art and Cultural Organisations of Bihar; and

(b) the names of the Organisations which were provided assistance during the last three years indicating the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) There is no specifie scheme for giving financial assistance exclusively to art and cultural organistaions in Bihar. However, this Department and the two National Akademies, viz. Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi have a few schemes for giving financial assistance to art and cultural organisations throughout the country.

(b) 1. **Scheme for financial assistance for the reorganisation and development of museums.**

	1969-70	1970-71	1971-72
Gaya Museum, Gaya	3,000	—	—

2. **Scheme for Building Grants to Cultural Organisations :**

	1969-70	1970-71	1971-72
Kala Bhavan, Purnea.	—	—	10,000

3. **Sangeet Natak Akademi's Scheme :**

(i) Vaishali Sangh, Bihar.	3,000	3,000
(ii) Vindhya Kala Mandir, Patna.	3,000	4,000

Effects of Fertilizer on Fooder and Foodgrains

6943. **Shri Ishwar Chaudhury :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether fooder and foodgrains have also started causing food poisoning because of bad effect of fertilizers on them; and

(b) if so, whether any expert commission is proposed to be set up to go into the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricuiture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) There is no evidence to show that the use of fertilisers has started causing food poisoning in fodder and foodgrains. On the contrary, there is evidence to show that application of nitrogen and phosphate results in increasing protein content of crops.

(b) Does not arise.

पश्चिमी भारत में पाषाणयुगीन संस्कृति पर महत्वपूर्ण खोज

6944. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दू' नामक समाचार पत्र के पृष्ठ 7 पर कालम 6 और 7 पर पश्चिम भारत में पाषाणयुगीन संस्कृति पर महत्वपूर्ण खोज शीर्षक की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) दकन कालेज उत्तर-स्नातक तथा अनुसंधान संस्थान, पूना और गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग के संयुक्त अभियान ने सोमनाथ में नवीकृत खुदाई की और पुरातत्वविज्ञों में प्रभा संस्कृति के नाम से विख्यात संस्कृति के अवशेषों का पता लगाया, जो ईसा पूर्व की दूसरी सहस्त्राब्दी के प्रारम्भ की मानी जाती है।

इस टीम को जिला राजकोट में भादर नदी की घाटी में से 1962–63 में प्राचीन और मध्य पाषाण युगों के औजार प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि पूर्व ऐतिहासिक मानव इस क्षेत्र में रहता था। प्राचीन और मध्य पाषाण युगों की जो तारीखें समाचार में दी गई हैं, उन्हें केवल अनुमानित ही माना जा सकता है।

जहां तक काठियावाड़ प्रायद्वीप का समुद्र से उद्गम तथा यह अद्भुत घटना कब घटी, का संबन्ध है, इसके लिए विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों द्वारा दीर्घकालीन खोज की आवश्यकता है।

बम्बई तथा कलकत्ता स्थित नाविक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नाविक

6946. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या नौवहन और परिवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई और कलकत्ता स्थित नाविक रोजगार-दफ्तरों में पंजीकृत तमिल-नाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मैसूर और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाविकों की राज्यवार तथा व्यवसाय-वार संख्या कितनी-कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : प्रश्नगत राज्यों से

आने वाले नाविकों की संख्या जैसा कि नाविक रोजगार दफ्तर बम्बई, कलकत्ता में पंजीकृत है, की राज्यवार तथा व्यवसाय-वार निम्न प्रकार है :—

बम्बई

राज्य का नाम	डेक	इन्जिन रूम	सेलून	सामान्य कार्य	कुल
तमिल नाडु	317	239	24	200	780
केरल	1465	441	148	339	2393
आंध्र प्रदेश	179	143	23	118	463
मैसूर	74	32	326	188	620
अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
	2035	855	521	845	4256

कलकत्ता

राज्य का नाम	डेक	इन्जिन रूम	सेलून	सामान्य कार्य	कुल
तमिल नाडु	119	276	3	1	399
केरल	288	141	5	—	434
आँध्र प्रदेश	100	180	10	1	291
मैसूर	3	11	1	—	15
अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
	510	608	19	2	1139

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों पर आने वाले जहाज

6947. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों पर वर्ग-वार तथा बन्दरगाह-वार कितने जहाज आए ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर जो जहाज आये उनकी विभिन्न श्रेणियों की संख्या

	बम्बई			कलकत्ता			मद्रास		
	1969-70	1970-71	1971-72	1969-70	1970-71	1971-72	1969-70	1970-71	1971-72
तेलवाही	341	323	400	211	139	158	151	132	131
कोयलावाही	—	—	5	131	100	132	22	2	—
अन्य जहाज–विदेश गामी	1282	1285	1326	780	703	640	836	785	729
अन्य जहाज–तटीय	882	832	790	115	128	80	61	41	56
पाल पोत–विदेश गामी	505	455	832	—	—	—	—	—	—
पाल पोत–तटीय	22357	19727	18043	—	—	—	2	—	—

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों लिए सीटों का आरक्षण

6948. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : **(क) और (ख)** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाते हैं।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

खुली योग्यता सूची में सामान्यतया, कुल 400 अंकों में से कम से कम 200 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को शामिल किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये एक विशेष योग्यता सूची तैयार की जाती है। इस सूचि में कुल 400 अंकों में से 115 अथवा उनसे अधिक अंश प्राप्त करने वाले तथा एक से अधिक विषयों में 5 प्रतिशत से अधिक अंकों से असफल न होने वाले उम्मीदवारों को ही शामिल किया जाता है।

अनुबंध में विवरण दिया गया है जिसमें भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के दाखिलों की स्थिति दर्शाई गई है।

विवरण

	1969–70		1970–71		1971–72	
	अनुसूचित जाति	आदिम जाति	अनुसुचित जाति	आदिम जाति	अ० जा०	आ० जा०
1. आवेदन पत्र भेजने वालों की संख्या	17	—	29	1	18	1
2. प्रवेश परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	10	—	26	—	18	—
3. निर्धारित न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण होने की संख्या	—	—	2	—	1	—
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित आदिम जाति के लिए तैयार की गई विशेष योग्यता सूचि में दी गई संख्या	—	—	2	—	1	—
5. वास्तव में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	—	—	2	—	1	1

भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्थान, नई दिल्ली में कार्य प्रभारिता मजूरी दैनिक अस्थायी आधार पर नियुक्ति । कर्मचारी

6949. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, नई दिल्ली में वर्ष 1969 से 1971 के बीच कितने कर्मचारी कार्य प्रभारित/दैनिक मजूरी/अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी 2 वर्ष से अधिक अवधि से लगातार कार्य कर रहे हैं;

(ग) लगातार 2 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले कितने कर्मचारियों की सेवा से हटा दिया गया है; और

(घ) उन लोगों को किस आधार पर सेवा से हटाया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) अनुबन्ध में विवरण दिया गया है ।

दैनिक मजदूरी

कार्य प्रभारित आधार	अध्यापन	गैर अध्यापन तकनीकी/सहायी और लिपिक वर्गीय	चतुर्थ श्रेणी	अध्यापन	गैर अध्यापन वर्ग 3	चतुर्थ श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

(क) 1969-71 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या	19	—	80	136	14	112	97
(ख) दो वर्षो से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या	8	—	—	2	—	10	—
(ग) में उल्लिखित संख्या में से उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।	1	—	—	2	—	—	—

(ग) समाप्ति के कारण

जिस कार्य के लिये कार्य प्रभारित कर्मचारी को लगाया गया था उसके समापन पर उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई।

विधिवत गठित प्रवरण समिति द्वारा चुने गये नियमित व्यक्तियों के कार्यभार संभालने पर दैनिक मज़दूरी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवायें समाप्त कर दी गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली द्वारा न्यायालयों को निर्देशित मामले

6950. **श्री कार्तिक उराव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, नई दिल्ली से सम्बन्धित कितने मामले गत तीन वर्षों में संस्थान द्वारा, स्वयं कर्मचारियों द्वारा और विद्यार्थियों द्वारा न्यायालयों में ले जाये गये ;

(ख) कितने मामलों में निर्णय संस्थान के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में और विद्यार्थियों के पक्ष में हुआ ; और

(ग) संस्थान ने उपरोक्त अवधि में इन मामलों सम्बन्धी मुकदमेब जी पर कितना व्यय किया ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) पिछले तीन वर्षों में कुल 17 मामले दायर किए गए थे। 16 मामले कर्मचारियों द्वारा तथा एक मामला दो अनुसंधान अध्येताओं द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

(ख) अभी तक समाप्त हुए चार मामलों में से तीन संस्थान के पक्ष में निर्णीत किए गए हैं तथा एक मामले के संबंध में न्यायालय से बाहर दोनों पक्षों द्वारा आपस में समझौता कर लिया गया है। एक मामले का निर्णय संस्थान के विरुद्ध था। फिर भी संस्थान ने पुर्नविचार प्रार्थना दायर की है जो सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 5,336 रु० की राशि व्यय की गई है।

Road Mileage Vs National Highway

6951. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) The mileage of National Highways after every one thousand square miles on all India basis;

(b) the mileage of National Highways in Rajasthan after every one thousand square miles; and

(c) the scheme being formulated by Government to remove the backwardness in this regard in Rajasthan ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping & Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) : The length of National Highways per thousand square miles in the country as a whole is about 14 miles, the corresponding figure for Rajasthan being about 10 miles. On the basis of population, however, the length of National Highways per lakh of population in the country is about 3 miles as against 5 miles in respect of Rajasthan. However, the National Highway network is being planned and laid out in consideration of the overall traffic requirements of the country as a whole and is not governed by the area or population of any particular region. Thus the question of Rajasthan or any other State being considered backward in highway communication facilities merely on the basis of the length of the National Highways passing through it does not arise as the State Roads are also there supplementing the National Highways. The Fourth Five Year Plan includes a provision of Rs. 15 crores for new additions to the existing National Highway system. Against this, 3,012 miles of road were added to the system during 1971-72 which includes Pathankot-Kandla road passing through the States of Punjab, Rajasthan and Gugarat. The total length of this road is 954 miles out of which 566 miles fall in Rajasthan.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को सरकारी क्वाटरों का आवंटन किया जाना

6952. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय को सरकारी क्वाटरों का आवंटन करने के लिए कोटा निर्धारित है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और यदि नहीं तो आवंटन के बारे में कौनसा तरीका अपनाया जाता है ;

(ख) श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय के लिये कितना कोटा निर्धारित है और मन्त्रालय के कर्मचारियों को इस प्रकार कितने क्वाटरों का आवंटन किया गया है ; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मन्त्रालय के अधीन हैं और यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि सगठन के कर्मचारियों को सरकारी सामान्य पूल से क्वाटरों का आवंटन क्यों नहीं किया जाता ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के लिये सामान्य पूल वास का कोई पृथक कोटा निर्धारित नहीं है। सामान्य पूल में वास केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे कर्मचारियों के आवंटन के लिये है जिन का अपना कोई पूल नहीं है तथा जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। आवंटन, नियमों के अनुसार किया जाता है जो कि सांविधिक हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी सामान्यपूल से वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं क्योंकि यह संगठन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता।

Post of Joint Director, NCERT

6953. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the post of Joint Director in the N.C.E.R.T. has not so far been filled up; and

(b) the time by which Government propose to appoint an educationist on the said post ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare & in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) : The post of Joint Director, N.C E.R.T. was held on a part time basis by Joint Secretaries or Joint Fducational Advisers of the Ministry of Education till 1967. Dr. S. K. Mitra was appointed as full-time Joint Director on 30.9.67 till further orders. It was propoзed to fill up the post on a regular basis after advertisement. Dr. S K. Mitra was selected for regular appointment for the post by a Selection Committes on 25.11.1969. However in view of prior commitment Dr. S. K. Mitra proceeded on extraordinary leave to work as Professor of Psychology in the Calcutta Universits with effect from 17.12.1969. He is expected to return to the N.C.E.R.T. shortly,

बिहार में अकाल की स्थिति

6954. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कई जिलों जैसे पालामऊ, संथाल परगना, हजारी बाग तथा रांची में अभी भी अकाल की स्थिति विद्यमान है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : बिहार सरकार ने सूचित किया है कि संथाल परगणा के कुछ क्षेत्रों में कमी की स्थिति पैदा हो गई है। इन क्षेत्रों में पहाड़िये रहते हैं जिससे पांच खण्डों में लगभग पच्चीस हजार व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। राज्य बिहार सरकार ने आवश्यक राहत उपाय किये हैं।

Jobs for Graduates in Metallurgy

6955. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the arrangements being made by the Government for providing sufficient number of jobs to the Graduates in Metallurgy ?

The Minister of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : Special arrangements have not been made for providing jobs specifically to graduates in Metallurgy. However, several measures are being taken for creating additional employment opportunities for technical personnel.

Institutions For Imparting Training in Cooperation

6956. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether certain training institutions are functioning in India for imparting training to Senior Officers in cooperation;

(b) whether the number of the said institutions is not sufficient in the country; and

(c) if so, their number State-wise and the number of additional institutions proposed to be opened during the Forth Five Year Plan period and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes, Sir. The Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, Poona caters to the training needs of senior officers.

(b) The training facilities are sufficient.

(c) Does not arise.

Non-Payment of Grain Dues by F.C.I.

6957. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the price of grains pertaining to January, 1971 has not been paid to grain agents by the Food Corporation of India;

(b) whether in some cases payment of more than Rs. 12,000 is involved; and

(c) if so, the number of such cases pending upto March, 1972 State-wise and whether any representation to this effect has been received from Uttar Pradesh and if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : **(a) to (c)** : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Notices Served to Grain Agents by F.C.I. to Take Back Their Foodgrains

6958. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether the Food Cooperation of India has served notices upon some grain agents asking them to take back their foodgrains;

(b) whether some of the notices have been issued after the lapse of three months; and

(c) if so, the reasons for issuing notices after expiry of such a long time and the action taken by Government against the Corporation, which had issued wrong notices to them because of their self-interest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : **(a) to (c)** : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Fixation of Price of Sugarcane as Demanded by Bharat Krishak Samaj

6959. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Indian Peasant's Society (Bharat Krishak Samaj) has made a demand to fix the price of sugarcane Rs. 15 per quintal as reported in the 'Nav Bharat Times' dated the 26th April, 1972; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) : (a) & (b) :

No such request has been received from the Bharat Krishak Samaj. Hoever, the question of fixation of the statutory minimum price of sugarcane for 1972-73, is under consideration.

Supply of Fertiliser From Fertiliser Factory at Kota

6960. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States, which would be supplied fertilisers from the fertiliser factory set up at Kota, Rajasthan;

(b) whether farmers in Kota, Rajasthan do not get timely supply of fertilisers from this factory;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government would make arrangements for the timely supply of fertilisers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The fertiliser factory at Kota will supply fertilisers mainly to the States of Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat during 1972-73;

(b) to (d) : Government have no reason to believe that Kota farmers do not get timely fertiliser supplies from this factory. The responsibility for efficient and equitable distribution of fertilisers within Rajasthan is with the State Government. The Union Government has to take steps to meet those requirements from imports which cannot be met by the fertiliser manufactures. The Rajasthan Government has registered deficits of 20,500 tonnes of nitrogen for Kharif, 1972 and 26,700 tonnes of nitrogen for Rabi, 197-73. Every effort will be made to meet these requirements out of the imported stocks.

Taking Over of Fishing by United Nations Development Programme in Kotah, Rajasthan

6961. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the United Nations Developmen- Programme has undertaken pihsciculture in Kotah, Rajasthan on experimental basis; and

(b) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b) ; No fisheries project has been taken up in Kotah, Rajasthan, with the assistance of the UNDP. There is a Chambal Land and Water Use and management Project assisted by the UNDP. A weed specialist is attached to the Project, and one of the methods being attempted for control of weeds in the canal system is through introduction of a variety of fish called grass crap, which is known to be useful in weed clearance. Efforts are being made by the Project, with the assistance of the Central Government and the State Government, to introduce grass crap in the canal system and to take up breeding of the fish at Kotah.

Supply of Massey-Ferguson Tractor to M.Ps

6962. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply Massey Ferguson tractors on priority basis of Members of Parliament, who are farmers and own agricultural land; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में व्यापक आवास कार्यक्रम

6963. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मकान बनाने तथा वातावरण में सुधार करने की विस्तृत योजना बनाने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : **(क) से (ग)** : 6 तथा 7 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास तथा नगर विकास नीति के विकास पर हुई नीति के विकास पर हुई गोष्ठी ने नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मकानों वातावरण सम्बन्धी सुधार के कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की थी। उपरोक्त ढंग पर नीति बनाने के लिए आगे के कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच में महानगरों की गन्दी बस्तियों के वातावरण संबंधी सुधार के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से एक योजना चालू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य आवास स्थलों की व्यवस्था के लिए भी एक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन, केरल, तमिल नाडु तथा उत्तर प्रदेश में पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। अन्य राज्य भी इस बारे में योजनाएं बना रहे हैं।

अविद्यार्थी युवकों हेतु कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेल के मैदानों और वर्क सेन्टरों का विकास

6964. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अ-विद्यार्थी युवकों हेतु कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेल के मैदानों और 'वर्क सेन्टरों के विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गैर विद्यार्थी युवक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल मैदानों के विकास तथा कार्य केन्द्रों की स्थापना की योजनाओं को भारत सरकार ने 1971–72 के दौरान पहले ही लागू कर दिया है। ये योजनए 1971—72 से परिचालित है।

(ख) (1) विभिन्न राज्यों संघ क्षेत्रों के 170 जिलों के नगरीय क्षेत्रों में खेल के मैदानों को विकसित किया जाएगा। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र के लगभग आधे जिले शामिल होंगे।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र में लगभग एक एक केन्द्र के हिसाब से 20 केन्द्र स्थापित करने का सुझाव है। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत, परियोजनाओं के स्थान के बारे में निर्णय करने का प्रश्न सम्बन्धित राज्य सरकार। सँघ क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है।

गांवों में सहकारी समितियों के नेतृत्व का जातीय स्वरूप

6965. **श्री पप्पन गौडा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में सहकारी समितियों ने नेतृत्व के जातीय स्वरूप के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करने के उपरान्त अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Drinking Water facilities in Rural Areas of U.P.

6966. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given by the Central Government for providing drinking water facilities in the rural areas in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan and the amount, out of it, not utilised by the Government of Uttar Pradesh; and

(b) the number of villages where drinking water facilities have been provided ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table **of the Sabha.**

Request From U.P. for More Tractors During 1972-73

6967. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have requested the Government to supply more tractors to the State during 1972-73; and

(b) if so, the reaction of the Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India has decided to import 20,000 tractors. The State will be given its due share after the imports are arranged.

मैसूर में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय

6968. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वर्ष 1971 के दौरान मैसूर में (१) स्त्रियों की नसबन्दी और (२) स्त्रियों को लूप पहनाने के सम्बन्ध में कितने आपरेशन किये गये;

(ख) वर्ष 1970–71 के दौरान मैसूर राज्य में कितने 'निरोध' वितरित किये गये; और

(ग) राज्य में इनके सम्बन्ध में कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)

(क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है:—

	संख्या
नसबन्दियां (कुल)	52,093
बन्ध्यीकरण	40 081
गर्भाशय गर्भरोधक	10 001

(ख) 32,88 690 निरोध

(ग) 1970—71 और 1971—72 के दौरान मैसूर राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किया गया कुल खर्च इस प्रकार है।

वर्ष	कुल खर्च रुपये लाखों में
1970—71	161.57
1971—72	393 83

(खर्च के आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिए रखे जाते हैं)

योग संस्थायों की वित्तीय सहायता

6969. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थाओं के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार, राज्य-वार प्रतिवर्ष उन्हें कितनी धनराशि की सहायता दे रही है; और

(ग) उनके प्रबन्ध और प्रशिक्षण कोर्सों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है (**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 3021/72**)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अंतर्गत कार्य—प्रदर्शी ढांचा

6970. **डा० लक्ष्मी नारायण पाँडेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत बताये गये कार्य-प्रदर्शी ढांचे का अनुसरण देश में सभी राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में लागू की गई थी और यह लगभग 100 ग्रामों और 6600 की आबादी वाले खण्डों में आरम्भ की गई थी। इन खण्डों के पास 4.5 लाख रु० का प्रावधान था उन्हें बाद में सामुदायिक

विकास खण्डों में परिवर्तित किया गया और इनका बजट का प्रावधान 15 लाख रु० था, जिनमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के लिए रखी गई धनराशि भी शामिल थी। तथापि, दूसरी योजना अवधि में, बजट प्रावधान को घटाकर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के लिये 4 लाख रु० और सामुदायिक विकास खण्डों के लिये 12 लाख रु० दिया गया अप्रैल 1958 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रतिमान में और संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सामुदायिक विकास खण्डों के दस वर्षों के परिचालन के दो सक्रिय चरण होने थे, पहला चरण पाँच वर्ष का और उसके बाद दूसरा चरण और पांच वर्ष का और इनका बजट प्रावधान क्रमश: 12 लाख रु० और 5 लाख रु० था। प्रतिमान तीसरी योजना में जारी रहा।

तथापि, वास्तविक अनुभव यह है कि खण्डों को उनकी न्यूनतम निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार भी पूरे संसाधन प्राप्त नहीं हुये। जून, 1968 में हुये मुख्य मन्त्रियों और सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के खण्डों को वित्तीय सहायता, जिसके कि वे पात्र हैं, मिलती रहनी चाहिये। साथ ही चरणोत्तर 2 खण्डों में दूसरे चरण के प्रतिमान के अनुसार ही वित्तीय सहायता दी जाती रहनी चाहिये। और 3 से केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाना चाहिये केन्द्रीय सहायता राज्य योजना की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होनी चाहिये। तदनुसार, सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य के बारे में चौथी योजना प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी कार्यकारी दल ने प्रथम तथा द्वितीय चरण के खण्डों के लिये योजना आधार पर कुछ परिव्यय प्रस्तावित किया था। चरणोत्तर 2 खण्डों के लिये, कार्यकारी दल ने कुछ प्रावधान प्रस्तावित किया, जिसकी औसत लगभग 40,000 रु० प्रति खण्ड प्रति वर्ष बनती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की समिती द्वारा 1968 में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य योजना क्षेत्र की योजनाओं, जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शामिल है, के लिये राज्यों को अप्रैल 1969 से केन्द्रीय सहायता 'ब्लाक' अनुदानों और 'ब्लाक' ऋणों के रूप में दी जा रही है। चूंकि खण्डों के लिये वित्तीय प्रबन्ध करने का कार्य अब पूर्णतः राज्य क्षेत्र को सौंप दिया गया है। अतः यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य चौथी योजना अवधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये मंजूर किये गये परिव्ययों का उपयोग केवल प्रथम चरण और द्वितीय चरण के खण्डों के लिये ही नहीं, वरन चरणोत्तर २ खण्डों के लिये भी करने को स्वतन्त्र है। तथापि वास्तव में तथ्य यह है कि राज्य सरकारें पर्याप्त योजना प्रावधान के अभाव में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के खण्डों अथवा चरणोत्तर 2 खण्डों में विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिये पर्याप्त योजना प्रावधान नहीं कर पाई है।

सामुदायिक विकास कार्य क्रम के लिए वित्तीय सहायता

6971. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सामुदायक विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिये, वर्ष वार कितनी धनराशि दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री प्रो० शेरसिह : राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा 1968 में किये गये निर्णय के अनुसरण में चौथी योजना अवधि में राज्य योजना क्षेत्र के अन्तर्गत की स्कीमों,* जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं, के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता 'ब्लाक' अनुदानों और 'ब्लाक' ऋणों के रूप में दी जा रही है और न कि योजना सम्बन्धी प्रतिमान के आधार पर जैसा की तीसरी

योजना में था। यह स्थिति को ध्यान में रखते हुये, पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये अलग से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है तथापि पिछले तीन वर्षों में सभी राज्यों। केन्द्र शासित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया परिव्यय और वास्तव में हुआ व्यय। नीचे दिया जाता है: —

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु० में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु० में)
1969-70	17.11	1835
1970-71	20.34	21.41
1971-72	20.12	24.45 (प्रत्याशित)

पंचायती राज प्रशासन के लिए राज्य विकास सेवा

6972. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पंचायती राज प्रशासन के लिए उचित और प्रभावी प्रशासकीय पद्धति हेतु राज्य विकास सेवा का गठन करने वाले राज्यों की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निदेश दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पलट पर रखी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

Conference of Retail Shopkeepers' Association Held in New Delhi

6973. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether during the course of the conference of Retail Shopkeepers' Association held in New Delhi, a demand was made that the Food Adulteration Act should be amended;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) No information is available about the said Conference.

(b) Does not arise.

दिल्ली में नशीली औषधि लेने के कारण स्कूल के एक विद्यार्थी की मृत्यु के बारे में जाँच

6974. **श्री बेकारिया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नशीली औषधि लेने के कारण 26 अप्रैल, 1972 को स्कूल के एक विद्यार्थी की मृत्यु के बारे में कोई जाँच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच से यह पता लगा है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों की नशीली ग्रौषधियां लेने की लत है,

(ग) क्या जांच करने वाले व्यक्ति ने इस बारे में कोई सिफारिशें की हैं; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ग्रौर सरकार ने किन्हें कार्यान्वित किया है

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृनि विभाग में उपमन्त्री (श्री० डी० पी० यादव) : **(क) ग्रौर (ख)** माननीय सदस्य शायद मार्डर्न स्कूल, नई दिल्ली के पास श्री नारायण नायर की मृत्यु का उल्लेख कर रहे है। यह मामला पुलिस स्टेशन, चाणक्यपुरी पर पुलिस की जांच के ग्रधीन है। पुलिस ने पहले ही पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक ग्रौर व्यक्ति की तलाश जारी है। इस लड़के की मृत्यु के पश्चात इस ग्राम प्रश्न की जांच के लिये किसी ग्रन्य पूछताछ ग्रधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूल के लड़कों में संवेदन मन्दक ग्रधिकार लेने का फैशन है।

उपविष लेने के कारण कुछ छात्रों के ग्राकस्मिक मामले हुए हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार पूर्णतय: सतर्क है तथा छात्र समुदाय में फैलती हुई उपविष की लत को रोकने के लिये ग्रावश्यक कदम उठायेगी इस समस्या को प्रशासनिक उपायों तथा छात्रों को उपविषों का उनके मस्तिष्क ग्रौर स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के द्वारा दोनों ही प्रकार से सु.झाया जा सकता है। पुलिस तथा उपविषों नियन्त्रक सतर्क हो गये हैं ग्रौर वर्जित ग्रौषधियों तथा उपविषों में ग्रवैध व्यापार को रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

म्यूनिख में सांस्कृतिक ग्रोलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीय

6975. **श्री बेकारिया** : क्या **शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्यूनिख ग्रोलम्पिक से पूर्व होने वाले साँस्कृतिक ग्रोलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीयों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके साथ जाने वाले ग्रधिकारियों के नाम क्या है ; ग्रौर

(ग) इस पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय होने की संभावना है ?

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ग्रगस्त, सितम्बर, 1971 में 20 वें ग्रीष्म ग्रोलम्पिक के ग्रन्तराष्ट्रीय लोक साहित्य समारोह (इंटरनेशनल फांक्लोर फैस्टीवल) में भारत भाग नहीं ले रहा है।

(ख) ग्रौर (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में जनस्वास्थ्य को खतरा

6976. **श्री बेकारिया** : क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फैक्टरियों तथा ड्राइक्लीनरों द्वारा छोड़े जाने वाले तेज

गन्धवाले धुयें तथा अन्य जहरीले धूयें से दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है ; और

(ख) यदि हो, तो इस प्रकार स्वास्थ्य को उत्पन्न होने वाले खतरे को कानून द्वारा रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) वायु दूषण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का इस विषय पर एक कानून बनाने का विचार है।

प्रसाधन सामग्री में पटेलेट' का प्रयोग करने की अनुमति

6977. **श्री बेकारिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यू डी कोलीन' जैसी प्रसाधन सामग्री में 1 प्रतिशत 'डाइएथिल पटेलेट' मिलाने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को इसके जहरीले प्रभाव की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अनुमति किस आधार पर दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ध' के साथ पाठ्य इस नियमावली के नियम 150-क, के अनुसार 'यू डी कोलोन' जो कुछ भी इसका नाम हो, जैसे मादक सुगन्धित घोलों के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने वाले मद्य में विगुणक के रूप में 'डाएथिल पटेलेट' एक प्रतिशत होना चाहिए। बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल में दिये गये अपने तक निर्णय में इस नियम को बहाल नहीं रखा है।

(ख) जहां तक 'यू-डी कोलोन वाह्य शरीर पर उपयोग किया जाता है, जिसके लिए यह बना ही होता है, वहाँ तक उसमें 'डाइथिल पटेलेट' जैसे तत्व के मिलाये जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, किन्तु यदि इसका पेय के रूप में उपयोग किया जाये तो यह हानिकारक हो सकता है और यही कारण है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में यह उपबन्ध रखा गया है कि यू-डी कोलोन के निर्माता अपने अपने उत्पादों पर "खाये जाने पर हानिकारक" का लेबल लगायें।

(ग) भारत सरकार को गुजरात जैसी राज्य सरकारों से शिकायतें मिलती है कि अलकोहल मिली प्रसाधन सामग्री विशेषतः "यू-डी कोलोन" का इस राज्य में काफी हद तक शराब के रूप में दुरुपयोग किया गया है जिससे लोगों के स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया और राज्य की मद्य निषेध नीति में रुकावट पैदा हो गई है। इस बुराई को दूर करने के विचार से स्पिरिट वाली दवाओं का (अन्तर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 में कतिपय परिवर्तन किये गये।

चूंकि "यू-डी कोलोन" एक प्रसाधन सामग्री है जिसका निर्माण एवं वितरण औषधि एवं अंगराग अधिनियम के आधीन विनियमित है, इसलिए सरकार, महसूस करती है कि इस अधिनियम

के सम्बन्धों में लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी हितों की सुरक्षा करने जैसे उद्देश्य की पूर्ति होने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

तदनुसार, यह निश्चय किया गया था कि 'यू-डी कोलोन' जैसे मादक सुगन्धित घोल इस रूप में तैयार किया जाए कि उसमें विगुणक के तौर पर एक प्रतिशत ही डाएथिल फटेलेट हो डाइथिल फटेलेट हो और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में 1966 में ऐसा आवश्यक उपबन्ध रख दिया गया ।

Monuments and Public Places Peserved by Archaeological Department

6978. **Shri Hukam Chand Kachwai** ; Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :[the number of monuments and public places preserved by the Archaeological Department throughout the country at present ?

The Minister of Education and Social Welfare & Culture (Shri S. Nurul Hasan) : The number of monuments and sites protected by the Archaeological Survey of India is nearly three thousand and five hundred as per entries in the list. However, in certain cases a single entry in the protection notification covers a group of monuments.

Distribution of Cultivable Land in Bihar to Harijans and Landless Persons

6979. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land allotted to landless persons, Harijans and Adivasis in Bihar during the last two years keeping in view the increased agricultural production; and

(b) the approximate number of persons in the State at present who have not got cultiable land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha when available.

Distribution of Cultivable Land in A. P. to Harijans and Landless Persons

6980. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land in Andhra Pradesh which is not cultivated at present as per survey conducted by the Central and State Governments;

(b) whether Government have under consideration any scheme to distribute cultivable land among landless persons and Harijans and thus increase agricultural production; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the table of the House when available.

DISTRIBUTTON OF CULTIVABLE LAND IN RAJASTHAN TO HARIJANS AND LANDLESS PERSONS

6981. **SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of Cultivable land in Rajasthan which is not cultivated at present as per survey conducted by the Central and state Governments ;

(b) Whether Government have under consideration any scheme to distribute cultivable land among landless persons and Harijans and thus increase agricultural production ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House when available.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पोलीटैक्नीक के लिये अलग प्रयोगशाला के निर्माण हेतु मूल निविदा को अन्तिम रूप देना

6982. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पोलिटैक्नीक के लिये अलग अलग प्रयोगशालाओं और 'वर्कशाप बेज' के निर्माण हेतु मूल निविदा को अन्तिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप 0 58 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां तो देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) तथा (ख) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पोलिटैक्निक के लिए अलग अलग प्रयोगशालाओं और वर्कशाप कक्षों के निर्माण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मई, 1969 में निविदाएं मांगी थीं। निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुई निविदाएं विश्वविद्यालय की भवन समिति के सम्मुख 30 अगस्त, 1969 को रखी गई थीं। समिति ने सिफारिश की कि नक्शों तथा प्राक्कलनों के साथ उन निविदाओं को गाजियाबाद अंचल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिक्षक अभियंता, नई दिल्ली को उनके नाम से उनकी सलाह के लिए भेजा जाए। संबंधित अधिकारी के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप इन कागजातों पर ध्यान नहीं दिया गया तथा बिना किसी टिप्पणी के उन्हें 28 अक्तूबर, 1969 को विश्वविद्यालय वापस भेज दिया गया। विश्वविद्यालय ने उससे बाद वाली कम लागत वाली 2, 14, 914 रुपए की निविदा को स्वीकार करने का निर्णय किया। तब तक निविदाओं की वैधता की तीन महीने की अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा संबधित ठेकेदार ने निर्माण कार्य को इस आधार पर करने से इन्कार कर दिया था कि सामग्री की लागत बढ़ गई थी। विश्वविद्यालय को नई निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ीं, जोकि 18 जून, 1970 तक प्राप्त होनी थीं इस बार 2, 71, 731 रुपए की एक निविदा स्वीकार की गई। इसमें जो फालतू खर्च हुआ, वह 56, 817 रुपए का था।

1971-72 में महाराष्ट्र में निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण के लिये मंजूरी

6983. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के निरन्तर सूखाग्रस्त जिलों में लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण के लिये 1972-73 में कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है, और

(ख) उक्त जिलों में उक्त कार्यों के लिये 1971-72 में वास्तव में कितना व्यय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले महाराष्ट्र के 6 जिलों (अहमदनगर, नासिक, पूना, सांगली, सतारा और शोलापुर) में 10. 40 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से लघु सिंचाई तथा मृदा संरक्षण योजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के लिये राज्यों द्वारा भेजी गई वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर परिव्यय प्रति वर्ष मंजूर किये जाते हैं । राज्य सरकार ने वर्ष 1972-73 के लिये योजनाओं की परिव्यय सम्बन्धी जरूरतें अभी नहीं भेजी है ।

(ख) मंजूर लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण कार्यों पर 1971-72 में किये गये वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में अभी राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है । तथापि राज्य सरकार ने 1971- 2 के दौरान मंजूर लघु सिंचाई और मृदा सरक्षण कार्यों पर दिसम्बर 1971 तक 2·63 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की सूचना भेजी है ।

विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत बिहार में मकानों का निर्माण

6984. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना और मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अलग-अलग और जिलावार कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) : बिहार सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार राज्य में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	योजना का नाम	निर्मित मकानों की संख्या
1.	औद्योगिक कर्मचारी तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये सहायता प्राप्त एकीकृत आवास योजना	14,662
2,	निम्न आर्य वर्ग आवास योजना	5,060
3.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	995
	जिलावार आंकड़े इस मन्त्रालय में नहीं रखे जाते ।	20,717

(ख) सामान्यतः एक मकान एक परिवार के लिये उदिष्ट है और परिवार के औसतन सदस्य 5 होते हैं । लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की संख्या से लगभग 5 गुना होगी ।

पटना और पहलेजा घाट के बीच नाव सेवा प्रारम्भ करना

6985. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने यह सुझाव दिया है कि मोटरवाहनों और यात्रियों के परिवहन के लिए पटना (महिन्दुघाट) और पहलेजा घाट के बीच नाव सेवा प्रारम्भ की जाये,

(ख) यदि हां, तो सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिहार सरकार ने जुलाई 1969 में पटना (दिघाघाट) और पहलेजा घाट के बीच गंगा नदी पर पावर फैरी सेवा के परिचालन के लिये एक योजना भारत सरकार के मत को जानने के लिये भेजी।

(ख) योजना में चार शक्तिचालित बजरों तथा पांच बिना शक्तिचालित बजरों जो अतिरिक्त भार ढोने के लिये किसी भी शक्तिचालित बजरों से जोड़े जा सकते हैं, के प्रयोग से लदे हुए ट्रक नदी पार ले जाने के लिए व्यवस्था थी जबकि हल्की मोटर गाड़ियों अथवा कारों को दो नौकाओं द्वारा ढोया जाने का विचार था।

(ग) योजना की जांच की गई तथा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि उनकी भेजी हुई सूचना के आधार पर योजना वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम नहीं पायी गई क्योंकि लगभग 6 लाख रुपये के अनावर्ती व्यय के अतिरिक्त सेवाओं के परिचालन की वार्षिक लागत अनुमानतया 8 से 9 लाख रुपए तक थीं जबकि 75% के उपयोग पर लगभग 8 लाख रुपए की कमायी का अनुमान था।

बिहार और बंगाल में राज्य कृषि फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्म

6986 **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में, जिला-वार राज्य कृषि फार्म निगम कितने कृषि फार्म चला रहा है, और

(ख) ये कृषि फार्म किन स्थानों पर स्थित हैं और गत दो वर्षों में, वर्ष-वार प्रत्येक फार्म पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अभी तक बिहार और बंगाल में राज्य फार्म निगम में कोई कृषि फार्म स्थित नहीं किया गया है। तथापि राज्य सरकार की सलाह से बिहार में एक केन्द्रीय राज्य फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Conference of District Education Officers of Eastern Region

6987- **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether a Conference of the District Education Officers of Eastern Region was held in Bhubaneshwar in September-October, 1971; and

(b) if so, the main suggestions made at the Conference and the action being taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) A Conference of District Education Officers/Inspectors of Schools and Directors of State Institutes of Education of Eastern Region was held in Bhubaneshwar on 29th October-1st November, 1971;

(b) A statement is placed on the Table of the House. [**Placed in Library/See No. L. T. 3022/72**]

मिट्टी लवणता अनुसन्धान संस्थान के और केन्द्रों की स्थापना

6988. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करनाल में स्थित संस्थान की भांति लवणयुक्त और क्षारयुक्त भूमि को बहुत अधिक उपजाऊ बनाने के लिये किसी तकनीक का विकास करने हेतु निकट भविष्य में कुछ और मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी; और

(ग) करनाल केन्द्र ने अब तक क्या सफलतायें प्राप्त की हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं।

निकट भविष्य में करनाल जैसा कोई नया मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की कोई सम्भावना नहीं है। तथापि यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने पहले ही दो समन्वित अनुसन्धान योजनायें कार्यान्वित की हैं अर्थात्; (1) जल प्रबन्ध और मृदा लवणीयता विषयक और (2) कृषि के लिये लवणीय जल का उपयोग, जो केन्द्रीय मृदा लवणीय संस्थान, करनाल के प्रयत्नों के पूरक का काम करेगा। जल प्रबन्ध विषयक समन्वित अनुसंधान योजना के अधीन कानपुर, इन्दौर और कैनिंग में स्थापित 3 केन्द्र केन्द्रीय मृदा लवणीय अनुसंधान संस्थान के उपकेन्द्र का काम करेंगे और वे लवण प्रभावित भूमि के सुधार विषयक और प्रबन्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल ने फरवरी, 1970 से अपने फार्म में अनेक परिक्षण किये। इस फार्म की मृदा में क्षारीयता (पी० एच 10.0-'0. 6) और लवणीयता (इ० सी० इ 10 एम० एम० एच० एस/सी० एम) की गम्भीर समस्या है। क्षारीयता यद्यपि 3 मीटर (9 फुट) तक गहरी है, किन्तु लवणीयता ऊपर के 30 सी० एम (1 फुट) तक ही है। विपरीत स्थितियों के कारण यह भूमि पिछली एक दशाब्दि से बिना काश्त के पडी है। करनाल की मृदा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिकांश गंगा के मैदानों की लवण प्रभावित मृदाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस फार्म पर किए गए परिक्षणों से पता चला है कि यदि जिप्सम का प्रयोग किया जाये तो चावल, गेहूं और जौ जैसी फसलों की सन्तोषजनक उपज प्राप्त की जा सकती है। लवणीय-क्षारीय मृदा की काश्त के

लिये तैयार की गई तकनौलौजी के अनुसार 15 मीटरीटन जिप्सम प्रति हैक्टार (6 टन/एकड़) का प्रयोग किया जाता है और उसे ऊपर से 10–15 संटीमीटर तक मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। जिप्सम डालने के बाद, चावल गेहूं की फसलों के क्रम को अपनाया जाता है। स्वस्थ सस्य तरीकों को अपनाते हुए आई०–आर०–8–68 या आई०-आर०–8 जैसी चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों और कल्याण सोना जैसी गेहूं की किस्मों को उगाया जाता है। फसलें उगाने के लिए नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरकों को अधिक मात्रा में डाला जाता है। चावल के लिए 45 किलो ग्राम जिंक सल्फेट प्रति हैक्टार डालने की सिफारिश की गई है। फसल को अच्छे जल के साथ पर्याप्त और कई बार सिंचाई की जानी चाहिये। जहां पर्याप्त जल उपलब्ध है वहां गर्मी के महीनों में जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रति हैक्टार 15 मीटरी टन जिप्सम डालकर सिंचाई के साथ 'ढेंचा' फसल उगाई जाती है, 60–70 दिन की बढ़ने की अवधि के पश्चात चावल की रोपाई से पूर्व हरि खाद देने के उद्देश्य से ढेंचा फसल में हल चला दिया जाता है। चावल की फसल के पश्चात उसमें और जिप्सम डाले बिना गेहूं बोई जाती है। अधिक जल वाली भूमि में अच्छी जल निकास प्रणाली का होना आवश्यक है।

प्रति हैक्टार 15 मीटरी टन जिप्सम के प्रयोग सहित उपरोक्त टकनौलौजी को अपनाने से, चावल की उपज 2. 3 क्विटल प्रति हैक्टार से बढ़कर 27.6 क्विटल प्रति हैक्टार तक बढ़ गई और तत्पश्चात गेहूं का उत्पादन प्रथम वर्ष में 0.4 क्विटल प्रति हैक्टार से बढ़ कर 30.4 क्विटल प्रति हैक्टार तक बढ़ गया। दूसरे वर्ष उपज सामान्य स्तर पर आ गई।

दिल्ली की यमुना पार कालोनियों के मकान मालिकों से विकास शुल्क लेना

6990. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 10 अप्रैल 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई कालोनियों के मकान मालिकों से कोई विकास शुल्क वसूल किया जाना है और यदि हां, तो प्रत्येक कालोनी के मामले में किस दर पर शुल्क वसूल किया जायेगा।

(ख) इन कालोनियों को किन शर्तों पर नियमित किया गया है; और

(ग) क्या इन नियमित कालोनियों में मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण दिया जायेगा और यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो ऋण मंजूर करेंगे और ऐसा ऋण अधिकतम कितना दिया जाएगा और ऐसे ऋणों को किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां दरें अभी निर्धारित की जानी हैं।

(ख) इन कालोनियों की भूमि अर्जित की जाएगी तथा मकान/प्लाट, जिनका नियमितिकरण प्लान में समायोजन किया गया है मालिकों को पट्टे पर दिये जायेंगे। उस सम्पत्ति का पट्टा नहीं दिया जाएगा जो या तो वृहत्त योजना की भूमि-उपयोग-पद्धति के अनुसार नहीं है या जो सड़कों, पार्क, स्कूल आदि जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिये नियत हैं।

(ग) जी, हां, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन, जीवन बीमा निगम आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा। केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को भी ऋण देती है। ऋण की शर्तें सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

तकनीकी शिक्षा पर व्यय

6991. **श्री पीलू मोदी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत सरकार देश में तकनीकी शिक्षा पर व्यय का 50 प्रतिशत भार स्वयं वहन करेगी ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप सरकारी कोष पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) ; (क) और (ख) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 22 अप्रैल 1972 को हुई अपनी बैठक में राज्य चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन तकनीकी शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वियन में देरी तथा आयोजना विनिधानों के मुकाबले खर्च में प्रत्याशित भारी कमी पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अखिल भारतीय परिषद का यह अभिमत था कि प्रगति को वर्तमान मंद गति से विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के समेकन की महत्वपूर्ण योजनाएं और उनकी किस्म तथा स्तर में सुधार का कार्य चौथी पंचवर्षीय आ-योजना के अन्त तक तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक इसके लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय न किए जायें। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा का समेकन और उसकी किस्म तथा स्तर में सुधार अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसकी जिम्मेदारी समग्र राष्ट्रीय आयोजना के ढांचे के अन्दर केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों को उठानी चाहिए ।

इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, अखिल भारतीय परिषद ने यह सिफारिश की थी कि चालू आयोजना की बकाया अवधि के लिए, पहले ही से हाथ में ली गई योजनाओं को पूरा करने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें निम्न लिखित बातें स्पष्ट रूप से दी जाए :—

(क) विद्यमान संस्थाओं के समेकन और विकास की योजनाएं ; और (ख) किस्म और स्तरों के सुधार के लिए विशेष योजनाएं ।

अखिल भारतीय परिषद ने यह भी सिफारिश की थी कि आयोजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से इस आयोजना के लिए निम्नलिखित पद्धति के अनुसार धन की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए ;

(1) प्रथम डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरों पर पाठ्यक्रमों के विविधिकरण सहित विद्यमान संस्थाओं के समेकन और विकास के खर्च का पचास प्रतिशत का प्रबन्ध राज्य आयोजना परिव्यय किया जाना चाहिए तथा बकाया पचास प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य आयोजना उच्चतम सीमा के बाहर राज्यों को सहायता के रूप में उठाना चाहिए ;

(2) अध्यापकों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण आरक्षण सहित तकनीकी संस्थाओं के स्टाफ

ढांचे के पुनरीक्षण, पाठ्यचर्या के सुधार, उद्योगों के सहयोग से सान्त राल पाठ्यक्रमों को चालू करने, प्रयोगशालाओं और कर्मशालाओं इत्यादि को आधुनिकरण करने, जैसे अभी उच्चकोटि के सुधार के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य योजना की उच्चतम सीमा के बाहर राज्यों के शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करनी चाहिए ।

(ग) अखिल भारतीय परिषद द्वारा सुझाई गयी रूपरेखाओं के आकार पर आयोजनाओं को पुन: प्रचार करने के पश्चात ही सही वित्तीय जिम्मेदारियों के ब्यौरे तैयार किए जायेंगे ।

बिहार में मुजफ्फरपुर - सीतामढ़ी - सुरसंद रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

6992. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सुरसंद रोड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोड जनकपुर जाने वाले राजमार्ग से जा मिलती है जो तराई क्षेत्र को काठमांडू और उत्तरी बिहार से मिला देती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जब कि उक्त सड़क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है हाल ही में बिहार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किये जाने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्सा सड़क भी है ; जिसमें सड़क का मुजफ्फपुर-सीतामढ़ी भाग शामिल है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । इस प्रस्ताव की जाच की जा रही है ।

Additional Amount for Construction of Road Bridge Over River Ganga in Patna

69.3. **Shri Ramavatar Shastri** ; Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have urged the Central Government to increase the amount of Rs. 25 crores allocated for the said bridge to be constructed over Ganga at Patna; and

(b) if so, the additional amount demanded therefor and the reasons for making such a demand ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir. The proposed bridge over River Ganga in Patna, when constructed, would fall on a State road. The Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with all matters connected with the said bridge. However, in order to assist the State Government, the Government of India have agreed to a non-Plan loan to meet 50% of the total expenditure on the bridge during the Fourth Five-Year Plan period subject to a maximum limit of Rs. 4·5 crores. The amount of Rs. 25 crores indicates only the total rough estimated cost of the entire project and does not represent any Central allocation,

(b) Does not arise.

एन० सी० ई० आर० टी० के कार्य के बारे में बटुक सिंह समिति का प्रतिवेदन

6994. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० ई० आर० टी० के कार्य के बारे में बटुक सिंह समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : जी, हाँ, । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि सरकार के विचाराधीन है । जब तक सिफारिशों पर आदेश जारी नहीं किए जाते तब तक रिपोर्ट को गोपनीय समझा जायगा । ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ संसद पुस्तकालय में यथा समय रख दी जायगी ।

भारत-अमरीका नौपरिवहन सम्मेलन में माल भाड़े में वृद्धि करने का निर्णय

6995. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका नौपरिवहन सम्मेलनों में भारत आने वाले तथा यहाँ से विदेशों में जाने वाले माल के भाड़े में इस वर्ष के अगस्त के मध्य से पर्याप्त वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो नौपरिवहन सम्मेलन में किस आधार पर माल भाड़े में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) नौपरिवहन के माल भाड़े में इस प्रकार मनमानी वृद्धि करने के विरुद्ध भारत का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । तीन सम्मेलनों अर्थात् (i) कलकत्ता, ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया एंड बंगला देश/यू. एस. ए, सम्मेलन, (ii) वैस्ट कोस्ट आफ इंडिया/पाक/ यू. एस. ए सम्मेलन तथा (iii) इंडिया-पाक/सीलोन/बर्मा/आउटवार्ड ग्रेट सम्मेलन ने इस वर्ष अगस्त के मध्य से भाड़ा प्रभारों में वृद्धि करने का नोटिस दिया है ।

(ख) यह बताया गया है कि (i) नाविकों की मजदूरी, (ii) माल के रख रखाव पर लागत और (iii) सेवा के परिचालन के लिए आवश्यक सामग्री तथा उसकी आपूर्ति के लिए सामान्य स्फीति प्रवृत्ति जैसे भाड़े में वृद्धि परिचालन व्यय के मुख्य वर्गों में अत्यधिक वृद्धि पर आधारित है ।

(ग) सम्बन्धित सम्मेलनों को विरोध पत्र दिये गए हैं तथा उनसे कहा गया है कि वे प्रस्तावित भाड़ा वृद्धि का औचित्य बताते हुए विस्तृत ब्यौरा भेजें तथा भाड़ा वृद्धि को अन्तिम रूप से लागू करने से पूर्व इस मामले पर पोतवणिकों तथा सरकार से चर्चा करें ।

नौवहन विकास निधि द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की अदायगी

6996. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि के माध्यम से देश में नौवाहन के विकास के लिए कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गए हैं और उनमें से अब तक कितने ऋणों की अदायगी हो गई है ; और

(ख) नौवहन विकास निधि द्वारा मन्जूर ऋणों पर किस दर पर ब्याज लिया जाता है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1-4-1972 को नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दिये गये ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) स्वीकृत ऋण 442 38 करोड़ रुपये ।

(ii) वितरित राशि 169.75 करोड़ रुपये ।

(iii) नौवहन कंपनियों द्वारा अदा की गई राशि 37.39 करोड़ रुपये ।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा ऋणों पर प्रभारित ब्याज की दर 8 प्रतिशत है । यदि फिर भी नौवहन कंपनियों द्वारा ब्याज की किस्त और मूलधन की अदायगी निश्चित तिथि पर करते हैं और ऋण की अन्य सब शर्तों को पूरा करते हैं । तो नौवहन विकास निधि सीमित ब्याज की निम्न दर की स्वीकार करती है जो निम्न प्रकार हैं :—

(1) 31-1-1971 तक स्वीकृत ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

(2) 1-2-1971 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों पर 4½ प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में फालतू कर्मचारी

6997. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वस्थता दल के बंद पड़े केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितने कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं;

(ख) ऐसे कुल कितने कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार दिया गया है; और

(ग) राष्ट्रीय स्वस्थता दल के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी रखे गये है तथा उनको क्या कार्य सोंपा गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वस्थता दल निदेशालय द्वारा सरिसका और बरवाह में स्थापित किये गये दो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को क्रमश: जनवरी, 1969 और 30 जून 1969 को बंद किया गया था । इन संस्थानों के बंद होने के समय उनमें कर्मचारियों की कार्यरत संख्या और उन्हें किस तरह से नियुक्त किया गया था इस बात का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है ?

कर्मचारियों का वर्ग	कार्यरत संख्या	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के बाहर रोजगार पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या	राष्ट्रीय स्वस्थता दल में अन्य कार्यों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
कमाडेंट	1	1	—
वरिष्ठ पर्यवेक्षक	3	—	3
शिक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बद्ध कर्मचारी	42	—	42
प्रबन्धक वर्ग III	20	11	9
एकाकी (आइजोलेटिड) पद	7	3	4
वर्ग VI	46	41	5

2. राष्ट्रीय स्वस्थता दल के अन्तर्गत रखे गये कर्मचारियों के लिये नियत किया गया कार्य नीचे दिया गया है।

(क) राज्य सेवाओं में शिक्षण से सम्बद्ध पदों पर नियुक्त करने और प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के कार्य में क्षेत्रीय कार्यालयों को सहायता देने के उद्देश्य से में राज्य सरकारों को क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पर्क के लिये तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को स्थानान्तरित किया गया।

(ख) 42 शिक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बद्ध कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए पदों पर वापस भेज दिये गये थे। जहां से वे कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में गये थे।

(ग) प्रबन्धक वर्ग III के 7 कर्मचारी, दो ड्राइवर, एकाकी (आइजोलेटिड) पदों के 4 धारक और श्रेणी IV के 3 कर्मचारियों को निदेशालय में इन्हीं पदों पर स्थानांतरित किया गया था। श्रेणी IV के बाकी 2 कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए पदों पर नियुक्त कर दिया गया था।

(घ) भाग (ग) में वर्णित कर्मचारियों में से एक निम्न श्रेणी लिपिक (एल० डी० सी.) ने त्याग पत्र दे दिया था। एक स्टोर कीपर, एक ड्राइवर, एकांकी (आइजोलेटिड) पदों के चार धारक और श्रेणी IV के दो कर्मचारी इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य कर रहे हैं। और उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना में, जिन्हें हाल ही में मंजूर किया गया है, में समान पदों पर मंजूर किया गया है, नियुक्त कर लिया जायेगा। बाकी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वस्थता दल में कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाना

6998. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं का अन्य विभागों से लाभ उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रकार कितने कर्मचारी अन्य विभागों में काम कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। वित्त मंत्रालय को उस व्यवस्था का पता है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कुछ कर्मचारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य के लिये और यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहेगी प्रयुक्त किया जा रहा है, जब तक राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये स्वीकृत क्षेत्र-कार्य से संबंधित पदों पर उन्हें औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता। राष्ट्रीय स्वस्थता दल और राष्ट्रीय सेवा योजना दोनों ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम

6999. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितनी महिलाओं ने गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 का लाभ उठाया है ;

(ख) क्या मंत्रालय को इस तथ्य का पता है कि अनेक डाक्टरों ने यह कहा है कि उनकी आत्मा इस काम के विरूद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ डाक्टरों ने बैठकों और गोष्ठियों में अपनी यह कथित आपत्ति व्यक्त की है।

(ग) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम एक अनुज्ञात्मक अधिनियम है। नियम 5 (1) के अधीन कोई भी पंजीकृत चिकित्सक जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी के गर्भ का समापन करना चाहता हो उसे अपने नाम के पंजीकरण के लिये और प्रमाण पत्र पाने के लिये विहित फार्म में आवेदन देना होगा। स्वाभाविक है कि इसके लिये वही लोग आवेदन पत्र भेजेंगे जिनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

विवरण

राज्य/शासित क्षेत्र	गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम1971 का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या
1	2
राज्य	
1. उत्तर प्रदेश	10
2. पंजाब	—

3. हिमाचल प्रदेश	—
4. आन्ध्र प्रदेश	50
5. त्रिपुरा	—
6. महाराष्ट्र	24
7. बिहार	—
संघ शासित क्षेत्र	
1. लक्ष दीव	
2. अरुणाचल प्रदेश	गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम अभी तक वहां लागू नहीं हो रहा है ।
3. दिल्ली प्रशासन	96
4. चण्डीगढ़	29
5 अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन	—

शेष राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परियोजना का बन्द किया जाना

7000. **श्री माधुर्य हाल्दार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में "कृत्रिम रूप से उत्पादित अत्यधिक ऊर्जा वाले कण और अन्तरिक्ष किरण का परस्पर क्रिया अध्ययन" नाम की अनुसंधान परियोजना इस बीच बन्द कर दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त योजना के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरुप कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है और क्या छंटनी किये किये गये कर्मचारियों को इस बीच वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां

(ख) यह परियोजना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 1958—59 में प्रयोजित की गई थी । बाद में 1969—70 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस परियोजना को आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया । चूंकि परिषद द्वारा और अधिक-निधियां स्वीकार की गई, अतः फरवरी, 1972 में परियोजना बन्द कर दी गई ।

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए नियुक्तियां उसी अवधि के लिए की जाती है, जिसके लिए परियोजनायें स्वीकृत होती हैं । इस परियोजना की समाप्ति पर, चार व्यक्तियों को सेवाओं से अलग किया गया था । विश्वविद्यालय द्वारा इन व्यक्तियों को कोई वैकल्पित रोजगार नहीं दिया गया है ।

श्री अरबिन्दो की जन्म शताब्दी कार्यक्रम

7001. **समर गुह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित "श्री अरबिन्दो जन्म शताब्दी समिती" ने अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों में भी श्री अरविन्दो के दो रूपों यथा (एक) भारतीय क्रान्ति के जन्मदाता (दो) आधुनिक भारत के महान मनीषी तथा दार्शनिक, पर समान रूप से बल दिया गया है : और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं और कार्यक्रम की सामान्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ । कार्यक्रम की मुख्य बातें संलग्न अनुबन्ध में दी गई है ।

(ख) और (ग) : श्री अरविन्दो के जीवन के विभिन्न पहलुओं सहित महान क्रांतिकारी के साथ साथ एक मनीषी दार्शनिक चित्रित करने के विचार से योजनायें और कार्यक्रम संलग्न अनुबन्ध में उल्लिखित हैं ।

श्री अरबिन्दो जन्म शताब्दी की योजनायें और कार्यक्रम की मुख्य बातें

	योजनायें और कार्यक्रम	विनिधान
1.	अरुविले शिक्षा परियोजना पांडिचेरी को सहायता	10 लाख रुपये
2.	दाण्डी बाजार बड़ोदा के बंगला संख्या 15 में जो कि जब श्री अरबिन्दो बड़ोदा में थे और उनकी स्मृति से सम्बन्धित हैं वहां अरविन्दो स्मारक स्थापित करने के लिए अनुदान	10 लाख रुपये
3.	संख्या 8 थियेटर रोड कलकत्ता पर जहां श्री अरविन्दो ने जन्म लिया था और बचपन के दिन व्यतीत किये थे वहां श्री अरविन्दो स्मारक स्थापित करने के लिए सहायता	1 लाख रुपये
4.	अरुविले, पांडिचेरी पर भारत निवास परियोजना के लिए सहायता	10 लाख रुपये
5.	श्री अरबिन्दो आश्रम पर युवा छात्रावास निर्माण के लिए	2·50 लाख रु०
6.	श्री अरविन्दो आश्रय पांडिचेरी पर वर्तमान सभा भवन का पुन: प्रतिमान और पुन: निर्माण	2·50 लाख रुपये
7.	भवनेश्वर पर श्री अरविन्दों भवन के निर्माण के लिए सहायता	1 लाख रुपये
8.	'श्री अरविन्दो एक्शन' के लिए वित्तीय सहायता	1 लाख रुपये
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित श्री अरविन्दो स्मारक भाषणों के लिए अक्षय निधि	3 लाख रु०

10.	श्री अरविन्दो पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए सहायता	1·50 लाख रु०
11.	श्री अरविन्दो पर अन्तराष्ट्रीय सेमिनार	2 लाख रु०
12.	श्री अरविन्दों के लेखों का वितरण और खरीदी	3 25 लाख रु०
13.	श्री अरविन्दों के जीवन और शिक्षाओं पर पुस्तक का प्रकाशन	1 लाख रु०
14.	श्री अरविन्दो पर बड़े रिकार्डों को तैयार करना और वितरण करने के लिए	0·25 लाख रु०
15.	श्री अरविन्दो बाल केन्द्रों की स्थापना	10 लाख रु०

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त जिनके लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा की गई व्यवस्था में से खर्च पूरा करना है। जन्म शताब्दी समिती की सिफारिश पर निम्नलिखित मन्त्रालयों ने भी जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं।

1. **सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय**

जन्म शताब्दी से सम्बन्धित सार्वजनिक समारोहों को व्यापक फैलाव देने के लिए और विभिन्न सार्वजनिक संचार साधन एककों के जरिये विशेष कार्यक्रमों का भी प्रबन्ध करना है।

2. विदेश भारतीय मिशन में जन्म शताब्दी को मनाने के लिए विदेश मन्त्रालय ने कार्यक्रम तैयार किए हैं।

3. 15 अगस्त, 1972 को संचार मन्त्रालय श्री अरविन्दों की विशेष डाक टिकटें निकालेगा।

अक्तूबर, 1972 को पैरिस में होने वाले यूनेस्कों के अगले सामान्य सम्मेलन के दौरान, उचित ढंग से जन्म शताब्दी बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री अरबिन्दों का जन्म स्थल 8 थियेटर रोड, कलकत्ता का संरक्षण

7002. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या 8 थियेटर रोड, कलकत्ता को, जहां श्री अरबिन्दों का जन्म हुआ था संरक्षण दिया जायेगा,

(ख) क्या "भारतीय क्रान्ति के जन्मदाता" के इस जन्म स्थान का उपयोग बंगलादेश की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के मुख्यालय के रूप में किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो क्या श्री अरबिन्दों को विरासत को बनाए रखने में बंगलादेश की क्रांति के इतिहास को भी इसके साथ जोड़ा जायेगा ?

शिक्षा और सभाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव : (क) से (ग) : श्री अरविन्द जन्म शताब्दी के लिए राष्ट्रीय समिति ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से 8 थियेटर रोड, कलकत्ता के भवन के स्वामित्व को श्री अरविन्द आश्रम न्यास,

पाडिचेरी को हस्तांरित करने की प्रार्थना पश्चिम बंगाल सरकार से की है जो कि इसे श्री अरविन्द स्मारक के रूप में बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इस स्मारक का स्वरूप तथा श्री अरविन्द परम्परा का परिरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इस बात का निर्णय करना उक्त न्यास का विषय है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बंगला देश की अस्थायी सरकार मुजीबनगर से कार्य कर रही थी।

उस जेल की कोठरी का रख रखाव जहाँ श्री अरबिन्दों को कैद में रखा गया था

7003. **श्री समर गुह** . क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता प्रेसीडेंसी जेल में उस कोठरी की रख रखाव के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं जहाँ श्री अरविन्दों को कैद में रखा गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : श्री अरबिन्द शताब्दी मनाने के लिए स्थापित की गई पश्चिम बंगाल समिति से अनुरोध किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से इस मामले की जांच की जाय।

Scheme for Loans to Farmers for Purchase of Bullocks, Manure, Seeds and Milch Cattle

7004. **Shri G. P. Yadav)** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to give loan or grants to small farmer for purchasing bullocks, manure, seeds and much cattle; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) & (b) : Two Central Sector pilot schemes for assisting small farmers, marginal farmers and agricultural labourers are under implement tion in 87 project areas. Under these schemes, the Agencies have to ensure arrangements for supply of adequate inputs and services and loans for investment in agriculture and subsidiary occupations to small and marginal farmers and agricultural labourers. Emphasis is placed on development of agriculture under the S.F.D.A. Scheme and on 'mixed farming' under the MFAL Scheme. Subsidy for investmental purpose to the extent of 25% of the capital cost is being provided under the first scheme and in the latter upto 33-1/3% Uuder SFDA Scheme, subsidy is given for purchase of bullocks and milch cattle. For demonstration of improved agricultural practices, inputs can be subsidized upto Rs. 200/— per small/marginal farmer in the SFDA areas. Under the MFAL Scheme subsidy for inputs including manure and seeds as also investment purposes such as purchase of bullocks, milch cattle etc. is being provided.

Central Grants to small Farmers Development Agency

70(5. **hri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount given by the Central Government to small farmers for development of agriculture under the Development Scheme for small farmers and the names of Districts in Bihar where the said scheme has been introduced and the amount spent thereon;

(b) whether other Districts would also be covered under this scheme during 1972-73; and

(c) if so, whether it is proposed to cover Bhagalpur Dirtrict in Bihar under this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a 1. The Government of India releases funds to the S.F.D. agencies which operate the schemes for the development of small and marginal farmers. No direct grant to small farmers is given by the Government of India.

2. In Bihar, the SFDA scheme is in operation in the districts of Champaran, Purnea and Patna.

3. For the Fourth Five Year Plan a sum of Rs. .50 crores approximately has been a'located for e :ch SFDA project. A sum of Rs. 20.00 Lakhs has so far been sanctioned for the.SFDA, Champaran, Rs. 32.17 Lakhs for SFDA, Purnea and Rs. 21.00 Lakhs for SFDA, Patna.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Assurance for Supply of Fertiliser to M. P. for the Kharif Crop of 1972

7005. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) whether in the Zonal meeting held in September, 1971 the Central Government had given an assurance to the Government of Madhya Pradesh in regard to the supply of 70 thousand tonnes of urea, 5 thousand tonnes of ammonium sulphate, 35 thousand tonnes of D.A.P. and 7 thousand tonnes of composite fertilisers to the State for the Kharif crop of 1972;

(b) if so, the quantity of fertilisers actually supplied so far;

(c) whether the Central Government have received reports from Madhya Pradesh in regard to acute shortage of fertilisers there; and

(d) if so, the steps being taken to meet the shortage of fertilisers immediately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) In the Zoeal Conference held in September '71, the State Government's requirement of the supply of 70,000 tonnes of urea, 5000 tonnes of Ammonium Sulphate 35,000 tonnes of DAP and 000 tonnes of NPK, were noted for the Kharif '72 season from the Central Fertiliser Pool. Pool fertilisers are, however, actually supplied on the basis of the allotments made by the Ministry, keeping in view the overall demands and the availability of stock.

(b) The quantity of fertilisers supplied to the State Govt. from January, 1972 onwards is as fallows :

1.	Urea	21939
2.	DAP	9924

(c) The State Government have intimated that there is shortage of fertiliser and have requested for adequate supplies.

(d) The question of supply of fertilisers to the State Government has further been considered in the Central Zonal Conference held on the 13th April, 1972. To meet the requirements of the State, after taking into account the promised supplies of 36,478 tonnes of urea to be made by the domestic manufactures and the stocks available in the State, the initial allotment of 5,000 tonnes of Urea from the Central Fertilizer Pool for the April-June 1972 quarter has been enhanced to 32,600 tonnes,

In respect of DAP, 9,924 tonnes were supplied to the State Government from Janu-

ary to March '72, which will be used for Kharif, '72. The State Government have been promised a supply of 1,00,000 tonnes of super-phosphate and 9,000 tonnes of Urea Ammonium Phosphate (28 : 28 : 0) by the domestic manufacturers to meet their requirements of phosphatic fertilisers for Kharif, '72.

विदेशी जहाजरानी-व्यापारियों का भारतीय जहाजी-व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार

7007. **श्री बी० वी० नायक :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २६ अप्रैल, 1972 के इंडियन एक्सप्रैस में "फौरेन शिप्पर्स नाट फेयर बिड़ला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अखिल भारतीय जहाजी व्यापारी परिषद् के चैयरमैन ने अनेक विदेशी जहाजी व्यापारियों पर यह आरोप लगाया है कि उनका भारतीय जहाजी व्यापारियों के साथ व्यवहार उचित नहीं है तथा सुझाव दिया है कि उनके विरूद्ध राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां २८ अप्रैल, 1972 को हुई अखिल भारतीय पोतवणिक परिषद् की बैठक में श्री एल० एन० बिरला ने कहा बताया गया है कि विदेशी जहाज मालिकों का भारतीय पोतवणिकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। समस्याओं में से कुछ, उस ढंग के कारण पैदा हुये हैं जिस तरह कि नौवहन सम्मेलन पद्धति कार्य करती है।

(ख) अकसर भाड़ा वृद्धियों की समस्या और विभिन्न नौवहन सम्मेलनों द्वारा अपनाई गई अन्य कार्य प्रणालियों के प्रति सरकार जागरूक है। जहां कही भी आवश्यक हो, सरकार की सहभागिता सहित वाणिज्यिक स्तर पर सम्मेलनों और पौत वाणिकों के बीच नौवहन और भाड़ा दर संबंधी समस्याओं को अलग करने के लिए एक विवेचन फार्मूला बनाया गया है। इन बड़े बड़े सम्मेलनों में से एक अर्थात् भारत । यू० के०। महाद्वीपीय सम्मेलन ने औपचारिक रूप से इस फार्मूले से सहमति प्रकट की है। सामान्य दर वृद्धियों को पवृत्त करने से पहले कुछ अन्य सम्मेलनों ने भी पौत-वाणिकों से परामर्श करना शुरू कर दिया है। सरकार सम्मेलन कार्य-प्रणालियों को नियमित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आचरण संहिता का निर्माण करने के लिए भी प्रयत्न कर रही है।

बोन में हुई भारत पश्चिम जर्मनी की बैठक

7008. **श्री एम० राजंगम** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद के क्षेत्रों में विनियम के बारे में भरात तथा पश्चिम जर्मनी के शिष्टमंडलों के बीच बोन में तीन दिन की एक बैठक हुई थी :

(ख) क्या दोनों शिष्टमंडलों ने उच्च शिक्षा, विज्ञान, कला साहित्य, फिल्म, रेडियो, संग्रहालय, खेल कूद एवं युवकों के बारे में भी चर्चा की और तत्सम्बन्धी ब्यौरे कम हैं; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 24 से 26 अप्रैल, 1972 तक बोन में हुई स्थायी भारत-संघीय जर्मन गणराज्य संयुक्त समिति की बैठक की कार्यवाहियों में ब्यौरे दिए गए हैं। कार्यवाहियों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) क्योंकि प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, अतः इसकी प्रति सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

तत्कालीन दिल्ली परिवहन उपक्रम के अधिकारियों से स्कूटरों के आवंटन के लिए प्राप्त तथा दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत विचाराधीन आवेदन-पत्र

7009. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन दिल्ली परिवहन उपक्रम के अधिकारियों से कितने आवेदन–पत्र सामान्य तथा प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कोटे में से स्कूटरों के आवंटन के लिये इस समय दिल्ली प्रशासन के विचारधीन है,

(ख) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करने से स्कूटरों के आवंटन हेतु सभी विचाराधीन मामले आवश्यक कार्यवाही के लिये परिवहन मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे ; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के कितने आवेदन पत्र वर्ष 1969 से विचाराधीन पड़े हैं और इन मामलों में स्कूटरों के आवंटन में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 12

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन निगमों के कर्मचारियों का स्कूटरों का आवंटन करने के बारे में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय को अन्तरण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) कोई भी आवेदन पत्र 1969 से लम्बित नहीं है। 12 लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जिस वर्ष प्राप्त हुआ	संख्या
1970	4
1971	3
1972	5

संभाव्य तिथि, जब तक कि लम्बित प्रार्थना पत्रों के लिये स्कूटरों के आवंटन किए जाने की संभावना है, के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली की कालोनियों में पानी तथा जल निकास की सुविधायें

7010. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोहर पार्क, मदन पार्क, छुन्नामल पार्क दिल्ली-35 में पानी तथा नालियों की सुविधायें नहीं हैं जिससे इन कालोनियों में रहने वाले 10, 000 लोगों को भारी असुविधा होती है ;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में मनोहर पार्क, मदन पार्क, छुन्नामल पार्क के निकट नजफगढ़ नाला ढका हुआ नहीं है जिसके कारण सड़ांध आती रहती है ; और

(ग) उक्त निवासियों की असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का उपरोक्त कार्यों को कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली-35 के क्षेत्र में आने वाले मनोहर पार्क, मदन पार्क तथा अन्य कालोनियों में स्कूलों का खोला जाना

7011. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनोहर पार्क, मदन पार्क, छुन्नामल पार्क, अशोक पार्क, मैन तथा एक्सटेंसन, फूल बाग, गोल्डन पार्क, जयदेव पार्क, भगवानदास नगर, पंजाब गार्डन, पावर हाउस, दिल्ली-35 में रहने वाले लोगों के लिए एक मिडिल तथा एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का है ;

(ख) क्या इन कालोनियों में रहने वाले लड़के तथा लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए बहुत दूर के स्थानों पर जाना पड़ता है ; और

(ग) वहां के निवासियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मिडिल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल कब तक खोले जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों की इन कालोनियों की शैक्षणिक आवश्यकतायें समीप की कालोनियों में स्थापित विद्यमान सरकारी स्कूलों द्वारा पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-35 क्षेत्र की कालोनियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना

7012. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोहर पार्क, मदन पार्क, छुन्नामल पार्क, अशोका पार्क मुख्य और विस्तार फूल बाग, गोल्डन पार्क, जयदेव पार्क, भगवानदास नगर पंजाब गार्डन, पंजाबी बाग तथा पावर हाउस में दिल्ली-35 क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए इनमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह औषधालय कब तक खोला जायगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जिन क्षेत्रों में दो से ढाई हजार तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रह रहे हों वहां पर पैसा और उपयुक्त स्थान का इन्तजाम हो जाने पर धीरे धीरे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है। पंजाबी बाग क्षेत्र को पहले ही इस योजना के अन्तर्गत ला दिया गया है। इस क्षेत्र का कुछ भाग मोती नगर औषधालय और कुछ शकूरबस्ती औषधालय के अधीन रख दिया गया है। फिलहाल इन अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को नियंत्रण में लेना

7013. **प्रियंजन दास मुन्शी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय, के सुचारु रूप से संचालन के लिये उसके प्रबन्ध को मंत्रालय द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या विश्वविद्यालय के विकास के लिए मंत्रालय अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने को तैयार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) सरकार का कलकत्ता विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में लेने का कोई विचार नहीं है।

(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय विकास करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1966–74 की अवधि के लिए 125.45 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। आयोग ने इन कार्यों के लिए एक समिति भी स्थापित की है : (क) मोटे तौर पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसे विश्वविद्यालय के लिए आगामी लगभग दस वर्षों तक पूरा करना अपेक्षित होगा तथा विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुभागों की विकासात्मक आवश्यकताओं की जांच करना ; (ख) शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत कालेजों की चुनी गई संस्थाओं पर दिये गए दर्जे के प्रश्न की जांच करना तथा विश्व–विद्यालयों और इसके कालेजों के बीच संबंधों पर विचार करना ; (ग) उपरोल्लिखित को ध्यान में रखते हुये, विश्वविद्यालय के ढांचे तथा संगठन में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना जिससे यह अपनी भूमिका और दायित्व प्रभावी और पर्याप्त रूप से निभा सके ; और (घ) इसकी सिफारिशों की वित्तीय जिम्मेदारियाँ सूचित करना। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और आयोग द्वारा उस पर विचार किए जाने के बाद ही मामले की आगे की कार्यवाई पर विचार किया जा सकता है।

भा त में स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास के बारे में दस्तावेज

7014. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारत में स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का सामान्य दस्तावेज तैयार कर रहा है जिसे भारतीय स्वतंत्रता के रजत जयंती समारोह पर भारत के कोने-कोने में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां । औसतन शिक्षित भारतीय पाठकों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए "स्वतंत्रता संग्राम की कहानी" सभी भारतीय मुख्य भाषाओं में प्रकाशित किये जाने का निर्णय किया गया है । यह कार्य राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंपा गया है । इस पुस्तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह उस मूल्य पर उपलब्ध की जाएगी जिससे औसतन पाठक भी इसे खरीद सकें ।

(ख) यह पुस्तक अंग्रेजी तथा एक या दो भारतीय भाषाओं में 15 अगस्त, 1972 को प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ।

बगला देश की स्वतन्त्रा के बाद पश्चिम बंगाल में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन

7015. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में चीनी उद्योग को नये सिरे से प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में किन विशेष तत्वों का विकास हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी बोजों की खेती के लिए कृषि के आधुनिक तरीके

7016. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी बीजों की खेती के लिये कृषि के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां इन का विकास हुआ है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक पश्चिम बंगाल में क्या विशेष उपाय किये गए ?

कृषि मन्त्रलय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारत सरकार विदेशी बीजों की काश्त को प्रोत्साहित नहीं करती है और ऐसे बीजों का भारत में छोटी मात्रा में केवल परीक्षण और स्थानीय किस्मों के साथ संकरण के लिए ही प्रयोग किया जाता है । मैक्सिकों से

बड़ी मात्रा में गेहूं के बीजों और फिलिपाइनस से धान के बीजों का आयात इस नियम का अपवाद है।

(ख) गेहूं और धान के आयातित बीज तथा परीक्षणों और संकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विकसित किये गये उपयुक्त बीजों की विभिन्न किस्में सब राज्यों को उपलब्ध की जाती है।

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लिटल्स की कमी

7017. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लिटल्स' की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा उसका क्या परिणाम निकला।

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहड़िया) : (क) देश में मसूर सहित प्रायः दालों की कमी है।

(ख) प्रस्तावित फसलों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) बहु-फसलीय कार्यक्रम में मैसूर की खेती प्रारम्भ।

(2) रिजोवियम कल्चर के साथ-2 फोसफेट का उर्वरीकरण।

(3) अधिक उपज देने वाली और रोग रोधक किस्मों का विकास।

(4) कीटों और रोगों के बचाव के लिये प्रभावी और मितव्ययी उपाय। इन उपायों के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जहाजरानी की माल ढोने की क्षमता

7018. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में समुद्रपार तथा अन्तर्देशीय व्यापार दोनों के लिये भारतीय जहाजरानी की माल ढोने के लिये भारतीय जहाजरानी की माल ढोने की क्षमता को बढ़ाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ख) 1969-70: 1970-71 तथा 1971-72 में वास्तव में उसमें कितनी वृद्धि हुई ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नौवहन की माल ढोने की क्षमता का लक्ष्य समूचे योजना काल के लिए निर्धारित किया जाता है न कि वर्ष भर के लिए। चौथी योजना में 40 लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य प्राप्त करना है जिसमें से 35 लाख जी० आर० टी० परिचालनात्मक होगा।

(ख) इन वर्षों में जोड़ा गया निवल परिचालनात्मक माल ढोने की क्षमता निम्न प्रकार थी :—

1969–70	1 87 लाख जी० आर० टी०
1970–71	1·06 " " " "
1971–72	0·85 " " " "

31 मार्च 1972 को आदेश पर 14, 31, 450 जी० आर० टी० के अतिरिक्त परिचालनात्मक ढोने की क्षमता 25, 20, 420 जी० आर० टी० हो गयी थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आवास स्थल की व्यवस्था

7019. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीनो एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आवास स्थलों की व्यवस्था करने में गत दो वर्षों से राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं ? और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) : ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत हुई धीमी प्रगति के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिये आवास स्थल की व्यवस्था के लिये एक नई योजना केन्द्रीय क्षेत्र में अक्तूबर 1971 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना में राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता अनुदान की व्यवस्था है तथा 1972-73 के दौरान इसके लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह निश्चित किया गया है कि योजना के कार्यान्वियन में, केवल उन्हीं जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिनमें भूमिहीन मजदूर, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के मजदूर काफी संख्या में संकेन्द्रित हैं।

विवरण

ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में अर्थात 1970-71 तथा 1971-72 में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दिये गये आवास-स्थल।

राज्य का नाम	दिये गये आवास स्थलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	146
2. गुजरात	355
3. केरल	80
4. हरियाणा	14
कुल	595

अन्य किसी राज्य ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रगति की सूचना नहीं दी।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम

सभी धर्मों तथा जातियों के लोगों पर लागू होती है । अनुसूचित जातियों । जन जातियों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

पुराने ढंग के दीक्षांत समारोह की प्रथा का समाप्त किया जाना

7020. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने और किन-किन विश्वविद्यालयों ने 'ऐरीमोनियल गाउन' के साथ मनाये जाने वाले पुराने ढंग के दीक्षाँत समारोह की प्रथा को समाप्त कर दिया है;

(ख) पुराने ढग के दीक्षांत समारोह को जारी रहने देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार विश्वविद्यालयों से इस ढंग की पुरानी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विश्वविद्यालय तथा कोलिज के दीक्षांत समारोहों के हेतु विधि कार्य प्रणाली एवं शैक्षिक वस्त्रों का निर्धारण विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों में किया गया है, जो कि स्वायत्त संगठन है ।

गोरखपुर में नसबन्दी के गलत आपरेशनों के कारण जहरबाद के मामले

7021. **श्री नरसिंह नारायण पाँडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर डिवीजन में किये गये नसबन्दी आपरेशनों में से जहरबाद के कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(ख) इस सम्बन्ध में गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मजगाँव डाक्स' तथा गार्डन रीच वर्कशाप' का विस्तार

7022. **बनमाली पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम में सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान शिपयार्ड मजगांव डाक्स' तथा गार्डन रीच वर्कशाप' के विस्तार का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उनसे देश की आवश्यकतायें किस हद तक पूरी होंगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग), मजगांव गोदी में पहले ही विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा हो गया है और जिससे इसका लियंडर प्रकार के फ्रिगेटा और यात्री-एवं-मालवाही जहाजों के भी बनाने के कार्य को शुरू करने में सहायता दी है। नौपोत निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो इस शिपयार्ड के और विस्तार पर विचार किया जायेगा। हिन्दुस्तान शिपयार्ड और गार्डन रीच वर्कशाप इस समय निम्न प्रकार से विस्तार कार्यक्रम की अभिपूर्ति कर रहे हैं:—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड :

(i) शिपयार्ड का समेकित विकास कार्यक्रम।

(ii) जलीय थाल का निर्माण।

(iii) सूखी गोदी का निर्माण जो कि लगभग पूर्ण है।

गार्डन रीच वर्कशाप

(i) मौसम सूखी गोदा संख्या 1 का आधुनिकीकरण करके, सूखी गोदी का निर्माण करना।

(ii) फिंगर टाइप फिटिंग आऊट जेटी का निर्माण।

(iii) सहगढ़ाई, स्थापना आदि के लिये वर्कशापों में सुविधाओं का सुधार करना।

इन कार्यक्रमों के पूरे हो जाने पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता में 3 जहाजों से बढ़ाकर 13000 डी डब्लू टी के लगभग 6 जहाजों तक की वृद्धि कर दी जाएगी और गार्डन रीच वर्कशाप, प्रतिवर्ष 15000 डी डब्लू टी 25000 डी डब्लू टी तक के 2 जहाज बनाने में समर्थ हो जायेंगी।

सरकारी क्वार्टर रखने वाले सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से वसूल किया गया किराया

7023. **श्री ओंकर लाल बरूआ** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जिन सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों में रहने की अनुमति दी गई है उनसे प्रति मास कितना किराया वसूल किया जा रहा है।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : आवंटन नियमों के अधीन, एक सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी दिल्ली में सामान्य पूल वास को सेवा-निवृत्ति की तारीख से 2 माह की अवधि तक सामान्य लाइसेन्स फीस की अदायगी पर रख सकता है। विशेष मामलों में, एक आवंटी को, मूल नियम 45-ए के अधीन दुगुनी मानक लाइसेन्स फीस अथवा मूल नियम 45-ए के अधीन दुगुनी पूलित मानक लाइसेन्स फीस इनमें जो भी अधिक हों, की अदायगी पर 6 मास का अतिक्रमण न करने वाली और अवधि तक सरकारी वास रखने की अनुमति दी जा सकती है। यदि आवंटी इस अवधि के बाद मकान में रहता है तो इसे अनधिकृत दखलकार माना जाता है और उससे बाजार दर पर क्षतिपूर्ति वसूल की जाती है।

Complaints About Harassment of Farmers by Employees of F.C.I.

7 24. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to srate :

(a) whether Government have received complaints about the harassment of farmers by the employees of the Food Corporation of India, who procure food-grains on behalf of the Government;

(b) whelher Government have also received complaint that officers of the Corporation make over-weighments; and

(c) if so, the nature of complaints and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) : Massive procurement of foodgrains is being undertaken by the Food Corporation of India and other procuring agencies throughout the country. Government have received a few complaints containing allegations of harassment of farmers, non-purchase of wheat, issue of less receipts; down-grading or rejection of wheat without justification, non-payment of the correct price, bribery, etc. The complaints are promptly investigated and suitable remedial measures are adopted where necessary.

Free Higher Secondary Education in Delhi

7025. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Education Ministry has asked Delhi Administration to impart free education upto High Secondary state;

(b) whether the Delhi Administration has made such a demand to the Central Goveroment;

(c) if so. the main features and the extent of additional expenditure likely to be incurred on this account; and

(d) the time by which this scheme is likely to be enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) ; (a) No Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d): The main features of the proposal is to make education free for all children upto Higher Secondary stage. The approximate annual expenditure in implementing the scheme will be as under :—

Loss of revenue from Government Schools	Rs. 65 lakhs
Payment of additional grant-in-aid to aided schools.	Rs. 35 lakhs

The implementation of the Scheme depends **inter-alia** on the availability of funds. No final decision has been taken so far.

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा शुरू की गई नई योजनायें

7026. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने भण्डार करने की क्षमता तथा सहकारी

समितियों की शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिये 17.5 करोड़ रुपये की दो नई योजनायें आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में 17·5 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली (1) सहकारी भण्डारण तथा (2) सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार को मजबूत करने की केन्द्रीय क्षेत्र की दो नई योजनायें कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। ये दोनों योजनायें केन्द्रीय सरकारों की ओर से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चलाई जायेंगी और राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता निगम के माध्यम से दी जाएगी।

(ख) इन दोनों योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:—

1. **सहकारी भण्डारण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** : (1) यह योजना इस दृष्टि से बनाई गई है कि कृषि उपज और निवेशों के भण्डारण के लिये ग्राम स्तर तथा मण्डी। रेल हैड स्तर पर चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मीटरीटन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार की जा सके।

(2) इस योजना में 15.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है। ऋण घटक, अर्थात् 9·40 करोड़ रुपये, जो कुल परिव्यय 62½ प्रतिशत भाग बनता है, को राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव है।

(3) प्रचुर कृषि सम्बन्धी संभाव्यता रखने वाले क्षेत्रों और उन मण्डियों अथवा अन्य स्थानों, जहां भण्डारण के अभाव में कृषि उपज अथवा निवेशों को एकत्र करने में बाधा पड़ रही है, में सहकारी समितियों की भण्डारण सम्बंधी आवश्यकताओं की विशेष रूप से पूर्ति की जाएगी।

(4) वित्तीय सहायता निर्माण की वास्तविक लागत और क्षेत्र विशेष में निर्मित किए जाने वाले गोदामों की किस्म के अनुसार दी जाएगी, लेकिन गोदामों के निर्माण की औसतन लागत 150 रु० प्रति मीटरी टन ली गई है।

(5) ग्राम सहकारी समितियों और प्राथमिक, जिला, क्षेत्र अथवा शीर्ष स्तर पर कार्य कर रहीं सहकारी विपणन। विधायन समितियों को गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु विचार किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत चीनी कारखानों, कताई मिलों और पटसन मिलों जैसी बड़े पैमाने की सहकारी विधायन समितियों को गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। पुनर्वित निगम द्वारा मंजूर किए जा चुके अथवा उसके द्वारा सहायता देने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(6) पहले उन सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अपनी अथवा किराए की भण्डारण सुविधा नहीं हैं: द्वितीय स्थान पर अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली सहकारी समितियों के बारे विचार किया जाएगा; और तीसरे स्थान पर उन सहकारी समितियों को लिया जाएगा, जो अपने पास किराये की उपलब्ध क्षमता के स्थान पर गोदामों का निर्माण करने का इरादा रखती हैं।

(7) यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण कार्य साधारणतया ज्यादा से ज्यादा दो कार्य

मौसम में और जगह लेने के एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। सहायता की प्रथम किस्त जगह लेने के बाद अथवा सम्बन्धित समिति के पास जगह होने पर ही दी जायेगी।

2. **सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार को मजबूत करना** : (1) इस योजना, जिसमें चतुर्थ योजना के अन्तिम दो वर्षों में 2.50 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है, का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज वाली किस्मों वाले कार्यक्रम तथा अन्य विशेष कृषि कार्यक्रम वाले क्षेत्रों, जो प्रचुर विपणन अधिशेष की सम्भाव्यता रखते हैं, में स्थित लगभग 400 चुनी सहकारी विपणन समितियों कोसहायता देना है। यह सहायता अतिरिक्त सरकारी अंशपूंजी के रूप में होगी जिससे कि वेउत्पादकों की ओर से कृषि पदार्थों का अधिक विपणन आरम्भ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि निवेशों तथा उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित कार्यकर पूंजी प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाली सभी चुनी समितियों को यदि एक साथ लिया जाये तो उनसे तीन वर्षों के अन्त में लगभग 25 करोड़ रु० प्रति वर्ष की कुल अतिरिक्त बिक्री प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है।

(2) राज्य सरकारों को राज्य योजना की उच्चतम सीमाओं से बाहर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे कि वे चुनी सहकारी विपणन समितियों को दो किस्तों में अतिरिक्त अंशपूंजी दे सकें। प्रत्येक प्राथमिक विपणन समिति को दी जाने वाली औसतन सहायता का अनुमान 60,000 रु० लगाया गया है। किन्तु इस सहायता की धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं तथा वर्धित व्यापार कार्यक्रम आरम्भ करने की क्षमता के आधार पर प्रत्येक समिति की भिन्न-भिन्न होगी। तथा, प्रत्येक प्राथमिक विपणन समिति को दी जाने वाली सहायता की उच्चतम सीमा एक लाख रु० है और उच्च स्तरीय समिति के लिये यह सीमा 5 लाख रु० है।

(3) सहायता की प्रथम किस्त इन समितियों के चुने जाने पर इनके द्वारा आरम्भ किए जाने वाले विशिष्ट विस्तारित व्यापार कार्यक्रम के अनुसार धनराशि की आवश्यकता के आधार पर देने का प्रस्ताव है। दूसरी किस्त अगले वित्तीय वर्ष में तब दी जाएगी जब सदस्य अंशपूंजी में यथानुपात अंशदान देंगे और प्रथम वर्ष के लिये परिकल्पित व्यापार कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें

7027. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है और खारा है तथा ऐसे ग्राम कितने हैं जिनमे न तो मीठे पानी के और न ही खारे पानी के कुएं हैं; और

(ख) कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पानी दूर के ग्रामों से ऊंट गाड़ियों और बैल गाड़ियों पर लाना पड़ता है ;

(ग) क्या इस प्रकार के ग्रामों में वर्षा का पानी सुरक्षित रखने के लिए पानी के कुएं बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो वह कौन-कौन से ग्राम हैं और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Reduction in Medical Coures

7028. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have recommended that with a view to over-coming the shortage of doct rs in the country, five years course should be replaced by three years course so that one health centre could be set up for every five thousand people; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof D. P. Chattopadhyaya) : (a) There has been no such recommendation by the Planning Commission.

(b) Does not arise.

Recruitment of Posts of Vice-principals of Schools in Delhi Under U.P.S.C. (Exemption from Consultation Regulations, 1958)

029 **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1777 on 3rd April, 1972 regarding recruitment to posts of Vice-Principals of Schools in Delhi under U.P.S.C. (Exemption from consultation) Regulations, 1958 and state :

(a) whether Government propose to amend the U.P.S.C. Exemption Regulations so that 50 percent of the vacant posts could be filled up through U P.S.C. and the remaining 50 percent through Departmental promotions, as is being done in the case of other gazetted pos s; and

(b) if so, the salient features of the revised regulations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) There is no proposal to amend the existing Recruitment Rules for promotion to the posts of Vice-Principals.

(b) Does not arise.

Medium of Instruction in Various Universities

7030. **Shri Narendra Singh Bisht** :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of Universities functioning in the country; and

(b) the medium of instructions at various levels in each of the said Universities ?

The Minister of Education and sacial Welarfe and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) At present there are 86 universities in the country. In addition 9 Institutions have been declared as 'institutions deemed to be universities' under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

English as Optional Subject in Schools

7031. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Education & Social Welfare**

be pleased to state the names of the States in the country where English has been declared as an optional subject at each level (High School, Higher Secondary) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

बाघों, शेरों तथा गेंडों की गणना तथा उनके परिरक्षण के लिए कार्यवाही

7032. **श्री के० कोडडा रामी रेड्डी :** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 की तुलना में इस समय बाघों, शेरों तथा गेंडों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में उपरोक्त वन्य पशुओं की संख्या में कोई भारी कमी हुई है और यदि हां, तो कितनी, और

(ग) उनकी संख्या में कमी हो जाने के क्या कारण हैं तथा इनकी नस्लों के परिरक्षण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1960 में बाघों, शेरों और गेंडों की संख्या का पता नहीं है क्योंकि उस वर्ष गणना नहीं की गई थी। पग चिन्हों को गिनकर गीर शेरों की गणना 1965 में की गई थी। जिसके अनुसार उनकी संख्या 285 थी। देखकर शेरों की संख्या 1968 में की गई जो 177 थी तब से शेरों की कोई गणना नहीं की गई हैं।

इन गरमियों में सारे देश में वाघों की गणना पहली बार को जा रही हैं और परिणाम लगभग अगले दो महीनों में मिल जायेंगे। देश में गेंडों की गणना भी पहले नहीं की गई है। 1966 में केवल काजीरंगा आश्रय स्थल में गेडों को गणना की गई थी। जिसके अनुसार उनकी संख्या 366 थी। काजीरंगा में गेडों की गणना इस वर्ष फिर की गई है। और अब उनकी संख्या 671 है।

(ख) प्रकृति विज्ञानियों का मत है कि उपरोक्त पशुओं की संख्या में काफी कमी हुई है परन्तु इसकी जांच नहीं की जा सकती क्योंकि भूतकाल में कोई वास्तविक गणना नहीं की गई है। तथापि काजीरंगा आश्रय स्थल में गेडों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) बाघों की संख्या में कमी के कारण उनके रहने के स्थान में कमी और अधिक शिकार करना हो सकते हैं। शेरों की संख्या में कमी का कारण मानव दखल और रहने के स्थान में कमी है। गेडों की संख्या में कोई कमी नहीं है।

इन नसलों की रक्षा के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) वन्य प्राणि आश्रय स्थल के रूप में उपरोक्त पशुओं के लिये जहां इन पशुओं की दृढ़ता से रक्षा की गई है, प्राकृतिक रहने के स्थान बनाये जा रहे हैं।

(2) देश में इन तीनों नसलों के सब पशुओं को मारने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(3) वैज्ञानिक प्रयोजनों के सिवाय इन तीनों नसलों के सब पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। उनके उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध मौजूद है।

(4) रक्षा करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई हैं।

(5) वन्य प्राणि और उनके उत्पादों की आवा जाई और उनके व्यापार को विनियमित करने के विषय में एक विस्तृत कानून बनाने का प्रस्ताव है ।

(6) बाघों की रक्षा के लिये परियोजना तैयार करने हेतु एक सुरक्षा दल बनाया गया है ।

(7) गीर आश्रय स्थल में वाड लगा कर चराई बन्द कर दी गई है और "नीसेस" को आश्रय स्थल से हटाने का भी प्रस्ताव है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राष्ट्रीय फिटनेस कोर के कर्मचारियों का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारों को सौंपना

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Education and Social Welfare to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Reported decision of the Government of India to transfer the administrative control of the National Fitness Crops to State Governments without finalising the service conditions of about 7000 instructors who will be thrown at the mercy of different State Governments."

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : वक्तव्य काफी लम्बा है । मैंने इसमें सभी बातों को विस्तार से बताया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को प्रति मिल गई है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम पढ़ लिया गया मानते है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : राष्ट्रीय स्वस्थता कोर उस राष्ट्रीय अनुशासन योजना का उत्तरवर्त्ती संगठन है जिसे शरणार्थी शिविरों तथा कालोनियों की युवा पीढ़ी में अनुशासन उत्पन्न करने तथा उन्हें सामूहिक व्यायाम का प्रशिक्षण देने के एक कार्यक्रम के तौर पर मूल रूप में 1954 में पुनर्वास मंत्रालय में आरम्भ किया गया था । इस योजना को 1958 में शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था । और इस में कई हाई स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए इसका विस्तार किया गया था । डा० कंजरु की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1963 में यह सिफारिश की थी कि स्कूल स्तर पर एक ऐसे समेकित कार्यक्रम को शुरु करना आवश्यक है जो शिक्षा पद्धति को लोकसंघीय जीवन के लिये चरित्र निर्माण की ऐसी क्रम-बंदध योजना दे सके जो हमारी शिक्षा, प्रणाली में ताने वाने की तरह पिरोई गई हो । स्कूल स्तर पर इस समेकित कार्यक्रम ने शारीरिक शिक्षा सहायक कैडट कोर और राष्ट्रीय अनुशासन योजना जैसे अनेकों कार्यक्रमों का स्थान लेना था । इस सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के नाम से एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया गया था । इस समेकित कार्यक्रम को स्कूलों में अपनाए जाने हेतु फरवरी 1965 में आयोजित राज्य शिक्षा सचिवो तथा शिक्षा निदेशकों की एक बैठक में स्वीकृत किया गया था । इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया था कि, चूंकि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को स्कूलों में राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करना

होगा अतः उन्हें राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा राज्यों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाय। अनुदेशकों के स्थानान्तरण के इस प्रश्न पर अप्रैल 1965 में आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की अगली बैठक में विचार किया गया जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया था। कि स्थानान्तरण केवल इस शर्त पर किया जाय कि चौथी योजना अवधि के दौरान (अर्थात उस समय की चालू आयोजना अवधि पद्धति के अनुसार 1970—71 तक) राज्य सरकारों को इन अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों की पूर्णतः प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. भारत सरकार द्वारा तैयार की गई स्थानान्तरण की शर्तों में इस बात की परिकल्पना है कि अनुदेशकों के राज्यों को स्थानान्तरण के पश्चात उनके वर्तमान वेतन तथा केन्द्रीय वेतन मानों को सुरक्षित किया जाएगा। राज्यों को यह स्वीकार्य नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि क्योंकि राज्य सरकारों के लिए इन अनुदेशकों को केन्द्रीय वेतन मान दे सकना सम्भव नहीं था तथा राज्य सरकारे इन अनुदेशकों को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तथा प्राइवेट स्कूलों में रोजगार प्रदान करने का उत्तरदायित्व लेने के लिए अनिच्छुक थी। ये शर्तें मई 1968 में निम्न-लिखित में संशोधित की गई थीं—

(1) यदि किसी अनुदेशक को राज्य प्राधिकारियों के अन्तर्गत सेवा करना मंजूर नहीं है तो उसे संशोधित वेतन नियमों के अन्तर्गत अनुमान सेवान्त लाभ दिया जाए तथा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाये।

अथवा

(ii) अनुदेशक की स्थानीय निकायो अथवा सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों सहित राज्य के प्राधिकारियों के अन्तर्गत वहां के निर्धारित वेतन मान पर रोजगार स्वीकार कर सकता है। भारत सरकार तब फिर या तो भारत सरकार से उसकी सेवाओं की समाप्ति पर संशोधित वेतन नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य सेवान्त लाभ देगी अथवा भारत सरकार अनुदेशक का राज्य में निर्धारित वेतन तथा उसके वर्तमान वेतन के पांच के अन्तर का मुआवजा दे सकती है। अनुदेशक को इन दोनों लाभों में से किसी को चुनने की अनुमति दे दी जाए।

अनुदेशकों को जारी किए गए ज्ञापन के उत्तर में जिसमें उनसे उनकी पसन्द पूछी गई थी, जबकि अधिकांश अनुदेशकों ने राज्यों में सेवाएं करना पसन्द किया किन्तु लगभग 200 अनुदेशक न्यायालय चले गये, तथा सरकार के विरुद्ध इस ज्ञापन की अनुवर्ती कार्रवाई अथवा इसे लागू करने के विरुद्ध स्थागन आदेश उपलब्ध कर लिया। इन प्रस्तावित शर्तों के उत्तर में जब कि कुछ राज्य इन शर्तों पर अनुदेशकों को लेने के लिए सहमत थे, अनेक राज्यों ने यह सूचित किया कि वे इन अनुदेशकों को केवल तभी ले सकते हैं यदि उनके पास उन्हें खपाने के लिए पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध हों तथा यदि केन्द्रीय सरकार चौथी योजना के अवधि के लिए सारा खर्च वहन करने के लिए सहमत हो।

3. इसे ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण की नई शर्तें तैयार करना आवश्यक हो गया था मंत्री मंडल सचिवालय ने नवम्बर, 1969 में यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित

शर्तों पर समस्त चौथी योजना की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों का पूरा खर्च वहन करेगी :—

(क) राज्यों को अपेक्षित संख्या में रिक्त पदों का सृजन करना चाहिए तथा इन रिक्त स्थानों में उन अनुदेशकों को लेना चाहिए, जिन्हें प्राईवेट स्कूलों में भेजा जाए, उन्हें राज्य सरकार से प्रतिगियुक्ति पर समझा जाए।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा को राज्य वेतन मानों में वेतन वृद्धि के लिए शामिल किया जाए।

(ग) किसी अनुदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन अंत में लिए गए वेतन और भत्तों की तुलना में राज्य वेतन और भत्तों की तुलना में राज्य वेतन मान में उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन और भत्तों में यदि कोई कमी होगी तो चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान उसका वैयक्तिक वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा।

अनेक राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों ने इन शर्तों के अधीन अनुदेशकों को खपाने के लिए लिखित रूप में अपनी इच्छा व्यक्त की है। बहुत से राज्यों ने सिद्धांत रूप से इस प्रकार खपाने को स्वीकार किया है, किन्तु उनका यह अभीमत है कि इन अनुदेशकों के वेतनों के भुगतान के सम्बन्ध में होने वाले वित्तीय जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए, चाहे आगामी तारीख से ही किया जाए। केवल तीन राज्यों ने ही इन अनुदेशकों को खपाने में औपचारिक रूप से अपनी असमर्थता प्रगट की है।

4. जो राज्य अनुदेशकों को खपाने के लिए राजी थे, उन्हों वहां स्थानान्तरित करने की कार्रवाई काफी समय पहले की गई होती किन्तु कर्मचारियों और कुछ माननीय सदस्यों से भी जो कि अनुदेशकों के इन राज्यों में स्थानान्तरण करने के बाद उनकी सेवाओं की सुरक्षा के बारे में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भी केन्द्रीय सरकार के उद्योग इस समय दी जा रहे परिलब्धियों के सतत संरक्षण के बारे में वास्तविक रूप मे चिंतित थे उनकी लगातार मांगों के कारण तथा कर्मचारियों की इस मांग के कारण कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी किया जाये और राज्यों को उनके स्थानान्तरण से पूर्व उन्हें कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उच्चतम वेतनमान दिए जाये। नवम्बर, 1969 में मंत्रिमडल द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन पर इन सब मांगों पर ध्यान पूर्वक विचार करने तक नहीं कि जा सकी

5. इसी बीच लोक संख्या समिति ने राज्य सरकारों को इन अनुदेशकों के स्थानान्तरण करने में अत्याधिक देरी करने पर अनेक बार आलोचना की हो कुछ माननीय संसद सदस्यों ने भी इस बात का आग्रह किया है कि भारत सरकार द्वारा एक बार यह निर्णय किया गया था कि इन अनुदेशकों का उचित स्थान स्कूलों में है इसलिए इनके ऊपर दोहरा नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और उन अनुदेशकों को जो राज्यों में जाना चाहते हों उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाना चाहिये। स्कूलों में से भारत अनुदेशकों की एक बहुत बड़ी संख्या ने अपने आप को क्षेत्र कर्मचारी संघ (फील्ड स्टाप एसोसियशन) के नाम से एक प्रतिद्वन्दी संघ के रूप में संगठित कर लिया था और राज्य सरकारों में अपने सीधे स्थानान्तरण के लिये सरकार से आग्रह कर रहे है।

6. राष्ट्रीय स्व० को० के कर्मचारियों के द्वारा और उनकी ओर से की गई विभिन्न मांगों

पर सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार किया है। ऐसी जांच के परिणाम स्वरूप तथा उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए जो केन्द्र द्वारा 1969 में रखी गई स्थानान्तरण की शर्तों को अभी तक स्वीकार नहीं कर सके हैं केन्द्रीय सरकार ने 1969 में प्रस्तावित शर्तों के संशोधन में, हाल ही में यह निर्णय किया है कि—

(क) इन अनुदेशकों के वेतन और भत्तों के फलस्वरूप खर्चे को छठे वित्त आयोग द्वारा अभिनिर्णय किये जाने तक पूर्णरूप से वहन करना,

(ख) छठे वित्त आयोग से यह सिफारिश करना कि राज्यों को भावी वित्तीय आवश्यकताओं का निधारण करते समय इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च को राज्यों का वचनबद्ध खर्च माना जाना चाहिए।

(ग) अभी हाल ही में सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को राज्यों सरकारों को यह आश्वासन देना चाहिये कि यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र इन स्थानान्तरित अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तो का सारा खर्चा तब तक वहन करता रहेगा, तब तक ये अनुदेशक सेवा में रहते है।

7. निम्नलिखित बातों पर :—

(1) अनुदेशात्मक कर्मचारी पिछले अनेक वर्षों से राज्यों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें प्रिंसिपलों और राज्यों की उच्चतर शैक्षणिक प्राधिकारियों के अधीन भी काम करना होगा।

(2) राज्य सरकारों द्वारा रा० स्व० को० कार्यक्रम को कार्यान्वित करना तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों के एक भाग का नियंत्रण तथा संचालन केन्द्र द्वारा किया जाना असंगत ही होगा और

(3) रा० स्व० कोर के अनुदेशात्मक कर्मचारियों से सम्बन्धित जो भी कार्रवाई की जाये वह ऐसी होनी चाहिये कि उन्हें अपने वेतन और भत्तों में कटौती का अथवा भविष्य में सम्भावित छटनी का सामना नहीं करना पड़े,

कर्मचारियों के प्रशासिनिक नियंत्रण को सम्बन्धित राज्य शिक्षा प्राधिकारियों को सुपुर्द करते हुए तथा ऐसे अनुदेशात्मक कर्मचारियों के खपाए जाने को प्राधिकृत करते हुए जो संशोधित शर्तों के अन्तर्गत राज्यों को राज्य सेवा में स्वीकार्य हो तथा जो वहाँ जाना चाहते हों भारत सरकार ने उपर्युक्त पैराग्राफ 6 (क), और (ख) में उल्लिखित निर्णय के बारे में उन्हें सूचित करते हुए 4 अप्रैल को 1972 को राज्य सरकारों को लिखा है पैराग्राफ 6 (ग) में उल्लिखित अगली गारंटी से राज्यों को तत्काल सूचित किया जाएगा।

8. उपरोक्त निर्णय के फलीतार्थ इस प्रकार हैं :—

(क) राज्य शिक्षा प्राधिकारी अनुदेशात्मक कर्मचारियों के कार्य का कारगर ढंग से निरीक्षण कर सकते हैं और इन अनुदेशकों की सेवाओं को राज्य में आवश्यकता के आधार पर राज्य की शिक्षा के सर्वोत्तम हित में राज्य के अन्दर उपयोग कर सकते हो।

(ख) राज्य सरकारें राज्य के प्रचलित वेतन मानों में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के पदों का सृजन अपने स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार कर सकती है और उन्हें रा० स्व० कोर अनुदेशात्मक कर्मचारियों को खपा सकती है। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप यदि अनुदेशकों को उनके द्वारा अब तक लिए जा रहे वेतन और भत्तों से ज्यादा वेतन तथा भत्ते देने पड़े तो फिलहाल यह अतिरिक्त खर्च भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और हम आशा करते है कि इस खर्च को भविष्य के लिये राज्यों के वचन बद्ध खर्च के रूप में समझा जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र इस खर्च को इसके बाद भी वहन करेगा।

(ग) उस समय तक जब तक कि राज्य में सेव रत सभी अनुदेश त्मक कर्मचारियों को खपाने के लिये पर्याप्त पदों का सृजन नहीं किया जा जाता तथा राज्य सरकार औपचारिक रूप से खपाए नहीं जाते ये कर्मचारी केन्द्रीय वेतन मानों के अन्तर्गत वेतन तथा भत्ते लेते रहेंगे।

(घ) यदि राज्य सरकार राज्य सेवा में भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण किसी अनुदेशकीय कर्मचारी को स्वीकार करने की स्थिति में न हो तो यह कर्मचारी तब तक केन्द्रीय वेतन मानों के अन्तर्गत वेतन तथा भत्ते लेते रहेंगे जब तक कि ये कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कहीं अन्यत्र वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते। इस प्रकार के अनुदेशकीय कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार नहीं है।

9. उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि जब भारत सरकार के वर्तमान निर्णय से राज्य सरकारें इन्हें खपाने के योग्य हो जाएगी तथा अनुदेशीय कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा स्वीकार कर सकेंगे, कोई भी अनुदेशक जो राज्य सरकार को स्वीकार्य न होगा, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा और किसी कर्मचारी को उससे कम वेतन तथा भत्ते नहीं मिलेंगे जो उसे अब मिल रहे है। यह भी स्पष्ट है कि राज्य की सेवाओं में कर्मचारियों को खपाए जाने से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी को खपाए जाने से सम्बन्धित शर्तों से राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया जाएगा। जहां तक नौकरी नौकरी की सुरक्षा का प्रश्न है इसमें कोई संशय नहीं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते है कि शिक्षा को दिए जा रहे लगातार महत्व को देखते हुए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि किसी भी राज्य में स्कूलों की संख्या समय के साथ साथ घट जाएगी। साल दर साल स्कूलों की संख्या तथा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की संख्या बढ़ती जाएगी। अतः वास्तव में इस आशंका का कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा खपाए जा रहे अनुदेशकों को आगामी कुछ वर्षों में छटनी का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर जब कि केन्द्र इन अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों के खर्चे को तब तक वहन करने के लिए जहां आवश्यक हो आश्वासन दे रहा है जब तक कि वे सेवा में रहते हैं।

Shri Atal Behari Vajpayee: Sir, I thank him for this lengthy statement. Certain questions still remain to be answered. The hon. Minister has admitted that these instructors have been working under various schemes during the last 18 years. The surprising aspect is that they are still temporary and they have not been made permanent. There is no indication in this statement in this regard. The hon. Minister would be aware that this matter was raised in the National Council. The Finance Ministry had issued a circular on 13-9-66 stating

that such 80 percent of such employees should be made permanent. Will the hon. Minister state the action proposed to be taken to make them p rmanent ?

He has said that their pay and allowances will be protected, but he will agree that their emoluments use less than those of other Central Government employees doing similar work. There are physical education instructors in Delhi schools whose initial pay is Rs. 200/— p. m. The question of revision of their pay scales was raised. The matter was to be referred to arbitration. The matter is hanging fire for the last seven months and the Education Ministry is taking no action. Discontentment in such circumstances is natural. I want to know as to what will be done in regard to their pay scales.

The hon. Minister has assured that their pay scales will be protected till their retirement and in case the State Governments refuse in accept this responsibility, the Central Government will hear the expenditure. I welcome this.

But what I want to know is whether they will be given the benefit of recommendations of Third Pay Commission, which is likely to submit its report soon ? These people are Central Government employees. If these persons are transferred to States, how will the question of their seniority, pay and allowances be settled ? What will be their position vis-a-vis State Government employees ? Will the hon. Minister assure that they will not be deprived of benefits in the matter of permanency, pay-scale, and the recommendations of Third Pay Commission ? These employees will be given the benefits. Wherever they may be— in Central Government's employment or in State Government's employment.

The Ministry of Education has decided to wind up the National Fitness Corp Directorate and its regional offices from first of June, 1972. Perhaps the Ministry is under the impression that the employees will agree to go to Stats, but the Minister should know that all the State Governments will not take them and all the employees are not prepared to go and the conditions of their service hav not been settled so far keeping all these things in view will the decision regarding disbanding the Directorate and its regional offices not implemented and these offices will remain as they are.

The hon. Minister should settle the matter by holding a meeting with the employees. The employees were to meet him on the 4th but an order was issued on that date stating that a decision had been taken to transfer them to States. These persons were in service for 17 years and now the States will not offer them proper service conditions. In such circumstances the hon. Minister should meet the representatives of the employees and remove their complaints.

I feel that this statement is an improvement on the previous situation and the remaining grievances will be redressed by mutual discussion. He should have no objection to the meeting with their representatives.

श्री एस० नूरूल हसन : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न उठाये हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिनमें जानकारी मांगी गई है या जिनमें सरकार की नीति पूछी गई है।

पहले मैं स्थायीकरण के प्रश्न को लेता हूं। वित्त मंत्रालय के 13 सितम्बर, 1966 के ज्ञापन के अनुसार गैर-स्थायी विभाग 50 प्रतिशत पद-न कि 80 प्रतिशत पद या 100 प्रतिशत जैसा कि कर्मचारियों ने मांग रखी है–स्थायी बनाये जा सकते हैं, यदि ;

(1) कार्यालय 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विद्यमान हो।

(2) कार्यालय को निकट भविष्य में बन्द किया जाना हो, और

(3) वे पद 5 वर्ष या इससे अधिक समय से बने हुए है।

यह बात नहीं है कि नेशनल फिटनेस कोर के एककों को केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में स्थापित किया था। इस योजना को चालू करने का उद्देश्य इसे एकीकृत कार्यक्रम के रूप में स्कूलों में लागू करना था। अत इन कर्मचारियों को राज्यों में नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में यह ठीक नहीं होगा कि एक ही विद्यालय में पढ़ाने वाले दो व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में अन्तर हो। एक व्यक्ति राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन न होकर अलग शर्तों के अनुसार सेवा करेगा। यह बात युक्तिसंगत न जान पड़ती।

इन व्यक्तियों के राज्यों में स्थानान्तरित कर दिये जाने के बाद इन पर केन्द्रीय वेतनमान लागू नहीं किये जा सकते। उन्हें राज्यों के वेतनमानों के अनुरूप लाना होगा। इनमें से अधिकांश लोगों को इस निर्णय से लाभ होगा। जिन थोड़े से व्यक्तियों को हानि होने की आशका है उनको केन्द्रीय सरकार सहायता की गारंटी दे रही है।

केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों की सरकारों पर जोर दे रही है कि वे कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करके संशोधित वेतनमान दें। हम चाहते है कि सभी राज्यों के अध्यापकों के वेतनमानों में एकरूपता हो।

वरिष्ठता के मामले में केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादले की स्थिति में पिछले कार्यालय की वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलता। इस मामले में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इस लिए केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती।

क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द करना ही पड़ेगा परन्तु हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों को नियत तिथि को वेतन मिलता रहे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि कुछ प्रशिक्षक राज्यों में नहीं जाना चाहेंगे तो उनके लिये व्यवस्था की जायेगी।

श्री एस० नुरूल हसन : यह निर्णय राज्यों को करना होगा। हां अन्तरिम अवधि के लिए व्यवस्था की जायेगी। मैं यह आश्वासन देता हूं कि यह केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि इन लोगों को ठीक तिथि को वेतन मिलें।

यहां पर कहा गया है कि मैंने प्रशिक्षकों के प्रतिनिधियों से मिलने से इन्कार कर दिया था। यह बात सही है नहीं है। वास्तव में पांच तारीख तक इनके और मेरे सहयोगी श्री राम स्वामी के बीच बातचीत चलती रही। इसके बाद मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत होती रही और अन्ततः मंत्रिमंडल के साथ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम निर्णय को लागू करना चाहते हैं। इसमें विलम्ब करने से इन लोगों को नुकसान होगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : The national Fitness Corps was set up under the scheme prepared by Dr. Kunzru. Now the present Minister wants to throw out these 7,000 persons. Many States like, M. P. Rajasthan and Kerala are not prepared to absorb them. The Central Government has been making efforts since 1965 to absorb them in Sta es, but the employment situation in States is very bad. How can they take these instructors?

I want to know whether the agreement with instructors has been in writing a not? What was the object of this scheme? Has its objective been fulfilled? Now no State Government is coming forward to accept your proposal. The session of Parliament is going

to conclude on 31st May. Next you will issue an order transferring these people to States without deciding the question of their seniority and other condition of service. The agreement should be in writing.

Shri S. Nurul Hasan : Sir, if you go by facts you will see.

सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम इन लोगों को किसी के रहम पर नहीं छोड़ रहे हैं।

हम इन लोगों को रिटायर होने तक वेतन की गारंटी दे रहे हैं। केवल तीन राज्यों ने इनको लेने से इन्कार किया है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केरल हैं। हम अन्य राज्यों के साथ भी बातचीत करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके हितों की रक्षा हो।

Shri Chandrica Prasad (Ballia) : The hon. Minister has assured that no retrenchment will be made and these persons will be paid their salaries. He is prepared for negotiations. In certain States stay orders have been obtained from courts. This problem should be settled by mutual consultations. Secondly I want to know if in case the State Governments are not prepared to take them. Will they be maintained by the Central Government ?

According to a Planning Commission report these employees are approved employees. It had staied that country needs two lakh employees. Here we have 7,000 employees. I would like that they should not be transferred from 1st June.

Shri S. Nurul Hasan : I have read the Kumru Committee report.

जब ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया था तो पूरा बल स्कूल की शिक्षा पर था। एक बड़ी योजना को एक या दो व्यक्तियों को केन्द्र से राज्यों को स्थानान्तरित करके तैयार नहीं किया जाता। जहां तक न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है हम उसका पूरा आदर करेंगे।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : This scheme was started in 1954. The employees under this scheme draw salary from Rs. 150 to Rs. 250. In these days of high prices this is a very meagre amount. These persons should not be thrown in States.

Secondly I would like that continuity should be maintained in their service. What is the number of male and female employees among them and what is the number of scheduled easte and tribal women among them ? I request that this action should be postponed.

श्री एस० नूरुल हसन : मैंने पहले ही विस्तार से बता दिया है। निर्णय 1965 में किया गया था हरिजन महिलाओं के बारे में मेरे पास आँकड़े नहीं हैं।

Shri Atal Behari Vajpayee : The hon, Minister has stated that stay orders have been obtained in Bengal and Mysore. Will the employees at other places have go to court to obtain stay orders on the entire issue ?

श्री एस० नुरुल हसन : सरकार नागरिकों को संविधान में अधिकारों से वंचित न कर सकती है और न करना चाहती है।

चुनाव प्रचार के लिये एक कम्पनी द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस को धन देने का समाचार

RE. ALLEGED DONATIONS MADE BY A COMPANY TO THE RULING CONGRESS FOR ECLECTION CAMPAIGN

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में चर्चा उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मैंने यहाँ पर एक प्रमाणीकृत दस्तावेज दिया था। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। प्रधान मंत्री ने जानबूझ कर इस विषय के बारे में सभा में कोई बात नहीं कहीं है। यह एक गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री ज्योतिर्मत बसु : यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको भेज सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह किस समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिखा था। प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में एक सार्वजनिक सभा में हजारों लोगों के सामने कहा था कि सारी बात झूठ है। जबकि यह मामला सभा के समक्ष है ऐसी बात जनता के सामने कहना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अब यहाँ समाप्त हो गया है। यह अब सभा के समक्ष नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विरोधी दलों के नेताओं ने आप से अनुरोध किया था कि आप सरकार से कहें कि वह इस दस्तावेज का खण्डन करे।

अध्यक्ष महोदय : मै क्यों कहूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें अन्यथा हमें ऐसी कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जो किसी के लिए भी अच्छी न हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to raise a point of propriety ? How far it was justified to rebut a matter in a public meeting which was raised in the House ? I want your guidance. I want to know how to raise this point ?

Mr. Speaker : It cannot be raised.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है कि हर एक दल, जिसमें मारक्सवादी दल भी सम्मिलित है पूंजी वादियों से धन लेता है जिसका अर्थ यह है कि श्री गोयनका ने जो चन्दा दिया वह एक सामान्य बात है। इसके मायने यह हुए कि चन्दे के सम्बन्ध में सत्तारुढ़ दल ने कम्पनी विधि का उल्लंघन कर दिया है। अतः यह बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि प्रधान प्रत्येक दल के बारे में ऐसा कहती है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पिछले सप्ताह खत्म हो गया था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या यह बात उचित है कि जो टिप्पणी हम यहां करते हैं उसका यहां खण्डन नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका खण्डन किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लोकतंत्रीय चुनाव की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः हम इस मामले को कहां उठाए।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उठाया गया था और खत्म हो गया था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पत्र

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1969–70 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 3010/72**]

(2) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड. बम्बई, का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3011/72**]

(3) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969–70 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3012/72**]

(4) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3013/72**]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1)

के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान लेटेक्स 'लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970—71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1970—71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गई। देखिये संख्या एल० टी० 3014/72]

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 का धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर, का 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का 5–3–1968 से 30–6–1969 तक की अवधि सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, का 30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, का 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (क) और (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3016/72]**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता, का वर्ष 1970—71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण, संस्थान, (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

(3) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर क्षेत्र), चण्डीगढ़, का वर्ष 1970—71

सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3006/72**]

(4) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधास परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1970—71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3015/72**]

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITION

तीसरा प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चुनाव प्रचार के लिये एक कम्पनी द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस को धन देने का समाचार–जारी

RE. ALLEGED DONATIONS MADE BY A COMPANY TO THE RULING CONGRESS FOR ELECTION CAMPAIGN—CONTD.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही में अन्तर्बाधाए डालना चाहते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा है। चार पांच दिन हुए एक माननीय सदस्य ने दस्तावेज सहित दोषारोपण किया था…

अध्यक्ष महोदय : वह स्वीकार नहीं किया गया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा अभी व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। कुछ दिन हुए एक आरोप लगाया गया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आरोप लगाया जाए तो उसका खण्ड या तो उस दल को करना चाहिये जिसपर आरोप लगाया गया हो या सरकार को। आरोप लोक हित के लिए लगाया जाता है। प्रधान मंत्री ने इसका खण्डन कलकत्ता में हुई एक सार्वजनिक सभा में किया है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने सभा में तथा सभा के बाहर भी इसका खण्डन किया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सम्बन्धित दल बिल्कुल मौन है।

अध्यक्ष महोदय : आप शान्त रहें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप या तो श्री ज्योतिर्मय बसु को कहें कि आरोप को सिद्ध करें या उसे वापिस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कई प्रकार से सभा में उठाया गया और सरकार ने इसका खण्डन किया। क्योंकि यह एक विवादग्रस्त मामला है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : How far it is justified to rebut a matter outside which has been raised in the House ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सरकार के लिए असुविधाजनक बातों को उठाने की क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप निन्दा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव लायें । यही मेरा विनिर्णय है ।

श्री पीलू मोदी : क्या आपका यह विनिर्णय है कि स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के बिना सरकार के लिये असुविधाजनक बात नहीं उठा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि तथ्य विवाद ग्रस्त थे ।

खान (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित
MINES (AMENDMENT) BILL-INDTRDOUCED

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : मैं खान अधिनियम, 19ʿ2 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Shall we start a discussion on a fabricated paper if it is placed in the House ? We cannot tolerate allegations of this sort.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आपने अपना विनिर्णय दिया था यदि उसके बाद भी विरोधी दलों के सदस्य आप के विनिर्णय को नहीं मानते तो सभा का कार्य संचालन कैसे हो सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप कम्पनी कार्य मंत्री को इसकी जांच करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री राज बहादुर : आपने जो आरोप लगाया था उसका सभा और सभा के बाहर भी खण्डन कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।

पक्ष में 100 और विपक्ष में 1 मत था ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० के० खाडिलकर : में विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1972–73
DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY), 1972-73

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम): जहां तक खास आन्ध्र का सम्बन्ध है, वहां कोई रेलवे नहीं है । आन्ध्र के तटवर्ती भाग में दो रेलवे लाइनें हैं जिनमें से एक मद्रास–कलकत्ता को

श्रौर दूसरी मद्रास–नई दिल्ली को जोड़ती है, एक श्रौर लाइन भी है जो मद्रास से बम्बई जाती है। अन्य लाइनें निगमों के लिए बनी थीं। इतना अवश्य है कि सरकार ने इसे अलग जो न बनाये जाने की हमारी मांग मन्जूर की है किन्तु इसे अभी तक वे सभी सुविधायें प्रदान नहीं की हैं जो कि एक नये जोन को की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश सरकार व वहां के संसद सदस्यों की तीव्र मांग है कि वहां कुछ नई लाइनें बिछायी जायें यथा अंगोला को काजीपेट से मिलाया जाये श्रौर नागार्जुन सागर को हैदराबाद से। नन्दयाल को गुडुर से मिलाना भी उतना ही आवश्यक है।

इसी प्रकार हमने नादीपुडी से बीबीनगर तक एक नई बड़ी लाईन का निर्माण किये जाने की मांग की है। इस लाइन के बनने से नागार्जुनसागर क्षेत्र में जहां कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, यातायात की सुविधा बढ़ जाने पर वहां उत्पादित 12 लाख टन खाद्यानों तथा 50,000 टन चीनी तथा अन्य अनाजों की देश के अन्य भागों को सुविधापूर्वक ढुलाई हो सकेगी। इसके लाइन के बनने पर हैदराबाद से मद्रास की दूरी भी लगभग 75 कि० मी० कम हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त हमारी एक श्रौर मांग, जिसकी हम लगभग पिछले पन्द्रह वर्षों से आवाज उठाते आ रहे हैं, यह है कि बैलडिल्ला से कोब्बू तक बरास्ता भद्रचेलम एक नई लाइन का निर्माण किया जाये जिससे कि राज्य सरकार वहां के प्रचुरवन संसाधनों का लाभ उठा सके।

तेलंगना में रामगुंदम से निजामाबाद तक बरास्ता करीमनगर तुरन्त एक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि रामगुंदम में एक नये उद्योग समूह का अभ्युदय हो रहा है श्रौर इसके अलावा तेलंगना एक पिछड़ा क्षेत्र है श्रौर वहां से खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए भी यह लाइन जरूरी है।

गुंतूर–मचेरला मीटर गेज को भी बड़ी लाइन में बदलने की जरूरत है। विजयवाड़ा से गुंतूर तक बड़ी लाइन है किन्तु गुंतूर से मचरेला तक छोटी लाइन है जो यातायात की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अतएव इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

रेलवे में फेरी विक्रेताओं के ठेके छोटे लोगों को न देकर ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं, जो सिद्धान्त. उद्देश्य के विपरीत है। अतः इस श्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेलवे भोजन व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है क्योंकि यह सेवा सन्तोषजनक नहीं है।

रेलवे में प्रत्येक जोन के लिये अलग अलग लोक-सेवा आयोग होने चाहियें अन्यथा अभ्यर्थियों को भाषा तथा भोजन आदि की कठिनाई होती है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी, श्री बी० सी० गाँगुली के साथ जो महान अन्याय हुआ श्रौर जिस लज्जाजनक एवं निन्दनीय ढग से उनके साथ व्यवहार किया गया, उस बारे में मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हैं ताकि वे इस सभा की कार्यवाही-वृतान्त में रिकार्ड हो सकें।

श्री गांगुली के साथ किये गये व्यवहार की देश के सभी प्रमुख दैनिक पत्रों ने निन्दा की

है और कहा है कि यह व्यवहार बचपनापूर्ण अशोभनीय, हास्यास्पद एवं मंत्रीवर्गीय निरंकुशता का क्लासिकल प्रदर्शन था। उन्होंने तीन दिन की आकस्मिक छुट्टी ली और उन्हें एक छलपूर्ण एवं अपमानजनक ढंग से सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में उनके सभी कृत्यों से यथा आयोजन, इंजीनियरिंग, सुरक्षा सतर्कता आदि हर कृत्य से वंचित कर दिया गया और उन्हें केवल अनु–संधान एवं विकास कार्य दिया गया। इसके अलावा उनका सैलून जिस ढंग से अलग किया गया वह निन्दनीय व्यवहार की पराकाष्ठा थी।

उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था। उनकी सत्यनिष्ठा एवं योग्यता निसंदेह उच्चकोटि थी। उनमें उच्चकोटि की प्रशासनिक योग्यता थी और वह एक अतिनिपुण इंजीनियर थे। उनकी योग्यता, दूरदर्शिता, उनके शौर्य उनकी पहलशक्ति तथा इंजीनिरिंग टेक्नोलाजी के ज्ञान की सभी ने प्रशंसा की है।

उनका अपराध केवल यही था कि वह केवल यात्रियों के लिये ही नहीं अपितु यातायात में सुधार के लिये भी रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना चाहते थे और रेलवे बजट में घाटे की पूर्ति करने के लिये राजस्व के और अधिक साधन जुटाना चाहते थे। इसके अलाधा उन्होंने आसनसोल में मालडिब्बों का गतिरोध कारगर रूप से दूर किया और झारिया क्षेत्र में भी वह इस गतिरोध को दूर करना चाहते थे किन्तु उच्च पदाधिकारियों के साथ लुक-छिपकर सांठ-गांठ करने वाले निहित स्वार्थों के कारण वह वहां ऐसा न कर सके। इसके अतिरिक्त वह माल-डिब्बों का उत्पा-दन भी बढ़ाना चाहते थे और उसके लिये प्रयत्नशील थे।

सरकार ने ऐसे सत्यनिष्ठ एवं विशिष्टता प्राप्त योग्य अधिकारी के साथ जो निन्दात्मक, साजिशपूर्ण तथा अभद्र व्यवहार किया वह अत्यधिक अशोभनीय तथा निन्दनीय है।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): Sir, the then Railway Minister, Shri Nanda had in a public meeting at Dhanbad given an assurance in 1970 that a train service would be introduced between Dhanbad and Patna. The Present Railway Minister, Shri Hanuman-thaiya, in reply to a questian, dated the 1st October, 1971, reassured that the proposed serviee would be introduced from the 1st of November so much so the proposed service was given the name '25-up and 26 Down'. But at the last moment only four days prior to the appointed day, the whole scheme was brushed aside with a stroke of pen deciding not to introduce it for the reasons not known to us. So I request the hon. Railway Minister to repeat his assurance on the floor of the House and State categorically when he is going to introduce this service.

The Rajdhani Express while on way to Calcutta halts at Gomoh but does not pick up passengers from this Station, even if the train has the capactiy to accommodate passengers. I would, therefore, request the hon. Minister to provide boarding and alighting facilities at this Station also. It would be more desirable if arrangements for its halt are made at Dhanbad instead of Gomoh with a view to reduce traffic load there.

Hazaribagh which is a backward area of Bihar is full of Coal deposits but unfortunately number of Small Collaries are almost on the verge of closure due to lack of railway facilities. The coal is sold at a very cheap rate there and the labourers are paid very meagre wages. For the development and economic progress of this area, it is necessary to connect Hazaribagh by a railway line which will open and serve that area and will also transport coal therefrom.

Twenty years ago two trains were introduced on Gomoh and Dehari An Son Line

which are still running on the line without and additional facilities despite the fact that passangers traffic has increased tremendously and the people have to face a lot difficulty and inconvinience. If one wants to go to Banaras, he has to come to Gomoh or Dhanbad first in order to catch a train for his destination. I would therefore, earnestly request the hon. Railway Minister to entered the passenger train which arrives Dehari An Son at 1:-00 hrs to Moghal Sarai via Gomoh Dehari An Son and Barka Kana which will not cause any inconvinience and difficulty to the Railway Administration.

Lastly about wagons. There is still acute shortage and inadequate supply of wagons due to which the Collaries have to suffer a lot and coal is piled up at pit heads. Steps should be taken to supply them in time and at places required.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : रेलवे मंत्रालय के समूचे कार्यकरण में पत्र-व्यवहार के मामले में भारी ढील-ढाल बरती जाती है,

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कुछ दिन हुए, रेलवे मंत्री ने कहा था कि यदि छोटी-मोटी तथा बड़ी चोरियां कम नहीं हुई तो श्रमिक नेताओं, माननीय सदस्यों तथा कर्मचारियों के साथ और आगे कोई बातचीत नहीं की जा सकती, इस सम्बन्ध में एक सामान्य धारणा यह बनी हुई है कि ये चोरियां छोटे कर्मचारी ही करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि कई बड़े अधिकारियों की इन चोरियों में साठ-गांठ होती है और उन्होंने इस हेतु गिरोह बना रखे हैं।

यदि वास्तव में चोरी के मामले होते हैं, तो क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं है कि वे उन्हें कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभायें ?

अभी हाल ही में, मैं एक प्रार्थना लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से मिला था। अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर गोहाटी में अपना आम वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं। किन्तु रेलवे कर्मचारियों की ओर से इस सम्मेलन को रेलवे संस्थान में उद्घाटन की अनुमति इसलिये नहीं दी जा रही है कि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टरों का संगठन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जब कि पिछले अवसरों पर उन्हें विभिन्न रेलवे संस्थानों में इस हेतु स्थान उपलब्ध किया जाता रहा है, यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे बोर्ड और माननीय मंत्री जी इस सिद्धान्त से क्यों सहमत नहीं हैं कि जिन संगठनों संघों अथवा संस्थाओं को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु वर्गीय कर्मचारी संघों ने सभी ग्यारह वर्गों के संघों का समन्वय किया है और उनका दावा है कि उनके सदस्यों की संख्या आठ लाख से अधिक है, जब कि मान्यता प्राप्त संगठन केवल 4 लाख सदस्यों के समर्थन का दावा करते हैं। अच्छे श्रम सम्बन्धों अथवा अच्छे कर्मचारी सम्बन्धों के लिए मंत्री जी का कर्तव्य होता है कि वह अधिकांश कर्मचारियों के साथ, जो 14 लाख में से 8 लाख कर्मचारियों की सदस्यता का दावा करते हैं, समझौता या वार्ता करें।

इस सम्बन्ध में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे रेलवे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा तनाव करने वाले हैं और जो उचित मार्ग नहीं है।

माल-डिब्बों के लदान के बारे में अनेक उदाहरण सामने हैं, अभी कुछ दिन पूर्व पश्चिम

बंगाल के मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र पर ऐसे आरोप लगाने गलत हैं कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण रेलवे प्रशासन माल-डिब्बों को आजादी से चलाने में और उनकी सप्लाई करने में समर्थ नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बतायें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य सच है और यदि हाँ, तो फिर पश्चिम बंगाल की आवश्यकतानुसार और तदनुसार उसके द्वारा समय-समय पर की गई मांग के अनुसार उसे माल डिब्बों की समुचित सप्लाई न किये जाने के क्या कारण थे ?

यह निर्णय किया गया है कि हरयाणा के लिये कोयला क्षेत्रों के मुहानों से प्रतिदिन 800 माल डिब्बों का लदान किया जायेगा। किन्तु रेलवे में कार्य करने वाले कुछ अधिकारियों ने इस संख्या में कमी कर दी है और मूल्य समानीकरण सिद्धान्त के कारण, अब वे कोयले का लदान करने वालों को यह हिदायत दे रहे हैं कि वे सड़क की ओर पड़ने वाले स्टेशनों से माल-डिब्बों में कोयला ले जायें, वास्तव में पश्चिम बंगाल को जो सप्लाई की गई है उनमें से कुछ माल-डिब्बे अधिकारियों को 5000 रुपये अनुग्रह पूर्वक देकर लिये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्री इस बारे में जांच-पड़ताल करवायें।

* **श्री सी० के० चिन्नाराजी** (तिरूपत्तूर) : रेलवे मंत्री बंगलौर से निर्वाचित सदस्य हैं अतः वह इस बात को भली भांति समझते होंगे कि जोलारपेट और बंगलौर के बीच रेलवे लाईन को जल्दी से जल्दी दोहरी करने की आवश्यकता है, उपरोक्त लाइन को दोहरी करने के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण बहुत धीमी गति से चल रहा है। जोलारपेट के महत्व को देखते हुए वहां जो ढाल यार्ड बन रहा है, वह सराहनीय कार्य है और उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं।

जोलारपेट में एक उपरिपुल के निर्माण के लिए वहां के लोग काफी लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं, भारी रेल यातायात के कारण वहां के दो फाटक दिन के अधिकांश भाग में बन्द बन्द रहते हैं जिससे वहां के लोगों को, विशेषतः वहां सप्ताह में एक बार लगने वाले व्यापार मेले में मात्र लेने के लिये आने-जाने वाले व्यापारियों को भारी असुविधा होती है। इसीलिए मंत्री जी को जोलारपेट जंकशन में एक उपरिपुल बनाने का कार्य आरम्भ करवा देना चाहिए, ऐसा करने से दो रेलवे फाटक बन्द किये जा सकेंगे और यायायात भी सुव्यवस्थित हो सकेगा।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं इस प्रस्ताव से सहमत हो जाऊंगा बशर्ते कि पहले राज्य सरकार मुझे लिखे क्योंकि उसे दो पहुंच मार्ग बनाने होते हैं।

श्री सी० के० चिन्नाराजी : जोलारपेट जंकशन पर ढाल यार्ड (हम्प यार्ड) बनाने के लिए सरकार 33 लाख रुपये खर्च कर रही है, मेरा रेल मंत्री जी से विनम्र सिवेदन है कि वह वहां उपरिपुल के निर्माण के लिए दो लाख रुपये की व्यवस्था करें क्योंकि वहा ऐसे पुल की वास्तव में तीव्र एवं शीघ्र आवश्यकता है।

---

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

इस समय मद्रास को जाने वाले यात्रियों के लिए वृन्दावन एक्सप्रेस में जोलारपेट जंकशन से केवल 20 टिकट जारी किये जाते हैं। जोलारपेट से 30–40 मील की परिधि से बड़ी संख्या में मद्रास जाने के लिए जोलारपेट आते हैं। अतः मंत्री महोदय को जोलारपेट से मद्रास के लिए टिकटों के कोटे को 20 से बढ़ाकर 40 कर देना चाहिए।

बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों को जाने वाले यात्रियों के लिए जोलारपेट में आरक्षण की कोई व्यवस्था अथवा सुविधा नहीं है। सेलम कट्टापड़ी आदि कुछ जंकशनों पर कोटा की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु जोलारपेट में यह सुविधा नहीं है। अतएव मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बम्बई तथा दिल्ली जैसे नगरों को जाने वाले यात्रियों के लिए जोलारपेट में कोटा आरक्षण की सुविधा प्रदान करें।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : रेलवे प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को गौर से सुना। कई माननीय सदस्य ने रेलों से होने वाले लाभ में कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है किन्तु यह आशंका निराधार है। वर्ष 1971-72 के बजट प्राक्कलनों में 6·87 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। यह राशि संभावित आय, अर्थात् बढ़ायी गई यात्री किराया तथा भाड़े दरों से होने वाली 26·25 करोड़ रुपये को बढ़ी हुई आय को ध्यान में रखकर ही यह घाटा निश्चित किया गया। तत्पश्चात् मैंने यह कहा था कि लगभग 7 करोड़ रुपये का यह घाटा हमारे अच्छे प्रयत्नों तथा व्यय में मितव्ययता करने से पूरा किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने आशा से कहीं अधिक कार्य करके दिखाया है। वर्ष 1971–72 में 19 94 करोड़ रुपये की बचत हुई है। गत रेलवे बजट भाषण में इस बचत का जो संकेत मैंने दिया था उसकी यह कह कर आलोचना की गई थी कि यह रेलवे अभिसमय समिति द्वारा 21 करोड़ रुपये के उपहार के परिणाम स्वरूप हुई है, किन्तु कुल बचत 26·81 करोड़ रुपये की हुई है और यदि रेलवे अभिसमय समिति द्वारा दी गई 21·53 करोड़ रुपये की सहायता को कम भी कर दिया जाये, तो भी 1971–72 के बजट प्राक्कलनों की तुलना में 5·28 करोड़ रुपये की बचत होगी। बाढ़ों. शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बावजूद भी इतना सुधार किया गया है। इसके अलावा, बन्दों, हड़तालों तथा लाइनों पर धरना देने की घटनाओं से भी रेलवे की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हमें कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम सहायता, बढ़े हुए सत्रचल भत्ते कर्मचारियों को देने पड़े और बाढ़ों के कारण हुई क्षति पर भी व्यय करना पड़ा जिसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। आय में वृद्धि करने और घाटे को न्यूनतम करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, आशा है कि आगामी वर्ष अर्थात् वर्ष 1972–73 में बचत आशा से अधिक होगी।

सभी क्षेत्रीय रेलों के रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 56, 848 है। जून, 1971 में यह निर्णय किया गया था रक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जानी चाहिए। नवम्बर, 1971 में 214 भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती को छोड़कर, भर्ती पर लगा यह प्रतिबन्ध तभी से चला आ रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में इसी स्तर तक कमी की जाये। इसके फलस्वरूप रेलों के व्यय में काफी बचत होगी और रेलवे संरक्षण बल का प्रस्तावित पुर्नगठन इसी संख्या के अन्तर्गत किया जायेगा।

इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि व्यय में यथा संभव कमी की जाये और उसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री कुरेशी की अध्यक्षता में कार्य मूल्यांकन दल ने रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा भी की है उसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप 14 राजपत्रित पद और 63 अराजपत्रित पद, जिनमें 18 पद सतर्कता आयोग के शामिल हैं, पहले ही छोड़ दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप लगभग 6 लाख रुपये की बचत हुई हैं। इसके अतिरिक्त अमरीका में वाशिंगटन में तकनीकी अताशी का एक पद और स्विटजरलैंड के बर्न में रेलवे उप परामर्शदाता का पद भी छोड़ा जा रहा है जिससे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। चालू वर्ष के पिछले नौ महीनों में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन एककों में सामान्य कार्य संचालन व्यय में 2·20 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

रेलवे में हुई विभिन्न वैध तथा अवैध हड़तालों एवं कभी-कभी जोश में आकर रेलपथ पर की गई हड़तालों के कारण बहुत से कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान हुआ है। इस सभा के सदस्यों में जो भी श्रमिक नेता हैं उनमें से प्रत्येक ने मुझ से इस व्यवधान को माफ करने का अनुरोध किया है। मैंने इन श्रमिक नेताओं से बार-बार यही कहा है कि मैं माफ करने को तैयार हूं बशर्ते कि वे रेलवे में होने वाली छोटी-मोटी तथा बड़ी चोरियां और अन्य अपराधों को रोकने में मेरी मदद करें। यह बात सर्व विदित है कि कुछ रेल कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ऐसे अपराध करते है।

प्राय: सभी श्रमिक नेताओं ने, चाहे वे किसी दल से सम्बन्धित हों, मुझे वचन दिया है कि वे इन छोटी-मोटी तथा बड़ी चोरियों और अपराधों को समाप्त करवाने के लिए हर प्रकार सहयोग देंगे तथा प्रयत्न करेंगे, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि मैं प्राय सभी मामलों में सेवा में आये व्यवधान को माफ करना चाहता हूं।

मैं श्री रामावतार शास्त्री को उनके संघ द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव के लिए बधाई देता हूं। इसमें संघ ने निश्चय किया है कि वे रेलवे में चोरी को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। हड़ताल के कारण जहां भी कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान आया था मैं नेउसे समाप्त करने के आदेश जारी कराये हैं। मैं कार्मिक संघों से भी आशा करता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखेंगे और पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। इसके बावजूद मैं आश्वासन देता हूं कि जिन रेल कर्मचारियों ने पहले गलतियां की हैं उनके साथ उदारता दिखाई जायेगी। सभी विलम्बन आदेश वापस ले लिये जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : यह अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। धनबाद में ऐसा हो रहा है।

श्री के० हनुमन्तैया : श्री एन० शिवप्पा ने दक्षिण में रेल इंजनों की कमी का उल्लेख किया है। कोयला बिहार में पहुंच नहीं पाता और उससे रेल सेवा पर प्रभाव पड़ता है उनके अनुसार दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध है अत: वहां पर विद्युत चालित इंजन अधिक संख्या में प्रयोग में लाये जाने चाहिये।

सभा को मालूम है कि हम भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण को समाप्त कर रहे हैं

और उनके स्थान डीज़ल तथा विद्युत चालित इंजनों को चालू कर रहे हैं। 30-4-1972 को दक्षिण रेलवे पर 190 बड़ी लाईन के और 90 मीटर लाईन के डीज़ल इंजन चल रहे थे। दक्षिणी क्षेत्रों से कोयला खानों की दूरी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि वहां पर डीज़ल तथा विद्युत चालित इंजनों की संख्या बढ़ा दी जायें। हाल में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के कारण डीज़ल इंजनों को सीमान्त तथा उत्तरी क्षेत्रों में लगाना पड़ा था। विद्युत चालित इंजनों का निर्माण चितरंजन में और डीजल इंजनों का निर्माण वाराणसी मे किया जा रहा है।

विद्युतीकरण पर आरंभ में बहुत अधिक व्यय होता है। किसी लाईन के विद्युतीकरण से पहले अनेक बातों की ओर ध्यान देना होता है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। फिर उस लाईन पर यातायात अधिक होना चाहिये। डीज़ल इंजन के प्रयोग में अपेक्षाकृत व्यय अधिक होता है। इस समय किसी लाईन के विद्युतीकरण से पूर्व इन बातों पर विचार किया जाता है। वह लाईन मुख्य लाईन का भाग हो ताकि पूरी लाईन के विद्युतीकरण में सहायता हो। दूसरे वे लाइनें अगल थलग हैं परन्तु वहां विद्युतीकरण बहुत उचित है। वहां पर यातायात अधिक होना चाहिये। तीसरी योजना में 3 348 किलोमीटर लाईन का विद्युतीकरण किया जा चुका था। कानपुर-टूंडला लाईन का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

चौथी योजना में लगभग 1700 किलोमीटर लाईन का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है। इस कार्य के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे के जोनल कार्यालयों के स्थानान्तरण आदि के सुझाव दिये है। रेलवे के जोनों का पुनंगठन बहुत सोच विचार के बाद किया गया था। यह भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह रेलवे के हित में नहीं कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये। मेरा माननीय सदस्यों से भी यही अनुरोध है कि वे इस पर जोर न दें। रेलवे प्रशासन पालेजाघाट और महेन्दरूघाट के बीच यात्रियों के पार ले जाने की व्यवस्था का काम अपने हाथ में लेना चाहता है। इस बारे में बिहार सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है।

कुछ समय से यह धारणा बनती जा रही है कि मुगलसराय स्टेशन तथा यार्ड में प्रति दिन एक लाख रुपये का माल चोरी हो जाता है। यह बात ठीक नहीं है।

मैं मानता हूं कि वहां पर माल चोरी होता है परन्तु इतने बड़े पैमाने पर नहीं। इस यार्ड से लगभग 3000 वैगन प्रतिदिन दिल्ली की ओर आते हैं। उनमें अधिकांश में कोयला होता है। प्रति दिन वहां से लगभग दो करोड़ रुपये के मूल्य का माल आता जाता है। रेलवे प्रशासन ने वहां पर होने वाली माल की चोरी के मूल्य का अनुमान लगाया है। गत फरवरी महीने में 66 हजार रुपये के माल की चोरी हुई। हमने इसे रोकने के लिये बड़े पैमाने पर उपाय किये हैं। इसके फलस्वरूप दोषियों को पकड़ा गया है। अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ एक बैठक की है। बिहार के मुख्य मंत्री के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई है। हमें न केवल माल की चोरी को रोकना है, बल्कि बिना टिकट रेल यात्रा पर भी नियंत्रण करना है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से हम अपने प्रयास में सफल होंगे।

हम सभी राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन तथा सम्बंधित राज्य सरकारों की संयुक्त समन्वय समितियों का गठन किया गया है। राज्यों के गृह सचिवों को इन का अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे हर्ष है कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

बंगाल में पिछले दिनों बहुत गड़बड़ रही है। वहां पर अनेक प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे। वहां पर नई सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिये हैं। हमने अपनी ओर से राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मैं आशा करता हूं कि बंगाल के लोग रेलवे की सम्पत्ति का पूरा ध्यान रखेंगे।

एक माननीय सदस्य ने उत्कल एक्सप्रेस के विलम्ब से चलने के बारे में शिकायत की है। यह भारत-पाक युद्ध के दिनों में समय पर नहीं चलती थी परन्तु अब यह ठीक समय पर चल रही है। देश के पूर्वी भाग में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण भी गाड़ियों के समय पर चलने में बाधा उत्पन्न होती रही। तारों आदि की चोरी के कारण खडगपुर-भद्रक सेक्शन पर स्थिति ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही स्थिति में सुधार हो जायेगा। राजनैतिक तथा अन्य प्रकार के आन्दोलन के दौरान रेलवे लाईनों आदि को रोष का निशाना बनाया जाता है। इससे रेलवे सम्पत्ति की हानि के साथ-साथ रेलवे के कार्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता को समझाना चाहिये कि रेलवे सम्पत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिये।

गाड़ियों के समय पर चलने में बाधा का एक बड़ा कारण पटरियों पर धरना है। नम्बर 1971 से 22 मई 1972 तक 18 ऐसे मामले हुए। इसके कारण गाड़ियों के समय पर चलने में बड़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार के प्रदर्शनों के कारण से रेलवे प्रशासन का कोई सम्बन्ध नहीं होता।

इस प्रकार के आन्दोलन के लिये सभी राजनीतिक दोषी हैं। किसी शिकायत को दूर करने का यह तरीका नहीं होना चाहिए कि रेलवे की सम्पत्ति को हानि पहुंचाई जाये। यदि किसी रेलवे अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। संसद सदस्यों के पत्रों में दिये गए सुझावों और शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भर्ती आदि के मामले में सुरक्षित स्थान नहीं दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में पदों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रतिशतता से स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। यह सुरक्षित स्थान आरम्भ में भर्ती के लिए होते हैं।

राजपत्रित पदों पर शत प्रतिशत स्थान भरे जाते हैं श्रेणी दो के पदों पर साधारणतः पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं और श्रेणी तीन के पदों पर रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी सुरक्षित पदों पर इन जातियों के लोगों को ही भर्ती किया जाये। रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जाती है, लिखित। मौखिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निःशुल्क रेल पास जारी किए जाते हैं और असफल रहने वाले उम्मीदवारों में से भी अच्छे उम्मीदवारों को गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया

जाता है । रेलवे महाप्रबन्धकों को विशेष शक्तियां दी गई हैं कि वे रेलवे सेवा आयोग को नाम भेजे बिना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकते हैं। वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उन उम्मीदवारों को जो डाक्टरी परीक्षा में कसौटी पर सही नहीं बैठते उन श्रेणियों में वैकल्पिक नियुक्ति कर सकते हैं जिनमें वे डाक्टरी परीक्षा में सही बैठते हैं और जहां इन जातियों के उम्मीदवारों की कम नियुक्ति की गई हो।

रेलवे प्रशासन की यह नीति है कि बड़ी लाइन के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ऊंचे प्लेट फार्मों, कम महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों और गैर महत्वपूर्ण छोटे स्टेशनों पर पटरियों की ऊंचाई के बराबर प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाय। यही स्थिति मीटर गेज लाइन के स्टेशनों के बारे में है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पर 616 स्टेशनों में 526 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा किया जाना है। अभी तक 391 स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा किया जा चुका है। शेष 135 स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने का कार्य वहाँ के यात्री यातायात और रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति की स्वीकृति और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ किया जा रहा है।

एक सदस्य ने दक्षिण पूर्व रेलवे के डिपो स्टोर कीपर सुधीरकुमार गुहा मजूमदार को देय राशि न अदा किये जाने के कारण उक्त कर्मचारी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने की बात उठाई है। उक्त कर्मचारी, 13 मई 1972 को सेवा निवृत्त हो गया था परन्तु उसने पेंशन के लिए अपना विकल्प नहीं बताया था। उसके ऊपर ऋण की भारी राशि थी। उसने अपनी सेवा निवृत्ति के 3 दिन बाद आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बारे में आगे जाँच की जा रही है।

एक सदस्य ने जोरदार मांग की है कि उत्तर सीमान्त रेलवे में जलपाइगुडी हल्दी बारी शाखा लाइन को पुनः चालू किया जाना चाहिए। रेलवे अपना कार्य करने के लिये तैयार है। किन्तु वैल्डिग तथा अन्य कार्य राज्य सरकार को स्वयं करने चाहियें। मुझे आशा है कि पश्चिम बगाल सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को करेगी। इस कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात रेलवे अपना कार्य करेगी।

रेलवे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से सबसे बड़ा उपक्रम है। जब तक सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े इस उपक्रम की क्षमता नहीं बढ़ायी जायेगी तथा इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक इस देश में समाजवाद को सफल नहीं बनाया जा सकता। तीनों यूनियनों तथा अन्य श्रम संगठनों को यह अनुभव करना होगा कि श्रमिकों को कुछ भत्ते दिलाकर या दण्ड माफ करा लेने से उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता, अपितु उनका मुख्य कर्तव्य उत्पादन करना है। मुझे आशा है कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सम्बन्धों का एक नया अध्ययन आरम्भ होगा और श्रमिक भी उत्पादन गति और सेवा तथा कार्यकुशलता के स्तर को बढ़ाने में हाथ बटायेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हड़तालों से उत्पन्न मामलों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और क्या किसी मजदूर संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : I would like to know whether efforts are being made to run the departmental catering through a caterer and to render a large number of employees jobless in this manner ? What action the hon. Minister is taking on the complaint sent to him by the employees of Catering Department of Eastern Railway ?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I would like to know from the hon. Minister State whether he would institute an enquiry into the misapropriation of lakhs of rupees as alleged by an engineer of Kotah ?

Shri R. V. Bade (Khargon) : May I know whether any Survey is proposed to be conducted regarding railway in tribal areas of Madhya Pradesh ?

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : क्या मन्त्री महोदय विजयवाड़ा—मद्रास लाइन पर बिजली चालित गाड़ियों की योजना की स्थिति बतायेंगे ?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : क्या मन्त्री महोदय पटना और धनबाद के बीच सीधा रेल सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में आश्वासन देंगे)

Shri R. S. Pandey (Raj Nand Gaon) : I would like to know whether the Ministry of Railways propose to point the two and three tier compartments with distinct colours so that II and III class passengers are not put to inconvenience ?

श्री परिपूर्णानन्द पैनूली (टिहरी-गढ़वाल) : माननीय मन्त्री ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में रेलगाड़ियों में चोरियां होने का जो उल्लेख किया है क्या उसका अर्थ यह है कि ऐसे अपराधी अन्य राज्यों से आते हैं ।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : क्या मंगलौर से मद्रास तक की सीधी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा और दक्षिण रेलवे में बिजली चालित गाड़ियां चलाई जायेंगी क्योंकि दक्षिण में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहां तक रेलवे में विभिन्न कार्मिक संघों को मान्यता देने का सम्बन्ध है, यह श्रम से सम्बन्धित उच्च नीति का मामला तीनों सघों तथा श्रम मन्त्रालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

जहाँ तक कई माननीय सदस्यों द्वारा जलपान व्यवस्था तथा विद्युतीकरण के संबंध में किये गये विस्तृत उल्लेखों का सम्बन्ध है, ये पृथक-पृथक मामले हैं । मैं इनकी जाँच करूंगा तथा इस समय इनके सम्बन्ध में कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । डिब्बों पर रंग करने के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की जांच की जायेगी ।

जहां तक रेल पटरियों के परिमाप को बदलने एवं नई लाइनें बिछाने का सम्बन्ध है, मैं जान बूझकर कोई वचन नहीं देना चाहता क्योंकि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । किसी भी मामले में अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है । मैं कई लाइनों के बारे में विचार कर रहा हूं तथा सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रत्येक राज्य के साथ विशेषतया पिछड़े हुए क्षेत्रों के साथ न्याय किया जाएगा । इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है । इन सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन पूरा हो जाने पर मैं नई लाइनों तथा परिमाप को बदलने के लिये कुछ समय पश्चात् अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

(All cut motions were put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं —

The Following Demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,23 89,000
2	विविध व्यय	5,41,46,000
3	चलित लाइनों और अन्य को भुगतान	12,82,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	67,20,34,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	232,19,19,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	143,57,23,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	129,58,81,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी) और ईंधन को छोड़कर)	37,89,69,000
9	संचालन व्यय— विविध व्यय	28,94,67,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी-कल्याण	21,99,94 000
11	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	82,50,00,000
11क	संचालन व्यय—पेन्शन निधि में विनियोग	12,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	155,15,39,000
13	चालू लाइन निर्माण कार्य (राजस्व)	5,25,27,000
14	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	28,28,91,000
15	चालू लाइन निर्माण कार्य—पूंजी, मूल्य-ह्रास अरक्षित निधि तथा विकास निधि	4' 9,14,56,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	7,57,89,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं: —

The Following Demands in respect of the Ministry of Railways were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उनके ब्याज की अदायगी—विकास निधि	4,19,02,000

18	विकास निधि में विनियोग	20,50,06,000
19	राजस्व अरक्षित निधि में विनियोग	12,03,37,000
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान—सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उनके ब्याज की अदायगी राजस्व आरक्षित निधि	12,33,30,000

विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1972
Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1972

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय रातियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और (विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
(The motioin was adopted)

श्री के० हनुमन्तैया : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 29 मार्च, 1972 को सियालदाह डिवीजन में कुछ राजनीतिक दलों के अनियंत्रित तत्वों द्वारा गाड़ियों को चलने से जो रोका गया था, वह हड़ताल नहीं थी। उन अनियंत्रित तत्वों ने केबिन तथा कंट्रोल रूम के संचालकों को काम बन्द करने के लिये बाध्य कर दिया था और इस प्रकार रेलगाड़ियों के खड़े हो जाने के कारण समूचे सियालदाह डिवीजन में लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और रेलवे को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

मन्त्री महोदय ने हावड़ा स्टेशन के सात टिकट कलेक्टरों के, जिन्होंने अच्छा काम किया है, स्थानान्तरण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

किसी एक विशेष राजनीतिक दल की युवक शाखा के सदस्यों को, जो बिल्कुल अरक्ष हैं और जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, नियुक्त कर दिया गया है किन्तु यह नियमों तथा विनियमों के विरुद्ध है। इस बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : मै सहमत हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि कुछ लोग ऐसा तरीका अपनाते हैं। यह कार्यवाही इतनी अचानक की गई थी कि रेलवे प्रशासन तथा राज्य सरकार दोनों ही आश्चर्य चकित रह गये। इससे भारी हानि हुई है। राज्य सरकार तथा कलकत्ता के व्यापारियों ने कमी के बारे में शिकायतें की हैं। बाद में चार अथवा पांच घटनायें हुई हैं। मैं आशा करता हूं कि देश के उस भाग में सब राजनीतिक दल अपना संघर्ष अलग से जारी रखेंगे। किन्तु रेलवे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सियालदाह तथा कलकत्ता स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के अभियान के अच्छे परिणाम निकले हैं। यदि इस कार्य के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा एक अथवा दो व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त की गई हैं तो यह स्वाभाविक है तथा ऐसा केवल कलकत्ता में ही नहीं किया गया वरन् हरियाणा' उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर भी किया गया है। जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है मैं एकदम कोई उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted.)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, 4 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted)

खण्ड 1 और 2, खण्ड 3, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया।

(Clauses 2 and 3, clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill)

श्री के० हनुमन्तैया : में प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The Motion was adopted.)

साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक
General Insurance (Emergency Provisions) Amendment Bill

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि सामान्य बीमा (आयात उपबन्ध) अधिनियमन 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 13 मई 1971 को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिनके अन्तर्गत साधारण बीमा कम्पनियों के कारोबार का राष्ट्रीयकरण किये जाने तक उनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। तदनन्तर अधिनियम द्वारा अध्यादेश के प्रतिस्थापन हेतु इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। जो भूतलक्षी प्रभाव से पारित हुआ।

इस अधिनियम के उपबन्ध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम,1956 के उपबन्धों के अनुरूप हैं जो जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के समय ऐसी ही स्थिति में अधिनियमित हुआ था। तथापि कुछ आकस्मिक स्थिथियां पैदा हुई हैं। जबकि सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षकों को उपक्रमों का प्रबन्ध करने के पूरे अधिकार दिये गये और साथ में उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों तथा अनुदेशों का भी पालन करना होगा, फिर भी यह तर्क दिया गया है कि अंशधारियों को अभी भी यह निर्णय करने की शक्ति है कि किस ढंग से प्रबन्ध कार्य किया जाये क्योंकि केवल प्रबन्ध कार्य हाथ में लिया गया है। जिनके स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस तर्क के आधार पर एक बीमा कम्पनियों के अंशधारियों ने असाधारण सामान्य बैठक में एक संकल्प पारित किया जिसमें 1 जनवरी, 1972 से साधारण बीमा कार्य बन्द करने का निर्णय किया गया। उच्च न्यायालय ने भी यह विनिर्णय दिया कि उपक्रम के प्रबन्ध का अधिकार यह निर्णय लेने के अधिकार से भिन्न है कि कम्पनी को कौनसा कार्य चलाना चाहिये और कौन सा नहीं ?

एक अन्य बीमा कम्पनी के मामले में निदेशक मण्डल ने कुछ समय पहले एक संकल्प की सूचना दी थी जिसमें एक नवीन प्रकार के कार्य को आरम्भ करने के लिए ज्ञापन और संस्था अन्तर्नियमों के संशोधन करने की बात कहीं गई। यह लगभग ऐसा निर्णय हुआ कि नये बीमे का का बार-बार समाप्त कर दिया जाये। यह भी सम्भावना है कि अन्य बीमा कम्पनियां भी नये बीमा व्यापार को समाप्त करने का संकल्प पारित करें।

उल्लिखित विनिर्णय और कुछ अन्य निदेशक मण्डलों के रवैये को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि नियमों का स्पष्टीकरण किया जाये कि केवल अभिरक्षक के पास ही प्रबंध की सभी शक्तियाँ होंगी चाहे वे शक्तियां कम्पनी अधिनियम या ज्ञापन अथवा संस्था अन्तर्नियमों या किसी अन्य स्त्रोत से ली गई हों और यदि किसी बीमा कम्पनी का अद्यपूर्व निदेशक मंडल या अंशधारी कोई संकल्प पारित करते हैं तो वह सँकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब कि उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति न मिल जाये। केन्द्रीय सरकार को जो शक्ति प्रदान करने का विचार है उससे यह सुनिश्चत होगा कि किसी भी संकल्प से राष्ट्रीयकरण में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। विधेयक में अन्य छोटे संशोधन भी हैं।

यह विधेयक केवल अभिरक्षक की शक्तियों के बारे में शंकाओं को दूर करने के लिए तथा स्पष्ट या शाब्दिक संशोधन करने के लिये रखा गया है और उसमें कोई नया सिद्धान्त नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सामान्य बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यद्यपि यह मांग निरन्तर रही है कि साधारण बीमा का पूर्णत: राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये, फिर भी आश्चर्य की बात है कि साधारण बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सरकार कोई ऐसा विधेयक पेश नहीं कर रही है और इस प्रकार से ये विधान खंड रूप में पेश किये गये हैं जिससे यह पता चलता है कि सरकार का राष्ट्रीयकरण हेतु विधेयक लाने का अपना इरादा नहीं है।

सरकार अभी भी प्रतिमास इन साधारण बीमा कम्पनियों को 33 लाख रुपया अदा करना जारी रखना चाहती है। हालांकि इन कम्पनियों के पुराने प्रबन्धकों तथा पुराने निदेशक मण्डल के सदस्यों के पास करने के लिये कोई भी कार्य नहीं है तथा यह भी स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 1971 के अधिनियम द्वारा जब इन कम्पनियों के प्रबन्ध का अभिग्रहण किया था तो प्रबन्धकों ने इन कम्पनियों के समुचित कार्यकरण में तोड़फोड़ करने का प्रयत्न किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राष्ट्रीयकरण अथवा इस महत्वपूर्ण व्यापार अथवा महत्वपूर्ण उद्योग को सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत रखने में कोई रुचि नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे सरकार इस राष्ट्रीयकरण में विलम्ब कर रही है।

गत वर्ष हमने बीमा व्यापार के विविधीकरण के बारे में तर्क किया था। हमने बेरोजगारी बीमा, फसल बीमा तथा कुछ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी का सुझाव दिया था। एक आश्वासन दिया गया है कि साधारण बीमा व्यापार केवल वाणिज्य और उद्योगों तक ही सीमित नहीं होगा, अपितु इसकी गतिविधियों का अन्य सामाजिक उद्देश्यों तक भी विस्तार किया जायेगा। किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के धन के प्रयोग का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

हम सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि वह राष्ट्रीयकरण विधेयक को कब तक पेश करेगी जिससे कि तोड़फोड़ के प्रयत्न समाप्त किये जा सकें तथा साधारण बीमा व्यापार के समुचित कार्यकरण में उत्पन्न की जाने वाली कठिनाईयां दूर की जा सकें और सरकार द्वारा सरकारी कोष से इन बीमा कम्पनियों को 33 लाख रुपये प्रतिमाह की अदायगी को रोका जा सके।

जहाँ तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, कई मामलों में अभिरक्षकों की नियुक्ति भी नहीं की गई है। पुराने प्रबन्ध ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया है। जिन लोगों का राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं है उन्हें प्रबन्ध मण्डल में रखा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन अतुल संसाधनों को अच्छे प्रबन्ध, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति और सामाजिक लक्ष्यों के लिये प्रयोग में लाया जाये।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि कस्टोडियन नियुक्त किये जाने तक पुराने प्रबन्धक काम करते रहें। लेकिन कुछ व्यक्ति अब भी प्रबन्धक के रूप में काम कर रहे हैं। अभी तक कस्टोडियन क्यों नहीं नियुक्त किये जा सके ?

एक अन्य बात मैं कलकत्ता ब्यूरो के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। 2 जून 1971 को हुई पिछली बहस के दौरान माननीय वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि उनके मामलों पर विचार किया जायेगा तथा उन्हें अन्यत्र रोजगार देगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे बतायें कि उनके बारे में क्या करने का सरकार का विचार है। इन बातों के अतिरिक्त मैं विधेयक के मुख्य उद्देश्यों का समर्थन करता हूं।

***श्री के० सूर्यनारायण** (हलूरु) : सभापति महोदय सरकार ने सामान्य बीमा कम्पनियों के अन्ततोगत्वा राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से मई, 1971 में एक अध्यादेश के द्वारा उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था बाद में गत वर्ष उसके स्थान पर एक अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन उसमें कुछ रह गई थी जिनके कारण इन कम्पनियों कमियों के स्वामियों ने कोई भी कार-बार करने के लिये उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले संकल्प पारित करा लिये।

इन कमियों को दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार को जल्दी में कोई विधान नहीं बनाना चाहिये जिससे कि उसकी कमियों के कारण उसकी आलोचना न हो।

इन कमियों का प्रबन्घ अपने हाथ में लेते समय सरकार का विचार शीघ्र ही सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकरण करने का था। परन्तु प्रतिकर की राशि जैसे वित्तीय पहलू इसमें बाधक रहे हैं।

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा अनुरोध है कि इस बात को रिकार्ड किया जाये कि गणपूर्ति का प्रश्न उठाने वाले माननोय सदस्य बाद में तुरन्त स्वयं बाहर चले गये। यह तय हुआ था कि हमारे 35 सदस्य उपस्थित रहेंगे और विरोधी पक्ष के 151 हमारे 35 से अधिक सदस्य उपस्थित हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : मूल अधिनियम को पारित हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका हैं परन्तु सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के लिये विधेयक नहीं लाया गया है। इस कारण सरकार की आलोचना उचित है। कस्टोडियनों का तबादला करने से वांछित लाभ नहीं होगा। वित्त विधेयक, 1972 पर बहस का उत्तर देते हुए श्री चव्हाण ने वचन दिया था कि इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये विधेयक वर्तमान सत्र के अवसान सेप हले लाया जायेगा। हमें बताया गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का विचार है। इससे तो एक वर्ष या इससे भी अधिक विलम्ब और हो जायेगा। मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक तुरन्त लाया जाये।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. Chairman, Sir, after going through the present measure I have come to the conclusion that the Government is wise after the event only. Whether it faces any difficulty or any ameiguity is discovered. Parlia ment is approached just like a cyclist who goes to a bi-cycie repair shop only when his bicycle is punctured. Ministries of Law and Finance are there and therefore, Government should being foo lproof

*तेलगु में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित।

Summarised Translated version of English translation of the speech delivered in Telugu

legislation. As a consequence to a High court ruling that it is well within the competence of the Board or Directors of a company either to carry on the business or close it down and it shall be the duty of the management or custodian to carry out the resolution of the Board of Director, Government has come forward with section is of the present Bill.

It is more than a year when the principal act was passed but a comprehensive Bill for nationalisation of these companies has not been brought forwards So far. Naturally it raises doubts in the minds of the people. It appears the party interest is the foremost consideration in deciding the nationalisation of a particular sphere of industry. There is no uniformity of service. The rules differ from company to company. Nationalisation of these companies will result in uniformity of sevice, standardisation of wages and lowering down of administrative cost. Now constitution has been amended and compensation need not be paid. Then why a Bill to nationalise these companies is not being brought forward. I do not favour this policy of brining piece-meal measures. Since it is a measure to make the principal Act effective, I support it.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण से हुए कुछ समय व्यतीत हो चुका है। राष्ट्रीयकरण की कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है। केवल इतना ही अन्तर है कि सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकार के हाथ में है। मैं इसकी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तुलना करना चाहूँगा। कुछ नई शाखाएं खोलने के अतिरिक्त यथापूर्व स्थिति बनी हुई है। मेरे विचार में हमारी आर्थिक व्यवस्था में सभी बुराइयों के लिये प्रबन्ध का राष्ट्रीयकरण एकमात्र इलाज नहीं है। राष्ट्रीयकरण करने से पहले कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही करनी होती है जैसी कि जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की गई थी। लेनिक सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसी कार्ययाही नहीं की गई। एक वर्ष हो जाने पर भी वही लोग प्रबन्ध संभाले हुए हैं, जो पहले प्रबंधक थे और उन्हें प्रत्यक्षतः नहीं तो परोक्ष रूप बही शक्तियां प्राप्त हैं, जो पहले थीं।

इन कम्पनियों के स्वामियों को प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। यह कहां तक उचित है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि कब तक यह राशि दी जाती रहेगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को दो वर्ष हो चुकने पर भी हम उनके प्रबन्ध बोर्डों का पुनर्गठन नहीं कर सके हैं :

पहले ग्राहकों या एजेन्टों को बीमा कम्पनियों को दी जाने वाली प्रीमियम में से कुछ राशि दी जाती थी। क्या सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की है या अब भी यह राशि दी जा रही है।

प्रश्नों के दौरान मैंने यह बात उठायी थी कि इन कम्पनियों में मस्टर रोल पर 25,000 व्यक्तियों के बोगस नाम थे। वास्तव में इन पदों पर कोई भी काम नहीं करता था। क्या कानूनी रूप में इस बात पर विचार किया गया है कि क्या इस प्रकार दुरूपयोग की गई राशि भूतलक्षी प्रभाव से वसूल की जा सकती है अथवा इस मामले को छोड़ दिया गया है। यदि इस मामले को समाप्त कर दिया गया है, तो कदाचार को नहीं रोका जा सकेगा। लोगों में यह आम धारणा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ नई शाखाएं तो खुली है परन्तु इन वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

Mr. Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, I would like to know the reasons for delay in bringing forward a Bill for nationalisation of general insurance companies. It Government has any regard for insurance, it should taking a lesson from its past experience of nationalisation in other spheres of business activity, bring forward a comprehensive

Bill during the next session so that there may not be any shortcoming in the new lagislation. Government should also seriously consider the points raiseu by the All India Geveral Insurance Employees Association in the various memoranda submitted by them.

As regards appointment of custodian, I would like to submit that only persons. Who are committed to socialistic ideology, should be appointed on these posts. Otherwise the very puspose of nationalisation will be defeated. Attention should also be paid to the welfare of the employees. Their grievances should be looked into. The cooperation of the workers would be forthcoming in making nationalisation a success if they are assured that it is going to do them some good. Mere slogan of socialism will not help. We should translate it into actual practice.

*** श्री वी० मायावन** (चिदाम्बरम) : सभापति महोदय, सामान्य बीमा व्यापार का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये मूल अधिनियम जून, 1971 में पारित किया गया था। सामान्य बीमा कम्पनियों को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक की राशि दी जा रही है। सरकार एक वर्ष हो जाने पर भी एक व्यापक निधेयक नहीं ला सकी है। सरकार को शीघ्र यह विधेयक लाना चाहिए और प्रतिकर देना बन्द करना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में बड़े-बड़े वेतन लेने वाले अनेक अधिकारी हैं। मूल विधान बनाते समय ये कमियां, जो अब दूर की जा रही हैं, उनके ध्यान में क्यों नहीं आई ? लोक-सभा की बैठक पर प्रति घंटा 50,000 रुपए व्यय होते हैं। इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे रखे गये हैं। यदि वित्त मंत्रालय के अधिकारी सावधानी बरतते तो 1 लाख रुपए का यह अपव्यय बच सकता था। विदेशी बीमा कम्पनियों द्वारा अपनी भारतीय शाखाओं के माध्यम से कारोबार करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना भी वर्तमात विधेयक का उद्देश्य है। इस बात कोभी मूल अधिनियम बनाते समय सोचना चाहिए था।

मुझे तमिल की एक कहावत याद आती है जिसका अभिप्राय है कि कानून अन्धा होता है जैसे कि गधा अगाड़ी आने पर काटता है और पिछाडी जाने पर दुल्लती मारता है। मैं चाहता हूं कि व्यापक विधेयक इस कहावत को चरितार्थ न करें।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रकार के अपूर्ण विधान लाना और बाद में शीघ्र ही उसमें संशोधन के प्रस्ताव लाना सरकार की आदत बन गई है। मेरा अनुरोध है कि जनहित के उपायों के मामले में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्रीमन्, माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के लिये मैं उनकी आभारी हूं यदि माननीय सदस्यों ने पहला भाषण सुना होता तो उनकी शंकाओं का समाधान हो जाता। अधिकांश सदस्यों का विरोध केवल अपने दल का दृष्टिकोण रखने मात्र के लिये था।

बहस आरम्भ करने वाले साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्य ने एकदम स्पष्ट आश्वासन देने की बात कही। सरकार समस्या की सभी गूढ़ताओं को समझे बिना आश्वासन

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised Translated version bases on English translation of the speech delivered in Tamil.

नहीं दे सकती है । सरकार का इरादा 33 लाख रुपए प्रति मास देते रहने का नहीं है । सरकार दिये गये वचनों के बारे में गंभीर है । श्री बड़े ने साइकिल पंक्चर हो जाने पर मरम्मत की दुकान पर जाने की बात कही । लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहती हूं कि साइकिल इस्तेमाल करने पर ही पंक्चर होती है । जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, यह एक जटिलतापूर्ण मामला है, हमें सोचना है कि एक निगम बनाया जाये या कई निगम बनाये जायें । प्रतिस्पर्धा के लिये क्या व्यवस्था हो, समूचे देश के लिये विधेयक हो या कतिपय क्षेत्रों के लिये, आदि विचारणीय बातें हैं ।

एक बात यह उठाई गई कि कुछ कम्पनियों के लिये कस्टोडियन नियुक्त नहीं किये गये । ऐसी केवल चार कम्पनियां हैं, जिनमें से तीन सरकारी क्षेत्र में हैं और चौथी कम्पनी के अंशधारी अन्य बीमा कम्पनियां हैं । इसलिये उनके मामले में करटोडियन नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । फसल बीमा का प्रश्न भी उठाया गया । इसका सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है, जो इस पर उचित रूप में विचार कर रहा है ।

कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है । वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । सरकार अपने वचन को निभायेगी । साम्यवादी दल के एक सदस्य ने जुलाई में एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध किया था । मैं बताना चाहती हूं कि हम इसी सत्र में यह विधेयक रखने वाले हैं और इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 को संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।',

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The moti:n was adopted

खण्ड 2 से 4 वधेयक में जोड़ दिये गये । खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्रीमति सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन), विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMBNDMENT)

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायं।"

इस विधेयक का उद्देश्य अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र तथा लंकाद्वीप, मिनिकोय द्वीप और अमीनदीवी द्वीप संघ राजक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सभा के हमारे दो साथियों को एक मुफ्त अहस्तांतरणीय पास देना है जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग तथा दूसरे भाग के बीच या अपने निर्वाचन क्षेत्र और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे में किसी भी समय यात्रा कर सकें इस विधेयक को 20 दिसम्बर, 1971 को जब पुरः स्थापित किया गया था। तब यह सुझाव दिया गया था कि दोनों सदस्यों को इस पास पर अपने साथ अपनी पत्नी या अपने पति तथा एक नौकर को भी ले जाने का हक दिया जाये जैसाकि रेल यात्रा के सम्बन्ध में है। यह सुझाव मान लिया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संशोधन की सूचना दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य सदस्यों को।

1. स्टीमर द्वारा निम्नतम दर्जे में यात्रा करने के लिए सदस्य के साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए एक मुफ्त पास के लिये; और

2. सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसके निवास के प्रायिक स्थान और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच प्रत्येक अधिवेशन के दौरान एक बार स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे में यात्रा करने के लिए पति या पत्नी के लिए एक मुक्त अहस्तांतरणीय पास के लिए हकदार बनाना है। ऐसी ही सुविधायें अन्य सदस्यों को विद्यमान धारा 6 के अधीन पहले ही उपलब्ध हैं। अब इस धारा को 6 ख बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

अन्य संशोधन अनुषंगिक हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव हूं करता कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवा) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। ये सुविधायें अन्य सदस्यों को भी दी जानी चाहिए जिससे वे भी भारत के इन भागों का दौरा कर सकें।

इसी प्रकार त्रिपुरा के दो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साथ रेल सम्पर्क नहीं है। इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को विमान द्वारा कलकत्ता आना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उन्हें रेलवे पास का कोई लाभ नहीं होता है। उनको भी ऐसी सुविधायें दी जानी चाहियें और इसके लिए उपयुक्त विधान उचित समय पर लाया जाना चाहिये।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : I support this Bill. The facility of steamer-pass must be provided to these two Members who represent the Union Territory of Andamans and Nicobar Islands. At the same time, this facility should also be extended to other Members to enable them to visit these areas which are part of India. Otherwise this will amount to discrimination. It will, therefore, be in the fitness of things that the facility of steamer-pass is provided to all the Members. An amendment to this effect should be made.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I support this Bill. It would, however, be in the fitness of things that the facility of steamer-pass is provided to all Members to enable them to visit there areas. In order to achieve this end, a comprehensive Bill should be brought forward.

As suggested by Shri Somnath Chatterjee, facility of air travel should be provided to those Members who represent Tripura.

Meals should also be provided to these Members in the steamer.

Shri R. D. Bhandare (Bombay Central) : I support this Bill. It is good that the Members of the opposition are a so supporting this Bill. They are not only supporting this Bill, but also asking for more facilities. I am grateful to them.

Shri R. V. Bade (Khargaon) : I support this Bill. This Bill should have been brought forward soon after the elections were over.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I support this Bill. The facility of air travel should also be provided to Members to enable they to reach here in short time.

श्री राज बहादुर : विधेयक को सर्व समर्थन मिला है । सम्बद्ध दो सदस्यों को यह सुविधा इसलिये दी जा रही है कि वे ऐसे द्वीपों से आते हैं जहां संचार साधन इतने अच्छे नहीं हैं आने जाने में उनका काफी समय लग जाता है । यह सुविधा अन्य सदस्यों को इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इस पर काफी खर्च आयेगा मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये, हमें इस सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा यदि कोई सदस्य इन द्वीपों का दौरा करना चाहें, तो उनके लिये प्रबन्ध किया जा सकता है

जहां तक स्टीमर में भोजन की व्यवस्था करने का प्रश्न है, रेलवे पास पर भी भोजन नहीं दिया जाता है। इस लिये स्टीमर द्वारा यात्रा के दौरान भोजन का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता ।

त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को विमान यात्रा की सुविधा देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ससद सदस्यों के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर माननीय मन्त्री के तीन संशोधन हैं जिनकी क्रम संख्या 3, 4 और 5 है।

संशोधन किये गए

Amendment made

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 16 और 17

"one and three-fifths of the fare" ("किराये के $1\frac{3}{5}$") **के स्थान पर**

"are fare" (किराये) रख दिया जाये। (3)

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"one and three fifth of the fare" ("किराये के $1\frac{3}{5}$") के स्थान पर

"are fare" ("किराये") रख दिया जाये। (4)

(3) पृष्ठ 2, —

पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

(6) In addition to a free steamer pass issued to a member under sub-section (1), he shall also be entitled—

(i) to one free pass for one person to accompany the member and travel by the lowest class by steamer to and fro any part of the constituency of the member and any other part of his constituency or the nearest port in the mainland of India; and

(ii) to one free non-transferable pass for the spouse, if any, of the member to travel by the highest class by steamer to and fro the usual place of residence of the member in his constituency and the nearest port in the mainland of India, once during every session :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed as absolving the person accompanying the Member or the spouse of the Member from payment of any diet charges payable by such person or spouse during such travel."

"उप–धारा (1) के आधीन किसी सदस्य को दिये गए एक मुफ्त स्टीमर पास के अतिरिक्त वह —

1. अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे भाग या भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर द्वारा निम्नतम दर्जे में यात्रा करने के लिए सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए एक मुफ्त पास का, और

2. अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने निवास के प्रायिक स्थान और भारत की मुख्य भूमि में निकटत्तम पत्तन के बीच प्रत्येक अधिवेशन के दौरान एक बार स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे में यात्रा करने का, भी हकदार होगा।

परन्तु इस उप-धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसी यात्रा के दौरान सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति या सदस्य की पत्नी या पति द्वारा संदेय भोजन प्रभारों से ऐसे व्यक्ति, पत्नी या पति को मुक्त करती है।" (5) **(श्री राजबहादुर)**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक, का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

खण्ड 1

सभापति महोदय : खण्ड 1 पर एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1971 के स्थान पर 1972" रख दिया जाये। (2) (श्री राज बहादुर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

श्री राजबहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Twenty second" (बाईसवें) के स्थान पर "Twenty third" (तेईसवें) रख दिया जाये। (1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Twenty-second" (बाईसवें) के स्थान पर "Twenty third" (तेईसवें) रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र- संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Enacting formula, as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Title was added to the Bill

श्री राज बहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित कियाजाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972
NATIONAL SERVICE BILL, 1972

गृह-कार्य मन्त्रालय में राजमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बांधों का निर्माण जैसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्रियाकलापों के लिये पर्याप्त संख्या में इंजीनियर और डाक्टर उपलब्ध करना है।

चीन द्वारा आक्रमण के समय सरकार ने एक अनिवार्य दायित्व योजना बनाई थी जिसमें यह उपलब्ध किया गया था कि सरकारी सेवा में या सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में क्रमशः 40 और 45 वर्ष के इंजीनियर और डाक्टर सशस्त्र सेना में या भारत में किसी स्थान पर अथवा भारत से बाहर प्रतिरक्षा कार्यों में चार वर्ष लगायें। किन्तु इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि यह दायित्व ऐसे सभी व्यक्तियों पर डाला जाए जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अर्थों में मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हतायें धारण करते हैं या जो इंजीनियरी अथवा टेक्नोलोजी में स्नातक हैं। यह भी अनुभव किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षा कार्यों के अलावा किसी प्रकार की वह राष्ट्रीय सेवा भी लाई जाये जो सरकार विहित करे।

इस तथ्य के बावजूद कि इस समय 19,000 से अधिक स्नातक इंजीनियर काम ढूंढ रहे हैं, प्रतिरक्षा मन्त्रालय को प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये पर्याप्त संख्या में इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की भारी कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था करने के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर कुप्रभाव पड़ा है। 30 जून, 1971 को 5,127 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 175 केन्द्रों में कोई भी डाक्टर नहीं था और 2810 केन्द्रों में केवल एक ही डाक्टर था। स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने से यह

कमी और भी अधिक हो जाएगी । कुछ मामलों में डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है । इसके साथ–साथ विभिन्न राज्यों में जन-संख्या और डाक्टरों का अनुपात अलग अलग है । उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात 13,008 जम्मू तथा कश्मीर में 9850 और नागालैंड में 9545 जबकि देश के लिये यह अनुपात 5200 है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अनुपात में विषमताओं को दूर करने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि इस सम्बन्ध में इंजीनियरों और डाक्टरों को बाध्य किया जाए ।

इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिये योग्य अर्हित इंजीनियरों और डाक्टरों की सेवायें सुनिश्चित करना है । विधेयक के खण्ड 2 में परिभाषित रूप में राष्ट्रीय सेवा में केवल सशस्त्र सेना में सेवा नहीं है किन्तु ऐसी कोई भी सेवा है जिससे भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा या सैनिक संक्रियाओं में सहायता मिलने की सम्भावना है और इसमें ऐसी समाज सेवा भी सम्मिलित है जिसे सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

विधेयक के खण्ड 3 का उद्देश्य योग्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाने की अवधि को चार वर्ष तक सीमित करना है । एक योग्य व्यक्ति को जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया गया हो, साधारणतः तीस वर्ष की आयु हो जाने पर वापिस भेज दिया जायेगा ।

इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि राष्ट्रीय सेवा करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा । सेवा के लिए बुलाये गये लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाये गये व्यक्तियों को ऐसी राशि का संदाय किया जायेगा जो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कम नहीं होगा । राष्ट्रीय सेवा करने के पश्चात् सम्बंधित व्यक्तियों को अपने पहले के नियोजकों द्वारा उन पदों पर लगाना होगा जिन पर सेवा से पूर्व वे लगे हुए थे और सेवा की शर्तें भी पूर्ववत शर्तों के समान ही रहेंगी । दोबारा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा हो जाने की स्थिति में मामला राष्ट्रीय सेवा (कठिनाई) समिति को सौंपा जायेगा । उसका निर्णय बाध्यकारी होगा । लोगों के किसी वर्ग को राष्ट्रीय सेवा के दायित्व से छूट नहीं होगी । सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी नियोजक को अपना कर्मचारी राष्ट्रीय सेवा कार्य हेतु देने के लिए बाध्य कर सकेगा ।

इस विधेयक में राष्ट्रीय सेवा (कठिनाई) समिति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था की गई है । परन्तु ऐसी अपील को पहले राष्ट्रीय समिति को प्रमाणित करना होगा । विधेयक में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला मजिस्ट्रेटों और राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी दें ।

राष्ट्रीय सेवा समिति के तीन सदस्य होंगे । उनमें से एक अध्यक्ष होगा, जो कि स्वयं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उस पद को धारण करने की योग्यता रखता होगा ।

इसके कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष लगभग 5, 57, 000 रुपये व्यय होंगे ।

खण्ड 36 के अधीन केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी ।

नियम तथा विनिमय बनाने के मामले विस्तार के मामले हैं। अतः उनके बारे में इस विधेयक में व्यवस्था करना संभव नहीं है।

देश की रक्षा और राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिये डाक्टरों और इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने के साथ इस विधेयक से देश की तैयारी की स्थिति बनाये रखने में सहायता मिलेगी। अब थोड़े समय के नोटिस पर डाक्टर आदि बुलाये जा सकेंगे। देश के विभिन्न भागों डाक्टरों के उपलब्ध होने में जो विषमताएं हैं वे भी इस विधेयक के माध्यम से कम हो जायेंगी।

सेवा की अवधि केवल चार वर्षों की होगी। माननीय सदस्य मानेंगे कि देश उन युवा डाक्टरों और इंजीनियरों से देश की सेवा करने की आशा करता है।

ऐसा हो सकता है कि इस विधेयक को लागू करते समय कुछ व्यक्तियों की कठिनाईयों का पता चले। ऐसे व्यक्तियों के बारे में पुनर्विचार करने की भी विधेयक में व्यवस्था है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का अनुमोदन करेगी।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The hon. Minister has left many points unclarified, There cannot be any difference of opinion on the objects of this Bill. Doctors and engineers should be called up for national service in case of national emergency etc. A similar law exists in United Kingdom. This Bill is on the line of that enactment. The Government should devote attention to the point as to why doctors do not want to serve in rural and backward areas. It should be enquired whether their service conditions are satisfactory or not. Government should improve the service conditions in rural and remote areas so that difficulty is experienced in the matter of posting of doctors in those areas.

It has been provided in the Bill that national service will be compulsory. This element of compulsion is not desirable. I would like that simultaneously the service conditions in Army, Navy and Air Force should be made more attractive. This will ensure good number of doctors and engineers joining services.

There is no provision in the Bill to ensure that the doctors, who join the national service and after putting in four years required service, cross the age of 30 years, are not declared age-barred. In this provision is not made, I am afraid such doctors might have to face unemployment after four years stipulated national service.

Government have declared Army, Navy and Air Force and certain other services as national service for which these persons would be called upon. I would like other services also to be specified for this purpose.

Government should ensure that National Service Committee will give proper consideration to each case which came before it.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : It is due to Government', wrong pocily that doctors do not want to go to rural areas, While supporting this Bill, I would like to know from the hon. Minister the guaranttee of employment he is going to those person after their release from this service.

The provision in the Bill in regard to awarding punishment to those persons who do not get themselves registered is not healthy.

This provisions does not convey the correct impression. Ther is no need for this provision as there are number of unemployed doctors and engineers in the country. I request the hon. Minister to pay attention to this matter and change the basic policy.

I support this Bill.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस विधेयक का आम तौर पर समर्थन करता हूं। आपात कालीन स्थिति में डाक्टरों आदि की सेवाओं से लाभ उठाया जा सकेगा।

यह एक अजीब बात है कि इस देश में इंजीनियर तथा डाक्टर बेरोजगार होते हुए भी इस प्रकार का कानून बनाना पड़ रहा है। इस से यही निष्कर्ष निकलता है हमारी नीति में कोई त्रुटि है। एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर नहीं हैं, और दूसरी ओर नगरों में डाक्टरों के पास रोजगार नहीं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

शब्द 'राष्ट्रीय सेवा' की परिभाषा कुछ और व्यापक होनी चाहिये। उद्देश्यों और कारणों के कथन में बांध बनाने, परिवार नियोजन कार्य का उल्लेख है। परिभाषाओं वाले खण्ड में इन को बताया जाना चाहिये था। तब इस विधेयक का औचित्य और भी बढ़ जाता।

खण्ड 7 (2) में कहा गया है कि व्यक्ति को किसी भी पद पर लगाया जा सकेगा। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाये कि एक व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही उसे पद पर नियुक्त किया जायेगा।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि विधेयक यह प्रावधान किया जाये कि जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया जायेगा उन्हें उनके पहले के पद के समान वेतन मिलेगा। नहीं तो इस विधेयक का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा।

माननीय मंत्री को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि 4 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् जब बुलाये गये व्यक्ति वापिस जायेंगे तो उनकी पहले की शर्तों का लाभ उनको मिलेगा। राष्ट्रीय सेवा करने वाले व्यक्ति यदि बेरोजगार है तो रोजगार देने के मामले में उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

जो व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा करने में असमर्थ है उनके बारे में जांच में कानूनी कारण को देखकर सभी अन्य प्रकार के कारणों प॰ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के बनाते समय इस सुझावों को ध्यान में रखा जाये।

Shri M. C. **Daga** (Pali) : In our country thousands of doctors and engineers are without jobs. Now under this Bill, Government is going to resort to compulsory national service for these people. It shows that our educational system is faulty. The present education does not prepare our young men and women for any useful profession. It does not instil in them the spirit of service.

We should change ou· educational system in such a way that the doctors themselves offered to go the rural areas and serve the people. It seems improper that they are be forced to render national service.

There are thousands of retired doctors who are willing to go to villages, but Government is not encouraging them. They can be sent to rural areas.

The spirit of service cannot be enforced by legislation. Government should encourage those people who offer their service voluntarily.

Shri Bhogendra Jha (Jaya Nagar) : I fully agree with the objects and reasons of this Bill. This type of law is very neaessary for our country. Every law must have an element of compulsion in it.

The unemployment problem is a big problem in our country. It cannot be solved in a capitalist system of economy.

I would like that it should be ensured that a person who has put in 4 years national service is extented all the benefits of the previous service. The period of national service should be counted for seniority etc.

The doctors who are in Government service should not be allowed private practice. An amendment to this effect may be made in this Bill.

It is not necessary that only a high court judge should be appointed as Chairman of National Service Hardship Committee. The Bill may be amended in this regard.

I support the Bill.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : 24667-706 Our doctors, engineers, I.A S. officers, teachers and bank employees do not like to serve at far off places. It is because the children of white-collar class generally occupy these posts who do not like to go to villages. Such a situation had arisen in Burma also. The Government of that country had declared these services to be essential services and thus they were sent to villages. Our Government too is taking a similar step. I welcome it and want that bills for other services should also be brought forward.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि जो भी सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है यह बात मुझे विचित्र सी प्रतीत होती है कि एक ओर तो हमारे देश में बहुत से इंजीनियर और डाक्टर बेकार हैं और दूसरी ओर हम आवश्यक राष्ट्रीय सेवाओं को सुनिश्चित करने के बारे में ऐसा विधेयक यहां ला रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग ऐसे दूरस्थ स्थानों में जाकर सेवा नहीं करना चाहते हैं जहाँ शहरी सुविधायें आसानी से उपलब्ध न हों। इस विधेयक से दोनों ही प्रयोजन पूरे हो जायेंगे। बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास के लिये इंजीनियर और डाक्टर भी मिल जायेंगे। जैसाकि बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया है हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ऐसी नियुक्तियाँ करते समय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का अभाव होता है जिस कारण डाक्टर वहां जाना पसन्द नहीं करते। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हर स्थान पर समान सुविधायें उपलब्ध करना सम्भव नहीं है। अतः क्या यह ठीक है कि जब तक सुविधायें उपलब्ध न की जाएं तब तक वहां डाक्टर ही न भेजे जाए। उन्हें इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिये।

एक बात यह उठाई गई थी कि हम न राष्ट्रीय सेवा की परिभाषा क्यों नहीं की है। इसका कारण यह है कि हम उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना चाहते हैं। हमें जिस स्थान पर जैसी आवश्यकता हो हम वैसा कर सकें इस बात को देखते हुए हमने इसकी परिभाषा नहीं की है।

दण्ड सम्बन्धी खण्ड का भी उल्लेख किया गया था। हमने अन्य अधिनियमों की तरह इस में भी दण्ड की व्यवस्था की है। इसमें बताया गया है कि अधिकतम दण्ड क्या हो सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों के लिए शर्तें आकर्षक नहीं है, अतः वे वहां जाना पसन्द नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर और डाक्टर केवल अपनी सुविधाओं और आराम को ही ध्यान में रखें

और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता, राष्ट्र की आवश्यकता और राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता की ओर बिल्कुल ध्यान ही न दें। उनमें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारत माता के दर्शन करने और उसकी सेवा करने की भावना होनी चाहिए। यह राष्ट्र के नाम एक चुनौती है जिसका हमें मुकाबला करना चाहिये।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि डाक्टरों का जो भी पद भरा जाये वह ऐसे व्यक्ति से भरा जाना चाहिये जो अर्हता प्राप्त हो। यदि नियमों में ऐसी व्यवस्था करना सम्भव हुआ तो मैं ऐसा अवश्य कराऊंगा।

माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी को भी उस वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये जो वह पहले ले रहा हो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बात सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें राष्ट्रीय सेवा के सम्पूर्ण वेतन सम्बन्धी ढांचे को बदलना पड़ेगा। यदि बेरोजगार व्यक्ति ऐसे पदों पर आना पसन्द करें तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी।

माननीय सदस्य और अन्य अनेक सदस्यों ने कहा था कि जब डाक्टरों और इंजीनियरों को पुनः पुराने पद पर लिया जाए तो उनके वेतन में कमी नहीं होनी चाहिए। उप खण्ड 7 (क) और 7 (ख) से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनको वेतन उनके इस अनुभव को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : क्या यह बात अच्छी नहीं है यदि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि उसे अधिक वेतनमान मिलेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधेयक में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि उस पर वही शर्तें लागू होंगी जो उस पर तब भी लागू होती यदि उसकी सेवा का अथवा उपयोग न किया गया होता।

यह बात भी कही गई थी कि जब इन लोगों की सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अपेक्षित न हो तब उन्हें अन्य रोजगार मिलेगा इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ऐसा आश्वासन देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अनिवार्य रोजगार योजना नहीं है। यह राष्ट्रीय सेवा योजना है और राष्ट्रीय सेवा हो जाने के बाद ये लोग अपने पुराने अथवा नए रोजगार पर चले जाते हैं। हम इस बात पर विचार करेंगे और उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयत्न करेंगे।

मैं श्री भोगेन्द्र झा के इस सुझाव से सहमत हूं कि समिति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होना चाहिये। ऐसे सदस्य से समिति की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विधि का उचित निर्वचन भी हो सकेगा।

मैं अपील की व्यवस्था के हक में नहीं हूं क्योंकि ऐसी व्यवस्था होने से हजारों मामले उमड़ आएंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अर्हित व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किये जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : मैं खण्ड 2 पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि इस सेवा के अन्तर्गत स्वपतियों सहित सभी व्यक्ति आने चाहिए। जो भी व्यक्ति समर्थांग हों। और 18 वर्ष के हो गए हों वे इसके अन्तर्गत आने चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर है। वह राष्ट्रीय अनिवार्य सेवा विधेयक नहीं है। यह सीमित उद्देश्यों सहित राष्ट्रीय सेवा विधेयक है।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर बल दे रहे हैं ?

श्री आर० वी० बड़े : जी, हां।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 से 7 विधेयक में जोड दिए गए।
Clause 3 to 7 were added ro the Bill.

खण्ड 8

सभापति महोदय : खण्ड 8 के दो संशोधन हैं। श्री बड़े उनपर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मैं अपने संशोधन संख्या 2 के अनुसार यह चाहता हूं कि "पर्याप्त" शब्द के पश्चात "और उचित" शब्द जोड़े जाएं तथा अपने संशोधन संख्या 3 के अनुसार यह चाहता हूं कि "कारण" शब्द के पश्चात "या चिकित्सीय आधार पर" शब्द जोड़े जाए। मैंने यह संशोधन सारी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किए हैं। सरकार को इन पर विचार करना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : "पर्याप्त" शब्द में ही "उचित" कर अभी आ जाता है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सशोधन संख्या 3 से भी कोई खास बात नहीं निकलती है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर बल देते हैं ?

श्री आर० वी० बड़े : जी नहीं।

सभापति महोदय : तब वे वापस लिए गए समझे जाते हैं।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।
The Amendments Nos 2 and 3 were, by leave, withdraw.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The mot'on was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गरा ।

Clause · was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 9 से 19 पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 14 विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 9 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 9 to 14 were added to the Bill.

खण्ड 15

सभापति महोदय : खण्ड 15 पर श्री बड़े का संशोधन है ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं चाहता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे कि यदि अर्द्ध व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा की समाप्ति पर बेरोजगार रहता है तो केन्द्रीय सरकार उसे उसकी अर्हता के अनुसार उसे उचित रोजगार देगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात इस बात पर निर्भर करेगी कि इस समय कितने व्यक्ति हैं और कितने पद भरे जाने हैं । मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि हर एक व्यक्ति, को रोजगार दिया जाएगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amandnent was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

' कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16 से 38, खण्ड 1. अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 16 to 38, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को परित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

* चीनी मीलों के लाभ और उसमें गन्ना सप्लाई करने वालों की भाग

** PROFITS OF SUGAR M LLS AND SHARE OF SUGAR-CANE SUPPLIERS THEREIN

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur): The hon. Minister has mentioned in his reply to Question No. 832 that the sugar mills have made substantial profits due to rise in the price of sugar. But the Government has not given any directive in this regard. My submission is that some part of that profit should go to cane growers also. The Minister has further said that our sugar factories were paying higher cane prices than those fixed by Govt.

[श्री मती शीला कौल पीठासीन हुई
Shrimati Sheila Koul in the Chair]

I want the hon. Minister to tell us whether cane growers paid uniform prices in North and South India. He had further said that the whole policy is under consideration. I want him to tell us for how long this consideration will go on ?

When late Shri Kidwai was the Union Food Minister, a price linking formula was adopted. But later on that formula was discontinued. The Minister should tell us why that formula was not put to use. The Estimates Committee in their 15th Report have observed that the anomaly of fluctuations will not be removed unless the Sugarcane growers get a remunerative price for the cane unless the sugarcane grower is paid a remunerative price for his produce, there would not be a stability in Governments Sugar Policy. I want to know from the hon. Minister the reasons for decline in sugar yields and recovery, as also the progress made by the high power sugar industry commission in their work and the reasons for delay in Submission of their report.

It is a well known fact that the suga: mill owners make huge profits but the cane growers do not get a share out of that profit.

There are 215 sugar mills in the country out of which 110 are in the Co-operative Sector which are earning profits. The fluctuations and instability in Government's sugar pocily such full control on sugar, decontrol of sugar and semi-control thereon will never yield any result in favour of the cane grower. The Government should adopt such policy as may ensure decent wages to the workers, a reasonable price for the consumers and a due return to the cane-growers. The Government have not taken any steps to increase sugarcane recovery which could enable the cane-growers to get a higher price.

There has been a decline in the production of sugarcane as also in the total sugarcane area. The cane growers are taking to other crops. I want to know the steps being taken by the hon. Minister to check this diversion to other crops.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : The Government have fixed the minimum price-which is called the national price—of sugarcane at Rs. 7.35 per quintal. But we have made efforts to enable the sugarcane growers to get a higher price for their produce. The price of sugar had started increasing in October-November. With a view to give incentive to the cane-growers, we asked all the State Governments to help them to get higher price and they got the higher price except in Tamil Nadu whom we have asked again do the needful. The sugar factories in the cooperative Sector in Andhra

* आधे घंटे की चर्चा

** Half an Hour Discussion

Pradesh have decided to give a share of their profit to the cane-growers this year. We have made efforts in Cooperation with the State Governments to get a higher price for the cane growers where they are getting less and also a share of profit so that the growers get incentive to increase sugar-cane production.

So far as the question of increasing recovery is concerned, we are making efforts in this regard. The Research Institute at Lucknow have developed seeds which are heat-resistant. In addition, we also want to provide more inputs and credit facilities to the cane-growers. With the supply of necessary inputs, improved seeds and credit to the cane-growers not only sugarcane recovery will increase but cane production will also go up. The recommendations of a Committee constituted under the chairmanship of our joint Secretary, Shri Pasricha are also under consideration of the Government and we would implement them after they are examined.

This year a higher price was given to the cane-grower in Northern India and as the length of the Season was small, most of the mills did not make any profits. But the mills in South India made more profits and we have asked them to pay more to the cane-growers.

The question of formulating a policy is under consideration of the Government

We will make efforts to fix the minimum price for the next year soon. As of long term policy, it is not the concern of this Ministry alone. It has to be formulated in consultation with the Planning Commission, Finance Ministry and the other concerned Ministries. Consultations are going on to formulate the policy.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में दो एक विशिष्ठ प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला यह कि चीनी उत्पादन की न्यूनतम व अधिकतम लागत मूल्य कितना है क्योंकि उपभोक्ता से तीन रुपये प्रति किलो मूल्य लिया जा रहा है ? दूसरा यह कि आपने 1970 में एक चीनी जाँच समिति गठित की थी । उसकी क्या रिपोर्ट है और यदि रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री शेर सिंह : चीनी की उत्पादन लागत के बारे में अभी तक ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि जब तक हमें यह मालूम नहीं होता कि सीजन कितना लम्बा रहा और उन्होंने गन्ना उत्पादकों को कितना मूल्य दिया, हम चीनी के न्यूनतम व अधिकतम लागत मूल्य का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगा सकते । इस समय गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पाडुचेरी में 12 कारखानों में अभी तक काम चल रहा है । फिर भी पंजाब में गन्ने का वस्तुत: दिये गये मूल्य के आधार पर अधिकतम लागत मूल्य है जो मोटे तौर पर 152·75 रुपये से लेकर 198 89 रुपये तक आता है और निम्नतम लागत मूल्य आन्ध्र प्रदेश में है जो लगभग 120 रुपये है और अधिकतम 150 रुपये तक आता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The price of sugarcane is paid to the growers on the basis of sugar recovery. I want to know whether Government have any machinery to assess or work out this recovery or they simply rely on the mill owners in this matter. I would like to know whether it also a fact that the cane-growers in U. P. and Bihar were paid a low price even less than the cost of production.

Shir Sher Singh : So far as recovery is concerned, we have Excise Inspectors those who impose excise duty ta ing into account the quantity of sugarcane supplied to a Mill and the quantity of sugar produced therefrom. Moreover, we ask the concerned staff for supply of the detailed information about the recovery from time to time.

As for the sugarcane price, there is no ground to complain that a low price was paid to growers in Bihar. The sugarcane price paid to the grower in Bihar ranged from Rs. 8 to Rs. 8.90 per quintal despite the fact that recovery as well as the length of the season were small.

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know whether the Government propose to take steps to see that the arrears amounting to crores of rupees payable to the cane-grower are cleared by the Mill owners and if not, the action proposed to be taken to redress their grievances.

Secondly, the total production of sugar has declined and it has come down to 42 lakh tons this year for which Government alone can be held responsible for it was all due to their failure in formulating a long term policy. This quantity will not be sufficient to meet the demand of the consumers. In view of this, I want to know how the Government is going to meet this situation.

Shri Sher Singh : We took several steps to help the cane-growers get their arrears and the percentage of such arrears has appreciably come down this year. In addition to this, we have decided that the Mill-owners who apply to the Reserve Bank for loans shall be required to furnish details of the arrears payable by them. It has, in fact, yielded very good results.

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 23 मई, 1972/2 ज्येष्ठ 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, May 23, 1972/ Jyaishta 2, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.